

भारत और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था

नरेन्द्र नाथ कौल

आमुख
श्री गुलजारीलाल नन्दा
आयोग मन्त्री, भारत सरकार



राजकामल प्रकाशना
दिल्ली इलाहाबाद बम्बई

प्रथम सस्करण, १९५६

केवल लेखक ही इस पुस्तक में प्रकट
किये गए विचारों के लिए उत्तरदायी है

सर्वाधिकार सुरक्षित

मूल्य तीन रुपये चार आने

मुद्रक

श्री गोपीनाथ सेठ, नवीन प्रेस,
दिल्ली ।

आमुख

इस पुस्तक में, लेखक श्री एन० एन० कौल ने, जो कि आई० एल० ओ० की भारतीय शाखा के एक सदस्य है, आई० एल० ओ० और इसके एक सदस्य देश ने पिछले पैंतीस वर्षों में किस प्रकार एक-दूसरे के प्रति क्रिया प्रतिक्रिया की, इस बारे में पूरी जानकारी थोड़े-से पृष्ठों में दे दी है और उनका यह कार्य गागर में सागर भरने के समान है। आई० एल० ओ० के जन्मकाल से भारत उसका सदस्य है और उसके क्रियाकलापों में इसने उत्सुकता और सक्रिय रूप से भाग लिया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पिछली पीढ़ी के समय में भारत में श्रम कानून और श्रम-कल्याण का प्रत्येक पहलू आई० एल० ओ० द्वारा बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। लेखक ने आई० एल० ओ० के निर्माण से पहले के विकास-मार्ग की खोज कर उपयोगी कार्य किया है और बड़ी सेवा की है। इसके कारण आई० एल० ओ० के क्रिया-कलापों को ऐतिहासिक दृष्टि से देखना सम्भव हो गया है। भारत के श्रम-क्षेत्र में घटी घटनाओं को भी विस्तृत ऐतिहासिक सामग्री के साथ दिया गया है।

(२) कम विकसित देशों में मजदूरों की दशा सुधारने के पक्ष में विश्व के लोकमत को प्रभावित करने के लिए मजदूर नेताओं और अन्य प्रतिनिधियों ने जो कार्य किया है, वह पूर्णतया और भली भाँति इस पुस्तक में दिखाया गया है। इसके साथ ही पुस्तक में यह दिखाने के वास्ते पर्याप्त सामग्री है कि कम विकसित देशों की खास जरूरतों और औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों के साथ कदम-से-कदम मिलाकर चलने

की उनकी क्षमता और शक्ति की सीमा से आई० एल० ओ० पूर्णतया परिचित था । मजदूर प्रबन्धक सम्बन्धों के प्रति नया दृष्टिकोण जो कि महायुद्ध के बाद देश में स्पष्टरूप से दृग् गोचर हो रहा है, आई० एल० ओ० के क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न और ढाले ज्ञानवान लोकमत का परिणाम है ।

(३) एशियाई प्रादेशिक कान्फ्रेंसों के क्रियाकलापों को यदि कुछ और अधिक विस्तार से दिया जाता तो मेरी राय में अधिक अच्छा होता । ये कान्फ्रेंसों एशियाई प्रदेश की विशेष, विलक्षण और असामान्य समस्याओं पर खास तौर पर ध्यान देती हैं और इस प्रकार की कान्फ्रेंसों का परिणाम इस कारण से, इस देश के वास्ते पर्याप्त महत्व का है । क्योंकि इससे आई० एल० ओ० के कनवेंशनों और प्रतिमानों को कम विकसित देशों में लागू करने के लिए व्यावहारिक मार्ग मालूम हो जाता है ।

(४) श्रम समस्या में जो लोग जरा भी दिलचस्पी रखते हैं उनको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए, यह कहने में मुझे तनिक भी सकोच नहीं । इसके पन्नों में बहुत उपयोगी सामग्री प्राप्त होगी, जो कि अब तक बहुत-सी पुस्तकों और रिपोर्टों में बिखरी हुई थी । इस पुस्तक के लेखक इस उपयोगी एवं साहसिक कार्य के लिए, जो कि उन्होंने अपने खाली समय में किया है, वस्तुतः बधाई के पात्र हैं ।

नई दिल्ली,
१८ जून, १९५६

गुलजारीलाल नन्दा

प्रस्तावना

सामाजिक न्याय क्या है ? सरल शब्दों में इसको इस तरह कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति इसको पाने की खोज में है, उसकी स्थिति में अपने को रखा जाय, तो यह भली भाँति अनुभव किया जा सकेगा । हर एक देश के जीवन में ऐसा समय था जब यह आवश्यक नहीं था कि अपने-आपको दूसरे की स्थिति में रखा जाय । लेकिन पिछले २०० से अधिक वर्षों में जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं और डार्विन, मार्क्स और आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के ग्रंथों का जो सामूहिक प्रभाव पड़ा है, उनके कारण स्वतन्त्रता, समानता और सामाजिक न्याय-विषयक धारणाएँ और मानव का मूल्य सर्वथा बदल गया है ।

लगभग उसी समय जबकि सामाजिक न्याय द्वारा सार्वभौम शान्ति की स्थापना के उद्देश्य से आई० एल० ओ० की स्थापना हुई, भारत में स्वाधीनता के आन्दोलन ने जोर पकड़ा । यह आन्दोलन स्वभागतः निर्णय को, राजनीतिक न्याय को प्राप्त करने का था । सामाजिक न्याय के उद्देश्य से किये गए आई० एल० ओ० के काम को जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त था । सचार्इ तो यह है कि इसने मजदूरों के संगठित होने की प्रक्रिया को गतिशील बनाने में मदद दी और उन सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के काम से सम्बन्ध स्थापित किया, जो कि देश में मजदूर वर्ग में काम करते थे और उसको मदद देते थे । भारत के स्वाधीन होने से पहले तक आई० एल० ओ० न्याय का सन्देशहर था जो कि भारत में मजदूर और किसी प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते थे ।

१५ अगस्त, १९४७ के बाद से दृश्य बदल गया। भारतीय जनता ने शान्त उपायों से स्वाधीनता प्राप्त की। सब प्रकार के परिवर्तनों के लिए राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक, अहिंसा के सिद्धान्त और दर्शन को स्वीकार किया गया। २६ जनवरी १९५० से नया भारतीय संविधान लागू हुआ और उसने भी इसका समर्थन किया और इसको स्वीकार किया।

इस प्रकार हम भारतीय जनता के दृष्टिकोण और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था के उन उद्देश्यों में सतत समानता पाते हैं, जिन्होंने कि इस सस्था को जन्मकाल से अनुप्राणित किया है। यह एक दैव-सयोग था—एक ऐसा दैव-सयोग जो कि भारतीय जनता और ससार की सब जगह की जनता, दोनों के लिए अच्छा था। क्योंकि जब हम इस बात का स्मरण करते हैं कि भारत सारे युगों में अनेक नए आन्दोलनों और धार्मिक पुनर्जागरण का घर रहा है तो हम उचितरूप से यह आशा कर सकते हैं कि भारत अपनी समस्याओं का हल करने के लिए जिस सश्लेषण का निर्माण कर रहा है, वह शेष विद्व के वास्ते भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

इस 'सस्था' के उद्देश्य की भावना के अन्तर रहस्य को ज्यों-ज्यों अधिकाधिक जानने का प्रयत्न किया जाता है, त्यों-त्यों इसके सस्थापकों की दूरदर्शिता में विश्वास बढ़ता जाता है। यहाँ भारत में मार्च १९१८ में महात्मा गांधी के पथ-प्रदर्शन में अहमदाबाद के मजदूरों को अनुप्राणित करने वाले सग्राम ने सत्याग्रह की विजय का महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया। 'सत्याग्रह' शान्ति और प्रेरणा का शास्त्र है और इसका प्रयोग सामाजिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में किया गया था। ये दो प्रतीकात्मक घटनाएँ, एक अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उद्देश्यों की परिभाषा और व्याख्या करने की दिशा में, और दूसरी हमारे देश में लक्ष्य-सिद्धि के लिए साधनों की ओर सकेत करने की दिशा में, धन-जन विनाशक प्रथम महायुद्ध के भीषण सग्राम के बाद हुई—जो कि शक्ति का अधिकतम

प्रदर्शन था और साथ ही शक्ति-व्यर्थता को भी प्रगट कर रहा था । विश्व सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए शान्ति और प्रेरणा के उपायो को पुनः अपना रहा था । विभिन्न आयो और आमदनी के वर्गों के मध्य शान्ति स्थापित करने का यह एक आवश्यक मूल तत्त्व था ।

ह्वाइट हैड ने जैमा कि कहा है, "प्रगतिशील समाज वे हैं, जो सर्वाधिक निर्णयात्मक रूप से विश्वास करते हैं, प्रेरणा के मार्ग पर ।" शक्ति की अपेक्षा प्रेरणा अधिक व्यावहारिक है और नैतिक दृष्टि से अधिक उच्च है, इसके लिए यदि किसी प्रमाण की आवश्यकता है, तो आई० एल० ओ० और भारत द्वारा वह दे दिया गया है । यह एक महत्वपूर्ण बात है कि आई० एल० ओ० ने जहाँ लक्ष्य प्रदर्शित किया है वहाँ भारत ने उनको पूर्ण करने के लिए कार्य किया है, विशेषतः जब हम स्मरण करते हैं कि जेनीवा द्वारा स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिमानो को सदस्य राज्य ही क्रियान्वित कर सकते हैं और उनको मूर्त-रूप दे सकते हैं ।

यदि मैं रूपकालंकार का प्रयोग करूँ तो कहना चाहूँगा कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संस्था पदों के पीछे से गानेवाली गायिका है, और सदस्य राज्य रंगमंचपर पाटं करने वाले एक्टर अभिनेता हैं । इस सम्मिलन का सर्वोत्तम प्रभाव उस समय प्राप्त होता है, जब दोनों का एक समय में मिलन पूर्ण होता है । इस पुस्तक के पृष्ठो को पढ़ने के बाद कोई भी निष्पक्ष पर्यवेक्षक इसी निर्णय पर पहुँचेगा कि आई० एल० ओ० की स्थापना को भारत ने अक्षरशः और भावात्मक रूप में, इन दोनों रूपों में स्वीकार किया है । यही नहीं कि इसके राष्ट्रीय प्रतिनिधियो ने, स्वाधीनता से पूर्व की सीमाओं और प्रतिबन्धो के बावजूद और उनके अधीन रहते हुए न केवल महत्वपूर्ण पाटं अदा किया है, बल्कि विश्व संस्था में भारत का भाग लेना विशेषकर १९४७ के बाद से, आदर्श और गौरवपूर्ण दोनों रहा है । नि सन्देह शेष दुनिया कह सकती है : अच्छा है, आई० एल० ओ० और भारत दोनों के लिए यह शुभ है ! लेकिन इस प्रतिक्रिया की सीमा के

पार इस बात को पहुँचाने के लिए मैंने यह पुस्तक लिखी है। क्योंकि मेरा यह बृद्ध विश्वास है कि यह सम्मिलन और मेल दुनिया-भर के लिए और हरेक जगह में सामाजिक न्याय के पक्ष के लिए परिणामकारक और महत्वपूर्ण है। एक देश, जहाँ कि अनन्तकाल से मानव का सर्वोच्च काम सत्य की खोज करना माना जाता रहा है, निश्चय से हमारे समय के सामाजिक और आर्थिक मूल्यों में सम्मिश्रण करने, उनको एक करने के लिए विचार की भट्टी बनने और भावी पीढ़ी के लिए सामाजिक न्याय की स्थापना का नेतृत्व करने के लिए सर्वथा उपयुक्त है।

नि.सन्देह आई० एल० ओ० के कामों का इतिवृत्त अध्ययन करने में उत्तेजक नहीं। मेरा ख्याल है कि सम्भवतः नितिशे ने कहा था कि शान्ततम घड़ी अधिकतम अर्थपूर्ण, परिपूर्ण एवं कल्पनापूर्ण होती है, या विवेकानन्द ने कहा था विश्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, चुप्पी व मौन। एक देश की सामाजिक नीति में आई० एल० ओ० जो कोई ठोस परिवर्तन कर सके, उसका अर्थ है मानव सुख में उतनी ही वृद्धि और उसका अर्थ है मानव प्रगति और भावी समृद्धि की नींव को बृद्ध करना। यह भले ही क्षण भर के तमाशे के समान न चमके, मगर भविष्य में इसका ऐसा परिणाम हो सकता है जो देश के जीवन का एक भाग व अंग हो जाय।

भारत और आई० एल० ओ० के पारस्परिक सम्बन्धों के हर पहलू का इस पुस्तक में विशद रूप से वर्णन नहीं किया गया है। इसके वास्ते केन्द्रीय धारा सभाओं की बहस का विवरण, भारत सरकार और राज्यों के मध्य हुए पत्र व्यवहार की तफसील, सम्पुष्ट और असम्पुष्ट कन्वेंशनों और सिफारिशों पर भारत सरकार की रिपोर्ट का विश्लेषण, प्रशासन समिति (गवर्निंग बॉडी) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कान्फ्रेंस और अन्य कमे-टियों एवं कमीशनों में भारतीयों द्वारा दिया गया अशदान आदि का विवरण देना आवश्यक होगा। यह सब ठीक है और इसका स्वागत किया जायगा। किन्तु उस सम्बन्ध को बताने के लिए यह आवश्यक और

अपरिहार्य नहीं है, जिसको कि स्थापित करने का इस पुस्तक में प्रयत्न किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संस्था सम्बन्धी जानकारी सरकारी लेखों और लेखक के अपने अनुभव से ली गई है। कुछ स्थानों पर पुनरावृत्ति अपरिहार्य थी और कहीं-कहीं तो विचारपूर्वक और जानबूझकर की गई है। आई० एल० ओ० के साथ भारत के सम्बन्ध के विभिन्न पहलू एक दूसरे से टकराते हैं, एक-दूसरे से आपस में इतने अधिक मिले हुए हैं कि पूरी तस्वीर खींचने के वास्ते स्वभावतः एक पहलू दूसरे का अतिक्रमण कर जाता है।

मैं यहाँ आई० एल० ओ० के भारतीय शाखा के डाइरेक्टर श्री वी० के० आर० मेनन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना अपना कर्तव्य मानता हूँ। आपके सतत् प्रोत्साहन और पथ-प्रदर्शन के बिना शायद ही यह पुस्तक में लिख पाता। आई० एल० ओ० को उनके रूप में एक सच्चा राजदूत मिला है। आप का विकासशील उपायो और प्रगतिशील सामाजिक नीति में दृढ़ विश्वास है और भारत की विकास-योजनाओं के प्रति आपम अपार उत्साह है। हमें पूर्ण विश्वास करना चाहिए कि आगामी वर्षों में आई० एल० ओ० और भारत के सम्बन्धों को दृढ़ करने के वास्ते फल-प्रद प्रयत्न किये जायेंगे। यह पुस्तक उस महान् कार्य के प्रति एक वित्तन्न अंशदान है।

पुस्तक के अनुवाद और प्रकाशन में सहायता के लिए मैं श्री अवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार का आभारी हूँ।

नई दिल्ली,

जून १९५६

नरेन्द्र नाथ कौल

सूची

शामुख

प्रस्तावना

१. भारत में १९१६ तक श्रम और उद्योग	·	·	१
२. आई० एल० ओ० से पूर्व का काल	·	·	१५
३. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्या	·	·	२५
४. भारत और अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन	·	·	५३
५. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कान्फ्रेंस में भारतीय	·	·	७१
६. आई० एल० ओ० प्राविधिक सहायता और भारत	·	·	११६
७. नई दिल्ली कान्फ्रेंस	·	·	१२६
८. आई० एल० ओ० और भारत में कामयोजकी और मजदूरो की संस्थाएँ	·	·	१३४
९. भारत में त्रिपक्षीय श्रम संस्था	·	·	१४१
१०. कांग्रेस, मजदूर और आई० एल० ओ०	·	·	१५०
११. आई० एल० ओ० की भारतीय शाखा	·	·	१५५
१२. उपसंहार	·	·	१६१

Appendix I—Bibliography

168

- (i) I. L. O. Publications on India
- (ii) Articles on India in the International Labour Review
- (iii) Publications on the International Labour Organisation
- (iv) India and the International Labour Organisation.

परिशिष्ट २

आई० एल० ओ० की प्रशासन समिति के गैरसरकारी भारतीय
सदस्यों की सूची १७६

परिशिष्ट ३

आई० एल० ओ० की कमेटियो और कमीशनो के ३१ दिसम्बर,
१९५५ को भारतीय सदस्य १८०

परिशिष्ट ४

श्रम कानून एक दृष्टि में

अध्याय १

भारत में १९१९ तक श्रम और उद्योग

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना है। अठारहवीं सदी के अन्तिम भाग और उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में हुए यांत्रिक आविष्कार जहाँ इसकी स्थापना के कारण हैं, वहाँ इसकी स्थापना से ठीक पहले हुआ महायुद्ध भी इसकी स्थापना का कुछ कम कारण नहीं है। इस 'संस्था' के साथ भारत का जहाँ तक सम्बन्ध है, वहाँ तक यह जानना जरूरी है कि इन आविष्कारों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और इनके कारण भारतीय आर्थिक व्यवस्था में क्या हेर-फेर हुए और इसका कैसा रूप बदला। इसके वास्ते इतिहास के पुराने पन्नों को पलटना जरूरी है। १९१९ से पहले भारत में औद्योगिक प्रणाली का विकास किस रूप में हुआ यह जानना आवश्यक है, जिसने नये मौकों, अवसरों और नई समस्याओं को जन्म दिया।

इस तिलसिले में पहली उल्लेखयोग्य बात है कि जिस देश में औद्योगिक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ, वह देश धीरे-धीरे इस देश के भाग्यों का नियंत्रण कर रहा था, इस देश का वह नियन्ता था। स्वेज नहर का मार्ग खुल गया था, भाप से चलने वाले जहाजों द्वारा भारत का अन्य देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित हो गया, रेल-मार्ग बिछने लगा और लम्बी-लम्बी सड़कें बनने लगीं। दूसरे देशों के साथ भारत का व्यापार-वाणिज्य बढ़ा और इस प्रायद्वीप में और विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में वाणिज्य ने नया अर्थ और नवीन रूप धारण किया।

भारत गाँवों का देश था। शहरों का विकास तीर्थ स्थानों, शासकों की राजधानियों और बाजार के केन्द्रों, किसानों और उनके परिश्रम पर जीने वालों, दस्तकारों और शिल्पियों के चारों ओर हुआ कुम्हार, बढ़ई, लोहार, ठेरा, मिस्त्री, राज आदि गाँव की आर्थिक व्यवस्था के उसी प्रकार एक भाग थे, जैसे पुरोहित, योद्धा और व्यापारी सामाजिक ढाँचे के अंग थे। वस्तुतः शहर बड़े गाँव थे। यद्यपि मोहनजोदरो, प्रम्बर (जयपुर), मदुरा आदि शहरों में योजनापूर्ण नगर-निर्माण की पर्याप्त साक्षी एव गवाही मिलती है और जहाँ-तहाँ नाली मोरियाँ बनी हुई पाई जाती हैं, किन्तु आज शहर शब्द से हमारे मन में उसका जो रूप सामने आता है, वैसे शहर यहाँ नहीं थे। भारत में ही नहीं पश्चिम में भी आधुनिक शहर आर्थिक व्यवस्था के गौण और तीसरी अचलो की उपज हैं और वे औद्योगिक सभ्यता के परिणाम हैं। औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ भारत में बड़े-बड़े शहर विकसित होते गए और मजदूर-वर्ग का जीवन, जो कि इन शहरों और उपनगरों का एक भाग है, सुधारने का कार्य आई० एल० ओ० ने अपने ऊपर लिया है और यह कार्य यह भारत की सामाजिक और आर्थिक नीतियों को प्रभावित करते हुए करता है।

भारत इस समय स्वाधीन नहीं था। इसकी आर्थिक व्यवस्था ग्रेट-ब्रिटेन के साथ नथी थी, अतः इस देश में औद्योगीकरण का प्रारम्भ और उसका विकास उस रूप में और उस ढंग से हुआ जिसमें ब्रिटिश आर्थिक व्यवस्था चाहती थी। ब्रिटिश प्रभाव साधारण नहीं था। भारत में मशीनरी का प्रचलन अंग्रेजों की इच्छा पर निर्भर था। क्योंकि इन मशीनों को चलाने का ज्ञान उन्हीं के पास था। ब्रिटिश उद्योगों का लाभ इसी में था कि भारत को इस हालत में रखा जाय जिससे वह ब्रिटेन के उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल देता रहे और वह माल उत्पन्न करता रहे जो कि ब्रिटेन की ठण्डी आब-हवा में उत्पन्न नहीं हो सकता और इसके साथ-साथ ब्रिटिश तैयार माल के लिए भारत का बाजार सुरक्षित रहे।

वागवानी

यूरोपियनों ने पहले-पहल वागवानी की ओर ध्यान दिया और उन्नीसवीं शती के उत्तरार्द्ध में १८६० में चाय, काफी, नील और जूट उद्योग में यूरोपियनों का हित काफी मात्रा में उत्पन्न हो गया। लगभग १८५० में आसाम के अन्दर चाय-पद्धतिपूर्ण तरीके से उपजाई जाने लगी। नीचे दी गई तालिका आसाम के बारे में है। उस समय से भी आसाम चाय उत्पादन का भारत में एक महत्वपूर्ण केन्द्र था।^१

वर्ष	वागों की संख्या जो स्पष्ट रूप से मालिकों के अधीन थे	चाय बोनो का क्षेत्र	चाय की पैदावार पींड में
१८५०	१	१,८७६	२१६,०००
१८५३	१०	२,४२५	३६६,७००
१८५६	४८	७,५६६	१,२०५,६८६
१८६६	२६०	२५,१७४	४,७१४,७६६
१८७१	२६५	३१,३०३	६,२५१,१४३

इस तालिका को देखने से स्पष्ट हो जायगा कि १८६० तक चाय के बागों का विकास अभूतपूर्व मात्रा में हो गया था। कुछ समय तक स्थानीय मजदूर इसके लिए काफी थे, लेकिन १८६० के बाद मजदूरों की माँग तेजी से बढ़ी और इस माँग को पूरा करने के लिए बंगाल से मजदूर बुलाए गये। ये मजदूर कलकत्ता में ठेकेदारों द्वारा स्थापित एजेन्सी द्वारा आसाम भेजे जाते थे मजदूरों को कर्मित वहुत ऊपर चढ़ गई और ठेकेदार बहुत मुनाफा उठाने लगे। अतः जो कोई व्यक्ति मिलता उसको ये लोग आसाम भेज देते। इस प्रकार सब प्रकार के लोग मजदूर बनाकर

१ इस अनुच्छेद में दिए गये आँकड़े और उद्धरण डा० डी० आर० गाडगिल द्वारा लिखित "इण्डस्ट्रियल इवोल्यूशन आफ इण्डिया" से लिए गये हैं।

भारत गाँवों का देश था । शहरों का विकास तीर्थ स्थानों, शासकों की राजधानियों और बाजार के केन्द्रों, किसानों और उनके परिश्रम पर जीने वालों, दस्तकारों और शिल्पियों के चारों ओर हुआ कुम्हार, बढ़ई, लोहार, ठठेरा, मिस्त्री, राज आदि गाँव की आर्थिक व्यवस्था के उसी प्रकार एक भाग थे, जैसे पुरोहित, योद्धा और व्यापारी सामाजिक ढाँचे के अंग थे । वस्तुतः शहर बड़े गाँव थे । यद्यपि मोहनजोदड़ो, अम्बर (जयपुर), मयुरा आदि शहरों में योजनापूर्ण नगर-निर्माण की पर्याप्त साक्षी एव गवाही मिलती है और जहाँ-तहाँ नाली मोरियाँ बनी हुई पाई जाती हैं, किन्तु आज शहर शब्द से हमारे मन में उसका जो रूप सामने आता है, वैसे शहर यहाँ नहीं थे । भारत में ही नहीं पश्चिम में भी आधुनिक शहर आर्थिक व्यवस्था के गौण और तीसरी अचलों की उपज हैं और वे औद्योगिक सभ्यता के परिणाम हैं । औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ भारत में बड़े-बड़े शहर विकसित होते गए और मजदूर-वर्ग का जीवन, जो कि इन शहरों और उपनगरों का एक भाग है, सुधारने का कार्य आई० एल० ओ० ने अपने ऊपर लिया है और यह कार्य यह भारत की सामाजिक और आर्थिक नीतियों को प्रभावित करते हुए करता है ।

भारत इस समय स्वाधीन नहीं था । इसकी आर्थिक व्यवस्था ग्रेट-ब्रिटेन के साथ नट्यो थी, अतः इस देश में औद्योगीकरण का आरम्भ और उसका विकास उस रूप में और उस ढंग से हुआ जिसमें ब्रिटिश आर्थिक व्यवस्था चाहती थी । ब्रिटिश प्रभाव साधारण नहीं था । भारत में मशीनरी का प्रचलन अंग्रेजों की इच्छा पर निर्भर था । क्योंकि इन मशीनों को चलाने का ज्ञान उन्हीं के पास था । ब्रिटिश उद्योगों का लाभ इसी में था कि भारत को इस हालत में रखा जाय जिससे वह ब्रिटेन के उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल देता रहे और वह माल उत्पन्न करता रहे जो कि ब्रिटेन की ठण्डी आब-हवा में उत्पन्न नहीं हो सकता और इसके साथ-साथ ब्रिटिश तैयार माल के लिए भारत का बाजार सुरक्षित रहे ।

वागवानी

यूरोपियनों ने पहले-पहल वागवानी की श्रौर ध्यान दिया और उन्नी-सवीं शती के उत्तरार्द्ध में १८६० में चाय, काफी, नील और जूट उद्योग में यूरोपियनों का हित काफी मात्रा में उत्पन्न हो गया। लगभग १८५० में आसाम के अन्दर चाय-पद्धतिपूर्ण तरीके से उपजाई जाने लगी। नीचे दी गई तालिका आसाम के बारे में है। उस समय में भी आसाम चाय उत्पादन का भारत में एक महत्वपूर्ण केन्द्र था।^१

वर्ष	वागों की सख्या जो स्पष्ट रूप से मालिकों के अधीन थे	चाय बोनो का क्षेत्र	चाय की पैदावार पौंड में
१८५०	१	१,८७६	२१६,०००
१८५३	१०	२,४२५	३६६,७००
१८५६	४८	७,५६६	१,२०५,६८६
१८६६	२६०	२५,१७४	४,७१४,७६६
१८७१	२६५	३१,३०३	६,२५१,१४३

इस तालिका को देखने से स्पष्ट हो जायगा कि १८६० तक चाय के वागों का विकास अभूतपूर्व मात्रा में हो गया था। कुछ समय तक स्थानीय मजदूर इसके लिए काफी थे, लेकिन १८६० के बाद मजदूरों की माँग तेजी से बढ़ी और इस माँग को पूरा करने के लिए बंगाल से मजदूर बूलाए गये। ये मजदूर कलकत्ता में ठेकेदारों द्वारा स्थापित एजेन्सी द्वारा आसाम भेजे जाते थे मजदूरों को कर्मित बहुत ऊपर चढ गई और ठेकेदार बहुत मुनाफा उठाने लगे। अतः जो कोई व्यक्ति मिलता उसको ये लोग आसाम भेज देते। इस प्रकार सब प्रकार के लोग मजदूर बनाकर

१ इस अनुच्छेद में दिए गये आंकड़े और उद्धरण डा० डी० मारण्डा गार्डनिल द्वारा लिखित "इण्डस्ट्रियल इवोल्यूशन ऑफ इण्डिया" से लिए गये हैं।

वागवानी

यूरोपियनो ने पहले-पहल वागवानी की ओर ध्यान दिया और उन्नी-सवीं शती के उत्तरार्द्ध में १८६० में चाय, काफी, नील और जूट उद्योग में यूरोपियनो का हित काफी मात्रा में उत्पन्न हो गया। लगभग १८५० में आसाम के अन्दर चाय-पद्धतिपूर्ण तरीके से उपजाई जाने लगी। नीचे दी गई तालिका आसाम के बारे में है। उस समय में भी आसाम चाय उत्पादन का भारत में एक महत्वपूर्ण केन्द्र था।^१

वर्ष	बागों की सख्या जो स्पष्ट रूप से मालिकों के अधीन थे	चाय बोनो का क्षेत्र	चाय की पैदावार पौंड में
१८५०	१	१,८७६	२१६,०००
१८५३	१०	२,४२५	३६६,७००
१८५६	४८	७,५६६	१,२०५,६८६
१८६६	२६०	२५,१७४	४,७१४,७६६
१८७१	२६५	३१,३०३	६,२५१,२४३

इस तालिका को देखने से स्पष्ट हो जायगा कि १८६० तक चाय के बागों का विकास अभूतपूर्व मात्रा में हो गया था। कुछ समय तक स्थानीय मजदूर इसके लिए काफी थे, लेकिन १८६० के बाद मजदूरों की मांग तेजी से बढ़ी और इस मांग को पूरा करने के लिए बंगाल से मजदूर बुलाए गये। ये मजदूर कलकत्ता में ठेकेदारों द्वारा स्थापित एजेन्सी द्वारा आसाम भेजे जाते थे मजदूरों को कर्मित बहुत ऊपर चढ़ गई और ठेकेदार बहुत मुनाफा उठाने लगे। अतः जो कोई व्यक्ति मिलता उसको ये लोग आसाम भेज देते। इस प्रकार सब प्रकार के लोग मजदूर बनाकर

१ इस अनुच्छेद में दिए गये आंकड़े और उद्धरण डा० डी० ब्रारो, गाडगिल द्वारा लिखित "इण्डस्ट्रियल इवोल्यूशन ऑफ इण्डिया" से लिए गये हैं।

भारत गाँवों का देश था। शहरों का विकास तीर्थ स्थानों, शासकों की राजधानियों और बाजार के केन्द्रों, किसानों और उनके परिश्रम पर जीने वालों, दस्तकारों और शिल्पियों के चारों ओर हुआ कुम्हार, बढई, लोहार, ठठेरा, मिस्त्री, राज आदि गाँव की आर्थिक व्यवस्था के उसी प्रकार एक भाग थे, जैसे पुरोहित, योद्धा और व्यापारी सामाजिक ढाँचे के अंग थे। वस्तुतः शहर बड़े गाँव थे। यद्यपि मोहनजोदारो, अम्बर (जयपुर), मथुरा आदि शहरों में योजनापूर्ण नगर-निर्माण की पर्याप्त साक्षी एवं गवाही मिलती है और जहाँ-तहाँ नाली मोरियाँ बनी हुई पाई जाती हैं, किन्तु आज शहर शब्द से हमारे मन में उसका जो रूप सामने आता है, वैसे शहर यहाँ नहीं थे। भारत में ही नहीं पश्चिम में भी आधुनिक शहर आर्थिक व्यवस्था के गौण और तीसरी अचलो की उपज हैं और वे औद्योगिक सभ्यता के परिणाम हैं। औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ भारत में बड़े-बड़े शहर विकसित होते गए और मजदूर-वर्ग का जीवन, जो कि इन शहरों और उपनगरों का एक भाग है, सुधारने का कार्य आई० एल० ओ० ने अपने ऊपर लिया है और यह कार्य यह भारत की सामाजिक और आर्थिक नीतियों को प्रभावित करते हुए करता है।

भारत इस समय स्वाधीन नहीं था। इसकी आर्थिक व्यवस्था ग्रेट-ब्रिटेन के साथ नट्यो थी, अतः इस देश में औद्योगीकरण का आरम्भ और उसका विकास उस रूप में और उस ढंग से हुआ जिसमें ब्रिटिश आर्थिक व्यवस्था चाहती थी। ब्रिटिश प्रभाव साधारण नहीं था। भारत में मशीनरी का प्रचलन अंग्रेजों की इच्छा पर निर्भर था। क्योंकि इन मशीनों को चलाने का ज्ञान उन्हीं के पास था। ब्रिटिश उद्योगों का लाभ इसी में था कि भारत को इस हालत में रखा जाय जिससे वह ब्रिटेन के उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल देता रहे और वह माल उत्पन्न करता रहे जो कि ब्रिटेन की ठण्डी आव-हवा में उत्पन्न नहीं हो सकता और इसके साथ-साथ ब्रिटिश तैयार माल के लिए भारत का बाजार सुरक्षित रहे।

धीमी रही, किन्तु १८७६ में ५६ सूती मिलें थी और उनमें ४३,००० मजदूर काम करते थे। १८८२ में २० जूट मिलें कलकत्ता के चारों ओर चल रही थीं और इन में लगभग २०,००० मजदूर काम करते थे। कोयले की खानों में काम करने के लिए मजदूर भी किसानों में से आए। १८७६-८० में छप्पन खानों में काम होता था और १८८० में लगभग २०,००० लोगो को ये काम दे रही थीं। आधुनिक चमड़ा रंगने का उद्योग भी मद्रास में विकसित हुआ। लेकिन इस में काम करने वाले मजदूरों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। संयुक्त राज्य अमरीका में क्रोम चमड़ा रंगने की प्रक्रिया का सूत्रपात होने से इस उद्योग को एक भारी धक्का लगा।

१८८० तक आधुनिक औद्योगिक विकास ने कोई महत्व इस देश में धारण नहीं किया था, किन्तु, जैसाकि डा० गाडगिल ने लिखा है “पुरानी दस्तकारियों से लोगो को निकालने की प्रक्रिया तेजीसे काम कर रही थी। किन्तु इस प्रकार से विस्थापितों को काम देने के लिए नए उद्योग उसी अनुपात में स्थापित नहीं हो रहे थे।”

१८८०-९५ के बीच सूती वस्त्र उद्योग ने बहुत प्रगति की। १८९५ में १४४ सूती मिलें चल रही थीं और इनमें १३६,५७८ मजदूर काम कर रहे थे। इन पन्द्रह वर्षों में जूट उद्योग का विस्तार “विद्यमान मिलों के विस्तार बढ़ाने के रूप में हुआ इनकी संख्या की वृद्धि के रूप में नहीं।” १८९५ में २६ जूट मिलें थीं और इनमें ७५,१५७ व्यक्ति काम करते थे। रेलवे प्रणाली के विस्तार के साथ कोयले की खानों का भी विस्तार हुआ और १८९४ में कोयले की खानों की संख्या १२३ थी और इनमें ४३,१६७ खन्नक काम करते थे। १८९५ में भारत में ६ ऊनी मिलें और आठ कागज की मिलें थीं और इनमें क्रमशः ३००० और ३,५०० लोग काम करते थे।

१९११ की औद्योगिक श्रुंभङ्गकारी से रोजगार का जो रूप प्रकट हुआ वह निम्न है।

आसाम भेजे जाने लगे । मजदूरों को आसाम भेजने के लिए परिवहन के साधन ठीक नहीं थे फलत बहुत से प्रवासी मजदूर राह में ही मर जाते । जो लोग बचकर बागों तक पहुँचते उनकी मुसीबतों और दुःखों का कोई ठिकाना नहीं था । उनके दुःख और उनकी शोचनीय अवस्था उनके कामयोजकों के दुर्घ्ववहार और क्रूरता के कारण और भी बिगड़ जाती ।

कुछ समय बाजार में मन्दी रही किन्तु १९८७ तक यह उद्योग दृढ़ नींव पर स्थापित हो गया । उन्नीसवीं सदी के पिछले तीस सालों में इस उद्योग की समृद्धि निरन्तर बढ़ती रही और इसका बराबर विकास होता गया । आसाम के सिवाय अन्यत्र भी इस काल में चाय उपजाई जाने लगी । नीलगिरि देहरादून और कागडा में भी चाय के बाग लगाये गए ।

यूरोपियन प्लाण्टरो ने जब इस ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया तब दक्षिण भारत में काफी उपजाई जाने लगी । १८६० से १८७६ तक इस उद्योग का विकास बड़ी तेजी से हुआ । लेकिन इसके अगले दशक में पीधे के रोगों ने इसकी प्रगति रोक दी । इन बागों के वास्ते मजदूर दूर से बुलाने की जरूरत नहीं हुई । किसानों के पास जब अपनी खेती का काम कम होता या नहीं होता था तब वे इन बागों में मजदूरी करते थे आसपास के गाँवों से ही आते थे । उद्योग का संचालन भी अनुचित रूप से नहीं किया जाता था । फलत चाय बागान के मजदूरों की अपेक्षा काफी के बागों में काम करने वाले मजदूर अधिक अच्छी हालत में थे । ब्राजील में सस्ती काफी पैदा होने और भारत में इस का बाजार न होने से काफी के बागों का विकास आगे भी रुका रहा ।

चाय और काफी के बाग जब लगाए जा रहे थे उन्हीं दिनों बंगाल में यूरोपियन लोग जूट उद्योग का विकास कर रहे थे ।

कारखाने और खानें

१८५४ के आसपास बम्बई में पहली सूती मिल और सेरामपुर में पहली जूट मिल चालू हुई । सूती वस्त्र उद्योग की प्रगति प्रारम्भ में

साधन हो गया। तैयार इस्पात का उत्पादन १९१३ में १६,००० टन हुआ और १९१८-१९ में यह बढ़कर १२३,८६० टन हो गया। रासायनिक उद्योग में भी पर्याप्त प्रगति हुई। इस देश में पहली बार बड़ी संख्या में रासायनिक द्रव्य व्यावसायिक पैमाने पर तैयार हुए। युद्ध के कारण वस्वई प्रान्त के सूती वस्त्र, और कागज, आटा, और तेल मिलो, बंगाल के जूट उद्योग और कोयला की खानों, और मद्रास के चमड़ा रंगने, साबुन और जहाज निर्माण उद्योगों की बहुत अभिवृद्धि हुई। युद्ध समाप्त होने के कुछ काल बाद भी यह समृद्धि कायम रही। लेकिन इसके बाद उद्योगों को भारी संकट का सामना करना पड़ा। चूंकि मेरे वर्णन का विषय उस समय के औद्योगिक भारत की अवस्था है जब भारत अन्तर्राष्ट्रीय सस्था का सदस्य हुआ, अतः इन उद्योगों में काम करने वालों की संख्या देना पर्याप्त है। यहाँ उन्हीं उद्योगों की सूची दी जा रही है जिनमें न्यून १०,००० मजदूर काम करते थे। ये आंकड़े १९२१ की मर्कुम-शुमारी की रिपोर्ट से लिए गए हैं।

संगठित उद्योग	काम पर लगे मजदूरों की संख्या
चाय बागवानी	७४७,०००
सूती मिलें (वुनाई कताई)	३५०,०००
जूट मिलें	२८७,०००
कोयले की खानें	१८१,०००
रेलवे वर्कशॉप	११२,०००
रुई के कारखाने	८३,०००
धातु व इजीनियरिंग वर्कशॉप	८२,०००
ईंट व टाइल फैक्टरियां	७५,०००
आटा व चावल मिलें	४६,०००
छपाई के प्रेस	४६,०००
काफी बागवानी	४०,०००
लोहा व इस्पात	३६,०००

चाय बाग	७०३,५८५
सूती वस्त्र	५५७,५८६
जूट सन आदि	२२२,३१६
कोयले की खानें	१४२,६७७
रेलवे वर्कशाप	६८,७२३
काफी बाग	५७,६२३
इंट व टाइल फॅक्टरियां	४६,१५६
छापाखाने	४१,५६८
सोने की खानें	२८,५६२
मैशीनरी व इंजीनियरिंग वर्कशाप	२३,१४७

बर्मा, और पाकिस्तान समेत भारत की इस समय जन-संख्या ३१ करोड़ ५० लाख थी। आटा और चावल मिलों की संख्या ऊपर की तालिका में नहीं दी गई है। बर्मा में चावल मिलों की बहुलता थी। नील की खेती में काम कर रहे मजदूरों की संख्या भी ऊपर की तालिका में नहीं दी गई। रासायनिक नील रंग बनाने के बाद नील की खेती का ही अन्त हो गया। उपर्युक्त तालिका में दिए गए उद्योगों के अतिरिक्त लकड़ी चीरने की मिलों, पत्थर और सगमरमर की खानों, टिम्बर यार्डों, आयरन फाउन्ड्री और पेट्रोलियम रिफाइनरी (तेल संशोधन) में १०,००० से अधिक लोग काम करते थे।

यह हालत थी जब प्रथम महायुद्ध छिड़ा। इसने भारतीय उद्योगों के लिए इन्जेक्शन का काम किया और उनको प्रवल उत्तेजना मिली। लड़ाई के कारण विदेशों से प्रतियोगिता का भयजता रहा और आयात के बन्द हो जाने से देशी उद्योगों के लिए अपना उत्पादन बढ़ाना आवश्यक हो गया। फौजी जरूरतों ने नवीन और अब तक अविकसित उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। लोहा व इस्पात उद्योग इन्हीं दिनों शुरू हुआ। यदि लड़ाई न छिड़ी होती तो इस उद्योग का जीवन सकट में पड़ जाता। सेना की आवश्यकताएँ पूरी करने का यह उद्योग एक अच्छा

वर्कमैन्स व्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, १८५६, एम्प्लायर्स एण्ड वर्कमैन्स (डिस्प्यूट) एक्ट १८६० और इण्डिया पीनलकोड (ताजोरात ए हिन्द) १८६० के खण्ड ४६० और ३६२ बनाए गए। इसके कारण मजदूर द्वारा फैक्टरी के करार का भंग करना एक दण्डनीय जुर्म माना गया।

दी आसाम लेबर एण्ड एमीग्रेशन एक्ट १९०१ बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त जांच कमीशन द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। इस कानून ने लाइसेंस शुदा ठेकेदारों के सिवाय अन्यो द्वारा मजदूर भरती करने की मनाही कर दी। १९०८ में इस एक्ट में संशोधन किया गया। इसके द्वारा भरती के जिलों को छोड़कर अन्यत्र नए भरती हुए मजदूरों के वास्ते दण्डनीय करार की प्रणाली का अन्त कर दिया गया। इसके साथ गैर लाइसेन्सदारों द्वारा मजदूरों की भरती रोक दी गई और मजदूरों को गिरफ्तार करने के प्लाण्टरों के अधिकार का अन्त कर दिया गया। १९१५ में पुनः इस कानून में संशोधन किया गया और आसाम घाटी में शर्तबन्दी मजदूर प्रणाली का अन्त कर दिया गया। यही नहीं सब प्रकार के ठेकेदारों द्वारा मजदूरों की भरती निषिद्ध ठहराई गई। इस कानून में चाय-बागों के सिरदारों द्वारा की गई भरती का निरीक्षण करने के लिए 'आसामलेबर बोर्ड' की स्थापना के लिए भी कहा गया था। जलपाईगुडी एक्ट १९१२ द्वारा यह निश्चित किया गया कि कार्य योजक रजिस्टर रखें और अपने जिले के मजदूरों के स्वास्थ्य, बीमारी और मृत्यु के बारे में रिपोर्ट दें।

कारखाने

पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक क्रान्ति के प्रथम दशको में मजदूरों की जो अवस्था थी वैसी ही हालत यहाँ के कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों की थी। काम के घंटे बहुत अधिक थे, स्त्रियाँ और अल्प-वयस्कों से काम लिया जाता था, हवा, रोशनी आने की कोई व्यवस्था नहीं थी, सुरक्षा की उपेक्षा की जाती थी, वेतन निश्चित समय पर नहीं

पेट्रोलियम रिफाइनरी	३३,०००
पत्थर व सगमरमर की खानें	२५,०००
चीनी के कारखाने	२२,०००
सोने की खानें	२२,०००
डाक यार्ड व पोर्ट ट्रस्ट वर्कशाप	२१,०००
लकड़ी चीरने की मिलें	२०,०००
श्रफीम, तम्बाकू व मसाले व चटनी के कारखाने	२०,०००
श्रायरन फाउण्ड्री	१८,०००
चूने का पजावा	१८,०००
श्रभ्रक-काम	१८,०००
मैग्नीज की खानें	१७,०००
रबड़ की बागवानी	१७,०००
तेल मिलें	१६,०००
पीतल, टीन व ताम्बे के वर्तन	१४,०००
नमक रिफाइनरी	१३,०००
हर्षा व लाख फैक्टरी	१३,०००
गंस व इलेक्ट्रिक काम	११,०००
जूट प्रेस	११,०००
चमड़ा रगाई	१०,०००
मोटरकार वर्क्स	१०,०००

श्रम-कानून

वागवानी

वागो में काम करने वाले मजदूरों की हालत के बारे में पहले कुछ जिक्र किया जा चुका है। आसाम में मजदूरों की कमी के कारण प्लाष्ट की रक्षा करने के उद्देश्य से अनेक कानून बनाए गए। इसका मजदूरों की अवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पडा। ये कानून बनाए गए,

कारण अनेक बुराइयाँ उत्पन्न हो गईं। फलतः इसकी जाँच के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट १९०८ में दी। १९११ के एक्ट या कानून की विशेषता यह थी कि पहलीवार औद्योगिक व्यवस्था के वास्ते प्रतिदिन काम के घंटे १२ निश्चित किए गए और मध्य में आध घण्टे का विश्राम रखा गया। साल में चार मास से कम चलने वाली मौसमी फैक्टरियाँ भी इस कानून के अन्तर्गत लाई गईं। बच्चों के काम का समय सूती मिलों में घटाकर ६ घण्टा कर दिया गया। स्वास्थ्य, सुरक्षा और फैक्टरियों के प्रबन्ध के प्रभावशाली निरीक्षण के सम्बन्ध में कानून में विस्तृत रूप से उपलब्ध रखे गए थे।

खानें—

“इण्डियन माइन्स एक्ट १९०१” २० फुट तक की गई खुदाई की सब खानों पर लागू होता था। इसके अन्दर १२ साल से छोटे बच्चों और स्त्रियों का उन खानों में काम कराना मना किया गया था, जहाँ कि उनके स्वास्थ्य और उनकी जान की सुरक्षा की खतरा हो।

ऊपर का सक्षिप्त विवरण अधूरा होगा अगर इसके साथ उस समय की अवस्था का सामान्य चित्र और उस समय के भारतीय दृश्य की मुख्य बातों का विवरण न दिया जाए। इसके होने से तस्वीर पूरी हो जायगी। आवादी निरन्तर बढ़ रही थी, इधर गाँव की दस्तकारियाँ नष्ट होती जाती थीं, फलतः जमीन पर दबाव बराबर बढ़ता जाता था। भूमिहीन मजदूरों का एक नया वर्ग पैदा हो रहा था। यह नए उद्योगों के शहरी केन्द्रों की ओर जा सकता था। किन्तु उद्योगों का विकास इस तेजी से नहीं हो रहा था कि वह देहातों से विस्थापित हुए सब लोगों को काम और रोजगार दे दे। नए बस रहे कस्बों और नए शहरों की ओर गाँवों को छोड़कर जाने का एक और भी प्रेरक कारण था। अतिवृष्टि, सूखा, अकाल का चक्र और डिड्डियाँ अन्य खेती के शत्रु, कीट-पतंगों के कारण फसल सदा एक-सी नहीं होती थी। दुर्भाग्य, दुर्दशा और जीवन

मिलता था और काम की सुरक्षा की कोई गारन्टी नहीं थी, यह थी अवस्था जिसमें इन दिनों भारतीय मजदूर काम करता था।

मजदूरों की जैसी हालत थी उसको देखते हुए फॅक्टरी एक्ट बहुत पहले बन जाना चाहिये था। पर पहला "इण्डियन फॅक्टरीज एक्ट, १८८१" में बना। यह माल तैयार करने वाले और यान्त्रिक शक्ति से चलने वाले और जहाँ १०० या इससे अधिक लोग काम करते थे, ऐसे कारखानों पर लागू होता था। सात साल से कम उमर के बच्चों को काम पर लगाने से यह कानून रोकता था, और निम्नतम और अधिकतम की आयु की मर्यादा ७ से १२ साल ठहराई गई थी। काम के घंटे नौ निश्चित किये गए थे और मध्य में एक घण्टा विश्राम का देने की बात कही गई थी। साप्ताहिक छुट्टी केवल बच्चों को देने का कानून बनाया गया था।

भारत सरकार ने १८९० में एक कमीशन नियुक्त किया इस की सिफारिशों के आधार पर 'इण्डियन फॅक्टरीज एक्ट, १८९१ बना। इससे पिछले कानून के क्षेत्र का विस्तार हुआ और यह शक्ति द्वारा ४० और ५० व्यक्तियों को काम पर लगाने वाले कारखाने पर लागू होता था। उद्योगों में काम करने वाले बच्चों की न्यूनतम और अधिकतम आयु ६ और १४ निश्चित की गई थी। इनके लिए काम के घंटे ७ ठहराए गए और बीच में आध घंटे का विश्राम देने का नियम बनाया गया। काम का दिन ११ घण्टों का ठहराया गया था, और १॥ घण्टे का बीच में विश्राम और साप्ताहिक छुट्टी का विधान किया गया था। प्रान्तीय सरकारों को सफाई और आराम के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार दिया गया था।

कानून को ठीक ठीक अमल में लाने के लिए उपयुक्त मशीनरी का अभाव होने से यह कानून इण्डिया फॅक्टरीज एक्ट, १९११ बनने तक व्यवहार में नहीं आया। एक नए तत्व ने विजली की रोशनी के सूत्रपात से भी फॅक्टरियों में अधिक समय तक काम करना सम्भव हो गया। इसके

कि १५ फुट × १२ फुट के एक कमरे में ६ परिवार, वयस्क और बच्चे सब मिलाकर कुल तीस प्राणी एक साथ रहते थे। इनमें से तीन स्त्रियाँ गर्भवती थीं और इनका प्रसवकाल नजदीक था, और उस एक कमरे में भी प्रत्येक परिवार का अलग-अलग चूल्हा था।..... मुझे याद है कि औद्योगिक मजदूरों की इन गन्दी वस्तियों और छप्परो को मैंने देखा था। वहाँ साँस लेना असम्भव था। वहाँ से मैं चकित और गुस्से से बहार आया था। मुझे स्मरण है कि भरिया में मैं एक कोयले की खान में गया था और उन हालतों को देखा जहाँ हमारा स्त्री-समाज काम करता था। मैं उस तस्वीर को या वह देखकर मेरे मन को जो धक्का लगा उसको कभी नहीं भूल सकता। मुझे पहली बार यह पता चला कि मानव प्राणी को इस प्रकार काम करना पड़ता है।”

मजदूरों की सस्थाएँ

युद्धोत्तरकाल में आर्थिक अवस्थाएँ अस्थिर थीं। औद्योगिक मजदूरों में व्यापक असन्तोष था। इसके कारण हड़तालें हुईं और इसके साथ ‘ट्रेड यूनियनवाद’ (मजदूर संगठनवाद) का विकास हुआ। इस दिशा में इससे पहले थोड़ा-सा बहुमूल्य कार्य किया गया था। १८८४ में एक सामाजिक कार्यकर्ता एन० एम० लोखांडो बम्बई की सूती मिलों में बच्चों और स्त्रियों की दशा कुछ सुधारने में सफल हुआ था। वस्त्र-मजदूरों की अवस्था की जाँच करने के लिए नियुक्त कमीशन के सामने एक आवेदन-पत्र भेजा गया जिसमें मजदूरों की माँगें पेश की गई थीं। १८९० में लोखांडो “बम्बई मिलहैण्ड्स एसोसिएशन का प्रेजीडेंट हो गया। यह संस्था मजदूरों के वास्ते एक दिन की साप्ताहिक छुट्टी प्राप्त कराने में सफल हुई। किन्तु यह संस्था सच्चे अर्थों में ट्रेड-यूनियन नहीं थी। १८९७ में ‘अमालगमेटेड सोसायटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इण्डिया एक्ट बर्मा’ की स्थापना हुई। इसकी उस समय इण्डियन

की परेशानी के चक्र से बचने के लिए लोग गाँवों को छोड़कर शहरों में काम की खोज में जाते थे। सबको और रेलों के विस्तार ने उनके लिए यात्रा करना सुलभ कर दिया। किन्तु ये लोग निरक्षर थे, फिर इनकी आवश्यकताएँ थोड़ी थीं। अतः यह कोई विस्मय की बात नहीं कि वे कम वेतन पर १० से १५ घंटे काम करते थे। गाँव का दस्तकार अपने ढंग से कार्यक्षम था, लेकिन शहर के प्रवासियों में वह न होता हुआ भी, शक्ति से चलने वाली मशीन से वह परिचित नहीं था। देश में टेक्निकल या शिल्पिक शिक्षा का सर्वथा अभाव था। फिर औद्योगिक इजीनियर मुख्यतः यूरोपियन थे। मजदूरों को अपने काम की अवस्थाओं को सुधारने के लिए अपना संगठन करने का कोई ह्याल तक न था। इस प्रकार वे शोषण और विदोहन के सहज में शिकार बने हुए थे।

यद्यपि महायुद्ध के कारण उद्योगों में समृद्धि आई किन्तु इसके साथ ही काम करने की अवस्थाओं के बारे में बनाये गए नियम भी शिथिल हो गये।

उद्योग की युद्धकालीन समृद्धि और युद्धोत्तर-काल में मजदूरों की अवस्था, इसका वर्णन करते हुए श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक "डिस्कवरी आफ इंडिया" में लिखा है "युद्धकाल में उद्योग का विकास हुआ और बगाल की जूट मिलों और बम्बई, अहमदाबाद और अन्यत्र की सूत मिलों ने १०० से २०० प्रतिशत तक भारी मात्रा में मुनाफा कमाया। इसमें से कुछ मुनाफा डडी और लदन के विदेशी पूँजी के स्वामियों को गया, और कुछ भारतीय मिल-मालिकों की समृद्धि को और अधिक बढ़ाने में गया। किन्तु मजदूर अविश्वसनीय निम्न-स्तर का जीवन बिता रहे थे, जिन्होंने कि इस भारी मुनाफे को अपनी फडी मेहनत से पैदा किया था। वे गन्दे, रोग-क्रान्त छप्परो में रहते थे, जिनमें न कोई खिडकी थी और न कोई चिमनी थी। रोशनी, पानी और सफाई का भी वहाँ कोई इन्तजाम नहीं था। बम्बई में, जहाँ कि भारतीय पूँजी अधिक प्रकट रूप में नजर आती थी, एक जांच कमीशन ने देखा

अध्याय २

आई० एल० ओ० से पूर्व का काल

पिछले अध्याय में औद्योगिक क्रान्ति और आई० एल० ओ० की स्थापना, इतिहास के इन दो बिन्दुओं के बीच में भारत का अध्ययन करने और देखने का प्रयत्न किया। इसी विचार से भारतीय उद्योगों के सन् १९१६ के विकास का विवरण दिया। 'प्रत' आई० एल० ओ० के जन्म से पूर्वकाल पर एक विहंगम दृष्टिपात करना आवश्यक है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था की स्थापना निश्चित विचारों और सस्थाओं की अन्तिम परिस्थिति है, जो कि शासकों विद्वानों, यात्रियों सैनिकों और छपे शब्दों द्वारा भारत में आ रहे थे। भारत के बौद्धिक वर्ग के साथ उनका परिचय उन्नीसवीं सदी के अन्त और बीसवीं शदी के प्रारम्भ में हुआ था। अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध की दो घटनाएँ, फ्रेंच-क्रान्ति और औद्योगिक-क्रान्ति यूरोप में औद्योगिक लोकतन्त्र की स्थापना की पूर्वकाल की मानसिक और भौतिक घटनाएँ थीं। स्वतन्त्रता, समानता और वन्द्यता की राजाज ने जहाँ यूरोपियन मनो को मानव को मानव की मानसिक दासता से मुक्त किया, वहाँ सूत कातने, भाफ एंजिन और कपडा बुनने की मशीनों पावरलूम का एक के बाद दूसरे का जल्दी-जल्दी आविष्कार होने और इनके सूत्रपात के कारण, एकसा काम करने के कारण उत्पन्न होने वाली नीरसता कम हुई और दूसरे समृद्धि में वृद्धि हुई। किन्तु इसके साथ ही नई सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ भी पैदा

कम्पनीज एक्ट के मातहत रजिस्ट्री हुई। यह सस्था इस समय 'नेशनल यूनियन आफ रेलवे मैन आफ इण्डिया' के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी रजिस्ट्री ट्रेड यूनियन एक्ट १९२६ के अधीन कराई गई। बीसवीं शदी के आरम्भ होने पर देश के विभिन्न भागों में ट्रेड यूनियनवाद के वास्ते बिखरे हुए प्रयत्न हुए। १९०५ में प्रिण्टर्स यूनियन की कलकत्ता में स्थापना हुई, १९०७ में 'पोस्टल यूनियन इन बाम्बे सिटी' स्थापित हुई। इसके बाद १९१० में 'कामगर हित-वर्द्धक सभा' की स्थापना बम्बई शहर में हुई। लेकिन सच्चे ट्रेड यूनियनवाद का जन्म और आरम्भ लडाई के बाद ही हुआ।

मद्रास के वस्त्र मजदूरों ने १९१८ में औद्योगिक सस्था की स्थापना की। इसी समय बम्बई में धलक यूनियन और पोस्टमैन यूनियन की नींव डाली गई और कलकत्ता में सीमैन यूनियन की स्थापना हुई।^१ इसके बाद से ट्रेड यूनियनवाद भारत में स्थिरता के साथ आगे बढ़ता गया। इसकी प्रगति में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था ने क्या अज्ञान दिया, इस विषय पर मैं आगे चलकर प्रकाश डालूंगा।

२ इण्डस्ट्रियल लेबर इन इण्डिया, आई० एल० ओ० का एक प्रकाशन, १९३८ ई० पृ० १२३।

अन्य अगुआ

मि० जॉन डब्ल्यू फालोज^१ के अनुसार ब्रिटिश पार्लमेंट के सदस्य चार्ल्स हिडले को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि पहले उसने यह विचार दिया कि विभिन्न देशों में सन्धि द्वारा एक साथ ही श्रम-कानून बनाए जाएं ताकि किसी एक देश में श्रम-कानून बनाने के समय उसके विरोध में यह न कहा जा सके कि एक देश में काम की दशा सुधारने से इस देश के उद्योग के उत्पन्न माल की प्रतियोगिता करने की शक्ति में कमी आजायेगी क्योंकि विदेशी माल तैयार करने वाले अपना माल शोषित मजदूरों द्वारा बनवाते रहेंगे और इस कारण वे सत्ता बेच सकेंगे।

फ्रांस में एक दण्डशास्त्री लूई रेने विलरमे ने १८८० में अपनी खोजों का संग्रह प्रकाशित किया। इसमें इसने कारखानों में उन दिनों काम करने वालों की शोचनीय अवस्था का वर्णन किया था। मानवता का शिक्षक जेरोम एडोल्फ ब्लेनकूई अर्थशास्त्री बना और वह इस विषय पर व्याख्यान देता था कि काम करने की दशाओं को सुधारने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का हस्तक्षेप वाच्छनीय है, अन्यथा स्वदेश में किए गए सुधार सम्भव है उद्योग को लंगडा कर दें और बेकारी को बढ़ावें।

लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय कानून बनाने की आवश्यकता के आन्दोलन को मजबूत पावो एवं नियमित आधार पर खड़ा करने का श्रेय वस्तुतः अलसेशिया के डेनीयल लेगांड (१७८३-१८५६) को प्राप्त है। सब औद्योगिक देशों से अपील करते हुए इसने अपनी अन्तिम अपील में कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कानून ही इस बात का एकमात्र हल है कि "माल तैयार करने वालों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े, उन देशों के उद्योगों के बीच विद्यमान प्रतियोगिता-सन्तुलन में

१. जॉन डब्ल्यू फालोज, "एण्टीसीडेण्ट्स ऑफ दी इण्टरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन" (१९५१)। इस अध्याय में सगृहीत जानकारी के लिए लेखक मि० फालोज की पुस्तक का ऋणी है।

हुई । वे जहाँ परीक्षा की कसौटी सिद्ध हुई वहाँ नूतन सभ्यता के लिए प्रेरक, भी सिद्ध हुई ।

गावों की खुली हवा और चमकती धूप को छोड़कर लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक अंधेरे और खौफनाक वातावरण में काम करने के लिए औद्योगिक और खान-केन्द्रों की ओर चल दिए । इस काम के बदले उनको इतना भी नहीं मिलता था कि वे अपने को जिन्दा भी रख सकें । लेकिन जब अमानवीय काम की अवस्थाओं की दूकानें और फँक्टरियाँ घडाघड़ बनती जा रही थीं वहाँ इसके साथ ही उपनिवेशीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य के कारण शहरी इलाकों की समृद्धि और अधिक बढ़ रही थी और जनाकीर्ण भीड़-भाड़ के शहरो में शहरियों के बसने के लिए आकर्षण भी बढ़ते जाते थे ।

रावटे ओवन

मजदूर श्रेणी की दशा सुधारनी चाहिए इसके लिए सर्वप्रथम प्रयत्न राॅबर्ट ओवन ने किया । वह पहले मामूली वेतन पाने वाला एक शागिर्द था और इसके बाद तरक्की करते हुए वह एक धनी कपडा बनाने वाला हो गया । उसकी कपडे की मिल स्काॅटलैंड के एक गाव में थी । उसने काम के घण्टे घटा दिए, काम करने की दशाओं में सुधार किया, मजदूरों को सुख-सुविधा दी मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और सहकारितापूर्ण ऋण व्यवस्था शुरू की । उसने एक श्रम विल बनाने का प्रस्ताव किया । इसके द्वारा बच्चों के काम के घटे सीमित किए गए थे और इस को ब्रिटिश पार्लामेंट ने १८१६ में स्वीकार कर लिया । ब्रिटिश द्वीपों और यूरोप में ओवन ने इन विचारों का प्रचार किया । इसके वास्ते उसने जगह-जगह सभाएँ कीं, स्मृति-पत्र भेजे और पुस्तिकाएँ और पुस्तकें वितरित कीं ।

धाराओं के मध्य सीमा-रेखा खींची जा सकती है, फिर भी उन्होंने जो खास विशाएँ लीं उनका उल्लेख किया जा सकता है। ये हैं राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन (मजदूर संगठन) आन्दोलनों का उदय और विकास; प्रथम, द्वितीय और तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय, और श्रम कानूनों के वास्ते अन्तर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना के विचार का धीरे-धीरे श्रमल में आना। अब मैं इनका संक्षेप में वर्णन करूँगा।

ट्रेड यूनियन आन्दोलन

फ्रेंच और अमरीकी क्रान्ति के लोकतन्त्री विचार, इंग्लैण्ड में राबर्ट ओवन और फ्रांस में सेंट-साइमन, फौरियर और पीएर लारू द्वारा प्रचारित सिद्धान्त, इटली, जर्मनी, और पोलैण्ड में राष्ट्रीय एकता के लिए उठाये गये आन्दोलनों ने पश्चिमी यूरोप की चेतना को साधारणतः जगा दिया था। १८३० के अन्त में इंग्लैण्ड और फ्रांस में ट्रेडयूनियनिस्टों, सोशलिस्टों, चारटिस्टों, रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटों आदि के छोटे-छोटे दल बन गये थे। १८४३ में पलौरा ट्रिस्टन द्वारा लिखी एक पुस्तिका फ्रांस में प्रकाशित हुई। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंघ की स्थापना की पहली एक योजना दी गई थी। १८५० तक इंग्लैण्ड के बहुत से कस्बों में बहुत से 'ट्रेड क्लब' और दस्तकार संघ स्थापित हो गए। श्रमलगामेंटिड सोसायटी आफ इंजीनियर्स, सोसायटी आफ कार्पेण्टर्स और दी सोसायटी आफ आयरन फाउण्डर्स, सवृश नेशनल यूनियन (राष्ट्रीय संघ) अपनी स्थिरता और अपनी कल्याण कार्रवाइयों के कारण इंग्लैण्ड और अन्य पश्चिमी यूरोपियन देशों के वास्ते एक आदर्श नमूने हो गये। ट्रेड यूनियन के नेताओं का हड़ताल के दिनों का वास्तविक अनुभव भी इस विचार को उत्पन्न करने में सहायक हुआ कि विभिन्न देशों के यूनियनों के मध्य सहकारिता होनी चाहिए जिससे कामयोजकों की अनुचित कार्रवाइयों को रोका जा सके, क्योंकि कामयोजक हड़तालों को तोड़ने के लिए मजदूरों का आयात करते थे। अन्त-

कोई अन्तर न आए और मजदूर-वर्ग को नैतिक और भौतिक कल्याण देने की महान सामाजिक समस्याओं का समाधान हो ।”

लेग्राड जब अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कानून बनाने का आन्दोलन कर रहा था तब उन्हीं दिनों एक बेल्जियन प्रोफेसर एडवर्ड डूकपेटिय ने सर्वप्रथम यह सुझाव दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सस्था के ढग की एक सस्था स्थापित की जाय । उसने लिखा “राष्ट्र एक दूसरे के प्रयत्नों को विफल बनाने के बदले समाजसुधार के लिए एक हों । आपसी बातों, व्यावसायिक और औद्योगिक सम्बन्ध और मजदूरों की समस्या का नियमन करने के लिए वे एक आम कांग्रेस बुलावें ।” उसने दो खण्डों में प्रकाशित अपने ग्रन्थ के परिशिष्ट में “इन्टरनेशनल एसोसियेशन फॉर दी प्रोप्रेत ऑफ मारेल एण्ड सोशल साइस” (नैतिक व सामाजिक प्रगति का अन्तर्राष्ट्रीय सघ) की योजना की एक रूप-रेखा दी थी । एक बेल्जियन चिकित्सक डा० डेनियल मेरेस्का, डूकपेटिय की किताब पढ कर मजदूरों की अवस्था में सुधार करने का एक उत्साही समर्थक हो गया । इसने घंट की सूती मिलों में कार्य करने वाले मजदूरों की दशा की जाच की । “मजदूर वर्ग की दशा सुधारने के प्रश्न से सम्बन्धित बातों पर विचार करने के लिए यूरोपियन कांग्रेस बुलाई जाय” इसका एक समर्थक और प्रचारक लोक प्रिय फ्रेंच पत्र “ला प्रेस” का सम्पादक एमिले व जीरावा था । जर्मनी में डूकपेटिय द्वारा बेल्जियम में प्रचार करने से पहले ही एक ईसाई पादरी डा० क्रिस्टोफ हाहन ने धार्मिक प्रचार के कार्य के साथ कारखानों के सुधार में जीवन अर्पित किया हुआ था ।

उन्नीसवीं सदी के सहानुभूतिपूर्ण कामयोजकों और मानवतावादियों के मुख्य व्यक्तियों का उपयुक्त सक्षिप्त विवरण एक विचार-धारा को सूचित करता है जिसके फलस्वरूप अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सस्था का स्थापना हुई । इन पूर्व पुरुषों और नेताओं के कार्य ने अन्यो के कार्य करने की नींव का कार्य किया, जिन्होंने कि उस कार्य को आगे बढ़ाया और उनके विचारों को क्रियात्मक एवं नूतंरूप दिया । यद्यपि विभिन्न विचार-

नेशनल) का उद्देश्य विभिन्न देशों की मजदूर-संस्थाओं में सहकारिता की भावना उत्पन्न कर मजदूर वर्ग को मुक्ति दिलाना था। अन्तर्राष्ट्रीय (इंटरनेशनल) ने १८६६ और १८७० के मध्य जेनीवा, लासॉन, असेल्स और वासेल में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटरनेशनल लेबर कांग्रेस) के अधिवेशन कराये। मार्क्स और बाकुनिन के अनुयायियों के बीच आन्तरिक संघर्ष हो जाने के कारण १८७२ में यह भग्न हो गई।

कुछ साल यूं ही निकल गए। निष्क्रियता मगर बहुत वर्षों तक जारी नहीं रही। मजदूरों की एक कांग्रेस पेरिस में बुलाई गई और इस प्रकार १८६६ में 'सेकण्ड इंटरनेशनल' (दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय) का जन्म हुआ। इस अन्तर्राष्ट्रीय (इंटरनेशनल) का एक उद्देश्य मजदूरों के काम करने और रहने-सहने की अवस्थाओं में सुधार कराना और संरक्षणात्मक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-कानूनों को बनवाने के वास्ते कोशिश करना था। प्रथम महायुद्ध ने इसको विफल सिद्ध कर दिया, क्योंकि वर्ग-एकता राष्ट्र-निष्ठा के आगे न टिक सकी और उसको दूसरे के वास्ते छोड़नी पड़ी।

७ नवम्बर १९१७ को बोल्शेविकों ने रूस में क्रान्ति की और राजसत्ता हस्तगत कर ली। मार्च १९१६ में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट कांग्रेस मास्को में हुई और यहाँ 'थर्ड इंटरनेशनल' (तीसरी अन्तर्राष्ट्रीय) कांग्रेस का निर्माण हुआ। क्रान्ति का नेतृत्व लेनिन ने किया और क्रान्ति का प्रेरक नि.सन्देश कार्ल मार्क्स के सिद्धान्तों से मिली और विशेषरूप से सत्तर साल पहले प्रकाशित कम्युनिस्ट घोषणा पत्र (कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो) से मिली। इस घोषणापत्र में मांग की गई थी कि कारखानों पर राज्य का अधिक बढ़ी मात्रा में स्वामित्व हो और खेती की ज़मीन का पुनः वितरण हो; खेतीह्वर मजदूरों और औद्योगिक मजदूरों में एकता हो और कारखानों में बच्चों को काम करने की मनाही हो।

राष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन में प्रबल शक्ति आने का एक कारण और हुआ। १८४७ में मार्क्स और एजल ने अपना विख्यात कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र प्रकाशित किया। इन दोनों विचारकों ने बुनियाभर के मजदूरों को अपने अधिकारों की रक्षा की लड़ाई लड़ने के लिए एक होने का आह्वान किया था। मार्क्स के सिद्धान्तों और उसकी शिक्षाओं ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन को एक नया विचार दिया, एक नई दिशा दी और इससे इसको बहुत बल मिला।

इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमरीका में १८३० और १८४० में नेशनल ट्रेड यूनियनों की स्थापना हुई। इन देशों में औद्योगिकरण अन्य देशों की अपेक्षा बहुत आगे बढ़ गया था और एक खास और पृथक् मजदूर-वर्ग उत्पन्न हो गया था।

इंग्लैंड में 'सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन' और 'फेवियन सोसायटी' की स्थापना १८८० के प्रारम्भ में हुई और १८९३ में 'इण्डिपेंडेंट लेबर पार्टी' का उदय हुआ।

उन्नीसवीं सदी के अन्त तक अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन स्थिरता और स्थायित्व प्राप्त कर चुका था और 'इण्टरनेशनल लेबर सेक्रेटेरियट' और 'इण्टरनेशनल सेक्रेटेरियट ऑफ क्रिश्चियन लेबर यूनियन्स' सदृश सस्थाएँ अस्तित्व में आ चुकी थीं। आन्दोलन को, मजदूरों की एकता के आन्दोलन को, लम्बे समय से जीवन और शक्ति देने वाले मार्क्स, जॉल, बाकुनिन, प्रोद्योग, लासाल आदि महान् नेताओं से यह अब स्वतन्त्र हो चुका था।

प्रथम, द्वितीय और तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय (इण्टरनेशनल)

१८८४ में 'इण्टरनेशनल वर्किंगमैनस एसोसियेशन' की स्थापना हुई। इसकी बैठक में फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, इटली, जर्मनी और पोलैंड से मजदूर नेता सम्मिलित होने आये थे। यह 'फर्स्ट इण्टरनेशनल' (प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय) के नाम से विख्यात है। इस अन्तर्राष्ट्रीय (इण्टर-

काम न लिया जाय। १९१३ में एक और कान्फ्रेंस बर्न में हुई। इसका उद्देश्य दो कनवेंशनों (१) स्त्रियों के दैनिक काम के घण्टों का नियमन, और (२) तरुण व्यक्तियों से रात में काम लेने की मनाही, को स्वीकार कराने के लिए आधार तैयार करना था। प्रथम महायुद्ध छिड़ जाने से 'एसोसिएशन' के काम में बाधा पड़ गई।

इन विचारों का सूत्र अटलांटिक महासागर के पार ले जाया गया। 'अमरीकन फेडरेशन ऑफ लेबर ऑफ दी यूनाइटेड स्टेट्स' ने १९१४ में अपनी वार्षिक बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि शान्ति कान्फ्रेंस के स्थान पर और उसी समय इंटरनेशनल लेबर कान्फ्रेंस (अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कान्फ्रेंस) का अधिवेशन बुलाया जाय। इस आशय की एक प्रार्थना सई १९१६ में 'एलाइड सुप्रीम कौंसिल' (मित्रराष्ट्र सर्वोच्च कौंसिल) से की गई। कान्फ्रेंस की तैयारी के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया। इसकी लीड्स में बैठक हुई। इसने अन्य प्रस्तावों के साथ निम्न प्रस्ताव भी पास किया : 'कान्फ्रेंस घोषणा करती है कि शान्ति-सन्धि, जिसके द्वारा वर्तमान युद्ध का अन्त होगा, और जो कि जनता को राजनीतिक स्वाधीनता, और राजनीतिक व आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान करेगी, पूँजीवादी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की पहुँच से परे रखी जानी चाहिए, सब देशों के मजदूरों के वास्ते काम का अधिकार, संगठन करने का अधिकार, श्रमात श्रम के बारे में नियम, सामाजिक बीमा, काम के घण्टे, मजदूरों का स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में न्यूनतम नैतिक और भौतिक गारण्टी मिलनी चाहिए।'

इस सभा की एक और सिफारिश थी कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम दफ्तर (इंटरनेशनल लेबर आफिस) स्थापित किया जाय। यह श्रम कानूनों के बारे में सामग्री और परिगणन आदि का संग्रह करे।

१९१७ में 'स्विस फेडरेशन ऑफ लेबर' द्वारा बर्न में एक कान्फ्रेंस बुलाई गई। इसमें माग की गई कि अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षणात्मक श्रम

‘इण्टरनेशनल एसोसिएशन फॉर लेबर लेजिस्लेशन’

(अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-कानून संघ)

विभिन्न देशों में सुधारकों के कार्यों, अलग-अलग देशों में ट्रेड यूनियन आन्दोलन का जन्म और उनमें बढ़ता अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा मावर्स की शिक्षाओं से अनुप्राणित क्रान्तिकारी आन्दोलनों के फलस्वरूप ‘इण्टरनेशनल एसोसिएशन फॉर लेबर लेजिस्लेशन’ (अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कानून संघ) स्थापित हुआ। यद्यपि ‘एसोसिएशन’ की विधिवत स्थापना १९०० में हुई पर इससे पहले प्रारम्भिक कार्य बहुत कुछ किया जा चुका था। स्विस फेडरल कौंसिल ने १८८६ में इस दिशा में पहले-पहले कदम बढ़ाया और उसने सरकारों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-कानूनों पर विचार करने के लिए आमन्त्रित किया। इसके मुकाबले जर्मन सरकार ने भी प्रयत्न किया और ईसाई नेताओं द्वारा ईसा मसीह के सिद्धान्तों के अनुकूल और सगत श्रम-कल्याण के सिद्धान्तों को स्वीकार करने पर जोर दिया गया। इन सब बातों का फल यह निकला कि १८९४ में ‘इण्टरनेशनल लेबर कांग्रेस’ (अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कांग्रेस) ज्यूरिच में बुलाई गई और ब्रसेल्स में ‘कांग्रेस ऑफ इकनामिस्ट्स’ बुलाई गई। इन दोनों कांग्रेसों ने काम करने की दशाओं के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय नियम बनाने का समर्थन किया। ब्रसेल्स कांग्रेस ने तीन व्यक्तियों की एक ‘मसविदा’ कमेटी बनाई। इसने दो साल बाद एक कानून का मसविदा ‘इण्टरनेशनल एसोसिएशन फॉर लेबर लेजिस्लेशन’ के सामने उपस्थित किया। १९०० में एसोसियेशन की स्थापना पेरिस में हुई। ‘एसोसिएशन’ का स्थायी दफ्तर वासेल में था। आई०-एल०-ओ० के प्रथम डाइरेक्टर अलवर्ट टामस ‘एसोसियेशन’ की फ्रॉच-कमेटी के एक सदस्य थे। ‘एसोसिएशन’ से सम्बद्ध कमेटियाँ १५ राज्यों में थीं और बर्न में इसकी १९०५ और १९०६ में कांग्रेसें हुईं। इनमें दो कन्वेंशन स्वीकार किये गए। एक यह कि दियासलाइयों के बनाने में श्वेत फासफोरस न बरता जाय और दूसरा यह कि रात में स्त्रियों से

अध्याय ३

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था

शान्ति कांफ्रेंस द्वारा श्रम कानून पर नियुक्त कमीशन से अन्तर्राष्ट्रीय पहलू से रोजगार की अवस्थाओं की जांच करने, रोजगार की दशाओं को प्रभावित करने वाली बातों में सामान्य कार्रवाई करने के लिए आवश्यक अन्तर्राष्ट्रीय साधन का विचार करने, और इस प्रकार की जाच और इस प्रकार के विचार को जारी रखने के वास्ते एक स्थायी एजेंसी के रूप को सिफारिश करने के लिए कहा गया था। इस कमीशन के सदस्यों में शान्ति-परिषद् के पाच महाराष्ट्रो—सयुक्तराज्य अमरीका, ब्रिटिश साम्राज्य, फ्रांस, इटली और जापान, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, यूवा, और पोलैण्ड के प्रतिनिधि थे। इसका अध्यक्ष था 'अमरीकन फेडरेशन ऑफ लेबर' का प्रेजीडेण्ट सेम्युअल गोमपर्स। राइट ऑनरेबल जी० एन० वारनस और एम कालियर्ड इसके दो उपाध्यक्ष थे। फ्रांस का आर्थर फॉनटेन, जो कि पहले दस साल 'गर्वनिग वाडी' (प्रशासन समिति) का बराबर अध्यक्ष रहा, इसका जनरल-सेक्रेटरी था और एच० वी० वटलर (वाद में सर हैरल्ड) इसका असिस्टेंट जनरल-सेक्रेटरी था।

कमीशन की बैठक दस सप्ताह हुई और इसकी रिपोर्ट, शान्ति-सन्धि के भाग XIII को, कांफ्रेंस ने ११ अप्रैल, १९१९, को स्वीकार किया। यहाँ इस बात का उल्लेख करना मनोरंजन से खाली न होगा कि फ्रांस के अलबर्ट टामस का उपयुक्त कमीशन से कोई सम्बन्ध न था

कानूनों के लिए शान्ति-सन्धि में 'इंटरनेशनल एसोसिएशन फार लेबर लेजिस्लेशन' को स्वीकार किया जाय।

एक ओर तो ये घटनायें घट रही थीं, दूसरी ओर रूस में भारी उथल-पुथल मची हुई थी। युद्ध-काल में मजदूरों द्वारा उठाये कष्ट और आपदाएँ, विजय प्राप्त करने में उनको दिए गए वचन और लोकतन्त्रात्मक आदर्शों के अनुसरण की सफलता, इन सब बातों का फल यह हुआ कि 'शान्ति कान्फ्रेंस' ने ३१ जनवरी १९१९ को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कानून (इंटरनेशनल लेबर लेजिस्लेशन) पर कमीशन नियुक्त किया। इस कमीशन की सिफारिशों पर 'इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन' (अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था) की स्थापना की गई। इस सम्बन्ध में एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि इंग्लैंड के आर्थर हेण्डसन, फ्रांस के अलबर्ट टामस, और संयुक्त राज्य अमेरिका के सेम्युअल गोमपर्स के नेतृत्व में फरवरी १९१९ में सोशलिस्टों की कांफ्रेंस बर्न में हुई। इसने शान्ति-सन्धि में श्रम-अधिकार पत्र (लेबर चार्टर) को सम्मिलित करने की माग की और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए एक स्थायी मंशीनरी की स्थापना की माग की।

उपर्युक्त विवरण आवश्यक रूप से संक्षिप्त है और यह दिखलाने के लिए दिया गया है कि 'इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन' (अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था) की स्थापना विकासशील प्रणाली का फल है और यह खुद उस विचार का परिणाम है व सन्तान है जो कि सौ से अधिक वर्षों से विकसित हो रहा था और यह एक भावनापूर्ण आदर्श की अस्थायी तरंग का परिणाम नहीं। इसकी जड़ें बहुत गहरी गई हुई हैं और यह इस बात का द्योतक है कि इसमें अन्त शक्ति है और इसी कारण से काल की कसौटी पर कसे जाने के बाद आज भी यह जीवित है।

संविधान की अपूर्व बात यह थी कि इसके काम में भाग लेने के विषय में उपबन्ध रखा गया था कि सरकारों, कामयोगियों और मजदूरों की संस्थाओं के २:१:१ के अनुपात में प्रतिनिधि रहें। यद्यपि संविधान का ढांचा अपरिवर्तित रहा है—संविधान का नसबिदा बनाने वालों के काम की अपूर्वता और श्रेष्ठता का यह सूचक है—विभिन्न तत्त्वों के कारण इन वर्षों में कुछ परिवर्तन करने पड़े हैं। मुख्यतः ये हैं :—

(१) मूल संविधान में 'गवर्निङ्ग बॉडी' (प्रशासन जनिात) की रचना में सरकार, कामयोगिक और मजदूरों के प्रतिनिधियों का अनुपात १२६६ रखा गया था। यह अनुपात १९२२ में बदलकर १६:३:३, और फिर १९५४ में २०:१०:१० कर दिया गया। गैर-यूरोपियन सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने या सदस्यों की संख्या बढ़ाने के कारण यह परिवर्तन करना पड़ा है।

(२) राष्ट्र संघ के भंग हो जाने और संयुक्त राष्ट्र के साथ सम्बन्ध स्थापित होने पर 'आई० एल० ओ०' को अपना संविधान पुनः बदलना पड़ा और यह इस समय एक स्वतंत्र प्रलेख-पत्र है।

(३) 'संस्था' के काम को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से सरकारों द्वारा रिपोर्ट देने की धारा जोड़ी गई। मुख्यतः पहले इतना था कि जो कन्वेंशन सम्पुष्ट किये गए हैं उनके बारे में बरतते गए इनपुष्टों की रिपोर्ट ही सरकार देती थी। अब असम्पुष्ट कन्वेंशनों और निष्का-निशों के बारे में की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्टें देने की बात और बढ़ाई गई।

फिलेडेल्फिया की घोषणा

दूसरे महायुद्ध के कारण सामूहिक सुरक्षा और सार्वभौम शान्ति के विचार को ग्रहण लग गया, और इसके कारण 'लीग ऑफ नेशन्स' (राष्ट्र संघ) की समाप्ति हो गई। युद्ध समाप्त होने से पहले ही, मित्रराष्ट्रों के नेताओं ने 'अटलांटिक चार्टर' (अटलांटिक अधिकार-पत्र)

पर १९१६ में जब वाशिंगटन में पहली अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस (इण्टरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस) हुई तो वह संस्था का प्रमुख चुना गया आर्थर फॉर्नटेन, हेरल्ड वटलर और एडवर्ड फीलन, इन तीन व्यक्तियों का एक कमेटी पहली कॉन्फ्रेंस की तैयारी करने के लिए नियुक्त की गई थी वटलर और फीलन आई० एल० ओ० कर्मचारी मण्डल के पहले सदस्य हुए और बाद में आई० एल० ओ० के प्रमुख हुए। अलबर्ट टामस की नियुक्ति की अन्वेषणी कहानी और आई० एल० ओ० के प्रथम वर्ष का हाल जानने के वास्ते पाठको को एडवर्ड फीलन की पुस्तक "यस एण्ड अलबर्ट टामस" को पढ़ना चाहिए। यह पुस्तक जानकारी पूर्ण और मर्म स्पर्शी है।

आई० एल० ओ० का उद्देश्य

नहा शक्तियों की सार्वभौम शांति की सामान्य योजना के अन्तर्गत लीग ऑफ नेशन्स (राष्ट्र-संघ) के एक भाग के रूप में 'इण्टरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था) की स्थापना हुई। इसकी स्थापना सामाजिक न्याय की स्थापना द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए की गई थी। इसके सविधान की भूमिका में इसका काम गिनाते हुए कहा गया था "दिन और सप्ताह के अधिकतम काम के घटो के निर्धारण के समेत काम के घटों का नियमन, मजदूरों की पूर्ति का नियमन, बेकारी को रोकना, जीवन-निर्वाह योग्य वेतन का उपबन्ध, काम में लगे होने की अवस्था में उत्पन्न रोग, बीमारी और चोट से सरक्षण, बच्चों, तरुण व्यक्तियों और स्त्रियों का सरक्षण, बुढ़ापे और चोट के लिए उपबन्ध, स्वदेश से बाहर जब मजदूर काम कर रहे हों तो मजदूरों के हितों की सुरक्षा, समान मूल्य के काम के लिए समान उजरत व वेतन देने के सिद्धान्त की स्वीकृति, सभा व सगम व सम्मेलन की स्वाधीनता की स्वीकृति, घदा - नेतिवता (अनिनि) विधा न सपना नो न न न "।

पर १९१९ में जब वॉशिंगटन में पहली अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस (इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस) हुई तो वह सस्था का प्रमुख चुना गया। आर्थर फानटेन, हेरल्ड वटलर और एडवर्ड फीलन, इन तीन व्यक्तियों की एक कमेटी पहली कॉन्फ्रेंस की तैयारी करने के लिए नियुक्त की गई थी। वटलर और फीलन आई० एल० ओ० कर्मचारी मण्डल के पहले सदस्य हुए और बाद में आई० एल० ओ० के प्रमुख हुए। अलवर्ट टामस की नियुक्ति की अन्दरूनी कहानी और आई० एल० ओ० के प्रथम वर्ष का हाल जानने के वास्ते पाठकों को एडवर्ड फीलन की पुस्तक "यस एण्ड अलवर्ट टामस" को पढ़ना चाहिए। यह पुस्तक जानकारी पूर्ण और मर्म-स्पर्शी है।

आई० एल० ओ० का उद्देश्य

नहा शक्तियों की सार्वभौम शांति की सामान्य योजना के अन्तर्गत लीग ऑफ नेशन्स (राष्ट्र-संघ) के एक भाग के रूप में 'इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था) की स्थापना हुई। इस की स्थापना सामाजिक न्याय की स्थापना द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए की गई थी। इसके सविधान की भूमिका में इसका काम गिनाते हुए कहा गया था "दिन और सप्ताह के अधिकतम काम के घटो के निर्धारण के समेत काम के घटो का नियमन, मजदूरों की पूर्ति का नियमन, बेकारी को रोकना, जीवन-निर्वाह योग्य वेतन का उपबन्ध, काम में लगे होने की श्रवस्था में उत्पन्न रोग, बीमारी और चोट से सरक्षण, बच्चों, तरुण व्यक्तियों और स्त्रियों का सरक्षण, वुडापे और चोट के लिए उपबन्ध, स्वदेश से बाहर जब मजदूर काम कर रहे हो तो मजदूरों के हितों की सुरक्षा, समान मूल्य के काम के लिए समान उजरत व वेतन देने के सिद्धान्त की स्वीकृति, नभा व सगम व सम्मेलन की स्वाधीनता की स्वीकृति, घघा व टेक्निकल (प्राविधिक) शिक्षा का सगटन और अन्य काम "।

संविधान की अपूर्व बात यह थी कि इसके काम में भाग लेने के विषय में उपवन्ध रखा गया था कि सरकारों, कामयोजकों और मजदूरों की संस्थाओं के २:१:१ के अनुपात में प्रतिनिधि रहें। यद्यपि संविधान का ढांचा अपरिवर्तित रहा है—संविधान का मसविदा बनाने वालों के काम की अपूर्वता और श्रेष्ठता का यह सूचक है—विभिन्न तत्त्वों के कारण इन वर्षों में कुछ परिवर्तन करने पड़े हैं। मुख्यत ये हैं:—

(१) मूल संविधान में 'गवर्निङ्ग बॉडी' (प्रशासन समिति) की रचना में सरकार, कान्ययोजक और मजदूरों के प्रतिनिधियों का अनुपात १२६:३ रखा गया था। यह अनुपात १९२२ में बदलकर १६:८:८, और फिर १९५४ में २०:१०:१० कर दिया गया। गैर-यूरोपियन सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने या सदस्यों की संख्या बढ़ने के कारण यह परिवर्तन करना पड़ा है।

(२) राष्ट्र संघ के भंग हो जाने और संयुक्त राष्ट्र के साथ सम्बन्ध स्थापित होने पर 'आई० एल० ओ०' को अपना संविधान पुनः बदलना पड़ा और यह इस समय एक स्वतंत्र प्रलेख-पत्र है।

(३) 'सस्था' के काम को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से सरकारों द्वारा रिपोर्ट देने की धारा जोड़ी गई। मूलतः पहले इतना था कि जो कनवेंशन सम्पुष्ट किये गए हैं उनके बारे में बरते गए उपायों की रिपोर्ट ही सरकार देती थी। अब असम्पुष्ट कनवेंशनों और सिफारिशों के बारे में की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट देने की बात और बढ़ाई गई।

फिलेडेल्फिया की घोषणा

दूसरे महायुद्ध के कारण सामूहिक सुरक्षा और सार्वभौम शान्ति के विचार को ग्रहण लग गया, और इसके कारण 'लीग आफ नेशन्स' (राष्ट्र संघ) की समाप्ति हो गई। युद्ध समाप्त होने से पहले ही, मित्रराष्ट्रों के नेताओं ने 'अटलांटिक चार्टर' (अटलांटिक अधिकार-पत्र)

और अन्य सयुक्त घोषणाओं में एक अन्य विश्व-संस्था की सम्भावना की कल्पना की थी। युद्ध-काल के वर्षों में 'अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संस्था' माँट्री-यल में थी और वहाँ से ही कार्य करती थी। यह संस्था भी इस बात का विचार कर रही थी कि जब शान्ति स्थापित होगी तो इसको किन नीतियों और प्रोग्रामों का अनुसरण करना चाहिए, और नई विश्व-संस्था के साथ इसको किस प्रकार का सहयोग करना चाहिए। इस सब के वास्ते बदलते समय के अनुसार 'संस्था' में परिवर्तन करने की आवश्यकता थी। मई १९४४ में लडाई समाप्त होने से ठीक पहले, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-कान्फ्रेंस (इंटरनेशनल लेबर कान्फ्रेंस) का २६वाँ अधिवेशन फिलेडेल्फिया में हुआ। यहाँ इसने अपने उद्देश्यों, लक्ष्यों व सिद्धान्तों के सम्बन्ध में एक 'डीक्लेरेशन' (घोषणा) स्वीकार किया, जो इसके सदस्यों की नीतियों को अनुप्राणित करे और प्रेरणा दे।

'घोषणा' ने उन मूल सिद्धान्तों को पुनः पुष्ट किया जो कि आई० एल० ओ० का मूलाधार है, और विशेषकर कि—

(क) मजदूर कोई मोल की वस्तु नहीं है।

(ख) प्रगति को कायम रखने के लिए विचारों को प्रकट करने और सभा, सगम व सम्मेलन की स्वतन्त्रता आवश्यक है।

(ग) किसी भी स्थान की गरीबी हर जगह की समृद्धि के वास्ते एक खतरा है

(घ) अभावों के विरुद्ध प्रत्येक राष्ट्र में निर्भयतापूर्ण रीति से लडाई जारी रहने की आवश्यकता है, और इसके लिए जरूरी है कि सयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रयत्न जारी रहे, जिसमें मजदूरों और कामयोजकों के प्रतिनिधि, जिनको सरकारों के प्रतिनिधियों के समान दर्जा और स्थिति प्राप्त हो, सामान्य कल्याण को बढ़ाने के वास्ते सरकारी प्रतिनिधियों के साथ स्वतन्त्र विचार एवं चर्चा और लोकतन्त्रात्मक निर्णयों के करने में भाग लें।

घोषणा में इस बात पर बहुत जोर दिया गया था कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों का उद्देश्य ऐसी दशाएँ प्राप्त करना होना चाहिए

जिसमें समस्त मानव प्राणियों को स्वतन्त्रता और प्रतिष्ठा, आर्थिक सुरक्षा और समान अवसर की अवस्थाओं में भौतिक मंगल और अपना आत्मिक विकास करने का अधिकार प्राप्त हो। आई० एल० ओ० का यह कार्य है कि वह इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर सब अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों और उपायों की परीक्षा करे और उनपर विचार करे।

घोषणा में आई० एल० ओ० के गम्भीर एवं पवित्र दायित्व को स्वीकार किया गया है और माना गया है कि राष्ट्रों के मध्य विश्वप्रोग्राम को आगे बढ़ाना इसका काम है जिससे निम्न सिद्धि प्राप्त होगी :—

(क) पूर्ण रोजगार और जीवन-निर्वाह का प्रतिमान ऊँचा करना;

(ख) मजदूरों को उन व्यवसायों में काम दिलाना जिनमें उनको अपनी दक्षता और योग्यता को पूर्णरूप से प्रकट करने का अवसर मिलने से सन्तोष प्राप्त हो और इस प्रकार सामान्य जन-मंगल में वे अपना अधिकतम अशदान दे सकें;

(ग) इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए साधन के रूप में, और सब सम्बन्धित लोगों को—मजदूरों को, रोजगार के लिए प्रव्रजन और बस्ती बसाने समेत प्रशिक्षण और तब्दीली की सुविधाओं की उचित गारण्टी की व्यवस्था;

(घ) वेतनो और कमाई, घण्टे और काम की अन्य अवस्थाओं के विषय में नीतियों का निर्धारण इस प्रकार से हो जिससे प्रगति के फल में सबको उचित हिस्सा मिले और काम पर लगे सब लोगों को और जिनको इस प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता है, न्यूनतम वेतन मिले;

(ङ) सामूहिक सौदा करने के अधिकार की प्रभावशाली एवं कार्य-साधक स्वीकृति, उत्पादक क्षमता में निरन्तर वृद्धि के लिए प्रबन्धकों और मजदूरों में सहयोग और सामाजिक तथा आर्थिक उपायों को अमल में लाने की तैयारी में मजदूरों और कामयोजकों के मध्य सहयोग;

(च) सामाजिक सुरक्षा के उपायों का विस्तार जिनको जरूरत हो उन सबको बुनियादी ग्रामवनी और व्यापक दवा-वारु की सुविधा प्राप्त हो,

(छ) सब व्यवसायों में मजदूरों के जीवन और स्वास्थ्य की उचित सुरक्षा,

(ज) बाल-कल्याण और प्रसूति संरक्षण की व्यवस्था,

(झ) उचित आहार, निवासगृहो, मनोरजन और संस्कृति की सुविधाओं की व्यवस्था,

(ञ) शिक्का और घघों को प्राप्त करने के श्रवसरो की समानता का विश्वास,

इन उद्देश्यों की सिद्धि के लिए विश्व के आवश्यक उत्पादक साधनों का पूरी तरह से और व्यापक रूपमें उपयोग करने के उपायो के विषय में दुनिया के कम विकसित प्रदेशों के आर्थिक और सामाजिक विकास की वृद्धि करने का भी जिक्र घोषणा में किया गया है।

'घोषणा' से मने विस्तारपूर्वक उद्धरण लिए हैं, क्योंकि आई० एल० ओ० के उद्देश्यों को इसमें पुन पुष्टि किया गया है और महायुद्ध के बाद के आई० एल० ओ० के कामों को सम्भलने के लिए इनका जानना आवश्यक है।

आई० एल० ओ० का ढाँचा

आई० एल० ओ० के मूल सविधान में त्रिपक्षीय या त्रिदलीय ढाचा दिया गया था। इसकी उपयोगिता समय ने प्रकट कर दी है और इसके गुण भी ज्ञात हो गये हैं। फलत इसके ढाचे का मूलाधार पहले के समान फायम है। नीचे 'संस्था' का दिया गया ढाचा श्रव तक सशोधित सविधान के अनुसार है। 'संस्था' के मुख्य श्रग या श्रवयव ये हैं—

इण्टरनेशनल लेबर फांक्सेस—अन्तर्राष्ट्रीय श्रम फांक्सेस
गर्वनिग वाडी—प्रशासन समिति

इण्टरनेशनल लेबर आफिस—अन्तर्राष्ट्रीय श्रम दफ्तर

सदस्यता

१ नवम्बर, १९४५, को आई० एल० ओ० के जो राज्य सदस्य थे उनके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य सदस्यता के दायित्वो को स्वीकार कर इसका सदस्य हो सकता है। अन्य देश अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन में “उपस्थित प्रतिनिधियों के दो-तिहाई की सहमति से, जिसमें उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले दो-तिहाई सरकारी प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं सदस्य हो सकते हैं।” ‘संस्था’ को सदस्यता का त्याग “डाइरेक्टर जनरल द्वारा सूचना प्राप्त होने की तिथि के दो साल बाद” से माना जाता है।

युद्ध समाप्त होने के बाद से निम्न देश आई० एल० ओ० के पुनः सदस्य बने या सदस्य हुए : इटली, आस्ट्रिया, बर्मा, सीलोन, आईसलैंड हिन्देशिया, इजराइल, लेबनान, लिबीया, पाकिस्तान, फिलीपीन, सीरिया वियतनाम, जापान, जर्मन फेडरल रिपब्लिक, वेनेजुएला, सोवियत रूस वाइलो रूस, यूक्रेन, जोर्डन, रूमानिया, स्पेन, ट्यूनिशिया, मोरक्को, सूडान और पैरागुए। १ अक्टूबर १९५६ को इसके ७७ राज्य सदस्य थे। वेनेजुएला ने ३ मई १९५५ को सदस्यता का अन्त करने की सूचना दी।

वित्त

प्रशासन समिति (गवर्निंग बॉडी) की सिफारिश पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस द्वारा निश्चित पैमाने के अनुसार सदस्य राज्य आई० एल० ओ० के वजट में अंशदान देते हैं। वजट डाइरेक्टर जनरल द्वारा प्रशासन समिति के सामने पेश किया जाता है। प्रशासन समिति की एक कमेटी इसकी जांच करती है, और फिर कॉन्फ्रेंस की एक कमेटी इसकी परीक्षा करती है। ‘संस्था’ का १९५६ का वजट ७,३९५,७२६

डालर (अमरीकी) का है। इसमें भारत का भाग २५२,१६४'३६ डालर है जो कुल बजट का ३४१ प्रतिशत है। इस अशदान का समुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, सोवियत रूस, फ्रांस, जर्मन फेडरल रिपब्लिक और कनाडा के बाव सातवाँ स्थान है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कान्फ्रेन्स

साल में कम से कम एक बार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कान्फ्रेन्स की बैठक अवश्य होती है। इसकी रचना इस प्रकार है - "प्रत्येक सदस्य के चार प्रतिनिधि होंगे, इनमें दो प्रतिनिधि सरकारी होंगे, अन्य दो में क्रमशः सदस्य देश के कामयोजकों का एक और मजदूरों का एक प्रतिनिधि होगा।" हरेक प्रतिनिधि के साथ परामर्शदाता हो सकते हैं, जिनकी सख्या बैठक के कार्यक्रम के प्रति विषय के पीछे दो से अधिक न होगी। स्त्रियों से सम्बन्धित विषय पर जब विचार हो तो सलाहकारों में कम से-कम एक महिला अवश्य होनी चाहिए। कामयोजकों और मजदूरों के कान्फ्रेन्स के वास्ते प्रतिनिधि "औद्योगिक सस्थाओं की सहमति से चुना जाना चाहिए। यदि इस प्रकार की सस्थाएँ विद्यमान हों, और कामयोजकों और मजदूरों का जो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता हो जैसी भी दशा हो।" और कान्फ्रेन्स को उनकी प्रामाणिकता की परीक्षा करने का अवसर दे, जिसके बारे में वह यह समझे कि उसकी नाम-जदगी आवश्यक एवं अपेक्षित नियमों के अनुसार नहीं हुई उसका प्रतिनिधित्व उपस्थित प्रतिनिधियों के दो-तिहाई मत से अस्वीकार कर सकती है। कामयोजकों और मजदूरों के प्रतिनिधि इस प्रकार सरकारों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और उनका खर्च भी वही देती है। लेकिन वे अपनी सरकार से निर्देश लें यह अपेक्षा नहीं की जाती। और साधारणत तथ्य यह है कि वे उससे निर्देश लेते भी नहीं। 'सस्था' के सविधान में कहा गया है कि प्रत्येक प्रतिनिधि वैयक्तिक रूप से मत देने का अधिकारी है, और कान्फ्रेन्स के सामने जो प्रश्न विचारार्थ आते हैं उन

में से हरेक विषय पर, वह मत दे सकेगा। कामयोजको और मजदूरों के प्रतिनिधि आदतन अपने दल के सामूहिक स्वार्थ के लिए काम करते हैं और कान्फ्रेन्स की कार्रवाई में इनका भाग राष्ट्रीय धारासभाओं के दलों से प्रायः भिन्न नहीं होता। कान्फ्रेन्स में मजदूर प्रतिनिधियों की स्थिति अन्यो के समान होती है। कान्फ्रेन्स की त्रिपक्षीय व त्रिदलीय रचना इसकी एक मुख्य विशेषता हो गई है।

कार्यक्रम में दर्ज किसी विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कान्फ्रेन्स द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रीय कनवेंशन के रूप में 'संस्था' के सदस्यों द्वारा सम्पुष्टि के लिए हो सकता है, यह सिफारिश के रूप में हो सकता है, जो कि इस ख्याल से सदस्यों के सामने पेश की जाती है कि वे इस को श्रमल में लाने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई करेंगे। कान्फ्रेन्स की सामान्य इच्छा को प्रकट करने का एक अन्य रूप प्रस्ताव है। इस का उद्देश्य एक विशेष प्रश्न व मुद्दे पर ध्यान खींचना होता है। यह भावी सिफारिश या कनवेंशन का विषय हो सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कान्फ्रेन्स के पास कोई नियामक शक्तियाँ नहीं हैं, अर्ध-नियामक या पूर्ण नियामक शक्तियों की कार्य-साधकता इसको इस कारण से प्राप्त हुई है क्योंकि कान्फ्रेन्स और राष्ट्रीय नियामक संस्थाओं के मध्य अपूर्व संबैधानिक सम्बन्ध है।

कान्फ्रेन्स द्वारा कनवेंशनों और सिफारिशों के स्वीकार करने से 'संस्था' के सब सदस्यों पर एक निश्चित दायित्व आ जाता है कि वे कुछ-न-कुछ कार्रवाई अवश्य करें, जिसका उद्देश्य कनवेंशनो की सम्पुष्टि अधिकतम संख्या में करना हो और सिफारिशों का अधिकतम मात्रा में श्रमल में लाना हो। संविधान यह भी अपेक्षा करता है कि प्रत्येक सदस्य कान्फ्रेन्स द्वारा स्वीकृत सब कनवेंशनो और सिफारिशों को कानून का रूप देने या अन्य कार्रवाई करने के लिए उचित अधिसत्ता या अधिसत्ताओं के, जिस किसी के विचार व अधिकार-क्षेत्र में वह हो, सामने पेश करे। कनवेंशन को यदि उचित अधिसत्ता की मंजूरी प्राप्त

हो जाती है तो सदस्य देश से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उसकी सरकार उसकी सम्पुष्टि की औपचारिक सूचना 'सस्था' को दे और उस के उपबन्धों को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक कार्य करे । कॉन्फ्रेंस द्वारा कनवेंशन या सिफारिश स्वीकार करने के समय उनके प्रतिनिधियों ने चाहे कोई रवैया लिया हो, यह दायित्व सब सदस्यों पर सामान्य रूप से लागू होता है । सविधान बनाने वालों की मंशा यह थी कि उचित अधिसत्ता साधारणतः राष्ट्रीय पार्लमेंट (संसद) की हो । उनका इसमें उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीय पार्लमेंट को उन पर विचार करने और चर्चा करने का सदा अवसर प्राप्त हो । वे आशा करते थे कि नियमित रूप से अपने-आप और सार्वजनिक रूप से कॉन्फ्रेंस के प्रस्तावों पर इन सस्थाओं द्वारा विचार करने से कनवेंशनों की सम्पुष्टि और कनवेंशनों और सिफारिशों को प्रभावशाली रूप में क्रियान्वित करने में विशेष रूप से सहायता मिलेगी ।

'सस्था' का १९४६ में सविधान कुछ बदला गया । इस समय इस में जो सशोधन किये गए उससे कॉन्फ्रेंस के निर्णयों को मूर्तरूप देने के लिए की गई राष्ट्रीय कार्रवाई का सविधान के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय रूप से निरीक्षण करने की पहले से विद्यमान व्यवस्था और अधिक बृद्ध कर दी गई है । मूल सविधान में सदस्यों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे उन कनवेंशनों को जिसके पास कराने में सहमत थे क्रियान्वित करने के लिए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दें और यह रिपोर्ट इस रूप में हो और इसमें वे बातें हो जो कि प्रशासन समिति द्वारा भेजी गई हैं ।

कॉन्फ्रेंस द्वारा १९२६ में स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार आई० एल० ओ० ने १९२७ में दो कमेटियाँ नियुक्त कीं और इनको वार्षिक रिपोर्टों में मौजूद जानकारी का पूर्णतया उपयोग करने के लिए कहा । ये कमेटियाँ हैं—(१) कनवेंशन को लागू करने पर विशेषज्ञों की कमेटी (कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ कनवेंशन्स), और (२) कनवेंशनों के लागू होने पर कॉन्फ्रेंस कमेटी (कॉन्फ्रेंस कमेटी

ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ कनवेंशनज़) । पहली कमेटी के सदस्यों का चुनाव प्रशासन समिति करती है । ये व्यक्ति स्वतन्त्र व्यक्तित्व के होते हैं और अपनी खास योग्यता और अपने विशिष्ट गुणों के कारण चुने जाते हैं, और इनका कार्य रिपोर्टों की प्रारम्भिक जांच करना होता है ।^१ दूसरी त्रिपक्षीय कमेटी है जिसमें सरकारों, कामयोजकों और मजदूरों के प्रतिनिधि होते हैं, और इसकी नियुक्ति प्रत्येक साधारण अधिवेशन में कॉन्फ़ेन्स द्वारा की जाती है । यह दफ्तर द्वारा वार्षिक रिपोर्ट के दिए गए संक्षेप और विशेषज्ञों की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इस बात का विचार करती है कि सदस्य देशों ने कनवेंशनों के उपबन्धों को, जिसको बनवाने में उनका भाग था, क्रियान्वित करने के लिए क्या क्या उपाय काम में लाए हैं ।

संशोधित सविधान में रिपोर्ट देने का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है और इसमें अब यह भी शामिल है कि प्रशासन समिति (गवर्निंग बाडी) अनुरोध कर सकती है कि इन विषयों में जानकारी दी जाय (क) "उचित अधिसत्ता" के सामने कनवेंशनो और सिफारिशों को पेश करने (विशेषतः इस बात को कि इन अधिसत्ताओं की प्रकृति क्या है और उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई) (ख) सम्पुष्ट कनवेंशनो के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई के बारे में कानून की स्थिति और सदस्य का व्यवहार यह दिखाते हुए कि धारा सभा, प्रशासकीय कार्रवाई, सामूहिक कार्रवाई या अन्य रीति से किस सीमा तक कार्रवाई की गई या करने का प्रस्ताव है, और यह बताते हुए कि सम्पुष्टि न करने या देर से करने में क्या बाधाएँ या रुकावटें हैं और (ग) सिफारिशों के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई के बारे में कानून की स्थिति और सदस्य का व्यवहार, यह दिखाते हुए कि प्रत्येक सिफारिश के उपबन्धों को किस सीमा तक अमल

१. श्री अतुल चटर्जी (भारत) इस कमेटी के अपनी मृत्यु १९५५ तक सदस्य थे । वर्तमान सदस्य श्री आर० एन० वेनर्जी हैं ।

में लाया गया है या श्रमल में लाने की इच्छा है, और इन उपबन्धों में ऐसे परिवर्तन और सशोधन जो कि इनको स्वीकार करने या इनको प्रयोग में लाने में पाए गए हों या जरूरी पाए जायें।

सशोधित सविधान ने कनवेंशनो और सिफारिशो के बारे में सघ राज्यो (फेडरल स्टेट्स) के दायित्वों को स्पष्ट कर दिया है। कनवेंशनो और सिफारिशों के बारे में फेडरल (सघ) सरकारों का दायित्व उन राज्यो के समान है जो सघ राज्य नहीं हैं, जिनके विषय में उनका विचार हो कि सर्वधानिक प्रणाली के अधीन सघीय कार्रवाई करना उचित है। जिन कनवेंशनो और सिफारिशो के विषय में सघ सरकारों का यह स्थान हो कि सर्वधानिक प्रणाली के अधीन सघीय (फेडरल) कार्रवाई की अपेक्षा पूर्णतः या अंशतः सघ बनाने वाले राज्यो (स्टेट्स) द्वारा कार्रवाई करना उचित है तो सघ सरकार (I) इस प्रकार के कनवेंशनो और सिफारिशो को सघीय इकाइयों के ध्यान में लाने के वास्ते प्रभावशाली व्यवस्था करेगी, जिससे वे कानून बना सकें या अन्य उचित कार्रवाई कर सकें, (II) राज्यो और सघ सरकार दोनों के सामान्य विषयों में सघीय अधिकारियों और राज्य के बीच समय-समय पर परामर्श और सलाह-मशविरा करने की व्यवस्था करें, परस्पर परामर्श का उद्देश्य इस प्रकार के कनवेंशनो और सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए किए जाने वाले कामो में एकसूत्रता बढ़ाना हो; (III) सघ बनाने वाली इकाइयों की उचित अधिसत्ताओं के सामने कनवेंशनो और सिफारिशों को लाने के लिए किये गए उपायो से डाइरेक्टर-जनरल को सूचित करें, और (IV) असम्पुष्ट कनवेंशनो और सिफारिशो के बारे में एकावयवो (यूनिटरी) राज्यो के समान रिपोर्ट दें।

सशोधित सविधान यह भी अपेक्षा करता है कि सस्था के सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सस्था के लिए प्रतिनिधि चुनने के वास्ते स्वीकृत एवं प्रमाणित कामयोजको और मजदूरों की प्रतिनिधि-सस्थाओं को कनवेंशनो

और सिफारिशों को अमल में लाने के उपायों के सम्बन्ध में जानकारी और रिपोर्ट भेजें जो कि वे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम दफ्तर को भेजते हैं।

संविधान में इस बात का भी उपबन्ध है कि यदि कोई सदस्य सम्पुष्ट कन्वेंशन के किसी भी अंश का पूर्णतः पालन न करे, तो काम-योजकों और मजदूरों की संस्थाओं की ओर से इस विषय में आवेदन किया जा सकता है। प्रशासन समिति (गवर्निंग बॉडी) सम्बन्धित सरकार से उस विषय पर जानकारी मंगा सकती है, इस प्रकार का वक्तव्य या सन्तोषजनक उत्तर न मिलने पर, उसको, आवेदन और वक्तव्य को, यदि कोई जवाब में भेजा गया हो, प्रकाशित करने का अधिकार है। इसी प्रकार कोई भी सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय दफ्तर में शिकायत दर्ज करा सकता है यदि वह इस बात से सन्तुष्ट न हो कि दोनों द्वारा सम्पुष्ट कन्वेंशन का दूसरे देश में ठीक-ठीक प्रभावशाली ढंग से पालन नहीं किया जा रहा।

प्रशासन समिति (गवर्निंग बॉडी)

आई० एल० ओ० की प्रशासन समिति भी त्रिपक्षीय संस्था है। इसके सदस्यों की संख्या ४० है। इनमें से २० सरकारों के; इनमें से दस की नियुक्ति मुख्यतः औद्योगिक महत्व के राज्यों की सरकारों द्वारा होती है; १ अन्य दस राज्यों की सरकारों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो कि मुख्य औद्योगिक महत्व के राज्यों को छोड़कर संस्था के सदस्यों

१ मूल संविधान में सरकार, कामयोजकों और मजदूर सदस्यों का अनुपात था १२ : ६ : ६, ६ सरकारी सदस्य मुख्य औद्योगिक महत्व के राज्यों के होते थे। यह अनुपात बढ़ाकर १६ : ८ : ८ कर दिया गया, इसमें मुख्य औद्योगिक महत्व के राज्यों के ८ सदस्य होते थे। यद्यपि भारत आई० एल० ओ० का संस्थापक सदस्य है, किन्तु प्रशासन समिति के उन देशों में इसको शामिल नहीं किया गया जिनका कि

के सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा 'प्रशासन समिति' के सदस्यों को एक निश्चित अवधि के वास्ते नामजद करने के लिए चुने जाते हैं। प्रशासन समिति के शेष २० सदस्यों में से १० का चुनाव कान्फ्रेंस के कामयोजकों के प्रतिनिधि हर तीसरे साल के वाद तीन सालों के वास्ते करते हैं और शेष इसी के समान मजदूर प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। प्रशासन समिति के कामयोजकों और मजदूरों के सदस्य कान्फ्रेंस के कामयोजकों और मजदूरों के सम्पूर्ण प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि होते हैं, बैठकों और सभाओं आदि में उपस्थित होने का यात्रा-व्यय अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-दपतर देता है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था में प्रशासन समिति महत्वपूर्ण पार्ट अदा करती है। इसकी साधारणतः जिम्मेदारी 'सस्था' के विभिन्न कर्म-क्षेत्रों में एकसूत्रता लाने की है। संस्था के व्यापक प्रोग्राम प्राप्त वित्तीय साधनों की सीमाओं के अनुसार पूरे किए जा सकते हैं और बदलती जरूरतों या प्राथमिकताओं के कारण आवश्यक होने पर तेजी से उनको सशोधित किया जा सकता है।

'सस्था' के सविधान और सवैधानिक व्यवहार के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कान्फ्रेंस के औपचारिक कार्यक्रम का निरीक्षण करना प्रशासन समिति की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यह उत्तरदायित्व एकाङ्गी नहीं है, इसका ही यह एकमात्र नहीं है, क्योंकि कान्फ्रेंस को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने किसी अधिवेशन में किसी प्रश्न को आगामी अधि-

उनमें स्थायी प्रतिनिधित्व होता था। राष्ट्रसंघ (लीग कौंसिल) में भारतीय प्रतिनिधि द्वारा तीव्र विरोध करने पर ३० सितम्बर, १९२२ को इसका दावा स्वीकार किया गया और इसको स्थायी प्रतिनिधित्व दिया गया। मुख्य औद्योगिक महत्व के राज्य इस समय हैं कनाडा, चीन, फ्रान्स, भारत, इटली, जापान, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी जर्मनी।

वेशन के कार्यक्रम में सम्मिलित कर सकती है। साधारणतः कान्फ्रेंस इस अधिकार का उपयोग नहीं करती। इस अधिकार का प्रयोग उसी समय किया जाता है जब प्रशासन समिति के निर्णय द्वारा प्रथम वाद-विवाद एवं विचार के वास्ते कान्फ्रेंस के कार्यक्रम में पहले वह विषय रखा जा चुका हो, तो कान्फ्रेंस उस विषय को आगामी अधिवेशन के कार्यक्रम में द्वारा विचार और वाद-विवाद के लिए सम्मिलित कर सकती है। कान्फ्रेंस का कार्यक्रम निश्चित करने का उत्तरदायित्व प्रशासन समिति के हाथ रहने से बहुत लाभ हुआ है। इसके कारण कान्फ्रेंस अपने प्रत्येक अधिवेशन में लगातार एक निश्चित संख्या के सुनिश्चित विषयों पर अपनी शक्ति केन्द्रित कर सकी, जिन पर कि उसको निश्चित निर्णय देने के लिए कहा गया। डाइरेक्टर जनरल की रिपोर्ट पर बहस होने के समय कान्फ्रेंस को एक और अवसर मिलता है। सामाजिक नीति की व्यापक सर्वे करते हुए वह अन्य विषयों पर ध्यान केन्द्रित कर सकती है जिन पर कि उनकी राय में उचित प्रक्रिया द्वारा विस्तृत विचार की आवश्यकता है।

प्रशासन समिति की ही यह भी जिम्मेदारी है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था के तत्वावधान में होने वाली सभाओं व बैठकों को बुलावे, इस प्रकार की बैठकों व सभाओं की तिथि और उनके होने के काल की अवधि का निश्चय करे, उनका कार्यक्रम तय करे, और इस बात का निर्णय करे कि उनकी रिपोर्ट या उनके द्वारा त्वीकृत प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की जाय। प्रशासन समिति के इन कार्यों के कारण विभिन्न कान्फ्रेंसों और कमेटियों के कामों में एकसूत्रता और एकता लाना सम्भव हो जाता है। इसके कारण 'संस्था' के सामान्य कर्मक्षेत्रों और नीति के ढाँचे के भीतर औद्योगिक कमेटियों और प्रादेशिक कान्फ्रेंसों द्वारा औद्योगिक या प्रादेशिक आधार पर किए कार्यों में भी एकता और एकसूत्रता उत्पन्न करना सम्भव होता है।

‘सस्था’ के वित्तीय नियम ‘सस्था’ के बजट के सम्बन्ध में प्रशासन समिति को महत्वपूर्ण कार्य देते हैं। डाइरेक्टरजनरल द्वारा प्रस्तावित वार्षिक बजट की यह प्रतिवर्ष परीक्षा करती है और ‘कान्फ्रेंस’ की स्वीकृति के लिए पेश किए जाने वाले अनुमानों को यह मजूर करती है। ‘सस्था’ के सम्पूर्ण कर्मक्षेत्र पर ‘प्रशासन समिति’ की निकट दृष्टि रहने और उसका अत्यधिक निरीक्षण रहने से यह इस स्थिति में है कि यह इस बात का निर्णय कर सके कि सदस्यों द्वारा ‘सस्था’ को जो उत्तर-दायित्व सौंपा गया है, उसको उचित और ठीक रीति से पूरा करने के वास्ते कितने वित्तीय साधन पर्याप्त होंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम दफतर (इण्टरनेशनल लेबर ऑफिस)

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था का तीसरा अंग ‘अन्तर्राष्ट्रीय श्रम दफतर’ (इण्टरनेशनल लेबर ऑफिस) है। यह स्थायी रूप से जेनीवा स्विटजर-लैंड में है। यहाँ यह १९१९ ई० से है। लेकिन दूसरे महायुद्ध के वर्षों में यह युद्ध-क्षेत्र से दूर अपने अस्तित्व और जीवन को बनाए रखने के लिए माँट्रीयल चला गया था। मुख्य कार्यपालक अधिकारी डाइरेक्टर जनरल है। यह ‘प्रशासन समिति’ द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसी के निदेशन में यह काम करता है। दफतर भली प्रकार और ठीक रीति से काम करे इसके वास्ते वह जिम्मेदार है। ‘प्रशासन समिति’ द्वारा समय-समय पर सौंपे कार्यभार को पूरा करना भी इसका कर्तव्य है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था के इस समय डाइरेक्टरजनरल हैं मि० डेविड ए० मोर्स। आप संयुक्त राज्य अमरीका के निवासी हैं। आप से पहले इस पद पर थे अलबर्ट टामस, फ्रांस (१९१९-३३२), हैरल्ड वटलर, ग्रेट ब्रिटेन, (१९३२-३८), जॉन जी वाइनेट, संयुक्त राज्य अमरीका (१९३८-४१) और एडवर्ड जे फीलन, आयरलैंड (१९४१-४८)। मजदूरों को अधिकार पत्र (चार्टर) ‘शान्ति सन्धि’ में बनाया गया और इसके बनाने में हैरल्ड वटलर और एडवर्ड फीलन ने भी योग दिया। इसी

प्रकार इन दोनों ने इस 'संस्था' के संविधान का मसविदा बनाने में भी भाग लिया और अवकाश ग्रहण करने तक 'संस्था' में रहे। अतः यह 'संस्था' का सौभाग्य समझना चाहिए कि जिन लोगों ने अंशतः इसको कल्पना की थी उन्होंने इसके लालन-पालन में भी भाग लिया और इसके पूर्ण विकास की अवस्था में पहुँचने तक वे 'संस्था' के साथ सम्बद्ध रहे। 'संस्था' का यह भी सौभाग्य है कि उसका प्रथम डाइरेक्टर जनरल मिशनरी भावना वाला और एक उत्साही शक्तिशाली पुरुष था। प्रारम्भ के दिनों में अपने उत्साह और अपनी दूरदर्शिता से 'संस्था' को वह सब कठिनाइयों से पार निकाल ले गया। उसने ही 'संस्था' को ऐसा ढाँचा दिया जो अपने लक्ष्मीलेपन और अपनी शक्ति के कारण अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अनुपम है। इसके सिवाय चूँकि डाइरेक्टर फ्रांस के एक भूतपूर्व मन्त्री थे और उनके दोनों मुख्य सहायक 'ब्रिटिश सिविल सर्विस' के थे, अतः फ्रेंच और ब्रिटिश प्रशासन की परम्परा में जो सर्वोत्तम तत्व थे उनको 'दफ्तर' ग्रहण कर सका।

'दफ्तर' के डाइरेक्टरजनरल की सहायता के लिए एक डिप्टी डाइरेक्टरजनरल, ६ असिस्टेंट डाइरेक्टरजनरल, परामर्शदाता (एड-वाइजर), विभागों के अध्यक्ष और अन्य कर्मचारी हैं। इनकी संख्या ८०० फी लगभग है और ये ५६ से ज्यादा सदस्य देशों से लिए गए हैं। फाइनांसियल (वित्तीय) और एडमिनिस्ट्रेटिव (प्रशासकीय) डिवीजनों (विभागों) के अतिरिक्त अन्य मुख्य विभागों का निम्न विषयों से सम्बन्ध है—आर्थिक कानून और जन-शक्ति सम्बन्धी प्रश्नों, काम की दशा, श्रम कानून, सुरक्षा, और उद्योग और स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सहकारिता और दस्तकारी और सरकारों, कामयोजकों और मजदूरों के साथ सम्बन्ध।

आइ० एल० ओ० के अधिकारियों का रूप संयुक्त राज्य अमरीका के अधिकारियों के समान है इसकी विशिष्ट एजेंसियों के कर्मचारी अन्तर्राष्ट्रीय सिविल सर्वेंट (नागरिक सेवक) हैं और इन की प्रथम निष्ठा 'संस्था' के प्रति है। पद या नियुक्ति को स्वीकार करते हुए वे इस बात की प्रतिज्ञा

लेते हैं कि वे आई० एल० ओ० के हितों को ध्यान में रखते हुए आचार व्यवहार रखेंगे और उसके अनुसार अपने व्यवहार का नियमन करेंगे और वे यह भी वचन देते हैं कि वे आई० एल० ओ० के बाहर किसी सरकार या अधिस्तता से न निर्देश मांगेंगे और न उसका दिया निर्देश स्वीकार करेंगे ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम दफ्तर के कार्यों में ये बातें भी शामिल हैं औद्योगिक जीवन और मजदूरों की हालतों के अन्तर्राष्ट्रीय समयोजन से सम्बन्धित विषयों में जानकारी और सूचनाओं का संग्रह और वितरण, विशेषतः उन विषयों की परीक्षा है जिनको कि अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन बनाने के विचार से 'कांफ्रेंस' के सामने पेश करने का विचार हो । दफ्तर 'कांफ्रेंस' या 'प्रशासन समिति' द्वारा बनाए विषयों की खास तौर पर जांच करता है । विशेषतः 'दफ्तर' इन बातों के लिए उत्तरदायी है (१) आई० एल० ओ० की कांफ्रेंसों, और अन्य कमेटियों और कमीशनों के वास्ते लेख-पत्र तैयार करना, (२) सरकारों को अपनी शक्ति भर सहायता देना, (३) कन्वेंशनों के प्रभावशाली रूप में पालन करने के सिलसिले में सविधान के उपबन्धों द्वारा अपेक्षित कर्तव्यों का पालन, और (४) अन्तर्राष्ट्रीय हित की सामाजिक, आर्थिक समस्याओं पर विभिन्न भाषाओं में साहित्य प्रकाशित करना ।

दफ्तर जानकारी और सूचनाओं के संग्रह, विश्लेषण और वितरण का महान् और भारी काम दुनिया भर में फैले अपने शाखा दफ्तरों और सम्वाददाताओं के दफ्तरों द्वारा करता है । इस समय विभिन्न राष्ट्रों की राजधानियों में ८ शाखा दफ्तर हैं और ३५ सम्वाददाताओं के दफ्तर हैं । ये दफ्तर छोटे रूप में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम दफ्तर हैं, क्योंकि जहाँ ये प्रधान कार्यालय को सूचनाएँ देते हैं, वहाँ ये आई० एल० ओ० के विविध प्रकार के कार्यों को क्रमपूर्वक रखने के स्टेशन भी हैं । शाखा दफ्तर नई दिल्ली का वर्गान एक अलग अध्याय में किया गया है इससे इनके कार्यों पर विस्तृत प्रकाश पड़ेगा ।

दफ्तर के बंगलौर, इस्तम्बुल, मैक्सको सिटी और लीमा में क्षेत्रीय दफ्तर (फील्ड ऑफिस) हैं। ये अपने अपने क्षेत्र के अन्दर किये जाने वाले कामों पर दृष्टि रखते हैं।

भारत के आई० एल० ओ० अधिकारी

१९५५ के अन्त में आई० एल० ओ० के प्रधान कार्यालय जेनेवा में १२ भारतीय नियुक्त थे। ये डिविजन के 'असिस्टेण्ट मेम्बर' और इससे उच्च पदों पर नियुक्त थे। इनमें सर्वाधिक प्रमुख अधिकारी श्री आर० रघुनाथ राव हैं। आप सर्वोच्च एवं वरिष्ठतम असिस्टेण्ट डाइरेक्टर-जनरल हैं। आप एकमात्र एशियाई हैं जो इतने ऊँचे पद पर नियुक्त हैं। नई दिल्ली के आई० एल० ओ० के दफ्तर में डाइरेक्टर समेत १६ कर्मचारी हैं। एशियाई क्षेत्र दफ्तर (फील्ड ऑफिस), बंगलौर में १५ भारतीय नियुक्त हैं।

आई० एल० ओ० के अन्य अंग

ऊपर वर्णित आई० एल० ओ० के तीन मुख्य अंगों के सिवाय, आई० एल० ओ० ने अपने ३६ वर्षों से भी अधिक जीवन में अन्य अनेक अंगों का विकास किया है जो कि मुख्य अंगों के कर्मक्षेत्रों के पूरक के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं।

इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं औद्योगिक कमेटी (इण्डस्ट्रियल कमेटियाँ) और प्रादेशिक कांफ्रेंस।

औद्योगिक कमेटियाँ

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कांफ्रेंस का विषय केवल उद्योग में मजदूरों की खास-खास समस्याएँ ही नहीं हैं, बल्कि उद्योग, वाणिज्य और कृषि की सम्पूर्ण श्रम और सामाजिक समस्याएँ और इन विषयक आई० एल० ओ० की सामान्य नीति भी उसके विचार और कार्य का क्षेत्र और विषय

है। यद्यपि काफ़ोस ने समय-समय पर खास-खास उद्योगों पर विशेष रूप से ध्यान दिया है, किन्तु इसके साथ यह भी सत्य है कि प्रत्येक उद्योग की इन समस्याओं के हरएक पहलू पर वह विस्तार से विचार नहीं कर सकती। ट्रेडयूनियनों (मजदूर संस्थाओं) ने युद्ध से पहले इस बात पर जोर दिया कि आई० एल० ओ० के ढांचे के अन्दर अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के प्रत्येक उद्योग की मजदूर और सामाजिक समस्याओं पर विचार करने के लिए एक मशीनरी स्थापित की जाय। ग्रेट ब्रिटेन की सरकार द्वारा पेश किये गए प्रस्ताव पर आई० एल० ओ० की प्रशासन समिति ने १९४५ में लन्दन में हुए अपने ९४वें अधिवेशन में औद्योगिक कमेटियों की स्थापना का निश्चय किया। इस समय ये आठ कमेटियाँ हैं और इनका सम्बन्ध विश्व के बड़े-बड़े उद्योगों से है—वस्त्र, कोयले की खानें, पेट्रोलियम, अन्तर्देशीय परिवहन, लोहा व इस्पात धातु-व्यापार, इमारत और निर्माण और रासायनिक द्रव्य। हरएक कमेटी में उन देशों के, जिनमें वह उद्योग कुछ महत्व का है सरकार, कामयोजकों और मजदूरों के प्रतिनिधि होते हैं। इस बारे में प्रक्रिया यह चलती जाती है कि उद्योग और उसके मजदूरों की सामान्य समस्याओं की पहले सम्पूर्ण रूप से परीक्षा की जाती है और फिर विशिष्ट समस्याओं और उसके पहलुओं पर विचार किया जाता है। जिससे कि उनको हल करने के उपायों की सिफारिश की जा सके। यहाँ जो निर्णय किये जाते हैं या कमेटी जिन परिणामों पर पहुँचती है, उनको सरकार के पास भेजा जाता है। सरकारें उनको राय जानने या उन पर उचित कार्रवाई करने के लिए कामयोजकों और मजदूरों की संस्थाओं के पास भेजती हैं। इन परामर्शों को ध्यान में रखकर सरकार 'आई० एल० ओ०' की रिपोर्ट भेजती है और 'दफ़तर' इन आई० सूचनाओं को एकत्र कर उस सम्बन्धी कमेटी के अगले अधिवेशन के सम्मुख उपस्थित करता है।

१९५५ के अन्त तक इन कमेटियों के इस प्रकार अधिवेशन हुए । वस्त्र -५, कोयले की खानें-५, पेट्रोलियम-५, अन्तर्देशीय परिवहन-५, लोहा व इस्पात-५, धातु-व्यापार-५, इमारत और निर्माण-४, और रासायनिक द्रव्य-४ । पेट्रोलियम को छोड़कर भारत इन सब कमेटियों का सदस्य है । इसका प्रतिनिधि मण्डल नियमित रूप से इन के अधिवेशनों में भाग लेता है और उपयोगी भाग लेता है । भारतीय प्रतिनिधि विभिन्न अधिवेशनों में निर्वाचित अफसर होते हैं । उनको इन बैठकों में परामर्श और सहायता देने के लिए कामयोजको और मजदूरों के प्रतिनिधि भी होते हैं । और ये इन बैठकों में भाग भी लेते हैं । (आई० एल० ओ० इनके घरके शहर से बैठक के स्थान और वहाँ से वापिसी का सारा खर्च देता है ।) यूरोप और अन्यत्र बैठकें होने से बहुतसे लोगों को अपने देश से पहली बार बाहर जाने का इस प्रकार मौका मिलता है । इसके साथ अपने देश से बाहर होने वाली बैठकों में उपस्थित होने और उसमें उनको भाग लेने का अवसर मिलता है । इन वाद विवादों और चर्चाओं के फलस्वरूप विवाद से सम्बन्धित उद्योग की अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को अधिक अच्छी तरह समझा जाता है । और उनको हल करने के उपायों को खोजने में और अधिक सहमति एवं व्यापक मात्रा में सहयोग प्राप्त करना सम्भव होता है । कमेटियों की सिफारिशें यथा सम्भव सामान्य सहमति से की जाती हैं और यह समझा जाता है कि इनको क्रियान्वित करने में सब पक्ष सहयोग करेंगे ।

इन कमेटियों के काम पर आई० एल० ओ० की प्रशासन समिति वारीक निगरानी रखती है । इनकी हरएक बैठक में इसके तीन प्रतिनिधि हाजिर रहते हैं । ये प्रतिनिधि सरकार, कामयोजको और मजदूरों के वर्गों का क्रमश प्रतिनिधित्व करते हैं । इसका उद्देश्य यह होता है कि कमेटियों के साथ सीधा सम्बन्ध रहे और ये आई० एल० ओ० की नीति और प्रक्रिया के बारे में कमेटियों का पथ-प्रदर्शन कर सकें ।

औद्योगिक कमेटियों के ढंग पर बागानों के मजदूरों की समस्याओं को सुलभाने के लिए एक विशेष कमेटी नियुक्त की गई है। आजकल जिनको 'सफेद पोश' (ह्वाइट कालर) मजदूर कहा जाता है, उनके सम्बन्ध में भी एक विशेष कमेटी नियुक्त की गई है। बागान के काम पर नियुक्त कमेटी के अब तक तीन अधिवेशन हुए हैं। वेतन-भोगी कर्मचारियों और व्यावसायिक या पेशेवर कामों पर नियुक्त 'एडवाइजरी कमेटी' (परामर्शदाता समिति) के भी तीन अधिवेशन हुए हैं। इसने अन्य प्रश्नों के अतिरिक्त शिक्षकों और पत्रकारों की समस्याओं पर भी विचार किया है।

आई० एल० ओ० के क्षेत्रीय क्रियाकलाप

युद्धोत्तर काल के आई० एल० ओ० के क्रियाकलापों की एक विशेषता यह है कि इन वर्षों में क्षेत्रीय क्रियाकलापों को बहुत बढ़ाया गया है। इसका उद्देश्य यह रहा है कि सदस्य देशों और कुछ खास इलाकों की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का और अधिक नजदीकी से अध्ययन किया जाय। क्षेत्रीय कान्फ्रेंस लेटिन अमरीका, एशिया और निकट और मध्य पूर्व में हुई हैं। अन्यत्र मैंने १९४७ में नई दिल्ली में हुई तैयारी की एशियाई क्षेत्रीय कान्फ्रेंस, का संक्षिप्त विवरण दिया है। एशिया में और दो बड़ी कान्फ्रेंस हुई। एशियाई क्षेत्रीय कान्फ्रेंस श्रीलंका में जनवरी १९५० में हुई। इसमें औद्योगिक सम्बन्धों, सामाजिक सुरक्षा, काम की अवस्थाएँ, वेतन-नीति, स्त्रियों और तरुण मजदूरों का कल्याण, औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, निवासगृह और सामूहिक काम, के विषय में एशियाई देशों की सामाजिक नीति का सर्वे किया गया। इसके अतिरिक्त १९४७ में नई देहली में हुई तैयारी कान्फ्रेंस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव आई० एल० ओ० द्वारा किस मात्रा में एशियाई देशों में क्रियान्वित किये गए, इस पर भी विचार किया गया। एक अन्य कान्फ्रेंस टोकियो में १४ से

२६ सितम्बर १९५३ तक हुई। इसने एशियाई क्षेत्र में मजदूरों के घरो, वेतन-नीति और तत्परण मजदूरों को संरक्षण, इन विषयों में कार्रवाई करने के लिए अनेक निर्णय किए।

एशियाई परामर्श दातृ समिति

नई दिल्ली में १९४७ में हुई तैयारी एशियाई क्षेत्रीय कांफ्रेंस (प्रेन्परेटरी एशियन रीजनल कांफ्रेंस) के सुझाव पर आई० एल० ओ० की प्रशासन समिति ने मार्च १९५० में त्रिदलीय आघार पर एशियाई परामर्श दातृ (एशियन एडवाइजरी कमेटी) की प्रशासन समिति (गवर्निंग बॉडी) को सलाह देने के लिए स्थापना की। यह प्रशासन समिति के अनुरोध पर एशियाई समस्याओं और सामान्य समस्याओं के एशियाई पहलू पर उसको सलाह-मशविरा देगी। इस कमेटी में १२ सदस्य हैं, जिनमें छ सरकारों के, तीन कामयोजको और तीन मजदूरों के प्रतिनिधि हैं।

क्षेत्रीय टेक्निकल बैठकें

हाल के वर्षों में क्षेत्रीय टेक्निकल बैठकें हुई हैं। इनमें भारत ने प्रमुखता से भाग लिया है। ये हैं -

१. एशियाई देशों में मजदूर निरीक्षण पर तैयारी कांफ्रेंस (कैंडी, नवम्बर १९४८)
२. व्यावसायिक व टेक्निकल प्रशिक्षण पर विशेषज्ञों की एशियाई कांफ्रेंस (सिंगापुर १२-१४ सितम्बर १९४९)
३. सहकारिता पर एशियाई टेक्निकल कांफ्रेंस (कराची, २६ दिसम्बर, १९५० से २ जनवरी १९५१ तक)
४. एशियाई जनशक्ति टेक्निकल कांफ्रेंस (बैंगकाक दिसम्बर १९५१)

- ५ एशियाई देशों में तरुण मजदूरों के संरक्षण पर टेक्निकल बैठक (कंडी १-१० दिसम्बर, १९५२)
- ६ एशियाई सामुद्रिक काफ़ेस (नूबारा एलिया अक्टूबर १९५३)
- ७ उद्योगार्थ व्यावसायिक प्रशिक्षण एशियाई टेक्निकल काफ़ेस (रगून, नवम्बर-दिसम्बर १९५५)

सभा व संगम स्वतन्त्रता पर तथ्य-खोजी व समझौता कमीशन

यह महत्वपूर्ण कमीशन एकमात्र आई० एल० ओ० का ही अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद के निर्णय के फलस्वरूप यह यू०एन०ओ० की ओर से भी काम करता है। इसके नौ सदस्य हैं। ये सब अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं और अपनी अत्यधिक ऊँची योग्यता के कारण इसके सदस्य चुने गये हैं। इनका कार्य ट्रेड यूनियनों के अधिकारों को छीनने या इनसे वंचित रखने के विषय में आई हुई शिकायतों की, निष्पक्ष रूप से जांच करना है। इन शिकायतों की जांच करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। पहले यह प्रशासन समिति के सामने पेश होती है। वह इनकी प्राथमिक परीक्षा के वास्ते एक खास कमेटी नियुक्त करती है। वे सरकारें भी कमीशन के सामने अपील कर सकती हैं जिन पर कि सभा व संगम की स्वतन्त्रता छीनने का अभियोग लगाया गया है। इस कमीशन का मुख्य और जरूरी काम तथ्यों को ढूँढना है, किन्तु समझौते द्वारा विवादों को निपटाने का अधिकार इसको दिया गया है।

भारतीय प्रतिनिधिगण और जिन कमेटियों और कमीशनों में भाग लेते हैं, वे इस प्रकार हैं।

संयुक्त सामुद्रिक कमीशन।

स्थायी कृषि कमेटी।

व्यावसायिक रक्षा व स्वास्थ्य, मनोरंजन, स्त्रियो का काम, सहकारिता और अल्पवयस्को के रोजगार पर पत्र-व्यवहार कमेटियां ।

परिगणन विशेषज्ञो की पत्र-व्यवहार कमेटी ।

मूल देश निवासी मजदूरो पर विशेषज्ञ कमेटी ।

मामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञ कमेटी ।

स्थायी प्रव्रजन कमेटी ।

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सामुद्रिको व खलासियो के विषय पर आई० एल० ओ० और डब्ल्यू० एच० ओ० की सयुक्त कमेटी ।

संस्था का काम

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के समस्त कार्यों का हाल देने के वास्ते कई भागों की आवश्यकता होगी । निस्सन्देह इसकी मुख्य सिद्धियां और सफलताएँ अब तक स्वीकृत कनवेंशनों और सिफारिशो के रूप में मूर्त-रूप में हैं । इसके साथ इसके प्रकाशन संकड़ों की सख्या में है और ये इसके विविध क्रियाकलापों के विस्तृत क्षेत्र को सूचित करते हैं । आई० एल० ओ० की कांफ्रेंस और कमेटियो की रिपोर्टों के इलावा इसके प्रकाशनों का नीचे कुछ नमूना दिया जा रहा है ।

नियतकालिक और वार्षिक पत्र-पत्रिकाएँ

इण्टरनेशनल लेबर रिव्यू (मासिक प्रकाशन)

इण्डस्ट्री एण्ड लेबर (पाक्षिक प्रकाशन)

ईयर बुक ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स (वार्षिक)

सुरक्षा व स्वास्थ्य

ऑक्यूपेशनल सेपटी एण्ड हेल्थ (त्रैमासिक प्रकाशन)

एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑक्यूपेशनल सेपटी एण्ड हेल्थ
मॉडल फोड ऑफ सेपटी रेगुलेशंस फॉर इण्डस्ट्रियल एस्टेवलिश-
मेंट्स ।

सामुद्रिक

सीफेयरर्स कडिगन्स इन इडिया एण्ड पाकिस्तान ।

स्त्रियां

दी लॉ एण्ड विमेंस वर्क - ए काट्रीव्यूशन टु दी स्टडी ऑफ दी
स्टेट्स ऑफ विमेन ।

सामाजिक सुरक्षा

एप्रोचेज टु सोशल सिक्युरिटी ।

इण्टरनेशनल सर्वे आफ सोशल सिक्युरिटी ।

एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस ऑफ सोशल इशुरेंस ।

अनएम्प्लायमेंट इशुरेंस स्कीम्स,

सिस्टेमज ऑफ सोशल सिक्युरिटी न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स

वी कॉस्ट आफ सोशल सिक्युरिटी १९४६-५१,

सहकारिता और दस्तकारी

दी कोओपरेटिव मूवमेण्ट एण्ड प्रोजेण्ट-डे प्रान्त्लेम्स (१९४५)

दी डेवलपमेण्ट आफ कोओपरेटिव मूवमेण्ट इन एशिया (१९४६)

बेकारी

एक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लायमेण्ट .

ऊपर की सूची जहाँ-तहाँ से ली गई है ।^१ आई० एल० ओ० द्वारा

१ आई० एल० ओ० प्रधान कार्यालय और शाखा-दपतर अनुरोध करने पर इसके काम के विभिन्न पहलुओ पर सचित्र पुस्तिकायें भेजते हैं, अर्थात् 'आई० एल० ओ० एण्ड विमेन', 'आई० एल०

प्रकाशित पुस्तको का सूचीपत्र लगभग १०० पृष्ठो का है । इसके प्रकाशन इस प्रकार के विषयो पर है, जैसे—श्रौद्योगिक सम्बन्ध, श्राथिक स्थिति, रोजगार और बेकारी, वेतन और काम के घन्टे, अक्षम व अयोग्य लोगो का पुनर्वासन, श्रौद्योगिक आरोग्य, घर और कल्याण, मजदूरों की शिक्षा, कृषि, परिगणन, प्रव्रजन और सामाजिक नीति ।

संयुक्त राष्ट्र और अन्य विशिष्ट एजेन्सियों के साथ सहयोग

संयुक्त राष्ट्र के साथ हुए करार द्वारा, जो कि १९४६ में अमल में आया, विश्व सस्था आई० एल० ओ० को "विशिष्ट एजेन्सी के रूप में स्वीकार करती है और इसको निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसके बुनियादी उपकरणो व निर्देशों के अधीन उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी मानती है।" इस करार द्वारा हुए समझौते और संयुक्त राष्ट्र श्राथिक व सामाजिक परिषद के ढांचे के अन्दर विकसित खास मंशोनरी के साथ-साथ किया गया काम यू० एन० ओ० और विशिष्ट एजेन्सियो के काम में एकसूत्रता स्थापित करने का आधार प्रदान करता है । इस करार के अनुसार आई० एल० ओ० 'एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी श्रान कोआरडिनेशन' (एकसूत्रता प्रशासकीय समिति) के काम में भाग लेता है । इसके सदस्य संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी-जनरल और विशिष्ट एजेन्सियो के प्रशासकीय प्रमुख हैं । 'दफ्तर' हर साल आई० एल० ओ०

'ओ० एण्ड यूथ' 'सेपटी एण्ड हेल्थ आक वर्क्स' आदि । आई० एल० ओ० के वापिक कार्यों की सर्वे रिपोर्ट आफ दी इन्टरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन टु दी यूनाइटेड नेशन्स में रहती है । अब तक इस प्रकार की नौ रिपोर्टें दी गई हैं । अन्तिम १९५५ में दी गई ।

के काम पर सयुक्त राष्ट्र को रिपोर्ट देता है । इस पर आर्थिक व सामाजिक परिषद में विचार किया जाता है ।

आई० एल० ओ० ने अन्य विशिष्ट एजेंसियों के साथ भी करार किये हुए हैं । इन सब करारों में कुछ निश्चित क्षेत्रों में सहकारिता के साथ कार्य करने की बात कही गई है और जिन क्षेत्रों में प्रयत्नों के दोहराये जाने का भय है, वहाँ जिम्मेदारियों की सीमा भी बाँध दी गई है ।

अध्याय ४ भारत और अन्तर्राष्ट्रीय कनवेंशन^१

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कनवेंशनों को भारत द्वारा सम्पुष्ट करने का लेखा यद्यपि प्रभावशाली नहीं है, किन्तु यह महत्वपूर्ण है, यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि (१) औद्योगिक क्षेत्र में इस देश का आगे बढ़ना और 'मुख्य' श्रम-कानूनों का बनना, ये दोनों घटनायें लगभग आई० एल० ओ० के जन्म के साथ हुई हैं, (२) पूर्वी एशिया में यह सबसे बड़ा कम विकसित देश है जो आई० एल० ओ० का निर्वाह और अटूट रूप से सदस्य रहा है और १९२१ में जब केन्द्रीय असेम्बली में वॉशिंगटन श्रम कान्फ्रेंस के निर्णय से सम्बन्धित प्रस्ताव विचारार्थ पेश किया गया था, तब से इसके श्रम कानूनों का इतिहास अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कनवेंशनों की क्रिया-प्रतिक्रिया को दर्शाता रहा है, और (३) एशिया में यह एक सब से बड़ा देश है, जिसने पिछले पैंतीस वर्षों में तीन मुख्य संवैधानिक परिवर्तनों को देखा है और अपेक्षा-

१ और अधिक अध्ययन के लिए देखिये दी इन्टरनेशनल लेबर कोड १९५१, कनवेंशनज़ एण्ड रिक्मैण्डेशनज़ १९१९-१९४९, आफिशियल बुलेटिन (समय-समय पर प्रकाशित होता है), लेजिस्लेटिव सिरीज (प्रति दो माह बाद किस्तों में प्रकाशित होती है) एशियन लेबर लाज १९५१, कनवेंशनो और सिफारिशो के अमल पर विभिन्न कमेटियों की रिपोर्टें।

कृत पूर्ण दासता से आज यह प्रभुत्व शक्ति सम्पन्न स्वतंत्र गणतन्त्र के रूप में आ गया है ।

भारत में कानून बनाने के मार्ग को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कन्वेंशनों ने किस सीमा तक प्रभावित किया ? यह एक कठिन प्रश्न है । कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें कन्वेंशन और इसके प्रतियोगी भारतीय कानून के मध्य प्रत्यक्ष आकस्मिक सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है । किन्तु अधिकांश अवस्थाओं में सम्बन्ध इतना स्पष्ट नहीं है । इसके लिए आई० एल० ओ० द्वारा विकसित की गई व्यापक और विशाल मंशिनरी को समझना आवश्यक है । क्योंकि उसके पीछे एकमात्र नैतिक अधिसत्ता और अनधिकार की शक्ति है । कुछ ऐसी भी वशायें हो सकती हैं, जिनमें भारत ने टेक्निकल कारणों से कन्वेंशनों को सम्पुष्ट नहीं किया, लेकिन कन्वेंशन की भावना के अनुसार कार्य किया । इसकी सूची बहुत लम्बी हो सकती है । नि.सन्देह ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें कानून बनाने की प्रेरणा कन्वेंशन से ली गई है और इन पर वाद में विचार किया जायगा । प्रारम्भ में इसका विचार करना आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संहिता (इंटरनेशनल लेबर कोड) ने सामान्यरूप से क्या प्रभाव डाला ।

यद्यपि पदार्थ विषयक अध्ययन में जो वस्तु वृश्य और मूर्त नहीं है, उस पर जोर नहीं दिया जा सकता, तथ्यों की पादर्वभूमि की उपेक्षा नहीं की जा सकती । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था ने अपनी स्थापना से अनिश्चितता की सनको और प्रतिगामी शक्ति से सामाजिक न्याय दिलाया, और विश्व की अन्त चेतना को जागृत किया । इसने अधिकांश मानव-समाज के जीवन और कार्य की अवस्थाओं पर निरन्तर चर्चा और समीक्षा के लिए वेदी की रचना की । अकेले इस बात ने इस प्रकार के विषयों के प्रति प्रवृत्ति और रवैया बदलने में असाधारण प्रभाव डाला । प्रवृत्ति भावी में होने वाली सब बातों की अनिवार्य अग्रदूतिका थी । आई० एल० ओ० के सविधान ने मजदूरवर्ग जिन वशाओं में मजदूरी

करता था और रहता था, उनमें सुधार करनेवाली शक्तियों को प्रोत्साहन और उत्तेजन दिया और विरोध करने वाली आवाजों को शान्त करने में सहायता दी। जो लोग उदासीन और तटस्थ से थे वे उन बातों के वास्ते सघर्ष करने वालों में बदल गए जिनको पूरा करने के लिए आई० एल० ओ० की स्थापना की गई है।

काम के घटे, बेकारी, प्रसूति रक्षण, न्यूनतम आयु, रात में काम आदि कनवेशनों के केन्द्रीय असेम्बली में विचारार्थ आने के बाद—यह भी रक-रककर अनमने भाव से आया—और आई० एल० ओ० के प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट भेजने के लिए सरकारी पजीकरण होने पर—यद्यपि यह एक दफ्तरी कार्रवाई थी—यहाँ कुछ कार्रवाई प्रारम्भ हुई। अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंस्था ने अपने काम से इसकी रक्षा की। हर साल जेनीवा से प्रतिनिधि मंडल लौटते थे और अन्तर्राष्ट्रीय 'सन्धियाँ' विचारार्थ केन्द्रीय असेम्बली के सामने पेश की जाती थीं, जिनके बनाने में उनका भी हाथ था। मजदूरों के साथ उचित बर्ताव किया जाना चाहिये, इसके पक्ष में साक्षियाँ बराबर बढ़ती गईं और युद्धोत्तर काल के वर्षों में समय-समय पर स्थितियों के पोले भाग को दिखाया जो कि पुकार-पुकार कर कह रही थीं कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को तुरन्त हल करना चाहिए। इन परिस्थितियों के फलस्वरूप श्रम पर शाही कमिशन नियुक्त किया गया। कमिशन की रिपोर्ट का बड़ा स्वागत हुआ और उसकी सिफारिशों पर श्रमल किया गया। इसने भारत में श्रम-सहिता के निर्माण में प्रमुखरूप से श्रम-दान दिया।

भारत में पिछले पैंतीस वर्षों में जो संवैधानिक परिवर्तन हुए उनको ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त लिखित बातों पर विचार करना चाहिए। सामान्य तौर पर कहा जा सकता है कि १९१९ से स्थिति यह थी कि यद्यपि कनवेशनों को केन्द्रीय सरकार सम्पुष्ट करती थी और उनको श्रमल में लाने की जिम्मेदारी लेती थी, किन्तु तथाकथित केन्द्र

द्वारा प्रशासित इलाको, और रेलवे, खानो, डाकों व प्रवजन के प्रश्नों को छोड़कर शेष सर्वत्र विभिन्न राज्य थे जो अपने-अपने इलाके में इनको श्रमल में लाने के लिए उत्तरदायी थे । और चूँकि राज्यों (या पुरानी प्रणाली में प्रान्त) की अपनी-अपनी धारा सभा थी, वे कार्य-पालिका का कार्य करते थे और उनको बड़े श्रम में स्वायत्त शासन प्राप्त था । केन्द्रीय सरकार इन राज्यों की सलाह, सहमति और स्वीकृति से ही कनवेंशनों को सम्पुष्ट करने की कार्रवाई कर सकती थी । अन्य अनेक सघीय सरकारों के समान भारत को भी इस प्रकार की विलम्बकारी एवं कालक्षयी पेचीदी स्थिति का सामना पडा । इस पर भी भारत ने बीस कनवेंशनों को सम्पुष्ट किया है और अन्यो के समान प्रगतिशील श्रम-कानून बनाए हैं । भारत का यह कार्य प्रशंसनीय है । अलग-अलग कानूनों पर कनवेंशनों का प्रभाव बताने से पहले संवैधानिक स्थिति का वर्णन करने की अनुमति में चाहता हूँ ।

संवैधानिक सुधार १

इण्डिया एक्ट १९१९ के अधीन संवैधानिक स्थिति यह थी कि केन्द्रिय धारा सभा (असेम्बली) धरों के विषय को छोड़कर सब श्रम प्रश्नों पर कानून बना सकती थी । प्रान्तीय धारा सभायें निवास-गृहो के बारे में कानून बना सकती थीं और केन्द्रीय सरकार की सहमति और केन्द्रीय धारा सभा के सर्वतोपरि अधिसत्ता के अधीन खानों को छोड़कर और शेष सब श्रम-प्रश्नों पर कानून बना सकती थीं । केन्द्रीय और प्रान्तिक कानूनों का प्रशासन (खानो को छोड़कर) प्रान्तिक सरकारों के अधिकार में था । किन्तु उनका यह अधिकार केन्द्रीय-सरकार के नियन्त्रण के अधीन था ।

१ फेडरलिज्म एण्ड लेबर लेजिस्लेशन इन इण्डिया ले० श्री अतुल चटर्जी (इण्टरनेशनल लेबर रि०यू० अप्रैल-मई, १९४४) ६

इण्डिया एक्ट १९३५ के संवैधानिक उपबन्धों के आधीन कानून बनाने और प्रशासन का क्षेत्र केन्द्र और प्रान्तों के मध्य विभक्त हो गया। संक्षेप में केन्द्रीय (या संघीय) विषय थे, खानों और शेष क्षेत्रों में मजदूरों का नियमन और उनकी सुरक्षा, फेडरल रेलवे और बड़े-बड़े बन्दरगाहों, और अन्तःप्रान्तीय प्रव्रजन। उभयनिष्ठ विषय निम्नप्रकार थे : फंक्टरियों, मजदूरों का कल्याण, प्रावीडेण्ट फण्ड, कामयोजकों का दायित्व और मजदूरों का मुश्रावजा, बीमारी की पेंशन समेत स्वास्थ्य बीमा, ट्रेड्यूनियन, औद्योगिक और श्रम विवाद, किसी भी विषय (ऊपर गिनाई हुई) के सम्बन्ध में जांच और परिगणन। (इनमें केन्द्र और प्रांत दोनों कानून बना सकते थे।) उभयनिष्ठ कानून के क्षेत्र के विषय में केन्द्रीय (या संघीय) धारा सभा और प्रान्तिक धारा-सभाएँ उपर्युक्त विषयों पर कानून बना सकती थीं और इन विषयों में केन्द्रीय कानूनों को क्रियान्वित करने या उनको अमल में लाने के लिए केन्द्रीय कार्यपालिका प्रान्तों को निर्देश दे सकती थी।

२६ जनवरी, १९५० को भारत का नया संविधान लागू हुआ। श्रम-कानूनों के बनाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय (यूनियन या संघीय) सरकार और राज्य सरकारों (पहले के प्रान्त) के मध्य पहले के समान क्षेत्र विभक्त है। केन्द्रीय सरकार की कार्यपालिका की शक्ति सीमित है। सकट काल को छोड़कर संघीय धारासभा या संसद (पार्लमेंट) को जिन विषयों में एकमात्र कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, उनको अमल में लाने एवं क्रियान्वित करने की उसकी शक्ति सीमित है। संसद (पार्लमेंट) ही एकमात्र जिन विषयों में कानून बना सकती है, वे हैं : अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों, सभाओं, सम्मेलनों और संस्थाओं में सम्मिलित होना और उनमें हुए निर्णयों को क्रियान्वित करना, खानों और तेल क्षेत्रों में मजदूरों का नियमन और उनकी सुरक्षा, यूनियन के कर्मचारियों के सम्बन्ध में औद्योगिक भगडे और अन्तःराज्य प्रव्रजन। राज्य-सूची और समवर्ती सूची है। जब केन्द्रीय या संघीय सरकार द्वारा पास किए

कानून और राज्य द्वारा पास किए कानून के बीच टक्कर होती है, तो केन्द्रीय कानून माना जाता और वह चलता है। समवर्ती सूची में ये विषय हैं—(१) ट्रेड यूनियन (मजदूर संस्थाएँ), औद्योगिक और श्रम विवाद, (२) मजदूरों का कल्याण, इसके अन्तर्गत के विषय भी आते हैं, ये काम की दशायें, प्रावीडेंट फंड, कामयोजकों का दायित्व, मजदूरों को मुआवजा, बीमारी-जन्य अयोग्यता और बूढ़ापे में पेंशन, और प्रसूति लाभ, (३) सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, रोजगार और बेरोजगारी, (४) मजदूरों को व्यावसायिक और टेक्निकल (प्राविधिक) प्रशिक्षण, (५) आर्थिक और सामाजिक नियोजन, और (६) कारखाने।

संवैधानिक परिवर्तनों का एक उल्लेखयोग्य आनुसंगिक परिणाम यह हुआ कि श्रम कानूनों के क्षेत्र में द्वैध नियंत्रण के कारण प्रान्त-प्रान्त के कानूनों में भिन्नता और बेमेलपना उत्पन्न हो गया। इसके विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कन्वेंशन दुनिया-भर में मजदूरों की अवस्था में एकरूपता लाना चाहता था। इस कारण यह विसंगति और बेमेलपन और भी अधिक खटकता था। अशत आई० एल० ओ० के त्रिपक्षीय ढांचे से अनुप्राणित होकर और कुछ प्रगतिशील श्रम प्रतिमानों को दूर करने के विचार से भारत सरकार ने अगस्त १९४२ में एक स्थायी त्रिपक्षीय श्रम-संस्था स्थापित की। इसकी रचना इस प्रकार की गई, केन्द्रीय, प्रान्तीय और भारतीय रियासतों की सरकारों के प्रतिनिधि, कामयोजकों और मजदूरों के प्रतिनिधिगण। इसका संविधान अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के ढग पर बनाया गया और उसके निम्न तीन उद्देश्य निश्चित किए गए—(१) श्रम कानूनों में एकरूपता को बढ़ाना, (२) औद्योगिक विवादों के फैसले के वास्ते एक प्रक्रिया का निश्चय, और (३) सारे देश से सम्बन्धित और उसको प्रभावित करने वाली औद्योगिक हित की बातों पर परामर्श।

इस त्रिपक्षीय संस्था की स्थापना के एक भाग के रूप में केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने अगस्त १९५४ में एक 'कन्वेंशन कमेटी' स्थापित की।

इसकी पहली बैठक मद्रास में ७ और ८ अगस्त १९५४ को हुई। इस कमेटी में सरकार, कामयोजकों और मजदूरों तीनों के नुमाइन्दे हैं। इसका काम कनवेंशनो की पद्धतिपूर्ण परीक्षा करना है। इस कमेटी के कार्यों का विवरण भारत में त्रिपक्षीय संस्था अध्याय में दिया गया है।

कनवेंशनों की सम्पुष्टि और श्रम कानून^१

सारे देश में श्रम कानूनों में एक समान प्रगति सम्भव नहीं थी। कारण स्पष्ट था। श्रम कानून को बनाने के समय सारे देश में एक समान आर्थिक और सामाजिक स्थिति नहीं थी। प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने के बाद जबकि आई० एल० ओ० की स्थापना हुई अनेक तत्व काम कर रहे थे। उद्योगों में जब समृद्धि और तेजी आई हुई थी तब काम करने की दशाएँ खराब हो गई थीं और देशभर में साधारणतः भारी असन्तोष छाया हुई थी। युद्धकाल में मजदूरों को वचन दिए गए थे। उनके साथ प्रतिज्ञाएँ की गयी थी। मजदूर चाहते थे कि उनको अब श्रविलम्ब पूरा किया जाय। भारत में जब इस प्रकार की परिस्थितियाँ थीं, तब पहली अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कानूनस वाशिगटन में हुई और संवैधानिक सुधारों की घोषणा की गई। इस कानूनस के लिए एक भारतीय मजदूर प्रतिनिधि भी नामजद किया गया था और चूँकि आई०

१. भारतीय श्रम कानूनों के विस्तृत विवरण के लिए देखिए आई० एल० ओ० इण्डिस्ट्रियल लेबर इन इण्डिया (स्टडीज एण्ड रिपोर्ट्स, सिरीज ए न० ४१) जेनेवा १९३८, आई० एल० ओ० लेबर लेजिस्लेशन इन इण्डिया (१९३७-१९५२) (इण्डिया ब्राच नई दिल्ली, १९५२) और लेबर लेजिस्लेशन इन इण्डिया १९५३-५४ (प्रोग्रेस एण्ड इम्प्लीमेंटेशन) रिसेन्ट डेवलपमेंट्स इन सर्वेंट आस्पेक्ट्स आफ इण्डियन इकानमी (आई० एल० ओ० नई दिल्ली १९५५) में, भारत में लागू कानूनों को पूरा-पूरा देखने के लिए देखिये आई० एल० ओ० एशियन लेबर लाज (नई दिल्ली १९५१)

एल० ओ० के सविधान में कहा गया था कि मजदूरों का प्रतिनिधि जिसको नामजद किया जाय वह मजदूरों की सर्वाधिक प्रतिनिधि सस्था का प्रतिनिधि होना चाहिए, अतः इस देश में ट्रेड यूनियन—मजदूरों के सगठन के आन्दोलन को बल मिला और यह राष्ट्रीय पैमाने पर शुरू हुआ। चूँकि शासक देश और शासित दोनों आई० एल० ओ० के सदस्य थे और चूँकि युद्ध ने भारत में उद्योगों को प्रोत्साहन दिया था, ग्रेट ब्रिटेन, विशेषतः लकाशायर के कामयोजकों ने दुर्दशाग्रस्त और शोषित मजदूरों में देशी उद्योगों से प्रतियोगिता करने के क्षेत्र में शक्तिशाली भय का अनुभव किया, क्योंकि उनके उत्पन्न माल का बाजार भारत था और इसके साथ चर्खा और स्वदेशी आन्दोलन भी यहाँ बढ़ा और इस कारण इनको आत्म-संरक्षण तक में भय और आतंक का अनुभव हुआ। इसलिए जब ब्रिटेन के कामयोजकों ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कन्वेंशनों को सम्पुष्ट करने के लिए सुधार का सुझाव रखा तो भारत सरकार का रवैया उनको सम्पुष्ट करने में सर्वथा असहानुभूति पूर्ण न था। यह बात कुछ विचित्र और सत्य विरोधी मालूम देती है, पर है सर्वथा सच। यह भी कहा जा सकता है कि उसने इसको और प्रोत्साहन दिया। अतः यह एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत द्वारा १९५५ के अन्तर्गत सम्पुष्ट २३ कन्वेंशनों में १२ १९३१ तक सम्पुष्ट किए जा चुके थे। सम्पुष्ट कन्वेंशनों की सूची नीचे दी जा रही है—

कन्वेंशन का नाम	सम्पुष्टि की तिथि
* सं० १ काम के घटे (उद्योग) कन्वेंशन, १९१९ .	१४-७-१९२१
† सं० २ वेकारी कन्वेंशन, १९१९	१४-७-१९२९
* सं० ४ रात का काम (स्त्री) कन्वेंशन, १९१९	१४-७-१९२१
* सं० ५ न्यूनतम आयु (उद्योग) १९१९	९-९-१९५५

* कन्वेंशनों जिन में भारत के लिये खास उपबन्ध है।

† सम्पुष्टि अवसान घोषित।

- #सं० ६ तरुणों का रात में काम (उद्योग) कन-
वेंशन, १९१९ १४-७-१९२१
- सं० ११ सभा व सगम का अधिकार (कृषि)
कनवेंशन, १९२१ ११-५-१९२३
- सं० १४ साप्ताहिक विश्राम (उद्योग) कनवेंशन,
१९२१ ११-५-१९२३
- सं० १५ न्यूनतम आयु (जहाजी) कनवेंशन, १९२१ २०-११-१९२२
- सं० १६ तरुण व्यक्तियों की डाक्टरों परीक्षा
(समुद्र) कनवेंशन, १९२१ २०-११-१९२२
- सं० १८ मजदूरों को मुआवजा (व्यावसायिक
रोग) कनवेंशन, १९२५ ३०-९-१९२७
- सं० १९ समान व्यवहार (दुर्घटना मुआवजा)
कनवेंशन, १९२५ ३०-९-१९२७
- सं० २१ प्रव्रजक का निरीक्षण कनवेंशन, १९२६ १४-१०-१९२८
- सं० २२ सामुद्रिक व खलासी करार का अनुच्छेद
कनवेंशन, १९२६ ३१-१०-१९३२
- सं० २६ न्यूनतम वेतन-निर्धारक मशीनरी कन-
वेंशन, १९२८ १०-१-१९५५
- सं० २७ भार पर छाप लगाना (जहाजों द्वारा
भेजे जाने वाले बण्डल) कनवेंशन,
१९२९ ७-९-१९३१
- सं० २९ बेगार कनवेंशन, १९३० ३०-११-१९५४
- सं० ३२ दुर्घटना से बचाव (डॉक्टर) कनवेंशन,
(संशोधित) १९३२ १०-२-१९४७
- सं० ४१ रात में काम (स्त्री) कनवेंशन (संशो-
धित), १९३४ २०-११-१९३५

स० ४५ भूमिगत काम (स्त्री) कनवेंशन, १९३६	२५-३-१९३८
स० ८० अन्तिम अनुच्छेद सशोधन, कनवेंशन- १९४६	१७-११-१९४७
स० ८१ श्रम निरीक्षण कनवेंशन, १९४७	६-४-१९४६
स० ८९ रात में काम (स्त्री) कनवेंशन (सशो- धित), १९४८	२७-२-१९५०
स० ९० तरुण व्यक्तियों का रात में काम (उद्योग) कनवेंशन (सशोधित) १९४८	२७-२-१९५०

शान्ति कान्फ्रेंस के भारतीय प्रतिनिधियों की सलाह पर इण्डिया एक्ट, १९१९, में उपर्युक्त परिवर्तन किया गया जिससे श्रमकल्याण से सम्बन्ध रखने वाले कनवेंशनो को सम्पुष्ट किया जा सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय श्रम पर शाही कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने के काल तक स्वेच्छा से ग्रहण किए दायित्व के कारण या कनवेंशनों या सिफारिशों के उदाहरण से प्रभावित होकर कानून बनाये गए।

१९३२ से लेकर दूसरा महायुद्ध आरम्भ होने तक के काल को हम शाही कमीशन का युग कह सकते हैं। इन वर्षों में केवल तीन कनवेंशन सम्पुष्ट किये गए। युद्ध छिड़ने के साथ दृश्य बदल गया। प्रगतिशील श्रम कानूनों का जहाँ तक सम्बन्ध था, उसके वास्ते यह काल नकारात्मक था। युद्ध-काल से शान्ति काल में आने का समय संक्रमण काल का था और भारतीय स्वाधीनता के बाद का समय था जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संहिता ने पार्श्वभूमि का काम किया किन्तु इस काल में श्रम-समस्या को सुनिश्चित राष्ट्रीय दृष्टि से देखा गया यह स्पष्ट है। इस अवधि में शेष कनवेंशन सम्पुष्ट किये गए।

यह प्रकट है कि उत्साह का पहला उवाल निकल जाने पर फिर वह उसी ऊँचाई पर नहीं पहुँचा। किन्तु क्या यह आवश्यक था? शायद नहीं। १९१९ के बाद से स्थिति मूलत बदल गई थी। भारत के

सम्बन्ध में यह बात तो पूर्णतः ठीक है। उस समय यह जानने के लिए कि दूसरे देश में क्या हो रहा है। बहुत कम साधन थे। आई० एल० ओ की बहुमुखी क्रियाकलापों ने मगर इस सब को बदल दिया। आई० एल० ओ० का उदाहरणार्थ एक प्रकाशन ले लीजिए। वी “लेजिस्लेटिव सीरिज”। दुनिया भर में बनाए गए श्रम कानून इसमें छापे जाते हैं। कोई भी व्यक्ति या संस्था उसको उत्तम कीमत देकर ले सकता है और कोई भी देश दूसरे देश के अधिकतम प्रगतिशील कानूनों को अपना सकता है। इसी प्रकार आई०एल०ओ० की नियत कालिक प्रकाशनों, ग्रन्थयनों, उसकी रिपोर्टों में विशेष-विशेष विकासों का वर्णन रहता है और ये सामाजिक नीति में परिवर्तन के लिए श्रीगणेश करने का कारण हो सकता है।

इस सम्बन्ध में एक और अन्य विकास का भी विचार किया जा सकता है। और वह है भारत सरकार की वर्तमान स्थिति। स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद से दुनिया-भर की सरकारों के साथ भारत का प्रत्यक्ष और सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया है। भारत की राजधानी में इन सरकारों के दूतावास हैं। (इनमें से कुछ के श्रम-प्रतिनिधि भी हैं) और विदेशों की राजधानियों में भारत के राजदूतों के होने से पारस्परिक हित की जानकारी का विनिमय अधिक अच्छी तरह होने लगा है। प्रगतिशील श्रम कानून इस जानकारी का कम महत्वपूर्ण भाग नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि हवाई यातायात की वृद्धि के कारण यह प्रक्रिया दिन-प्रतिदिन शीघ्रगामी होती जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संहिता (इण्टरनेशनल लेबर कोड) विज्ञव्यापी प्रभाव होने के कारण यह निस्सन्देह दोहरी नितारी प्रभावकारी प्रतिक्रिया का काम करती है। कनवेंशन और सिफारिशें आज भी प्रगतिशील सामाजिक नीति के भूमण्डलीय अनुभव को सूचित करती हैं। राष्ट्रीय संसदों (पार्लमेंटों) के सामने उनके उपस्थिति किये जाने से घारा सभाइयों को इसका स्मरण होता है और इनके विषय में क्या कार्रवाई

की गई है, यह आई० एल० ओ० के प्रधान दफ्तर को रिपोर्टें देने से अधिकारियों का ध्यान इस बात की ओर रहता है कि अब तक क्या कार्य किया गया है और क्या करना अभी बाकी रह गया है। इस दृष्टि से कनवेंशनो का प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और दूरवर्ती प्रभाव देखना आवश्यक है।

। वाशिंगटन काफ़ेस द्वारा स्वीकृत पहले कनवेंशन का सम्बन्ध काम के घटो (उद्योग) से था। इस कनवेंशन में एक विशेष धारा थी जिसके द्वारा भारत में काम के घटो की सीमा (६० घण्टों का सप्ताह) ठहराई गई थी और यह अन्य देशों के लिए नियत सीमा से कुछ अधिक थी। भारत द्वारा यह कनवेंशन सम्पुष्ट किया गया और फ़ैक्टरीज (अमेण्डमेण्ट) एक्ट १९२२ में ६० घण्टो का सप्ताह विहित किया गया। इस कानून द्वारा रात में काम (स्त्री) (स० ४) कनवेंशन को भी क्रियान्वित किया गया था। यही नहीं इस कानून द्वारा ही तरुण व्यक्तियों का रात में काम (उद्योग) (स० ६) कनवेंशन भी सम्पुष्ट किया गया और इस कानून के जरिये स्त्रियों और अल्पवयस्को का रात में १०॥ घटा काम करना रोक दिया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कनवेंशनों के अन्य महत्वपूर्ण उपबन्धों को कानून का रूप देने के लिए जो महत्वपूर्ण कानून बनाये गए वे नीचे दिए जा रहे हैं—

१ 'दी इण्डियन पोर्ट्स एक्ट, १९०८ का १९२२ में (एक्ट XV १९२२) द्वारा सशोधन किया गया और उद्योग में न्यूनतम आयु सम्बन्धी कनवेंशन (स० ५) को क्रियान्वित किया गया। इस सशोधन

१ इस अध्याय के शेष भाग की जानकारी "इनफ़्लुएंस ऑफ़ इण्टरनेशनल कनवेंशन ऑन इण्डियन लेबर लोजिस्लेशन" वी० के० आर० मेनन द्वारा "इण्टरनेशनल लेबर रिव्यू" जून १९५६ में लिखित लेख से ली गई है।

द्वारा स्यानीय सरकारो पर यह दायित्व डाला गया था कि वे माल उतारने के घाटो, डॉको आदि पर १२ साल से कम आयु के बच्चो को काम पर लगाने से रोकने के वास्ते नियम बनाएँ ।

२. न्यूनतम आयु (उद्योग) कनवेशन का जब १९३७ में संशोधन किया गया (कनवेशन सं० ५९) तब १५ अगस्त १९३८ को केन्द्रीय असेम्बली में एक बिल पेश किया गया जिसका प्रकट उद्देश्य इस कनवेशन को अमल में लाना था । इस कानून के (एम्प्लायमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट १९३८) के कुछ उपबन्ध भारत से विशेष रूप से सम्बन्धित कनवेशन के कुछ उपबन्धो से भी आगे बढ़े थे । जैसे उदाहरणार्थ कनवेशन ने "रेल द्वारा मुसाफिरों, या माल या डाक का परिवहन, या डॉकों या तटस्थानो पर माल उतारने या चढ़ाने, हाथ द्वारा परिवहन को छोड़कर" में न्यूनतम आयु १३ साल निश्चित की थी किन्तु कानून ने डॉको, तटस्थानों या घाटो पर माल उतारने या चढ़ाने के काम को न्यूनतम आयु १५ साल निश्चित की थी । इस एक्ट में १९५१ में पुनः संशोधन किया गया (एक्ट XLVIII) और कनवेशन सं० ९ के उपबन्धों को क्रियान्वित किया गया । इस कनवेशन का सम्बन्ध उद्योगो में रात में काम करने वाले तरुण व्यक्तियो से था ।

३ कनवेशनो का प्रभाव "फैक्टरीज एक्ट १९३४" में १९३४ से १९४८ के मध्य किये गए संशोधनो में भी देखा जा सकता है । न्यूनतम आयु (उद्योग) कनवेशन (संशोधित) (सं० ५९) को क्रियान्वित करने के वास्ते १९४० में एक कानून बनाया गया । "दी फैक्टरीज (अमेण्ड-मेण्ट) एक्ट, १९४०" (एक्ट XVII), बच्चो को अस्वास्थ्यकर और खतरनाक हालतों में काम करने और शोषण के जोखिम से बचाने के उद्देश्य से बनाया गया । फैक्टरीज एक्ट में स्वास्थ्य, सुरक्षा, बच्चो और रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) सम्बन्धी संशोधन किया गया और यह शक्ति (विजली) से चलने वाले और १० से १९ तक व्यक्तियों को काम पर लगाने वाले छोटे कारखानो पर भी लागू किया गया । इसने

प्रान्तीय सरकारो को यह भी अधिकार दिया कि वे किसी भी अहाते को कारखाना घोषित कर सकती है, जहाँ बच्चे काम करते हो। चाहे वहाँ १० से कम ही मजदूर काम करते हो।

'फैक्टरीज एक्ट', में पुन १९४५ में (III , १९४५) में सशोधन किया गया और इसके द्वारा गैर-मौसमी फैक्टरियों में काम करने वाले मजदूर भी फैक्टरीज एक्ट, १९३४, के अधीन आ गए। यह भी उपबन्ध किया गया कि एक साल की सेवा के बाद बच्चे को लगातार १० दिन का सवेतन अवकाश और बच्चों को १४ दिनों का अवकाश दिया जाय। इस बिल के उद्देश्यो और कारणो के बक्तव्य में कहा गया था कि यह कानून सवेतन अवकाश से सम्बन्धित कनवेंशन स० ५२ के महत्वपूर्ण भाग को पूरा करता है।

फैक्टरीज एक्ट १९३४ का १९४८ में वृद्धीकरण और सशोधन किया गया। ३० जनवरी १९४८ को पार्लामेंट में बिल पर भाषण देते हुए श्रम-मन्त्री ने कहा कि आई० एल० ओ० की औद्योगिक आरोग्य संहिता (कोड ऑफ इण्डस्ट्रियल हार्डजीन) के भारतीय अवस्थाओं में जो उपबन्ध क्रियान्वित किए जा सकते थे वे सब श्रमल में लाये गए हैं और तरुण व्यक्तियों की नियतकालिक डॉक्टरी परीक्षा और कारखानों की इमारतों की योजना स्वीकृति के वास्ते पेश करने का उपबन्ध भी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कनवेंशन से लिया गया है।

फैक्टरीज एक्ट १९४८ का १९५४ में पुन सशोधन किया गया और स्त्रियों और तरुण व्यक्तियों को रात में कारखानों में काम पर न लगाने से सम्बन्धित कनवेंशनो स० ८९ और स० ९० को क्रियान्वित किया गया। १९५० में ये भारत द्वारा सम्पुष्ट किये गए। इस रीति से रात में पाली के बदलने के कारण रात के बीच के समय से सम्बन्धित वित्तगति दूर हो गई जिसका एक ओर स्त्रियों के शेष समय से सम्बन्ध था और दूसरी ओर उन तरुण व्यक्तियों से सम्बन्ध था जो १७ साल की आयु तक नहीं पहुँचे।

कनवेंशन सं० ८६ के क्रियान्वित करने के कारण "माइन्स एक्ट १९५२" में इस आशय का उपबन्ध शामिल किया गया कि स्त्रियों को भूमिगत काम पर न लगाने के अतिरिक्त रात में जमीन के ऊपर के खान के काम में भी नहीं लगाया जा सकता ।

४. इण्डियन रेलवेज (अमेण्डमेण्ट) एक्ट (नं० XIV १९३०) काम के घंटों (उद्योग) से सम्बन्धित कनवेंशन, १९१६ के उपबन्धों को विधिवत् रूप देने के लिए बनाया गया और सप्ताहिक विश्राम (उद्योग) कनवेंशन, १९२१ को, जो कि दोनों भारत द्वारा रेलवे के लिए सम्पुष्ट किए गए ।

५. दी इण्डियन डॉक लेबरर्स एक्ट, १९३४ (नं० XIX, १९३४) द्वारा खास तौर पर दुर्घटना से रक्षा (डॉकरो) कनवेंशन (संशोधित) १९३२, को क्रियान्वित किया गया और जहाजों पर माल लादने और जहाजों से माल उतारने वाले मजदूरों की सुरक्षा के वास्ते भी इसमें उपयुक्त उपबन्धों का समावेश किया गया था ।

६. 'दी मार्किंग ग्राफ हैवी पैकेजिज एक्ट, १९५१ (नं० XXXIX, १९५१) कनवेंशन संख्या २७ को क्रियान्वित करता है । यह कानून इन बातों की अपेक्षा करता है कि भारी भार का बंडल भेजने वाला हरेक व्यक्ति जिसका कुल भार १,००० किलोग्राम या इससे अधिक हो और जिसको समुद्र द्वारा या अन्तर्वेशीय जल-मार्ग से भेजा जा रहा हो, उन पर साफ-साफ और पक्की तरह बंडल का कुल भार अंकित करें ।

सामुद्रिक मजदूरों या खलाशियों व मल्लाहों की अवस्था सुधारने के लिए जो बहुत से कानून भारत में बनाये गए हैं उनमें कनवेंशनो और सिफारिशों का प्रभाव स्पष्टरूप से देखा जा सकता है । न्यूनतम आयु (समुद्र) कनवेंशन १९२० को कुछ अपवादों के साथ सम्पुष्ट करने की सिफारिश २६ सितम्बर १९२१ को केन्द्रीय असेम्बली ने की थी । चूंकि नियम यह है कि कनवेंशनो को सम्पुष्टि अपूर्णरूप से नहीं की जा

सकती अतः भारत उसको सम्पुष्ट न कर सका, किन्तु १९३१ में इण्डियन मर्वेन्ट शिपिंग ऐक्ट, १९२३ (न० IX १९३१) में सशोधन किया गया, जिससे कनवेंशन की मुख्य बातें पूरी की जा सकें।

इन्हीं सशोधनों द्वारा न्यूनतम आयु (जहाजी कारिन्दे) कनवेंशन, १९२१ (स० १५) और तरुण व्यक्तियों की डाक्टरी परीक्षा (समुद्र) कनवेंशन, १९२१ में (स० १६) की बातों को पूरा किया गया और यह कनवेंशन १९२२ में सम्पुष्ट किया गया और १९३१ तक जहाजी मास्टरो और चिकित्सा के अधिकारियों को निर्देश देकर पूरा किया गया।

सामुद्रिक जन-नियुक्ति कनवेंशन १९२० पर केन्द्रीय असेम्बली ने सितम्बर १९२१ में विचार किया। यद्यपि धारा सभा ने कनवेंशन को सम्पुष्ट करने की सिफारिश नहीं की किन्तु सामुद्रिक जनों की भरती की प्रणालियों की जांच करने का सुझाव दिया था। १९२२ में "सीमेंट रिफ्रूटमेंट कमेटी" (समुद्रीजन भरती कमेटी) नियुक्त की गई और इस कमेटी ने समुद्री काम का व्यावहारिक अनुभव रखने वाले एक अधिकारी के अधीन रोजगार दिलाने वाला ब्यूरो (एम्प्लायमेंट ब्यूरो) स्थापित करने का सुझाव दिया। १९२६ में सरकार ने सिफारिशों के आधार पर आवेश जारी किये और इनके अधीन मुख्य मल्लाह (रेटिंग) जहाज मालिकों या जहाज के दफ्तरों द्वारा सीधे भरती किये गए। इन आवेशियों के चुनाव में दलाल कभी भी और किसी भी स्थिति में नियुक्त न किया जाना चाहिए। जब १९४६ (न० III, १९४६) में इस एक्ट में पुनः सशोधन किया गया, तब व्यापारिक जहाजों के वास्ते सामुद्रिक जन व मल्लाह या खलासी लोगों की भरती करने या उनको काम पर लगाने और सामान्य सामुद्रिक मजदूरों के नियमन एवं नियंत्रण के लिए बन्दरगाहों में "सीमेंट एम्प्लायमेंट आफिस" (समुद्रीजनो को रोजगार दिलाने का दफ्तर) खोलने की व्यवस्था की गई।

बेकारी हर्जाना (जहाज टूटने पर) कनवेशन १९२० (सं. ८) पर केन्द्रीय असेम्बली ने १९२१ में विचार किया और इसने सिफारिश की कि इस बात की जांच की जाय कि "दी इण्डियन सर्वेन्ट शिपिंग एक्ट" में क्या इस उद्देश्य से संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है कि जहाज टूटने या जहाज के लापता हो जाने पर सामुद्रिकजनों व मल्लाहों व खलासियों को एक मास का वेतन दिया जा सके। १९३१ में इस एक्ट में संशोधन किया गया और धारा सभा की उन सिफारिशों को कानून का रूप दिया गया।

असम्पुष्ट कनवेशन

भारत द्वारा जो कनवेशन सम्पुष्ट नहीं किये गए, उनमें से कुछ का सम्बन्ध अस्वायत्तशासी या अस्वाधीन देशों से है अतः उनको सम्पुष्ट करना भारत के लिए जरूरी नहीं। फिर कुछ कनवेशनों का सम्बन्ध कृषि से है। इनमें से अधिकांश को सम्पुष्ट करना सम्भव नहीं है; क्योंकि कनवेशनों के आधार पर बनाए कानूनों को क्रियान्वित करने में प्रशासन की विशाल और व्यापक समस्या का सामना करना पड़ता है। भारतीय गांवों की अपनी सामाजिक व्यवस्था और प्रणाली है, एक अपना आचार-व्यवहार और अपनी परम्परायें हैं और ये सदियों पुरानी हैं। इनको अल्पकाल में नहीं बदला जा सकता।

भारत धीरे-धीरे अपना व्यापारिक जहाजी बेडा तैयार कर रहा है और वह समय शीघ्र आने वाला है जब भारतीय सामुद्रिक व समुद्री-जन अपने राष्ट्रीय जहाजों पर काम करेंगे। अतः सामुद्रिकों से सम्बन्धित कनवेशनों को भारत द्वारा सम्पुष्ट करने में अभी कुछ और समय लगेगा।

कुछ ऐसे कनवेशन हैं जिनको भारत ने सम्पुष्ट तो नहीं किया है किन्तु उन्होंने भारतीय कानूनों को निश्चित रूप से प्रभावित किया है; ऊपर वर्णित से अलग, ये हैं :

स० ७ नूनतम आयु (समुद्र) कनवेंशन, १९२०

स० ८ बेकारी मुश्रावजा (जहाज टूटने पर) कनवेंशन, १९२५

सं० ९ सामुद्रिकों की नियुक्ति कनवेंशन, १९२०

सं० १३ सफेद सीसा (रग करना) कनवेंशन, १९२१

स० १७ मजदूरों को मुश्रावजा (दुर्घटना) कनवेंशन, १९२६

स० २३ सामुद्रिकों का प्रत्यागमन कनवेंशन, १९२६

यद्यपि भारत ने स्त्री प्रसूति सरक्षण से सम्बन्धित कनवेंशन को सम्पुष्ट नहीं किया, किन्तु भारत में बहुत समय से राज्य-श्राधार पर प्रसूति-सरक्षण का कानून मौजूद था। "दी एम्प्लोईज स्टेट इशुरेंस एक्ट १९४८" बीमारी, प्रसूति और रोजगार के जोखिम को पूरा करने के लिए है। लेकिन इस प्रकार का कानून धीरे-धीरे ही क्रियान्वित हो सकता है। यही कारण है कि जब भारत सामाजिक सुरक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली की दिशा में अग्रसर हो रहा है, उसके लिए उन वशाओं और शर्तों को पूरा करना सम्भव नहीं है जोकि इस शीर्षक के नीचे बहुत से कनवेंशनों को सम्पुष्ट करने के लिए आवश्यक हैं।

इस सम्बन्ध में एक और बात भी रसप्रद और दिलचस्प हो सकती है। एक खास कनवेंशन किन्हीं कारणों से सम्पुष्ट नहीं किया जा सकता किन्तु उसका मूल पाठ, कानूनों का मसविदा बनाते हुए मूल्यवान पथ-प्रदर्शन कर सकता है। भारत के श्रम कानून इसके उदाहरण हैं। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है, "दी एम्प्लोईज स्टेट इशुरेंस एक्ट १९४८।"

अध्याय १५

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कान्फ्रेंस में भारतीय

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कान्फ्रेंस और प्रशासन समिति (गवर्निंग बॉडी) की बैठकों में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने जो कार्य किया है, और जो अंशदान दिया है उसका वर्णन इस पुस्तक के एक अध्याय में करना सम्भव नहीं। कान्फ्रेंस में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल इसके प्रथम अधिवेशन से भाग ले रहा है, जो कि अक्टूबर-नवम्बर १९१९ में वाशिंगटन में हुआ था।

१९२७ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-कान्फ्रेंस ने श्री अनुल चटर्जी को अपना प्रेजीडेण्ट (सभापति) चुना और १९३२ में आप प्रशासन समिति के अध्यक्ष (चेयरमेन) चुने गए। भारत सरकार के श्रममन्त्री श्री जगजीवनराम कान्फ्रेंस के १९५० में प्रेजीडेण्ट (सभापति) चुने गए। इससे पहले १९४८-४९ के सत्र के वास्ते श्रम-मन्त्रालय के सेक्रेटरी श्री एत० लाल प्रशासन समिति (गवर्निंग बॉडी) के अध्यक्ष चुने गए।

कान्फ्रेंस और प्रशासन समिति की कार्यवाहियों में भारत सरकार के प्रतिनिधियों का अंशदान पर्याप्त और वास्तविक एव ठोस रहा है। भारत के कामयोजकों और मजदूर प्रतिनिधियों ने भी कान्फ्रेंस के विचार-विमर्श और वाद-विवाद में प्रमुखता से भाग लिया है और प्रशासन समिति की बैठकों में उल्लेखयोग्य भाग लिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंस में भारतीयों द्वारा अदा किया गया पार्ट उनके भाषणों के सार देकर अगले पन्नों में दिखाने का यत्न किया गया है।

कान्फ्रेंस के प्रारम्भिक अधिवेशन में चूँकि डाइरेक्टर-जनरल की रिपोर्ट पर बहस और वाद-विवाद होता है, अतः भाषणों के सार मुख्यतः इस वाद-विवाद के होंगे, जहाँ इससे भिन्न होगा सूचित कर दिया जायगा।

भाषणों के सार "रिकार्ड ऑफ प्रेसीडिंग्स" से लिए गये हैं। इसका प्रकाशन प्रतिवर्ष आई० एल० ओ० द्वारा किया जाता है। मैं यहाँ इतना और जोड़ना चाहता हूँ कि चूँकि यह पुस्तक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से लिखी गई है, अतः स्वाधीनता से पहले के काल के गैर-सरकारी भारतीय प्रवक्ताओं के विचारों को ही यहाँ उद्धृत किया गया है। इस के अतिरिक्त भी यहाँ केवल ठेठ और खास भारतीय विचार और दृष्टिकोण को ही उद्धृत किया गया है।

प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-कान्फ्रेंस में मजदूरों के प्रतिनिधि के नाते श्री एन० एम० जोशी उपस्थित हुए थे। सरकारी प्रतिनिधियों में श्री अतुल चटर्जी भी सम्मिलित थे। ब्रिटिश मजदूरों के प्रतिनिधि मिस वॉडफोल्ड ने न्यूनतम आयु (उद्योग) सम्बन्धी कन्वेंशन स० ५ के भारत से सम्बन्धित भाग के बारे में निम्न आशय का सशोधन पेश किया था—

“१२ साल से कम आयु के बच्चे काम पर न लगाए जाएँ—

(क) शक्ति (बिजली) से चलने वाले कारखानों में और जहाँ १० से अधिक व्यक्ति काम करते हों, (ख) खानों और पत्थर निकालने की खानों में, (ग) रेल रोड में, और (घ) डाँको पर।”

“इस सशोधन का सरकार और कामयोजकों के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा विरोध किया गया। श्री जोशी ने इस सशोधन का समर्थन किया और यहाँ उस भाषण का कुछ अंश उद्धृत किया गया है—

“हमारे फैक्टरी कानून के अनुसार, ६ साल से कम आयु के काम पर नहीं लगाये जा सकते, लेकिन ६ और १४ साल की आयु के बच्चे ६ घण्टों के लिए और कुछ हालतों में सात घण्टों के वास्ते काम पर लगाए जा सकते हैं। मेरे मित्र श्री चटर्जी ने इसको हल्का काम बताया

है। मुझे कान्फ्रेंस को यह स्मरण कराने की अनुमति दीजिए कि वयस्को के चाम्ते यह ८ घण्टे के दिन का कनवेंशन स्वीकार करने वाली है और आप से कहा गया है कि भारत में आव-हवा इतनी भिन्न है कि ६ साल के बच्चे ६ घण्टे और सात घण्टे भी काम कर सकते हैं और उसको हल्का काम समझना चाहिए।

“अब मैं आपसे संशोधन पर विचार करने की प्रार्थना करता हूँ। संशोधन यह है कि आयु की मर्यादा ६ से बढ़ाकर १२ कर दी जाय। हम इस समय यह मांग नहीं कर रहे कि १४ साल की आयु से कम आयु के बच्चों को काम पर लगाने से रोकने वाला सामान्य कनवेंशन भारत के साथ भी लागू हो। हम इसका एक बहुत साधारण और नरम प्रयोग चाहते हैं। हम आपसे यह मांग कर रहे हैं कि भारत के मजदूरों को अन्तिम लक्ष्य तक सीढ़ी-सीढ़ी पहुँचने दिया जाय और हम आपसे पहली सीढ़ी के रूप में यह प्रस्ताव कर रहे हैं, जैसा कि संशोधन में कहा गया है।

“इसके अतिरिक्त, हम आपसे यह मांग नहीं कर रहे, जैसा कि सामान्य कनवेंशन में मांग की गई है कि आयु-मर्यादा को लगभग सब उद्योगों के साथ लागू कर दिया जाय। हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि यह वय-मर्यादा केवल उन उद्योगों के वास्ते निश्चित की जाय जो कि किसी किस्म की यात्रिक-शक्ति से चलाए जाते हैं और जिनमें १० से कम व्यक्ति काम पर नहीं लगाये जाते। हम आपसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि यह वय-मर्यादा कुछ चुसंगठित उद्योगों के साथ भी लागू कीजिये, जैसे—रेलवे, खानों और डॉकों, जहाँ कि सरकारी इन्स्पेक्टरों द्वारा निरीक्षण करना बहुत सरल है।

“हम से कहा गया है कि यदि यह कान्फ्रेंस बच्चों की आयु-मर्यादा एक निश्चित श्रवधि के लिए ऊँची करने का एक निश्चित मुझाव देगी, तो सम्भव है भारत सरकार यह प्रस्ताव स्वीकार न करे, किन्तु मैं इस कान्फ्रेंस से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था को

अस्तित्व में बाने और मूर्तरूप देने में ब्रिटेन ने महत्वपूर्ण भाग लिया है, और मुझे पूरा निश्चय है कि भारत सरकार, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के प्रति उत्तरदायी है, इस कान्फ्रेंस द्वारा स्वीकृत कनवेंशन की ओर दुर्लक्ष्य न करेगी। चूंकि हमारा प्रस्ताव युक्तियुक्त और साधारण है, अतः हम विश्वास कर सकते हैं कि भारत सरकार का भुकाव इसको स्वीकार करने की ओर होगा।”

कान्फ्रेंस के तीसरे अधिवेशन में भी भारत के मजदूरों का प्रतिनिधित्व श्री जोशी ने किया था। खेतिहर मजदूरों के विषय में श्री जोशी ने भाषण देते हुए कहा—

“खेतिहर मजदूरों का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय आबादी का एक बड़ा भाग खेती पर निर्भर है। केवल इसी वजह से नहीं, वरन् इस कारण से भी मजदूरों की एक बड़ी सख्या टुनिया भर में खेती के काम में लगी हुई है और उसको भी फँक्टरियों, कल-कारखानों और वर्कशापों के मजदूरों के समान ही सरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए यह जरूरी है कि कान्फ्रेंस जैसे कारखानों के मजदूरों की दशा पर विचार करती है उसी प्रकार वह खेतिहर मजदूरों के काम की अवस्थाओं की जाच करे और उस पर विचार करे। इसके सिवाय खेती में भी, कुछ हालतों में काम सगठित आधार पर किया जाता है। कुछ ऐसी भी अवस्थाएँ हैं, जहाँ छोटे-छोटे मालिक हैं और वे केवल एक या दो नौकरों को ही रखते हैं, पर बड़े-बड़े बागान (प्लानटेशन) भी हैं जहाँ दसों और सैकड़ों की सख्या में नहीं बल्कि हजारों की सख्या में एक दल के रूप में काम पर लगाए जाते हैं। कम-से-कम इनके साथ उद्योग और मजदूरों के साथ लागू होने वाले नियम-उपनियम लागू करने में कोई कठिनाई न होगी। ये खेतिहर मजदूर पू जीपतियों द्वारा वैसे ही चूसे और शोषित किए जाते हैं, जैसे कि औद्योगिक मजदूर किए जाते हैं। यदि मुझे इजाजत दी जाय तो मैं कुछ शब्दों में बताना चाहता हूँ कि भारत में सगठित आधार पर क्या कृषि-कार्य किया जाता

है। भारत में चाय, काफी और रबड़ के बड़ी सख्या में बागान हैं और गन्ने के बागान भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इन बागानों में लोग बड़ी सख्या में और बड़े-बड़े समूहों और दलों में काम पर लगाए जाते हैं। इन बागानों के अधिकांश मालिक विदेशी हैं, लेकिन कुछ मालिक भारतीय भी हैं। बागानों पर काम करने के लिए दूर-दूर के जिलों से मजदूरों को बागानों पर भेजा जाता है और उनको मजदूरी बहुत कम दी जाती है। आप यह सुनकर आश्चर्य करेंगे कि उन बागानों में काम करने वाले मजदूरों का दैनिक १० २० नासिक से अधिक नहीं, या २ २० या १ २० ६ आना प्रति सप्ताह है। इन परिस्थितियों में, मैं समझता हूँ कि काफ्रेन्स को यह स्पष्ट हो गया होगा कि पू जीपतियों द्वारा खेतहिर मजदूरों का अन्य मजदूरों के ही समान शोषण होता है, और इन कारण से यह बहुत जरूरी है कि उनकी अवस्थाओं की जाच की जाय और बुराइयों को दूर करने के लिए उचित कार्रवाई की जाय। मुझे आशा है कि कांफ्रेन्स द्वारा इस प्रश्न पर वाद-विवाद और विचार किया जायगा।”

इसी अधिवेशन में श्री जोशी ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम दफ्तर के कर्मचारी मण्डल में भारतीय राष्ट्र के लोगों को नियुक्त करने की जोरदार माग की। “एशिया में और विशेषत भारत में”, आपने कहा, “हम चाहते हैं कि कुछ व्यक्ति हमारे अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर गान्दोलन में रस लें और हमारे कुछ लोग अन्तर्राष्ट्रीय भावना को ग्रहण करें। लेकिन मैं नहीं समझता कि वे वस्तुतः इसका लाभ उठा सकेंगे जब तक हमारे देश से कुछ सदस्य इस प्रकार के कर्मचारी-मण्डल में नियुक्त नहीं किए जाते।”

कांफ्रेन्स के ७वें अधिवेशन में जो १९२५ में हुआ भारत के मजदूरों का प्रतिनिधित्व श्री एन० एम० जोशी और दीवान चमनलाल ने किया।

ग्राम वहस में भाषण देते हुए श्री जोशी ने उपनिवेशों, सरक्षित राज्यों और शासनादिष्ट देशों में मजदूरों की दशा पर प्रकाश डाला। यह एक महत्वपूर्ण और उल्लेखयोग्य बात है कि १९२५ में भी भारतीय प्रवक्ता मजदूरों के पक्ष की सहायता के लिए न केवल भारत में वरन् समस्त अस्वाधीन एवं अस्वायत्तशासी प्रदेशों के लिये भी अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम का उपयोग कर रहे थे। श्री जोशी ने सुझाव दिया कि शासक सरकारों के प्रतिनिधि "वहाँ के मजदूरों की दशा से परिचय प्राप्त करने का यत्न करें। यदि इन उपनिवेशों से यहाँ प्रतिनिधि नहीं बुलाए जा सकते तो उनको चाहिए कि कम-से-कम वहाँ से परामर्शदाता अपने साथ यहाँ लाने के वास्ते कार्रवाई करें, अन्यथा उपनिवेशों के मजदूर दुःख उठाएँगे।" श्री जोशी ने यह भी सुझाव दिया कि "काफ्रेन्स उपनिवेशों, सरक्षित राज्यों और शासनादिष्ट प्रदेशों से सम्बन्धित प्रश्नों की जाच के लिए एक पृथक् कमिटी स्थापित करे।"

मजदूर प्रतिनिधियों के परामर्शदाता दीवान चमनलाल ने पूछा, "भारत में एक सम्वाददाता क्यों नहीं नियुक्त किया गया।" आपने काफ्रेन्स का ध्यान केनिया और भारत की देशी रियासतों में विद्यमान बेगार की ओर भी खींचा।

भारतीय मजदूरों का हित किस रूप में काफ्रेन्स के सामने आया यह इसी अधिवेशन में श्री जोशी द्वारा दिये गए भाषण के सार से ज्ञात होगा। मजदूरों को मुआवजा (दुर्घटनाओं) से सम्बन्धित कन-वेंशन में पेश किये गए सशोधन पर बोलते हुए श्री जोशी ने कहा—

"मेरे ही देश का हाल लीजिये। हमारे देश में 'वर्कमैन्ज कम्पेन-सेशन एक्ट' है, लेकिन यह आजतक एक बहुत छोटे वर्ग पर ही लागू होता है। कारखानों और खानों तथा बहुत छोटे उद्योगों के मजदूरों पर ही लागू होता है। जब मैं यहाँ आया तब मेरा ख्याल था कि हम एक ऐसा कनवेंशन बना रहे हैं, जिससे भारतीय मजदूरों को लाभ होगा। मेरा ख्याल था कि भारत के मजदूरों को मुआवजा देने के कानून में

सशोधन किया जायगा जिससे यह अधिक सख्यक लोगो पर लागू हो सके। लेकिन यदि आप यह अधिकार (जैसा कि आपने अनुच्छेद २ के उप पैरा (ए) में किया है) भारत सरकार को देना चाहते हैं कि वह मजदूरो को मुआवजा देने के कानून के लाभ से किसी वर्ग के लोगो को बाहर रख सकती है, तो मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि इस कनवेंशन से भारतीय मजदूरो को क्या लाभ होगा, यदि भारत सरकार इसको सम्पुष्ट भी करे। इसलिए मेरा विचार है कि काफ्रेंस को उप-पैरा (ए) को स्वीकार न करना चाहिए।”

इसी अधिवेशन में सामाजिक सुरक्षा की सामान्य समस्या सम्बन्धी प्रस्ताव का समर्थन करते हुए दीवान चमनलाल ने अपने ओजस्वी और जोरदार भाषण में महामारियो के कारण जो महाविपत्ति आती है उस का जिक्र किया और अपना भाषण समाप्त करते हुए कहा—

“मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार यह बात कहे कि वे १९२७ तक प्रतीक्षा न करेंगे, जो कि अवधि-प्रस्ताव में बताई गई है जब कि यह मामला पुनः कान्फ्रेंस के सामने आयगा, और वे इससे पहले ही सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में कानून बनाएँगे, जिससे भारत की हीन-हीन मजदूर जनता की अवस्था में सुधार हो। मैं चाहता हूँ कि वे इस बात को अनुभव करें कि गरीबो, विधवाओ और अनाथो की आर्त्त पुकार ऐसी पुकार है जिसका उन्हें ख्याल करना चाहिए, यदि वे अपने आपको भारत का ट्रस्टी समझते हैं। वैयक्तिक रूप से मैं समझता हूँ कि उनका अपने आपको भारत का ट्रस्टी समझना गलत है, लेकिन यदि वे ऐसा समझते हैं, तो उनको भूल से तड़प कर मर रही जनता, भारत की गरीब हीन-हीन जनता की आर्त्त पुकार सुननी चाहिए, और हमको इस बात का वे आश्वासन दें कि सामाजिक बीमा के सम्बन्ध में कानून वे इससे पहले ही पेश करेंगे और १९२७ तक की प्रतीक्षा न करेंगे।”

१९२६ में काफ़्रॉस के आठवें अधिवेशन में मजदूरों के प्रतिनिधि लाला लाजपतराय थे । रिपोर्ट के लिए डाइरेक्टर की प्रशंसा करते हुए आपने कहा—

“रिपोर्ट में बहुत उपयोगी और नया प्रकाश डालने वाली सामग्री है । जहा तक इस बात का सम्बन्ध है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ और जो कि बड़े महत्व की है, वह यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम दपतर को पूर्व और अफ्रीका तथा अमरीका की गैर-सफेद जातियों के मजदूरों की दशा की जाच करनी चाहिए । इस समय जैसी स्थिति है, वह यह है और वह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मानव जाति के लगभग एक अरब लोगों और शायद इससे भी अधिक का, प्रतिनिधित्व इस काफ़्रेन्स में एक दर्जन से भी कम लोगों द्वारा हुआ है—मेरा मतलब है भारत के दो प्रतिनिधियों और जापान के प्रतिनिधियों से ।”

आपके भाषण के और कुछ अंश इस प्रकार हैं—

“ इस काफ़्रॉस में हम जिस बात का प्रयत्न कर रहे हैं, वह यह है । अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को उत्पन्न करना, तथ्यों को प्रकाश में लाना और तमाम दुनिया का नैतिक चेतना और अन्तरात्मा को उन देशों पर जितना सम्भव हो उतना नैतिक प्रभाव डालने देना, जहां कि मजदूरों की अवस्था न अच्छी है न वाञ्छनीय है और न उचित है

। इस काफ़्रॉस का उद्देश्य है कि मंत्रोपूरण भावना से दुनिया भर के लोगों को एकत्र करे, विभिन्न देशों और विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों को एक प्लेटफार्म पर एकत्र करे, जिससे वे वैयक्तिक और सार्वजनिक रूप से परस्पर विचारों का विनिमय कर सकें और इस प्रकार लोकमत उत्पन्न करें जिसका बाद में विश्व के विभिन्न भागों में सर्वत्र लोगों पर प्रभाव पड़े ।

“पूर्व के मजदूर आपकी और सहयोग और सहानुभूति की आशा से देखते हैं । वे आपके काम में अपना सौहार्द, अपनी दोस्ती और अपना

सहयोग अर्पित करते हैं, और वे आपसे उसी प्रकार की सहयोग और सहानुभूति चाहते हैं। यह आपका काम है कि आप उनके दिये सहयोग को उसी भावना में स्वीकार करें जिसने वह दी गई है, मगर मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यदि आप भारत और अफ्रीका को गैर सफेद जातियों के हितों की सर्वथा उपेक्षा करेंगे, तो आप ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके अन्तिम परिणामों की कल्पना और उसका विचार कर ही मेरा हृदय कांप उठता है। आपको जहाँ तक सम्भव है सारा संसार अपने साथ लेकर चलना चाहिए और इसके किन्ती भाग को छोड़ना न चाहिए या किसी भी स्थान के मजदूरों की हालतें अनियमित और उपेक्षित एवं बिना विचारे न रहनी चाहिए। यह है मेरे आपके लिये आखिरी शब्द और यह मैं पूर्णतः मैत्री, शुभेच्छा और पूरी सहानुभूति के साथ कह रहा हूँ।”

दसवें अधिवेशन में श्री जी० टी० विडला और श्री वी० वी० गिरि कामयोजकों और मजदूरों के क्रमशः प्रतिनिधि थे। श्री विडला ने इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया कि सम्वाददाता (कारस्पोण्डेण्ट) की नई दिल्ली में नियुक्ति होनी चाहिये और आई० एल० ओ० का साहित्य हिन्दी में प्रकाशित होना चाहिए। श्री गिरि ने दो प्रस्ताव पेश किए और कांग्रेस ने उनको स्वीकार कर लिया। एक प्रस्ताव द्वारा प्रजासन समिति (गवर्निंग बॉडी) से अनुरोध किया गया था कि नेटिव (मूल निवासी) मजदूरों के विषय की विशेषज्ञों की कमेटी का ध्यान इस बात की ओर खींचा जाय कि श्रम-करार का भंग करने पर फौजदारी दण्ड दिया जाता है और कामयोजकों द्वारा अनुचित रूप से काम से अलग करने और नौकरी से बर्खास्त करने के विरुद्ध मजदूरों को संरक्षण मिलना चाहिये। दूसरे प्रस्ताव में उपनिवेशों और शासनादिष्ट प्रदेशों के लिए जिम्मेदार संस्था के सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था कि मजदूरों के प्रतिनिधियों में इन प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल करना वांछनीय है और विशेषतः उस समय जब कि

काफ़्रेस के कार्यक्रम में उनकी अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले विषय भी हों।

भारतीय कामयोजको के प्रतिनिधि श्री नरोत्तम मोरारजी ने काफ़्रेस के ११वें अधिवेशन (१९२८) में आई० एल० ओ० के डाइरेक्टर को भारत आने का निमन्त्रण दिया। आपने यह भी कहा कि भारतीय कामयोजक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था और भारत सरकार के साथ मजदूर-वर्ग की दशा सुधारने में पूर्णतः सहयोग करने के लिए सदा तैयार हूँ।

भारतीय मजदूरों के प्रतिनिधि दीवान चमनलाल ने अन्य बातों के साथ एक प्रस्ताव पेश किया था। जिसमें प्रशासन समिति से अनुरोध किया गया था कि वह औद्योगिक मजदूरों के घरों के प्रश्न और मजदूरों के साधारणतः जीवन विताने की अवस्था की इस दृष्टि से जांच करे जिससे इस विषय को काफ़्रेस के आगामी अधिवेशन के कार्यक्रम में स्थान दिया जा सके। प्रस्ताव को उपस्थित करते हुए दीवान चमनलाल ने अपने भाषण में कहा—

“जहाँ तक घरों की समस्याओं का सम्बन्ध है, वे सर्वप्रथम मजदूरों के जीवन के प्रतिमान को प्रभावित करती हैं, दूसरे काम की कार्यक्षमता को, और तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य को, क्योंकि यदि वे असन्तोषजनक और नागवार हुए, तो वे उन अवस्थाओं को उत्पन्न करते हैं, जो कि सम्पूर्ण विश्व के निवासियों के घास्ते खतरे के स्रोत हैं। अकेले भारत की ही हालत को लीजिए, भारत में आज वशा वस्तुतः अच्छी नहीं है, १८८० में जो अवस्था थी, उससे आज की दशा किसी कबर भी अच्छी नहीं। मेरे देखने में एक रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया है कि जैसी अस्वच्छ, गन्दी अवस्थाओं में भारतीय मजदूरों को भेड़-बकरियों के समान एक साथ रखा जाता है। उसकी अपेक्षा और बुरी अवस्था नहीं हो सकती। भारत में मजदूरों के रहने के घरों को हम पाँच वर्गों या श्रेणियों में बाँट सकते हैं—(१) एक कोठरी के लम्बी कतार में बने

घर, जैसे कि आपके यूरोप में हैं; एक कमरे का घर जिसमें सारा परिवार रहता है। इस सम्बन्ध में वम्बई के बारे में एक महिला (डा० वारनेस) की रिपोर्ट है। इस महिला ने लिखा है कि उसने वस्तुतः वम्बई में एक कमरा १५ × १० देखा, जिसके अन्दर ३० जन रह रहे थे, ये ६ विभिन्न परिवारों का प्रतिनिधित्व करते थे। इनमें तीन स्त्रियाँ भी थीं और उनका स्वास्थ्य अत्यन्त नाजुक स्थिति में था। इस महिला ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस प्रकार का उसने केवल एक ही घर नहीं देखा, वम्बई में ऐसे और बहुत सारे थे। दूसरे ढग के मकान हैं, बाँसों के ढाँचे पर बनाये घर। इन भोंपड़ियों में रहने वाले मजदूरों की वस्ती में कैंसी भयंकर, दयनीय एवं शोचनीय अवस्था होती होगी, इसकी आप सहज में कल्पना कर सकते हैं, और सदियों में, जहाँ बहुत अधिक ठण्ड पड़ती है, इनकी क्या हालत होती होगी, यह सहज में अनुमान किया जा सकता है। तीसरे वर्ग के घर हे टीन की चादरो से छाये हुए टिनशेड। चौथी तरह के हैं गारे-मिट्टी से बनी भोंपड़ियाँ और पाँचवाँ प्रकार है बैरको का, जहाँ चाय वागो जैसे उद्योगों में काम करने वाले लोग रहते हैं।

“वम्बई में हमने पता किया तो मालूम हुआ कि मजदूरों की आवादी की घनता प्रति एकड़ लगभग ७०० है, जब कि इसी शहर में भद्र लोगों के निवास-क्षेत्र में आवादी की घनता ७८५ प्रति एकड़ है। वम्बई में और हम यह पाते हैं कि मजदूर-वर्ग के परिवारों में से ६७ प्रतिशत परेल में एक कमरे के घरों में रहते हैं। रिपोर्टों के अनुसार इसके मुकाबले इंग्लैंड में मजदूर-वर्ग के परिवारों में से केवल ६ प्रतिशत लन्दन में एक कोठरी के घरों में रहता है। लन्दन में एक कमरे के घरों में रहने वालों की औसत ११०६४ प्रतिशत है। इसके मुकाबले भारत में बहुत अधिक है। “वाम्बे विल्डर” ने बताया था कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वम्बई में जो लोग काम करने आते हैं उनमें तीन में से दो घर वापस नहीं लौटते, बल्कि ज्वर या अन्य बीमारियों के शिकार

हो जाते हैं। जन-गणना की रिपोर्ट भी यही कहानी कहती है। १९११ की रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रतिघर की घनता ४९ है और १९२० की रिपोर्ट से पता चलता है कि आंकड़े ठीक उसी स्थान पर हैं, जहाँ पहले थे। फलतः शिशु-मृत्यु बड़ी भयानक सख्या में होती है, जैसा कि मैंने दूसरे दिन कहा था, यद्यपि सर अतुल चटर्जी समझते हैं कि मैं इस साल पुराने आंकड़े उद्धृत कर रहा हूँ, वे गलती पर हैं। मैं सबसे नई सरकारी रिपोर्ट से उद्धरण दे रहा हूँ जिसके लिए सरकार के अन्य अधिकारियों के समान वे भी जिम्मेदार हैं। १९१८ में प्रति हजार ७६७ बच्चे एक साल की आयु पूरी होने से पहले ही मर गए। हम देखते हैं कि एक कोठरी वाले घरों में मृत्यु सख्या सर्वाधिक है। १९२१ के आंकड़ों के अनुसार एक कमरे के घरों में प्रति हजार ८२८ मृत्यु सख्या थी, दो कमरों के घरों में प्रति हजार मृत्यु सख्या ३२२, तीन कमरे के घरों में १३८ मृत्यु सख्या थी। सड़कों पर मरने वालों की सख्या प्रति हजार ४८४ है और हस्पतालों में मरने वालों की सख्या १८९६ है। इससे भली भाँति प्रकट है कि भारत जैसे देश में पश्चिमी देशों के समान अच्छे घरों की समानता अत्यन्त जरूरी और तात्कालिक है।”

कान्फ्रेंस के वारहवें अधिवेशन के लिए भारत ने गैरसरकारी प्रतिनिधियों का एक बड़ा दल भेजा था, जिसमें कामयोजकों के प्रतिनिधि मण्डल के साथ तीन सलाहकार थे, और मजदूरों के प्रतिनिधि-मण्डल के साथ चार परामर्शदाता थे।

श्री जोशी ने अपने मुख्य भाषण में इस बात पर सन्तोष प्रकट किया कि डच ईस्ट इण्डोज और फ्रेंच अफ्रीका के प्रतिनिधिगण इस अधिवेशन में शामिल हुए हैं। फिर भी आपने पूर्व और उपनिवेशों की समस्या पर और अधिक ध्यान देने की अपील की। आपने कहा—

“जेनीवा वाद-विवाद और प्रेरणा के विकासशील और शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा काम की न्यायपूर्ण और मानवीय अवस्थाओं को स्थापित करने का पक्षपाती है। जेनीवा के लोगो, इसके आवेशों और इसके

तरीकों की पूरी तरह से सराहना करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि हाथ पर हाथ रखकर शान्त भाव से बैठे रहना उचित न होगा। हमें इस बात को न भूलना चाहिए कि बहुत सी सम्पुष्टियाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा है, अधिकतर बहुत कम महत्व की हैं, उनके कारण उन देशों के कानूनों में, जो कि उन सम्पुष्टियों के लिए जिम्मेदार हैं, गम्भीर परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं हुई। महत्वपूर्ण कनवेंशनों की सम्पुष्टि अपेक्षाकृत बहुत कम हुई है, और इस बात के बावजूद कि जेनीवा अपना प्रभाव लगभग दस साल से डाल रहा है, फिर भी काम की न्यायपूर्ण, उचित और मानवीय अवस्थाओं को स्थापित करने की दिशा में अभी बहुत काम करना शेष है। दुनिया के गैर यूरोपियन भागों में यह बात विशेष रूप से है। मेरे अपने देश में, मैं स्वीकार करता हूँ कि जेनीवा के प्रभाव से यह सर्वथा अच्छा नहीं रहा है, मजदूरों के काम और जीवन की अवस्थाएँ एक बड़ी सीमा तक वैसी ही हैं, जो पहले थीं, जैसा कि मृत्यु संख्या के प्रमाण, घरों की हालतों, शिक्षा की प्रगति, बेकारी और बुढ़ापे से बचाव करने के लिए साधनों के अभाव से सूचित होता है।”

मजदूरों के प्रतिनिधि मण्डल के सलाहकार श्री वी० शिव राव ने वेगार पर बोलते हुए भारत की देशी रियासतों में वेगार प्रथा की विद्यमानता का जिक्र करने के बाद इस सिलसिले में वागानों के मजदूरों की हालत की ओर कांग्रेस का ध्यान खींचा। आपने कहा :

“ब्रिटिश भारत के सम्बन्ध में एक और बात ध्यान देने योग्य है अर्थात् आसाम के चाय वागानों और दक्षिणी भारत के काफ़ी वागानों में मजदूरों की अवस्था। यह सच है कि कामयोजक अब करार का भंग करने पर दण्ड देने के लिए फौजदारी कानून की सहायता नहीं ले सकते; फिर भी यदि आप दो साल पहले भारत गए “ब्रिटिश ट्रेड यूनियन” के प्रतिनिधि मण्डल की रिपोर्ट पढ़ें, तो आप उसमें पाएँगे कि इन वागानों में बड़ी मात्रा में वेगारी प्रथा विद्यमान है, यद्यपि इसको

इस शब्द के ठीक-ठीक अर्थ में वेगारी नहीं कह सकते। इत्को आप वेगारी या स्वेच्छा श्रम कहेंगे, यदि एक बार वागानों में काम करने के लिए भरती होने पर वह यदि अन्यत्र उससे अच्छी जगह मिलने पर या अपने घर लौटने के लिए उस जगह को वह नहीं छोड़ सकता, बल्कि एक कोठरी के घरो में रहने के लिए इच्छा के विरुद्ध बाध्य किया जाता है, और एक-एक कमरे में ८ या १० और कभी इससे अधिक भी, स्त्री-पुरुष और बच्चे एक साथ ठूस दिये जाते हैं ? आसाम और दक्षिणी भारत के कुछ वागानों—दोनों जगह यह स्थिति है।”

चौदहवें अधिवेशन में मजदूरों के प्रतिनिधि श्री एस० सी० जोशी ने डाइरेक्टर की रिपोर्ट पर वाद-विवाद आरम्भ करते हुए कान्फ्रेंस को “समस्त पूर्व में जेनीवा स्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था के प्रति विद्यमान यह भावना कि यह एकमात्र यूरोपियन मामलो और यूरोपियन समस्याओं से सम्बन्ध रखती है” इस विश्वास से सूचित किया। आपने प्रस्ताव किया कि आई० एल० ओ० को एशिया में मजदूरों की स्थिति का पद्धतिपूर्ण अध्ययन करना चाहिए, जिसकी अपनी विचित्र समस्याएँ हैं। आपने अफ्रीका में औपनिवेशिक मजदूरों की शोचनीय स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया।

श्री एस० सी० जोशी ने एक इस आशय का प्रस्ताव भी पेश किया कि एशियाई देशों की एक परामर्शदातृ कान्फ्रेंस बुलाई जाय और यह इस अधिवेशन में स्वीकार भी हो गया।

१९३० के आरम्भ में भारत में स्वाधीनता का आन्दोलन बड़े प्रबल रूप में चला था। इसकी गूँज १९३१ में काफ्रेंस के पन्द्रहवें अधिवेशन में सुनाई दी। कामयोजकों के प्रतिनिधि श्री बालचन्द्र हीराचन्द्र ने भारतीय जनता के अहिंसात्मक सग्राम का विवरण देते हुए घोषित किया —

“एक बात निश्चित है और यह है कि विश्व का कोई भी सैनिक शक्ति, चाहे वह कितनी ही महान क्यों न हो, उस भावना को नहीं

कुचल सकती, जो कि इस समय भारतीय जनता को अनुप्राणित कर रही है। इस विप्लव में, जब कि भारतीय लोगो ने हमेशा के अपनने साधारण उद्योगो का परित्याग कर दिया, उनके दिल और दिमाग में केवल एक विचार था और वह सर्वतोपरि था कि उन अवस्थाओं से पहले अपने आपको मुक्त किया जाय जिन्होंने उनके जीवन-रक्त को चूस लिया है, और अन्य सब बातों को फिलहाल ताक पर रखा जाय।”

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्या के प्रति भारतीय रवैये के बारे में श्री वालचन्द ने कहा कि “भारत कान्फ्रेंस के क्रियाकलापों का समर्थक है, यह इस बात से प्रमाणित है कि भारत ने एक बड़ी संख्या में कनवेंशनों को सम्पुष्ट किया है। ग्यारह सम्पुष्टियाँ आप मानेंगे कि भारत जैसे देश के लिए एक बहुत अच्छा रिकार्ड है। इस पर विचार करते हुए यह भी ध्यान में रखिये कि यद्यपि देश की औद्योगिक सम्भावनाएँ महान हैं लेकिन इसका औद्योगिक विकास अभी शंशवावस्था में है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य यूरोपियन देशों में जैसी औद्योगिक स्थिति है, वैसी भारत में नहीं पाई जाती। बहुत से अत्यधिक औद्योगिक देशों की तुलना में भारत की सम्पुष्टियों के रिकार्डों को उसकी वास्तविक आवश्यकता से अपेक्षाकृत आगे बढ़ा हुआ समझना चाहिए। तथ्य यह है कि ब्रिटिश साम्राज्य में ग्रेट ब्रिटेन के बाद, जिसने १७ कनवेंशनों की सम्पुष्टि की है, भारत का स्थान है और इसने ११ कनवेंशनों को सम्पुष्ट किया है, जब कि कनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका इसमें बहुत पीछे हैं, इन्होंने क्रमशः ४, ३ और २ कनवेंशनों को सम्पुष्ट किया है। यूरोपियन देशों से भी तुलना करने पर मालूम होगा कि कनवेंशनों को सम्पुष्ट करने की सूची में चार देश भारत से नीचे हैं। कनवेंशनों की सम्पुष्टि करने में कुल दस देश भारत से पीछे हैं। ब्रिटिश डोमिनियनों में यूरोपियन मजदूरों की जैसी अवस्था है, और यह वस्तुतः उचित सन्तोष की बात है कि भारत से उनकी तुलना में अंक ३०० प्रतिशत अधिक है।” आपने इस बात का भी उल्लेख किया कि कान्फ्रेंस

में यूरोपियनों के मत का प्राधान्य है और अनुरोध किया कि "हमारी खास अवस्थाएँ और हमारे हितों की मात्रा अपेक्षा करती है कि इस कान्फ्रेंस की नीति-निर्धारण और नीति-निर्माण के पथ-प्रदर्शन में हमको उचित भाग मिले।"

भारतीय मजदूरों के प्रतिनिधि श्री आर० आर० बखले ने एशियाई देशों में असन्तोष के रहने के दो कारणों को बताते हुए कहा "(१) काम करने की हालतों को सुधारने और जीवन का प्रतिमान ऊँचा करने की दिशा में सामाजिक प्रगति के आगे बढ़ने में विफलता, और (२) यदि मुझे कहने दिया जाय, तो मैं कहूँगा कि 'सस्था' एशियायी देशों के उचित दावों को सन्तुष्ट करने में विफल रही है। उसने 'सस्था' के वास्तविक कार्यों और इसकी मैशीनरी के चलाने में उनको अधिकाधिक योग देने का अवसर नहीं दिया।" आपने आई० एल० ओ० में भारी परिवर्तन करने के लिए कहा और इस बात की माँग की कि प्रशासन समिति (गवर्निंग बॉडी) में भारतीय मजदूरों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

सौलहवें अधिवेशन (१९३२) में कामयोजकों के प्रतिनिधि श्री षम्मुखम् चेट्टी ने डाइरेक्टर की रिपोर्ट पर भाषण देते हुए अपने भाषण में कहा—

"मैं कहना चाहता हूँ कि यदि 'सस्था' को अधिकतम उपयोगिता पर पहुँचना है, तो इस बात का समय आ गया है, जब इसको अपने सामने आई समस्याओं का गैर यूरोपियन देशों में विद्यमान खास तरह की सामाजिक और आर्थिक अवस्थाओं को ध्यान में रखकर अध्ययन करना चाहिए। मैं डाइरेक्टर को सुझाव देना चाहता हूँ कि इस दृष्टिकोण से समस्या को अध्ययन करने की भूमिका के रूप में वे 'दफ्तर' से कह सकते हैं कि वह अब तक जितने कन्वेंशन स्वीकार किये गए हैं उनकी पुनः परीक्षा करे और यह परीक्षा इस दृष्टि से करे कि कोई खास कन्वेंशन एशियाई देशों द्वारा क्यों नहीं सम्पुष्ट किया गया। हमसे

कहा गया है कि एक खास कन्वेंशन भारत, चीन या जापान में सम्पुष्ट नहीं किया जा सकता, किन्तु में पूछता हूँ : क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संस्था ने अभी तक समस्या की गहराई तक जाने का कष्ट किया है और यह कोशिश की है कि एशियायी देशों की क्या खास समस्याएँ और क्या विशेष अवस्थाएँ हैं ? तथ्य यह है कि समस्या का यह पहलू डिप्टी डाइरेक्टर के मन में था, जब वे १९३० में हुए कान्फ्रेंस के अधिवेशन की अन्तिम बैठक में भाषण दे रहे थे । आपने 'संस्था' के भविष्य के बारे में उत्पन्न मूल समस्याओं का उल्लेख किया था और उन समस्याओं पर बोलते हुए कहा था कि सार्वभौमता से मेल रख यगा और इसके साथ ही विशिष्ट देशों के खास हितों की उपेक्षा भी न की जाय । आपने यह भी कहा था कि एक समस्या यह है कि वह ठीक भाग ढूँढा जाय जिससे संविधान में पर्याप्त लचकीलापन आ जाय जिससे यह 'संस्था' खास-खास हितों से सम्बन्धित समस्याओं को हल कर सके, इसके साथ ही 'संस्था' के ग्राम ढाँचे के अन्दर ही यह काम होता रहे । डिप्टी डाइरेक्टर ने कहा था कि आज में समस्या के जिस रूप को पेश कर रहा हूँ उसके बारे में कोई मतभेद नहीं है । डिप्टी डाइरेक्टर ने खास-खास देशों के विशेष हितों की सार्वभौमता के मिलाने की बात कही, लेकिन में कहना चाहता हूँ कि इस मामले में वस्तुतः कोई रगड नहीं है । आखिरकार इस 'संस्था' का उद्देश्य तो यही है कि सारे संसार के मजदूर वर्गों की हालतों में समानता लाई जाय, और इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है कि राष्ट्रीय कानूनों में एकरूपता हो । में आशा करता हूँ यदि में यह कहने का साहस करूँ तो डाइरेक्टर मुझे क्षमा करेंगे कि सार्वभौमता के उद्देश्य में अब तक उन्होंने समस्त विश्व में काम करने की अवस्थाओं में सार्वभौमता स्थापित करने के मूल लक्ष्य को गौरव बना रखा है । में मानता हूँ कि इसका एक साधन कानूनों में एकरूपता होना है, किन्तु यह एक साधन है, और यदि इसके विपरीत यह सिद्ध किया जा सके कि कानून की विभिन्नता के द्वारा अधिक अच्छी सामाजिक अवस्था की

में यूरोपियनो के मत का प्राधान्य है और अनुरोध किया कि "हमारी खास अवस्थाएँ और हमारे हितों की मात्रा अपेक्षा करती है कि इस कान्फ्रेंस की नीति-निर्धारण और नीति-निर्माण के पथ-प्रदर्शन में हमको उचित भाग मिले।"

भारतीय मजदूरों के प्रतिनिधि श्री आर० आर० बखले ने एशियाई देशों में असन्तोष के रहने के दो कारणों को बताते हुए कहा "(१) काम करने की हालतों को सुधारने और जीवन का प्रतिमान ऊँचा करने की दिशा में सामाजिक प्रगति के आगे बढ़ने में विफलता, और (२) यदि मुझे कहने दिया जाय, तो मैं कहूँगा कि 'सस्था' एशियायी देशों के उचित दावों को सन्तुष्ट करने में विफल रही है। उसने 'सस्था' के वास्तविक कार्यों और इसकी मंशीनरी के चलाने में उनको अधिकाधिक योग देने का अवसर नहीं दिया।" आपने आई० एल० ओ० में भारी परिवर्तन करने के लिए कहा और इस बात की माँग की कि प्रशासन समिति (गवर्निंग बॉडी) में भारतीय मजदूरों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

सोलहवें अधिवेशन (१९३२) में कामयोजकों के प्रतिनिधि श्री षण्मुखम् चेट्टी ने डाइरेक्टर की रिपोर्ट पर भाषण देते हुए अपने भाषण में कहा—

"मैं कहना चाहता हूँ कि यदि 'सस्था' को अधिकतम उपयोगिता पर पहुँचना है, तो इस बात का समय आ गया है, जब इसको अपने सामने आई समस्याओं का गैर यूरोपियन देशों में विद्यमान खास तरह की सामाजिक और आर्थिक अवस्थाओं को ध्यान में रखकर अध्ययन करना चाहिए। मैं डाइरेक्टर को सुझाव देना चाहता हूँ कि इस दृष्टिकोण से समस्या को अध्ययन करने की भूमिका के रूप में वे 'दफ्तर' से कह सकते हैं कि वह अब तक जितने कनवेंशन स्वीकार किये गए हैं उनकी पुनः परीक्षा करे और यह परीक्षा इस दृष्टि से करे कि कोई खास कनवेंशन एशियाई देशों द्वारा क्यों नहीं सम्पुष्ट किया गया। हमसे

कहा गया है कि एक खास कन्वेंशन भारत, चीन या जापान में सम्पुष्ट नहीं किया जा सकता, किन्तु मैं पूछता हूँ : क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संस्था ने अभी तक समस्या की गहराई तक जाने का कष्ट किया है और यह कोशिश की है कि एशियायी देशों की क्या खास समस्याएँ और क्या विशेष अवस्थाएँ हैं ? तथ्य यह है कि समस्या का यह पहलू डिप्टी डाइरेक्टर के मन में था, जब वे १९३० में हुए कान्फ्रेंस के अधिवेशन की अन्तिम बैठक में भाषण दे रहे थे । आपने 'संस्था' के भविष्य के बारे में उत्पन्न मूल समस्याओं का उल्लेख किया था और उन समस्याओं पर बोलते हुए कहा था कि सार्वभौमता से मेल रख यगा और इसके साथ ही विशिष्ट देशों के खास हितों की उपेक्षा भी न की जाय । आपने यह भी कहा था कि एक समस्या यह है कि वह ठीक भागें बँटा जाय जिससे सविधान में पर्याप्त लचकोलापन आ जाय जिससे यह 'संस्था' खास-खास हितों से सम्बन्धित समस्याओं को हल कर सके, इसके साथ ही 'संस्था' के आम ढाँचे के अन्दर ही यह काम होता रहे । डिप्टी डाइरेक्टर ने कहा था कि आज मैं समस्या के जिस रूप को पेश कर रहा हूँ उसके बारे में कोई मतभेद नहीं है । डिप्टी डाइरेक्टर ने खास-खास देशों के विशेष हितों को सार्वभौमता के मिलाने की बात कही, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इस मामले में वस्तुतः कोई रगड़ नहीं है । आखिरकार इस 'संस्था' का उद्देश्य तो यही है कि सारे संसार के मजदूर वर्गों की हालतों में समानता लाई जाय, और इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है कि राष्ट्रीय कानूनों में एकरूपता हो । मैं आशा करता हूँ यदि मैं यह कहने का साहस करूँ तो डाइरेक्टर मुझे क्षमा करेंगे कि सार्वभौमता के उल्लाह में अब तक उन्होंने समस्त विश्व में काम करने की अवस्थाओं में सार्वभौमता स्थापित करने के मूल लक्ष्य को गौरव बना रखा है । मैं मानता हूँ कि इसका एक साधन कानूनों में एकरूपता होना है, किन्तु यह एक साधन है, और यदि इसके विपरीत यह सिद्ध किया जा सके कि कानून की विभिन्नता के द्वारा अधिक अच्छी सामाजिक अवस्था की

सावभोमता आप प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना उद्देश्य आज की श्रमपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से सिद्ध कर सकेंगे।”

मजदूरों के प्रतिनिधि दीवान चमनलाल ने वहस में भाग लेते हुए कहा कि उनके विचार में भारत द्वारा सम्पुष्ट किए गए कनवेंशन महत्व के नहीं हैं। बेकारी की समस्या पर बोलते हुए, जो कि उम समय अत्यन्त उग्र थी, दीवान चमनलाल ने कहा

“देश की आज की आर्थिक अवस्था को ही लीजिए, एक-एक उद्योग देखिए। जब आप यूरोप में बेकारी की बात करते हैं, तब मैं साहस के साथ कहना चाहता हूँ कि यदि आज मेरे देश में विद्यमान बेकारी की गणना की जाय, तो इसके सामने सम्पूर्ण यूरोप के बेकारों की प्रकट की गई सख्या फीकी पड जायगी। न केवल अभिनवीनीकरण की योजना ने बेकारी बढ़ाई है, न केवल छटनी की योजनाओं ने बड़ी सख्या में लोगों को बेकार कर दिया है, जो न गरीब कानून (पूअर ला) का सहारा ले सकते हैं और न वे बेकारी बीमा की और सहायता पाने की दृष्टि से देख सकते हैं, किन्तु यह आर्थिक संकट जो विश्व-व्यापी है, भारत के लिए विशेष महत्व रखता है, और इसका परिणाम यह हुआ है कि आज भारत, जो साधारणतः दरिद्रता प्रस्त देश है, जहाँ तक मजदूर वर्ग का सम्बन्ध है निराश हो गया है, क्योंकि मजदूर वर्ग के भारत में जो भाग्यविधाता हैं उन्होंने मजदूरों द्वारा समय-समय पर की गई मांग को अननुनी कर दिया है, मानवता के लिए जिनके हृदय में दर्द है, प्रेम है, उनकी बात पर भी इन लोगों ने कान नहीं दिया है और बेकारी का जो भयकर परिणाम किसी देश में होता है उससे उसको बचाने के लिए कुछ-न-कुछ किया जाना चाहिए।”

इसी भाषण में अन्यत्र “फिलेडेल्फिया चार्टर” का जिसको काफ़्रेस ने १९४४ में स्वीकार किया। पूर्वाभास मिलता है। वक्ता ने कहा था “यदि आप अपनी हालत सुधारना चाहते हैं, तो आप अन्य देशों की

अवस्था का ख्याल छोड़ नहीं सकते।" तुलना कीजिए "किसी भी स्यान की गरीबी हरेक स्यान की समृद्धि के लिए खतरा है।"

कांग्रेस के अठारहवें अधिवेशन १९३४ के प्रतिनिधि मण्डल में कामयोजकों के प्रतिनिधि श्री कस्तूरभाई लालभाई और मजदूरों के प्रतिनिधि श्री जमनादास मेहता थे। काम के घण्टों के प्रस्ताव पर भाषण देते हुए श्री कस्तूरभाई ने कहा कि "जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है इससे कुछ लाभ न होगा", और इस बात पर जोर दिया कि इस प्रकार के कानूनों का प्रयोग सार्वभौम रूप से नहीं किया जा सकता। श्री कस्तूरभाई के पक्ष का श्री मेहता ने जिस रीति से खण्डन किया वह आज भी दिलचस्पी से खाली नहीं है जैसा कि नीचे भाषण के दिए अंशों से प्रकट है।

"भारत में काम के घण्टों को घटाने का सदा फल यह हुआ है कि सम्बन्धित उद्योग फूला-फला है, क्योंकि ऐसा करने से मजदूरों को अधिक आराम मिला और अधिक सुख मिला। अभी पच्चीस साल पहले फॅक्ट-रियों में काम के घंटे १३ से १५ थे। उस समय में कालेज का एक छात्र था। मुझे समरण है कि जब काम के घंटे घटाने की चर्चा छिड़ी तो हमारे कामयोजक भय से आकाश की ओर देखने लगे मानो अचानक बिना वादलों के बज् गिरने वाला है। उन्होंने सोचा सब कुछ का अन्त होने वाला है, और तीन साल के अन्दर ही काम के घंटे १३-१५ से घटा कर १२ कर दिये गए। आज इससे कुछ कम है। रोजगार, काम, उत्पादन और उद्योग की समृद्धि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? मैं वस्त्र उद्योग के ग्राहक ले रहा हूँ जिसके साथ कि कामयोजकों के प्रतिनिधि का सम्बन्ध है और जिसके कि वे मुझे पूरा विश्वास है एक महान् विशेषज्ञ हैं। कांग्रेस की जानकारी के लिए मैं जो तथ्य बयान कर रहा हूँ उनसे वे इन्कार न करेंगे।

"जब भारत में एक दिन में एक मजदूर १४ घंटे काम करता था, तो भारत में केवल २२५ कपड़े की मिलें और केवल ७०००० करघे थे

और हम ६००० लाख गज से अधिक कपडा तैयार नहीं करते थे । जब हमने काम के घण्टे घटा कर १४ से १२ कर दिए, तो तीन या चार वर्षों के अन्दर मिलो की सख्या बढ गई, करघो की सख्या ८७,००० हो गई और सर्वतोपरि हमारे कपडे का उत्पादन ६००० लाख गज से बढ कर १,१३६० लाख गज हो गया । १० घंटे का दिन चालू होने के बाद हमारे मिलो की सख्या ३१० हो गई है । करघे १७१,००० और कपडे का उत्पादन ३०००० लाख गज हो गया है । इस पर भी श्री फस्तूरभाई कहते हैं कि काम के घंटे घटाने से उत्पादन घट जायगा और यह कमी ३०० प्रतिशत तक होगी, काम के घंटे १४ से १० कर देने का परिणाम यह होगा, इसलिए कम घंटे काम करने का सारा अनुभव फार्मोस के सामने प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष में है ।”

बदलते पूर्व के सम्बन्ध में श्री फस्तूरभाई ने कहा—

“सम्भवत दीस साल पहले कुछ शक्तिया थीं, जो आर्थिक दृष्टि से सर्वत्र स्वामिनी थीं और शोष उनकी छत्रछाया में रहती थीं । उस समय सम्भव है यह सच हो, ऐसा ही होता हो कि आर्थिक जमाने की सब महत्वपूर्ण घटनाएँ बडे राष्ट्रो की सीमा के अन्दर उठतीं और फिर बँठ जाती हो, जब कि दुनिया के अन्य देश निष्क्रिय तत्त्व थे, उनके ऊपर से जो आर्थिक लहरें गुजरती थीं उन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था । लेकिन आज स्थिति बदल गई है । इस काम के अतिरिक्त आर्थिक सघटन आज बहुत पेचीवा हो गया है और कोई भी देश केवल अपने ही ख्याल से नहीं सोच सकता । पूर्वीय देशों का विश्व के घटनाचक्र पर प्रभाव अधिकाधिक मात्रा में अनुभव किया जाने लगा है ।

“उन्होंने न केवल सफलतापूर्वक पश्चिमी सघटन का रूप अपना लिया है बल्कि स्थानीय भावना और परम्परा के साथ कुछ हालतों में समरसता भी उत्पन्न कर ली है और आज वे अपना पृथक आर्थिक सघटन कायम करने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, जो शायद पश्चिम के ऐसे सघटनों को भी पार कर जाय ।

“बढ़ते एवं प्रवृद्ध आर्थिक राष्ट्रवाद में शक्तिशाली होने से उन्होंने आन्दोलनों को जन्म दिया, जिन्होंने शक्तिशाली राष्ट्रों को भी भयभीत कर दिया। अपनी आर्थिक शक्ति का अभिमान होने से, उन्होंने अपना मस्तक ऊंचा रखा और हाल की भारत-जापान सन्धि-चर्चा से जैसा मालूम होता है वे ऐसी कार्रवाई करने वाले हैं, जिसकी दुनिया के देश उपेक्षा न कर सकेंगे। बड़ी संख्या की आबादी और आर्थिक सम्पत्ति से समृद्ध इन देशों में ही केवल भविष्य के पुनरुत्थान की सम्भावना निर्भर है, जब कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है। इसलिए स्पष्ट है यद्यपि यह रिपोर्ट दुनिया की आर्थिक सर्वे के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। फिर भी पूर्वी देशों को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए था।”

उन्नीसवें अधिवेशन (१९३५) में भारतीय मजदूरों के प्रतिनिधि श्री वी० एस० रामस्वामी मुदलियार थे। आपने देश से बाहर भेजे जाने के लिए भरती किए जाने वाले मजदूरों के वास्ते किन शर्तों का पालन करना आवश्यक है, इस सम्बन्धी कन्वेंशन के एक खण्ड में आपने एक सशोधन पेश किया था। आपने प्रस्ताव किया कि इसमें इस बात का एक उपबन्ध रखा जाय कि सम्पत्ति, मताधिकार, समान कानूनी स्थिति, विभेदात्मक कानूनों से रक्षा ये सब इस प्रकार के मजदूरों को प्रव्रजन देश में प्राप्त हों। अपने सशोधन को पेश करते हुए आपने कहा :

“विदेशों में गए भारतीय राष्ट्रियता के लोगो की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यद्यपि हमने यह सब काम किया है, यद्यपि हमारे मजदूर भरती किए गए और लेजाए गए लेकिन वे जिन कानूनी अयोग्यताओं के नीचे काम करते हैं वे बहुत हैं और ऐसी हैं कि उनको प्रारम्भिक अधिकार दिलाने के लिए ही बहुत सी कान्फ्रॉमों को करना और डेपुटेशनों को भेजना आवश्यक समझा गया। केवल कुछ साल पहले ही मेरे देश से एक प्रतिनिधि मण्डल दक्षिण अफ्रीका में वसे भारतीयों को कानूनी स्थिति का निश्चय करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गया था।

इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक के बाद दूसरे देश में इस प्रकार की खेदजनक और शोचनीय स्थिति उत्पन्न होती है, यह कारण है जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ एक भारतीय के नाते इतना अधिक नहीं आया जितना कि भरती किए गए मजदूरों का पक्ष रखने के विचार से यहाँ आया हूँ, क्योंकि वे बेजवान हैं, मूक हैं और असंगठित हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है दो मूल प्रारम्भिक और मानव-अधिकार मेरी राय में उचित वर्तव पाने का अधिकार और न्यायालय के समान उचित मुकदमा, ये प्रतीत होते हैं।”

श्री हुसैनभाई ए लालजी ने भारतीय कामयोजकों के प्रतिनिधि के नाते इस सशोधन का समर्थन किया, और कहा—

“मेरे ख्याल से, इस सशोधन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है, जो कि न्यायालय के सम्मुख मुकदमे में समान कानूनी दर्जा देता है। यदि ‘न्याय’ (जस्टिस) शब्द का अर्थ उचित वर्तव और समानता है, तो मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि हमारी सभ्यता से सम्बन्ध रखने वाला व्यक्ति यह बात स्वीकार न करे कि न्यायालय के सामने मनुष्य और मनुष्य के बीच भेद करना भारी भूल है और एक भारी गलती है। यदि मैं किसी अपराध का अपराधी हूँ और श्रीमन् ! आप भी उसी कसूर के मेरे ही समान कसूरवार हैं, अगर मुझे ६ मास की कैद की सजा दी जाती है और आपको केवल चेतावनी दी जाती है, तो क्या यह न्याय कहा जायगा ? क्या यह वह न्याय होगा जिसका हम यहाँ समर्थन कर रहे हैं ? मैं इससे इनकार करता हूँ।”

श्री रामस्वामी मुदलियार ने इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें प्रशासन समिति (गवर्निंग बॉडी) से अनुरोध किया गया था कि वह “अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था के सम्बद्ध सब्दों से एक परामर्शदातृ कॉन्फ्रेंस उचित रूप से जल्दी बुलाने की वांछनीयता पर विचार करने के लिये से परामर्श करें। इस कॉन्फ्रेंस में संगठित काम-योजकों और मजदूरों के प्रतिनिधि हों और यह पूर्व में मजदूरों को

प्रभावित करने वाली खास बातों पर विचार करे जिनको कि प्रशासन-समिति उचित समझे, और उस पर यह अपनी रिपोर्ट प्रशासन समिति को दे।”

कान्फ्रेंस के बीसवें अधिवेशन (१९३६) ने भारतीय मजदूरों के प्रतिनिधि श्री आर० डब्ल्यू० फूले द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकार किया। यह प्रस्ताव विभिन्न देशों में औद्योगिक विकास के लिए द्रुत जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में था। आपने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा : “इस संस्था का उद्देश्य सामाजिक न्याय के आधार पर सार्वभौम शान्ति स्थापित करना है, अतः यह स्वाभाविक है कि ‘संस्था’ और यहाँ उपस्थित हम सब दुनिया के मजदूरों के जीवन-निर्वाह के प्रतिमान को ऊँचा करने का प्रयत्न करें। इस बात से कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं करेगा कि पूर्वोक्त और नव विकसित देशों में श्रमिक मजदूरों का जीवन-प्रतिमान बहुत नीचा है जो कि उसकी कार्यक्षमता को नष्ट करता है और जो कि तैयार माल को खपत करने की उसकी क्षमता को घटाता है। मजदूरों के जीवन-प्रतिमान में जरा भी वृद्धि होने से निस्सन्देह वस्तुओं का उपभोग करने की उसकी क्षमता को बढ़ायगा और इस प्रकार वेकारी को घटाने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त उच्चतर जीवन-प्रतिमान होने का एक दूरगामी फल यह होगा कि अत्यधिक आवादी, सम्पुष्ट भोजन और जीवन की आस्वस्थ्यकर अवस्थाओं का दूरा प्रभाव दूर हो जायगा।”

भारतीय कामयोगियों के प्रतिनिधि श्री होमी मेहता ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

कान्फ्रेंस के तेइसवें अधिवेशन (१९३७) में डाइरेक्टर की रिपोर्ट पर हुई बहस में अपने देश और पूर्व पर इस विषय पर बोलते हुए श्री एच० पी० मोदी ने कहा :

“मेरी यह शिकायत रही है, केवल इस कान्फ्रेंस में ही नहीं, बल्कि इन सारे सालों में कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संस्था पूर्वोक्त देशों को बहुत कम महत्व

देती है और अपनी शक्तियाँ उसने बहुत कुछ पश्चिमी देशों पर केन्द्रित कर रखी हैं। मैं श्रमशास्त्र का एक विद्यार्थी होने का प्रयास करता हूँ और ससार के सब भागों से विभिन्न सस्थाओं द्वारा प्रकाशित बहुत-सी सर्वे की रिपोर्टों का अवलोकन करता हूँ। उनमें यह पाता हूँ कि पश्चिमी देश क्या कर रहे हैं, पश्चिमी देश क्या करने में विफल रहे हैं, और कहीं-कहीं आकस्मिक रूप से पूर्वी देशों का जिक्र पाता हूँ। हमारे देश में किसानों करने वाली बड़ी आवादी है, जो ऋण-ग्रस्त है। यह कर्ज १,०००,०००,००० स्टर्लिंग आका गया है। असिंचित इलाके की जमीन कमजोर है और जब यह हालत ३००,०००,००० लोगों की है, जो कि विश्व में उपभोक्ता माल का सबसे अधिक खपत करने वालों में से हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अब इस बात का समय आ गया है कि हम उस स्थिति की ओर ध्यान दें जिसमें वे रहते हैं। क्या यह कुछ आश्चर्यजनक है, जोकि मने खेती की अवस्था के बारे में ऊपर कहा है, उसको ध्यान में रखते हुए कि एक भारतीय की वार्षिक आय केवल ६ पौंड है, जबकि एक जापानी की इससे चौगुनी, फ्रान्स में आठ गुनी और ब्रिटेन में बारह गुनी है। उत्पादन और राष्ट्रीय बचत के आकड़े भी शोचनीय हैं। यह हालत होते हुए मेरे देश के उद्योगपति और इस स्थिति पर विचार करने वाले सब लोग एक राय के हैं कि भारत की मुख्य आवश्यकता औद्योगिकीकरण की है और पिछले सालों में जिस भाँति यह हुआ है उससे कहीं और अधिक तेजी से यह होना चाहिए। हमारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या कृषि और उद्योग के बीच सन्तुलन स्थापित करने की है।”

मजदूरों के प्रतिनिधि श्री सतीशचन्द्र सेन ने इस बात पर जोर दिया कि “अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था को एशिया का गहरा ज्ञान होना चाहिए, उस महादेश की विशेष समस्याओं और उसकी कठिनाइयों का अध्ययन करना चाहिए और भारत जैसे प्रदेशों के मामलों को इसको अपनी विशेष चिन्ता का विषय बनाना चाहिए।” आपने “समस्त विश्व

में बन्धुता की भावना" और समान वर्तव्य के सिद्धान्त को सार्वभौम रूप से मान्यता देने के लिए भी अपील की।

कांग्रेस के चौबीसवें अधिवेशन (१९३८) में लाला श्रीराम भारतीय कामयोजकों के प्रतिनिधि थे। आपने आई० एल० ओ० के प्रकाशन "प्राब्लम्स आफ इण्डस्ट्री इन बी ईस्ट" (पूर्व में उद्योग की समस्याएँ) पर बोलते हुए कहा कि भारत की मुख्य और महत्वपूर्ण समस्या है कि "शरीबी पर कैसे हमला किया जाय और सब इस बात में सहमत है कि केवल औद्योगीकरण और उत्पादन बढ़ाने से ही यह समस्या हल हो सकती है। पश्चिम के पुराने औद्योगिक देशों को, जैसा कि मि० वटलर ने जोर देकर बताया है, इस प्रवृत्ति को अपनी स्थिति के वास्ते भय न मानना चाहिए। समृद्ध भारत, उच्चतर जीवन प्रतिमान के बावजूद भी पुराने देशों द्वारा उत्पन्न माल के लिए बराबर मंडो बना रहेगा।"

इसी बहस में भाग लेते हुए भारतीय मजदूरों के प्रतिनिधि श्री एस० बी० पार्लेकर ने वेतनों के प्रश्न पर अपने विचार प्रकट किए। "बम्बई सरकार द्वारा की गई वेगन परिगणना," आपने कहा, "यह तथ्य प्रकट करती है, कि सूती वस्त्र उद्योग में, जो कि देश का एक मुख्य और सगठित उद्योग है, कर्णाटक के १८ प्रतिशत मजदूरों का मासिक वेतन ३ ६० से ७ ६०, शोलापुर के ३२ प्रतिशत मजदूरों का वेतन ५ ६० और १० ६० के मध्य, और बम्बई शहर में २० प्रतिशत मजदूरों का १५ ६० से कम, ३२ प्रतिशत का १५ से २० के बीच है। असंगठित उद्योगों में, जिनकी सख्या बहुत बड़ी है, मजदूरों के वेतन का स्तर क्या होगा यह वर्णन करने की अपेक्षा स्वतः अनुभव किया जा सकता है और समझा जा सकता है। भूमि वंचित किसान वर्ग का लाभ उठाकर जिनकी सस्या बराबर तेजी से बढ़ रही है, कामयोजकों ने वेतन को जीवन कायम रखने के स्तर तक घटा दिया है और इसको वे उस सीमा तक ऊंचा उठाने नहीं देते जितनी तक कि उद्योग की अवस्था अनुमति देती है। कामयोजकों के विरोध के कारण मजदूरों की

सस्था कमजोर है, दुर्बल है और उसमें वेतन-स्तर को ऊँचा कराने की ताकत नहीं है। यह है परिस्थिति जो कि न्यूनतम वेतन कानून बनाने की आवश्यकता जताती है।”

घरो की समस्या पर आपने कहा—

“बम्बई शहर में रहने वाले मजदूर परिवारों में से ६५ प्रतिशत एक कमरे के घरो में रहते हैं और कोठरी का औसतन विस्तार ११० वर्ग फुट होता है। बंबई में हजारों मजदूर ऐसे हैं जिनके लिए सड़क ही आश्रय स्थान और घर हैं। हजारों एक कोठरी के घर ऐसे हैं जिनमें दो परिवार रहते हैं और एक ही कोठरी के घर में सात और आठ परिवारों तक के रहने के उदाहरण अज्ञात नहीं। नीचे की तालिका बम्बई शहर में १९२३-२४ के साल में प्रतिहजार हुई शिशु-मृत्यु को दर्शाती है और यह बताती है कि मजदूर वर्ग और अन्यो के मध्य शिशु-मृत्यु सख्या में कितना भारी अन्तर है।

एक कमरा और इससे कम	५२४०
दो कमरे	३६४५
तीन कमरे	२५५०४
चार कमरे	२४६५

“इसके वाद से अवस्था बदली नहीं है। सरकार ने इस बात का कोई प्रयत्न नहीं किया कि वे बिना किराया दिये, जिसको कि उनकी आमदनी देने की इजाजत नहीं देती, स्वास्थ्यकर मकानों में रहें और इस प्रकार मजदूर वर्ग के शिशु-मृत्यु के बढ़ते प्रमाण को रोके। क्या मैं इससे अधिक कड़ा, पर उपयुक्त शब्द—मजदूरों के शिशुओं का आम कतल—प्रयुक्त करूँ ?”

मजदूर प्रतिनिधियों के परामर्शदाता श्री एस० गुडस्वामी ने ‘कमिटी ऑन दी एप्लीकेशन आफ कनवेंशन’ (कनवेंशन प्रयोग कमिटी) की रिपोर्ट पर भाषण देते हुए कांफ्रेंस का ध्यान खींचा कि काम के घटो का कनवेंशन और साप्ताहिक छुट्टी कनवेंशन रेलवे मजदूरों के लिए उचित रूप से लागू हो।

“प्रतिमानों को शिथिल करने को जाबजूद”, आपने शिकायत की, “काम के घंटों का नियम कुल ७१२,३६४ रेलवेमैनो में से केवल ४७७,८०० रेलवेमैनो पर लागू किया गया है। हालांकि यह कानून इन सब पर लागू होता है। यह कानून जिन पर लागू किया गया है, उनमें से २६ प्रतिशत ६० घंटे के सप्ताह और २४ घण्टे के साप्ताहिक विश्रामके कानूनी संरक्षण से बाहर रखे गए हैं क्योंकि उनका वर्गीकरण करते हुए उनको ‘रनिंग स्टाफ’ या पारी-पारी से काम करने वाले मजदूरों में रखा गया है। यह रेलवे कामयोजकों ने अपनी विवेक दृष्टि के आधार पर किया है और कानून के अधीन अधिकारी ही इस वर्गीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। संक्षेप में ५६ प्रतिशत से कम रेलवे मजदूर ६० घंटे के सप्ताह और साप्ताहिक विश्राम सम्बन्धी कानूनी संरक्षण पाते हैं। अन्य लोगों के लिए कोई कानूनी संरक्षण नहीं है, जिनमें कि ठेकेदारों द्वारा भरती किये गए हजारों की सख्या में कुली भी शामिल हैं। उनको केवल इतना ही संरक्षण प्राप्त है कि कोई कामयोजक उनसे एक दिन में दोस घंटे से अधिक या सप्ताह में सातों दिन काम करने के लिए नहीं कह सकता।”

मजदूरों के प्रतिनिधि श्री आर० एस० निम्बकर ने कान्फ्रेंस के पच्चीसवें अधिवेशन (१९३६) का भारतीय मजदूरों का पक्ष प्रबल करने के वास्ते अन्तर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उपयोग किया। डाइरेक्टर की रिपोर्ट पर हुई चर्चा में बोलते हुए कहा—

“अन्तर्राष्ट्रीय दफ्तर ने निस्सन्देह भारत सरकार पर नैतिक दबाव डालने के लिए वातावरण उत्पन्न करने के वास्ते बहुत काम किया है और इसके फलस्वरूप सरकार ने कुछ कानूनों को सम्पुष्ट किया है और काम की अवस्था का नियमन करने वाले कुछ कानून बनाए हैं। किन्तु यह भारतीय मजदूरों की आशा से बहुत कम है। पिछला साल हड़तालों की दृष्टि से रिकार्ड-वर्ष था। इसका अर्थ है कि भारतीय मजदूर अपने अधिकारों के प्रति सजग होता जाता है और चाहता है कि काम-

योजक और सरकार उसको सन्तुष्ट करें और उसको जल्द ही सन्तुष्ट करें। जनता की हृदय दर्जे की गरीबी उन विचारों को उत्पन्न करती है जिनका सरकार कडा विरोध करती है और उनको फुचल देती है। मैं इस अन्तर्राष्ट्रीय प्लेटफार्म से औद्योगिक भगडो के अन्दर भारत में गोली चलाने और लाठी चार्ज करने का विरोध करता हूँ और मैं मजदूरों की सभाओं और उनके जलूसों पर लगाई जाने वाली रोकों और मनाही का भी विरोध करता हूँ।”

इस अध्याय के पहले के पृष्ठों में जो सार भाग दिया है, वह स्वाधीनता से पहले का है। स्पष्ट है कि कुछ पृष्ठों में कांग्रेस के भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा दिये गए अशदान का पूरा विवरण देना सम्भव नहीं और न ऐसा करने का इरादा ही था। यहाँ उद्धरण को देने का उद्देश्य केवल प्रतीकात्मक है। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के अवसर का गैर-सरकारी प्रतिनिधियों ने कैसा उपयोग किया, यह उससे प्रकट होता है और इससे ज्ञात होता है कि उन्होंने वहाँ भारतीय मजदूरों की शिकायतों और कष्टों को ही प्रकट नहीं किया, बल्कि एशिया और अफ्रीका के मजदूरों द्वारा सहे जाने वाले कष्टों और दुखों की ओर भी दुनिया का ध्यान खींचा। भारत का यह भाग, यह पार्ट, अर्थात् विदेशी गुलामी के जूए को उठाकर फेंक देने के वास्ते सघर्ष करने वाले राष्ट्रों के मध्य भारत नेता है, यह भारतीय प्रतिनिधियों के भाषणों में बार-बार आता है। और जब-जब उनको स्वाधीनतापूर्वक बोलने का अवसर मिला उन्होंने ऐसा ही किया और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कांग्रेस में उन्होंने इस स्वाधीनता का पूर्णतः उपभोग किया। यह उल्लेख-योग्य है कि उन्होंने इस छलाग में केवल उन्हीं को नहीं लिया जिनका कि वे प्रतिनिधित्व करते थे, बल्कि उन सबको लिया जो कि सारी दुनिया-भर में उसी स्थिति में थे। यह एक ऐतिहासिक पार्ट है, जो कि भारत अवा कर रहा है और यह एक महत्वपूर्ण बात है कि १९४७ में भारतीय स्वाधीनता के साथ उपनिवेशवाद के अन्त की ओर निर्णायक कदम

उठा, और एक-एक करके उपनिवेशवाद के अश्वशेष ढहते जाते हैं। स्वतन्त्रता का, निस्सन्देह यह अर्थ नहीं कि इसके साथ इस पार्टी का भी अन्त हो गया, बल्कि एशिया और अफ्रीका की जनता की आर्थिक-सामाजिक दासता से उद्धार करने के रूप में एक नए और पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण पार्टी का आरम्भ हो गया है। १९३६ के बाद के वर्ष, युद्ध और सङ्क्रमण-काल के साल, जहाँ तृप्त घटनाक्रम का सम्बन्ध है, महत्वपूर्ण नहीं है। भारत के नए पार्टी का आरम्भ १९४७ से होता है। इस साल के बाद एक अघोषित देश के बाद दूसरा अघोषित देश स्वतन्त्रता प्राप्त करने लगा। भारत की स्वाधीनता के बाद, स्वभाग्य-निरणय की प्रक्रिया का पूर्ण होना कुछ समय की बात रह गई है। भारत का नया पार्टी इसकी स्वाधीन परराष्ट्र-नीति, पंचवर्षीय योजनाओं, सब राष्ट्रों के साथ मैत्री और एशिया और अफ्रीका के सामान्य जनो का जीवन-प्रतिमान ऊँचा करने के लिए सब कम विकसित देशों के साथ सहयोग करने में स्पष्ट रूप से प्रकट है। नीचे जो अंश दिए गए हैं उनमें भारतीय मण्डल यह पार्टी अदा करता हुआ दिखाई देगा।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन (१९४७) के प्रतिनिधि-मण्डल में श्री जगजीवनराम, श्रम मन्त्री, भारत सरकार, और बम्बई प्रान्त के श्रम व गृह मन्त्री श्री गुलजारी लाल नन्दा, सहकारी प्रतिनिधि थे। कामयोजको के प्रतिनिधि श्री एन० एच० ताता थे और मजदूरों के प्रतिनिधि श्री एन० एम० जोशी थे। यहाँ यह उल्लेख-योग्य बात है कि इस कांग्रेस से भारतीय प्रतिनिधि मण्डल बड़ा और प्रतिनिधित्वपूर्ण होने लगा। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के व्यक्तियों में परिवर्तन होना इस बात से प्रकट है कि भूतपूर्व अमी नेता, श्री नन्दा श्रम मन्त्री थे और भारत सरकार के एक प्रवक्ता थे। इस बात से भी परिवर्तन प्रकट हुआ कि औद्योगिक और व्यावसायिक उद्योगों में श्रम-निरीक्षण सम्बन्धी कन्वेंशन के मसविदों में स्त्री निरीक्षकों की नियुक्ति का मजदूर प्रतिनिधि द्वारा किए गए प्रस्ताव को न केवल भारत सरकार ने स्वीकार कर

लिया, बल्कि श्री नन्दा ने इसको स्वीकार करने के लिए कांग्रेस से सिफारिश भी की।

'डाइरेक्टर-जनरल की रिपोर्ट' पर भाषण देते हुए श्री जगजीवन-राम ने कहा "हम दोनों को जो अधिकतर समीप लाने वाली बात है, वह यह है कि आई० एल० ओ० और उस राजनीतिक पार्टी, 'इण्डियन नेशनल कांग्रेस' के जिसके साथ सम्बन्ध रखने का मुझे विशेषाधिकार प्राप्त है, आदर्शों में उल्लेखयोग्य अपूर्व समानता है। उन आदर्शों को 'फिलेडेल्फिया चार्टर' में स्पष्ट और असन्दिग्ध भाषा में पुनः व्यक्त करना उस मूल बात को पुष्ट करना था जिसको हम वर्षों से अपनाए हुए थे और जिसका प्रचार करते रहे हैं।"

इसी भाषण के दौरान मैं आपने कहा . "एशियाई देश इस समय लोकप्रिय जागरण की प्रभावशाली अवस्था से गुजर रहे हैं। उनमें से अब कोई भी एक किसी विदेशी शक्ति का वास होकर रहना स्वीकार न करेगा। उनकी आन्तरिक कठिनाइयाँ चाहे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की हो, या उनका सवैधानिक दर्जा कुछ भी हो, वे सब समान रूप से आर्थिक और सामाजिक कल्याण का प्रतिमान ऊँचा करने के बारे में कृतसकल्प हैं। वस्तुतः सामाजिक प्रगति के लिए अत्यन्त उत्कट भावना ही एशिया में स्वाधीनता के आन्दोलन का मुख्य स्रोत है।"

श्री जोशी ने 'कमेटी ऑन फ्रीडम ऑफ एसोसियेशन' (सभा व सगम स्वतन्त्रता कमेटी) की रिपोर्ट पर भाषण देते हुए भारत में नागरिक स्वाधीनता का प्रश्न उठाया। इसका जवाब देते हुए श्री नन्दा ने कहा कि भारत अपने इतिहास के अत्यन्त कठिन समय में से गुजर रहा है और यह एक "बड़ा दुर्भाग्य था कि हम इस प्रकार का अधिकार लेने और पुराने कानूनों को रद्द करने और कुछ नए कानून बनाने को बाध्य हुए हैं।" "भारत सरकार को जिसका सामना करना पड़ रहा है", आपने आगे कहा, "साधारण कानून और व्यवस्था की समस्याएँ नहीं हैं जिन्हें कि साधारण रीति से हल किया जाय। वे गृह-युद्ध के

पैमाने पर अज्ञान्ति का सामना कर रहे हैं, जो कि श्रार्थिक क्रियाकलाप को स्थानच्युत कर रही है और समाज के जीवन को पुग बना रही है। यह सकट की स्थिति है और इसकी तुलना युद्ध-स्थिति से की जा सकती है। इन परिस्थितियों में किसी भी देश में, चाहे उसमें उच्चतम लोक-तन्त्रात्मक परम्परा ही क्यों न हो, क्या हो सकता है इसकी सहज में कल्पना की जा सकती है। ये हैं कारण जिनसे वाघ्य होकर असाधारण अधिकार सरकार ने लिये हैं और इस समय यह अनिवार्य था, क्योंकि जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के वास्ते ऐसा करना आवश्यक था। ये संकटकालीन कानून, मुझे विश्वास है, समय आने पर अपने आप खत्म हो जाएँगे या ज्यों ही असाधारण स्थिति का अन्त होगा, सरकार इनको हाथ न लगाएगी।

“इस बात का मुख्य मुद्दा यह है कि यह सिद्धान्त निर्धारित करना उचित न होगा कि मजदूर और उनके नेतागण देश के कानून से मुक्त रखे जाने चाहिएँ, फिर वह कानून जो कि लोकतन्त्रात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाया गया हो और जो कि मजदूर वर्ग के विरुद्ध न हो, उनको असाधारण व्यवहार के लिए अलग करना भी उचित न होगा। ये शब्द ‘लॉफुल एक्सरसाइज’ (कानूनपूर्ण व्यवहार) प्रसंग से जहाँ कि उनका प्रयोग हुआ है, मूल अधिकारों की शक्ति को नहीं छीनते। जहाँ तक कि सभा व सगम की स्वतन्त्रता की अपेक्षा के अनुसार मजदूरों और कामयोजकों का संगठन करने और अपने क्रियाकलाप को जारी रखने का सम्बन्ध है।”

भारत के नए पार्ट की दिशा और गतिविधि को श्री जोशी के भाषण का निम्न सार सूचित करता है—

“श्राई० एल० श्रो० के क्रिया-कलापों का मूल्य सस्या की सार्व-भौमता में निहित है। वर्तमान युद्धोत्तर काल में, युद्ध से पहले जो प्रदेश पराधीन थे, स्वायत्त शासन नए प्रदेशों के रूप में समझते आ रहे हैं। श्राई० एल० श्रो० के साथ उनका सम्बन्ध जोड़ने के वास्ते

तत्परता के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे वे इस 'सस्या' के स्वाधीन सदस्य बन सकें। युद्ध से पहले के समय में पुराने साम्राज्यों की सरकारों ने औपनिवेशिक प्रदेशों को स्वतन्त्रता और स्वायत्तशासन देने का वचन दिया था, और इन प्रदेशों का ज्यों ही ये स्वतन्त्र सदस्य के कार्यों को करने योग्य पर्याप्त स्वाधीन दर्जा प्राप्त कर लें, त्यों ही उनकी आई० एल० ओ० के साथ स्वतन्त्र सम्बन्ध जोड़ने के लिये आई० एल० ओ० को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। औपनिवेशिक इलाकों या अस्वाधीन प्रदेशों (नान-मेट्रोपालिटन टेरिटरीज) का, जैसा कि हमने उनको नाम दिया हुआ है, आई० एल० ओ० में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और ना इसके काम के साथ उनका पर्याप्त सम्बन्ध है। अतः मैं प्रशासन समिति के दपत्र को सुभाता हूँ कि वे कोई ऐसा उपाय निकालें जिससे कान्फ्रेंस के वार्षिक अधिवेशन में इन प्रदेशों का पर्याप्त और स्वाधीन प्रतिनिधित्व हो। मेरे ख्याल में मजदूरों को इस बात में कोई आपत्ति न होगी कि इन प्रदेशों का स्वतन्त्र व स्वाधीन देशों के प्रतिनिधि-मण्डल के एक भाग—बहुत अपर्याप्त और छोटा भाग—के बदले स्वतन्त्र रूप से प्रतिनिधित्व हो।”

कान्फ्रेंस के इक्तीसवें अधिवेशन (१९४८) के प्रतिनिधि-मण्डल में प्रान्तों के तीन मन्त्री सरकारी प्रतिनिधि या सलाहकार के रूप में थे। सरकार, कामयोजक और मजदूर प्रतिनिधियों के भाषणों का निम्न सार व उद्धरण उल्लेख योग्य है—

श्री सम्पूर्णानन्द, सरकारी प्रतिनिधि •

“यद्यपि भारत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था का शुरू से ही सदस्य है, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कान्फ्रेंस का यह पहला अधिवेशन है जिसमें भारत का प्रतिनिधि-मण्डल स्वाधीन भारत के प्रतिनिधि के रूप में थे उपस्थित हुआ है। दो सदस्यों के विदेशी शासन के बाद पिछले साल १५ अगस्त को भारत का राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करना, एक

महत्वपूर्ण घटना है, केवल उसी के वास्ते नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानव-सभ्यता के लिए। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उन कामों में जिनको कि हमें अवश्य हाथ में लेना होगा यदि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमें अपना उचित पार्ट अदा करना है, आप सबकी शुभेच्छाएँ हमें प्राप्त होंगी।”

“मैं इस अवसर पर नए डायरेक्टर-जनरल मि० डेविड ए मोर्स को अपने देश और अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ, और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था को भी बधाई देना चाहता हूँ कि वह मि० मोर्स की मूल्यवान सेवाएँ प्राप्त करने में सफल हुई है। आने वाले वर्षों में ‘संस्था’ को आर्थिक और सामाजिक न्याय प्राप्त करने और राजनीतिक शान्ति को बढ़ाने में अधिकतम महत्वपूर्ण पार्ट अदा करना होगा। अत्यधिक कठिन समय के सिर पर होने और जब कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति भी सरल नहीं है, ऐसे समय में मैं मि० मोर्स और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था की सफलता की कामना करता हूँ। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि इसके उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में ‘संस्था’ से भारत पूर्णमात्रा में सहयोग करता रहेगा।”

श्री वी० सी० मेहता, कामयोजक प्रतिनिधि :

“हरेक को सदा इस बात का लोभ रहता है कि विशेष वर्ग के जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, हितों की रक्षा के वास्ते अन्तिम छोर की स्थिति ग्रहण करे, किन्तु यदि हम वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कांफ्रेंस की इस बात में सहायता करना चाहते हैं कि वह अपना उद्देश्य पूर्ण करे, तब यह जरूरी हो जाता है कि हम किसी विशेष समुदाय व वर्ग या देश की शब्दावली में सोचना बन्द कर दें। वैयक्तिक दृष्टि से मैं समझता हूँ कि मजदूरों, कामयोजकों और विशाल समाज के हितों को प्रभावित किए वगैर, हम कनवेंशनो और सिफारिशों को इस रूप में बनावें कि उनको सब सदस्य देश तत्काल सम्पुष्ट करें और स्वीकार कर लें और

यथाशीघ्र उनको क्रियान्वित करें। मैं आपसे अपनी पूरी शक्ति के साथ और अपने श्रन्त करण की भावना के साथ कहना चाहता हूँ मजदूरों की हालत सुधारने और उनका वेतन बढ़ाने का सब जगह एक साथ और एक समय में प्रयत्न किया जाय, जिससे मजदूरों की उपज बढ़े और इस प्रकार के कल्याण और सुख-सुविधाओं को देने की लागत और इसका भार विशाल समाज पर न पड़े। यह सार्वभौम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ऊँचा वेतन मजदूरों द्वारा उपज बढ़ाए वगैर नहीं प्राप्त किया जा सकता और न उसको सन्तोषजनक रीति से फायम रखा जा सकता है। मेरे इत सुभाव का यह तात्पर्य कभी नहीं है कि एक हाथ से मजदूरों को हम जो दें उसको हम दूसरे हाथ से छीन लें। लेकिन मैं ईमानदारी के साथ विश्वास करता हूँ कि देश के हित का स्थान सर्वोपरि है, और यदि देश का आर्थिक जीवन ही असन्तुलित हो रहा है, तो मजदूरों को इस स्थिति में किसी प्रकार का लाभ न पहुँचेगा।”

श्री हरिहरनाथ शास्त्री, मजदूरों के प्रतिनिधि

“वे (मजदूर) अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन का एक अंग और घटक होकर आगे बढ़ने के लिए वस्तुतः उत्सुक और कृत सकल्प हैं और उनका शान्तिपूर्ण और लोकतन्त्रात्मक उपायो में पूर्ण विश्वास है, और उनका लक्ष्य वास्तविक लोकतन्त्र और सामाजिक न्याय और समानता के आधार पर समाज स्थापित करना है—एक समाज, जो प्रत्येक नर-नारी को समान रूप से अवसर दे और उसको बिना किसी रोक-टोक व प्रतिबन्ध के अपना विकास करने की स्वतन्त्रता दे।”

कान्फ्रेंस के तेतीसवें अधिवेशन के प्रतिनिधि-मण्डल में सरकारी दल में आसाम, पंजाब और मैसूर राज्यों के श्रम मन्त्री थे। प्रतिनिधि मण्डल के नेता श्री ओमियो कुमार दास थे। आपने कहा कि “जब तक कम विकसित देशों की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का हल

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा सफलतापूर्वक नहीं किया जाता, तब तक लोकतन्त्र का ढाँचा बहुत कमजोर रहेगा। कम विकसित देशों से उस जीवन-प्रणाली को महत्व देने की आशा नहीं की जा सकती जो कि उनकी जनता को अच्छी जीविका नहीं देती।”

कानयोजको के प्रतिनिधि श्री एम० ए० मास्टर ने इस बात की ओर ध्यान खींचा कि विश्व-शांति और उसकी स्थिरता में एशिया की स्थिति का बुनियादी महत्व है। आपने डाइरेक्टर-जनरल से प्रपील की कि “वे दुनिया की आर्थिक पार्श्वभूमि के अध्ययन में उन समस्याओं और कठिनाइयों को पहला स्थान दें जो कि कम विकसित देशों के नई सम्पत्ति उत्पन्न करने और सामाजिक न्याय एवं प्रगतिशील नीति को क्रियान्वित करने के मार्ग में हैं।”

इससे पहले डाइरेक्टर-जनरल की रिपोर्ट पर वहस का प्रारम्भ करते हुए श्री सुरेशचन्द्र बनर्जी, मजदूरों के प्रतिनिधि ने शिकायत की कि एशियाई देशों के प्रति उदासीनता और उपेक्षा वृत्ति रखी जाती है। “आई० एल० ओ० को भविष्य में”, आपने आगे कहा, “अतः कनवेंशनो और सिफारिशों को अमल में लाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए, पिछड़े राष्ट्रों की समस्याओं को रोशनी में लाना चाहिए, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े देशों की विशेषरूप से यात्रा की जाय और उनको अपने उद्धार के उचित उपायों के श्रवण करने में सहायता देनी चाहिए, हरेक सम्भावित उपायों से दवाव, शोषण और स्वेच्छाचार को, चाहे वह किसी भी देश में हो, प्रगट करे और सामान्यरूप से दुनिया भर के मजदूरों के हितों का रक्षक, पहरेदार और उनके सामाजिक हितों के रक्षक के रूप में सेवा करे।”

‘भारत के श्रम-मन्त्री श्री जगजीवनराम १९५० में कान्फ्रेंस के तेतीसवें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गये और आपने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा कि उनका निर्वाचन भारत का सम्मान है और चूँकि २६ जनवरी १९५० को भारत को गणतन्त्र घोषित किए जाने के बाद

कान्फ्रेंस का यह पहला अधिवेशन था। आई० एल० ओ० के साथ भारत का इसकी स्थापनाकाल से जारी रहे सम्बन्ध का उल्लेख कर आपने कहा

“आई० एल० ओ० के प्रति भारत की निष्ठा स्वाभाविक है, क्योंकि इण्डियन नेशनल कांग्रेस और आज की भारत सरकार के दुनियादी आदर्श और आई० एल० ओ० के आदर्श एक हैं। भारत के संविधान में ही ऐसी बहुत-सी बातें हैं, जो कि सामाजिक न्याय के सिद्धान्त हैं, अगर कोई इसका सावधानी से अध्ययन करेगा, तो वह देखेगा कि आई० एल० ओ० द्वारा स्वीकृत अधिकांश कन्वेंशन व सिफारिशें इन दुनियादी सिद्धान्तों का ही विकास हैं। भारत का संविधान कुछ मूल अधिकार देता है, इनमें सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता और भाषण और सभा व सभ्यता की स्वतन्त्रता भी शामिल हैं। संविधान में राज्यनीति के निर्देशक सिद्धान्तों का भी समावेश किया गया है, इसमें सब नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधनों के पाने, नर-नारी को समान काम के लिए समान वेतन, बच्चों और तरुणों की संरक्षण, ये भी शामिल हैं। निरसदेह ये उनसे अलग हैं जो मजदूरों के सम्बन्ध में बड़ी संख्या में कानून बनाये गए हैं और श्रम में हैं या विचाराधीन हैं। अतः आई० एल० ओ० के उद्देश्यों और आदर्शों को भारत पूर्ण करने का सच्चे दिल से प्रयत्न कर रहा है, इसका और कोई ठोस प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। सबको पूर्ण करने में समय लगेगा, लेकिन दिल से और ईमानदारी से काम करना मुख्य बात है।”

आई० एल० ओ० द्वारा की गई प्रगति पर सन्तोष प्रकट करते हुए आपने कहा—“आज यह श्रम से सम्बद्ध हर एक पेचीदी समस्या के साथ बरतने वाली सर्वोच्च विशेषज्ञ सस्था है। मैं यह बात व्यापक अर्थों में कह रहा हूँ।”

आपने आई० एल० ओ० के नवीन सदस्य हिन्देशिया का स्वागत किया। दूसरे सरकारी मंत्री श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने हिन्देशिया के

प्रतिनिधि-मण्डल को बधाई देते हुए कहा—“यदि मैं ऐसा कहूँ तो यह अधिक उचित होगा कि इस सस्था के सब एशियाई सदस्यों के लिए भी यह बधाई की बात है।”

कामयोजको के प्रतिनिधि लाला श्रीराम ने अपने भाषण में आई० एल० प्रो० के कार्य के प्रति जनता के मन में विद्यमान सन्देहों का जिक्र करते हुए कहा—“इस प्रकार के सन्देहों के बावजूद मुझे इस बात का निश्चय है कि हम यहाँ जो कुछ काम करते हैं, उस सब का फल अच्छा ही होता है। चाहे, धीरे-धीरे ही क्यों न हो। इस असमान संसार में वास्तविक और सम्भावित संघर्षों के होते हुए, समृद्धि में व्यापक रूप से विभिन्नताओं का होना जो पूर्णतः उचित और न्याय युक्त नहीं है, और विभिन्न देशों की ऐतिहासिक और सामाजिक परम्पराओं के होते हुए यह किसी तरह से सरल बात नहीं है कि अपेक्षाकृत साधारण श्रवस्थाओं के श्राधीन भी, सामाजिक कानून या सुधार का सामान्य पैमाना ढूँढा जाय, जो सबको पसन्द हो और सब पर लागू हो सके, अतः यदि हमारे प्रयत्नों के फलस्वरूप धीमी प्रगति हुई है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन यह कारण निराशा और हताशा का नहीं, क्योंकि मेरे विचार से यह अधिक महत्वपूर्ण है कि जो कोई कदम हम उठाएँ वह दृढ़ आधार पर हो, और स्थायी हो। सनसनीदार और दिखाऊ कामों की अपेक्षा—प्रकाशन मनोवृत्ति और सनसनी प्रिय संसार आज के स्थान-सकोचन-सपर्क में जिसकी इच्छा करता है—यह अधिक अच्छा है, जैसा कुछ भी हो, भारत के अपने अनुभव से, लगभग पचास साल से जो ऊपर का है, निर्णय करते हुए फन-ते-कम यह कहा जा सकता है। कि पिछले कुछ दशकों में मजदूरों का कल्याण प्रत्यक्ष रूप से हुआ है; इत सुधार के बड़े भाग और अश के श्रेय का दावा, मेरे विचार से, आई० एल० प्रो० उचित रूप से कर सकता है।”

भारत के मजदूरों के प्रतिनिधि श्री खण्डूभाई देसाई ने अपने भाषण के सिलसिले में दुनिया की सामाजिक आर्थिक अवस्थाओं का चित्र खींचने के बाद कहा—

“ . . . हम भारत में और एशियाई प्रदेश के अन्य देशों में बहुत अधिक असुखकर स्थिति में हैं। पूर्वीय और पश्चिमी यूरोप में जब कि पिछले चार सालों में उत्पादन के बढने की ओर प्रवृत्ति रही है, लेकिन यही बात जापान को छोड़कर पूर्व के देशों के बारे में नहीं कही जा सकती। जब तक समुक्त राष्ट्र और इसकी विभिन्न एजेन्सियाँ कम मात्रा के उत्पादन के प्रश्न को अपने हाथ में न लेंगी, जो कि मानव-जाति के ५० प्रतिशत से अधिक के अत्यन्त तुच्छ और अर्द्ध-मानवीय जीवन-प्रतिमान के लिए उत्तरदायी है, मेरे जैसे लोगों का हृदय यह सोचकर ही कांप उठता है कि मानव-समाज के भाग्य में क्या बदा है।

“दो सौ वर्षों से अधिक के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का इतिहास बताता है, मैं कहना चाहता हूँ, कि वर्तमान पीढ़ी की कठिनाइयों और दुखों का मुख्य कारण इस काल के अन्दर खण्ड-खण्डकर एकतरफा हुआ आर्थिक विकास है। इस सारे समय में पूर्वी देश अर्द्ध-मानवीय अवस्थाओं में उत्पन्न कच्चे माल की पूर्ति करने वाले और औद्योगिक दृष्टि से विकसित पश्चिम के देशों द्वारा तैयार माल के उपभोक्ता रहे हैं। इसके कारणों में मैं इस समय नहीं जाना चाहता।”

आई० एल० ओ० अपने काम को किस विशा में पुनः बहुमूल्य बना सकता है इसका संकेत १९५१ में सरकारी प्रतिनिधियों के मुख्य श्री सीताराम रेड्डी ने किया जब कि आपने कहा

“मेरे देश में खेतिहर मजदूर मुश्किल से ही साल भर में १२० दिन काम पाता है। यत्रीकरण करने से खेतिहर मजदूरों की जरूरत और भी कम रह जायगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि बची हुई जनशक्ति के लिये पूरक उद्योग जुटाए जायें। यहाँ टेक्निकल (प्राविधिक) सहायता प्रोग्राम के अधीन प्राप्त साज-समान और मशीनरी

द्वारा विशेषज्ञ के निरीक्षण में कुछ अग्रिम परिकल्पनाएँ चलाना अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगा। विशेषज्ञों के केवल प्रतिनिधि व प्रतिपुरुष भेजने से कम विकसित देशों में वाञ्छित मात्रा में लाभ न होगा, यद्यपि यह विकसित देशों के वास्ते महानतम सहायता सिद्ध हो सकती है। उनकी जरूरतें हमसे भिन्न हैं और कम विकसित देशों के लिए जो कोई टेक्निकल (प्राविधिक) सहायता की योजनाएँ बनाई जाएँ वे हमारी खास-खास जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से तैयार की जाएँ। यहाँ सार्वभौम योजना बहुत दूर तक न जायगी, काम न करेगी, और मजदूरो का भाग्य सुधारने के उद्देश्य से प्रादेशिक योजनाएँ उसके सर्वोत्तम लाभ के साथ सूचित की गई हैं। मेरी राय में टेक्निकल सहायता के साथ-साथ यदि निश्चित मात्रा में भौतिक सहायता भी दी जाय, तो इससे कम विकसित देशों को बहुत सहायता मिलेगी।”

श्री रेड्डी ने आई० एल० ओ० के कारु के महत्व की ओर ध्यान खींचते हुए भाषण के अन्त में कहा—

“अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था ही एक पुरानी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है, जहाँ एक चौथाई सदी से अधिक समय से ज्ञानि-स्थापना के उद्देश्य से रचनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता से काम होता है। इस समय भी जब संसार के एक बड़े भाग में शस्त्रास्त्रों का संचय और शस्त्रीकरण हो रहा है, और जिसके फलस्वरूप सम्भव है कि इससे सन्बद्ध देशों में ही नहीं, अपितु कम विकसित इलाकों में भी जीवन-प्रतिमान नीचा हो जाय, डाइरेक्टर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में कम विकसित प्रदेशों में तेजी से आर्थिक विकास करने के महत्वपूर्ण कार्य की ओर हमारा ध्यान खींचा है, और यह एक बहुत अच्छी बात है। मैं उन्नत देशों से की गई उनकी धनील में सहर्ष उनके साथ हूँ कि वे कम विकसित देशों की मदद करने के लिए आगे आवें जिससे वे सम्भावित अल्पतम समय में अपने रूप में आ जावें।”

इस सिलसिले में एक दूसरा सकेत भारतीय कामयोजकों के प्रति-निधि श्री एन० एच० ताता की श्रोर से आया, जिन्होंने कहा—

“श्रौद्योगिक दृष्टि से कम विकसित इलाको के मजदूर नेता इस समय विद्यमान श्रौद्योगिक मजदूर के दर्जे, स्थिरता और भावी आशा के बारे में चाहे कुछ भी कहें, किन्तु एक बात स्मरण रखनी चाहिए और स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि आज इस दुनिया में विभिन्न अर्नौद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों के रूप में मानवता का विशाल महासागर है, जिसने आई० एल० श्रो० के लाभ का एक ग्रास तक नहीं चखा है। आई० एल० श्रो० के क्रियाकलाप में जब ये मजदूर तस्वीर में लाए जाएंगे, तब सामाजिक प्रगति का रथ असन्तुलित होगा। वह ऐसे दो घोड़ों से खींचा जा रहा होगा जिनमें से एक को तो वर्षों से अच्छा खाना खिलाया जा रहा है, जिसकी देख-भाल भली प्रकार हो रही है, जब कि दूसरा वर्षों की उपेक्षा के कारण जीर्ण, निर्बल और अक्षम है।”

कान्फ्रेंस के पंतीसवे अधिवेशन (१९५२) के सरकारी प्रतिनिधि श्री वी० वी० ब्रविड ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि “अब इस बात का समय आ गया है कि हजारों गाँवों में विखरी पड़ी जनता के अधिकांश भाग के रहन-सहन की दशा को सुधारने की श्रोर समान रूप से या अधिकतर मात्रा में ध्यान दिया जाय।” यही विचार दूसरे रूप में श्री हरिहरनाथ शास्त्री ने प्रकट किए और इसके लिए अनुरोध किया। कम विकसित देशों के आर्थिक तन्त्रों में तेजी से स्थिरता लाने और उनके निवासियों के जीवन-प्रतिमान को ऊँचा करने का।

श्री एन० एच० ताता ने अपने भाषण में “आई० एल० श्रो० की सिद्धियों और सफलताओं और सामाजिक अन्तर्चेतना के विकास में दिए गए शानदार अशदान के लिए” श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं के विकास से उद्विग्नता और भय प्रकट किया जिसके कारण “बड़ी मात्रा में दृष्टि के अन्धर आए उद्देश्यों और लक्ष्यों में दोहरापन, टयकर और सघर्ष, उत्पन्न हो गया है। वे यह अनुभव कर

रहे हैं कि उनमें से कुछ एजेन्सियां “उन क्रियाकलापो पर आज अतिक्रमण कर रही हैं जो कि अन्ततः आई० एल० ओ० का क्षेत्र है।” आपने कान्फ़ेंस से अपील की “कि वह ‘संस्था’ के अधिकारों में होते हुए हस्तक्षेप को रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए। क्योंकि इस संस्था की ऐतिहासिक पार्श्वभूमि ही नहीं है बल्कि मानवता को मूल्यवान् अशदान देने का इसका लेखा भी गौरवपूर्ण है।”

कान्फ़ेंस के छत्तीसवें अधिवेशन (१९५३) के सरकारी प्रतिनिधि श्री आविद अली ने डाइरेक्टर जनरल की रिपोर्ट में आई इस बात का जिक्र करते हुए कि केवल “अभाग्य और दुर्गति को स्थिर करना पर्याप्त नहीं है,” कहा—

“हम लोग, जो यहाँ उपस्थित हैं, अपने-अपने क्षेत्रों में, जीवन प्रतिमान को ऊँचा करने और कम विकसित देशों की प्रगति को रोकने वाले तत्त्वों को दूर करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं, वह हम करें। दुनियादी सामाजिक सन्तोष की दुनिया भर में समानरूप से स्थापना करने का मार्ग ही वस्तुतः शान्ति का मार्ग है।”

श्री हरिहरनाथ शास्त्री ने मजदूर-वर्ग का विरोध प्रगट किया जो कि आई० एल० ओ० का “अधिकांश सरकारी द्वारा हाल के वर्षों में बजट घटाने की नीति” के प्रति था और कहा कि यह “भावी स्थिरता के लिए एक भयानक खतरा है और इसका यह उचित समय है कि वे इससे होने वाली हानि को अनुभव करें, जो कि इस नीति को बराबर जारी रखने से इस ‘संस्था’ के महान् आदर्शों को पहुँच सकती है।”

कान्फ़ेंस के सत्तीसवें अधिवेशन (१९५४) में दो श्रम मन्त्री श्री के० पी० मुकर्जी और श्री जो० सी० ओम्हा सरकारी प्रतिनिधि थे।

श्री के० पी० त्रिपाठी, जो कि प्रथम बार मजदूर प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए थे, ‘श्रीडेंशेल्ज् कमेटी’ (प्रमाणीकरण कमेटी) की तीसरी रिपोर्ट पर देर तक बोले। इस रिपोर्ट का सम्बन्ध “सात पूर्वोक्त यूरोप के देशों से कामयोजकों और मजदूर प्रतिनिधियों और सलाह-

कारों के विरुद्ध उठाई आपत्ति से था।" श्री त्रिपाठी के शब्दों में आपत्तियाँ इस प्रकार थीं—

“कामयोजको के प्रतिनिधियों द्वारा सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है वह है समाजवादी आर्थिक तंत्र के विषय में। उनका कहना है कि यदि किसी एक देश में आर्थिक तंत्र के एक अचल का राष्ट्रीयकरण किया गया, या किसी देश ने पूर्णतः समाजवादी आर्थिक तंत्र को स्वीकार कर लिया है, तो ऐसे देश की आई० एल० ओ० की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार न होना चाहिए। यह आपत्ति उन देशों के बारे में उठाई गई है जिनका आर्थिक तंत्र पूर्णतः समाजवादी है। किन्तु उन देशों के बारे में जिनका एक अचल मात्र का राष्ट्रीयकरण किया गया है, कहा गया है कि समाजवादी आर्थिक तंत्र के प्रबन्धकों के प्रतिनिधि केवल सलाहकार के रूप में आने के अधिकारी हैं। पूर्ण प्रतिनिधि के रूप में नहीं और वे कामयोजको के आदेशों के पूर्णतः अधीन रहें। यह भी कहा गया है कि जिन देशों में दो तरह का आर्थिक तंत्र है अर्थात् मिश्रित आर्थिक तंत्र है, उसका प्रतिनिधि मंडल दो तरह का हो, जिनमें से एक दूसरे की अपेक्षा नीचे दर्जे का हो। कामयोजको द्वारा उठाया प्रश्न बड़ा विचित्र और मनोरंजक है, प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय कृत आर्थिक तंत्र में कोई कामयोजक है और क्या इसको आई० एल० ओ० को प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है।”

इस विचार को स्वीकार करने का क्या परिणाम होगा, इसको बताते हुए श्री त्रिपाठी ने कहा—

“आप जानते हैं कि हमारे देश में मिश्रित आर्थिक तंत्र है, इसमें राष्ट्रीय और निजी अचल हैं। जहाँ तक मुझे पता है, एक दो देशों को छोड़कर शेष सब देशों में यही व्यवस्था है। अतः यदि आप कामयोजको की युक्ति को स्वीकार करेंगे, तो अनिवार्य रूप से आप उस नतीजे पर पहुँचेंगे जिसके कारण दुनिया के एक बड़े भाग को आई० एल० ओ० का परित्याग करना होगा। क्या आप इसी प्रश्न का अभी निर्णय करना

चाहते हैं। विचार करने का समय लीजिए, जब आप निर्णय कर लें, तो उसको लागू करना चाहिए। यह सम्भव है कि भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल के एक बड़े भाग को आई० एल० ओ० छोड़ना पड़े, यह भी मुमकिन है कि उन देशों में से अधिकांश, जिनमें राष्ट्रीय अंचल है, इसी प्रकार आई० एल० ओ० से अलग हो जाएँ।”

आई० एल० ओ० के उद्देश्यों और लक्ष्यों का स्मरण करा कर श्री त्रिपाठी ने सब ओर उदार और विस्तृत दृष्टिकोण से देखने की अपील की और इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय या निजी उद्योगों में जो काम करते हो, मजदूरों को, हर हालत में संरक्षण मिलना चाहिए। आपने अपना भाषण इन शब्दों के साथ समाप्त किया, जो भारतीय रवैये और आई० एल० ओ० की भावना का प्रतीक रूप है “हमारे आर्थिक तंत्र के राष्ट्रीय अंचल के मजदूरों की भी अवस्था सुधारने में हमारी मदद कीजिये। मैं विनम्रता और मंत्री की भावना के साथ आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग राजनीतिक निर्णयों के प्रवाह में न बहें, जो कि दुनिया को दो भागों में विभक्त कर देंगे।

महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने इस विचार का समर्थन किया।

मैं इस विवरण और घटनावली का अन्त दो भाषणों के उद्धरणों से कर रहा हूँ। ये भाषण कान्फ्रेंस के अडोतीसवें अधिवेशन (१९५५) में दिये गये थे।

श्री शान्तिीलाल एच० शाह, सरकारी प्रतिनिधि :

“स्वेच्छापूर्ण सन्धि-चर्चाओं और सामूहिक सौदे की सफलताओं के लिए पहले दो चीजें आवश्यक हैं : सयुक्त ट्रेड यूनियन (मजदूर संघ) और कामयोजक तत्त्वों का विवेक एवं बुद्धिमत्तापूर्ण तथा ज्ञानवान दृष्टिकोण, जिसको कि पश्चिम के देशों में विकसित होने में बहुत वर्ष लगे हैं। एक अपविकसित आर्थिक तंत्र नियोजित लक्ष्य को प्राप्त करने के

लिए आगे बढ़ता हुआ देश मजदूर-प्रबन्धक सम्बन्ध को राज्यनियंत्रण की सीमा से बाहर रखने से उत्पन्न सकट नहीं ले सकता।”

श्री वावुभाई एम० चोनाई, कामयोजकों के प्रतिनिधि

“मजदूर-प्रबन्धक के सम्बन्ध को उचित रूप से उसी समय समझा जा सकता है जब कि इसको मानव-सम्बन्ध का एक भाग माना जाय। यह सर्वविदित है कि मानव-प्राणियों में छोटे-छोटे झगडे और बड़े-बड़े सकट परिवार में, कारखाने में, खेत में या राष्ट्रों में गलतफहमी और ठीक-ठीक विचारों और तथ्यों का प्रचार करने में विफलता मिलने के कारण उत्पन्न होते हैं। विचारशून्य शब्द और वाक्य गडबड को और अधिक बढ़ा देते हैं। कुछ कल्पनाएँ और धारणाएँ शब्दों के साथ जुड़ जाती हैं, उदाहरणार्थ जैसे कि “प्रबन्धक” (मैनेजमेण्ट) और “मजदूर” (लेबर)। जो लोग प्रबन्धक या मजदूर हैं वे उन धारणाओं के अनुसार रहते हैं, या उसके अनुसार रहने की उनसे आशा की जाती है, या मान लिया जाता है कि वे उनके अनुसार रहते हैं। किन्तु ये धारणाएँ विचारशून्य हैं। दानव-निर्माण की इस प्रक्रिया से किसी पक्ष को लाभ नहीं होता, और वे एक दूसरे की वास्तविक प्रकृतियों और कार्यों को नहीं जान पाते, और इसके अतिरिक्त, उपज के क्रियाकलाप में कठिनाइयाँ उत्पन्न करने से सारे समाज को उसका फल भोगना पड़ता है।”

ऊपर दिए विवरण से कोई उद्देश्य सिद्ध हुआ हो या न हुआ हो, किन्तु इससे मेरे पहले के वक्तव्य की भली-भांति पुष्टि होती है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कान्फ्रेंस के भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल ने अपने ढंग से पिछले ३६ वर्षों में प्रशसनीय अश्रदान दिया है। जो कोई भाषणों को पूर्णरूप में पढ़ेगा वह इस बात से प्रभावित हुए बगैर न रहेगा कि उनमें एक सामान्य सूत्र है—भारत के ऐतिहासिक पार्ट अदा करने का

सूत्र । यहाँ वह एन० एम० जोशी का गम्भीर मानवतावाद, चमन लाल का ओजस्वी एवं प्रभावशाली वक्तृत्व, लाजपतराय की उत्तेजनापूर्ण नैतिक श्रपील, बालचन्द्र हीराचन्द्र की स्पष्टवादिता, श्रीराम के मन के विचार, नवल ताता का प्रशिक्षणात्मक तर्क, शास्त्री की स्पष्ट सरलता, और त्रिपाठी की संरक्षणात्मक युक्तियाँ पाएँगी । इसी तरीके से अनवरत रूप से इनका अध्ययन करने वाला व्यक्ति इन भाषणों में प्रकट विचारों पर लम्बी आलोचना लिखने को ललचायगा । इन उद्धरणों से भी जो मुख्य बात निकलती है वह है कि स्वाधीनता से पूर्व के काल में, परतन्त्र पिजर-वद्ध और निस्सहाय भारत ने इस अन्तर्राष्ट्रीय समूह और जमाव में उन्मुक्त आकाश की हवा और साँस पाई, और आज वही वेदि और प्लेटफार्म उसको इस बात का अवसर दे रहा है कि सच्चे हृदय से इस बात का प्रयत्न करे कि भारत और कम विकसित देशों की सहायता के वास्ते ऐसे साधनों को उत्पन्न करे, जिनके बिना प्रगतिशील सामाजिक नीति का विकास और आगे बढ़ना क्रियात्मक नहीं है ।

अध्याय ६

आई० एल० ओ० प्राविधिक सहायता और भारत

आई० एल० ओ० की स्थापना १९१९ में हुई, और इसी समय से सस्था के जन्मकाल से ही, टेक्निकल (प्राविधिक) सहायता देना इस का एक नियमित कार्य रहा है। लेकिन दूसरे महायुद्ध के बाद इसका जो बहुत विस्तार हुआ है उसके अनेक कारण हैं। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है 'फिलेडेल्फिया घोषणा' में आई० एल० ओ० के उद्देश्यों और लक्ष्यों को नया रूप दिया जाना। इसमें कम विकसित देशों की ओर अधिकाधिक ध्यान देने के लिये कहा गया है। दूसरा कारण यू० एन० और इसकी विशिष्ट एजेंसियों का विस्तारित टेक्निकल सहायता प्रोग्राम का श्रीगणेश है, जो कि जुलाई १९५० से आया। यह सयुक्त राष्ट्र और इसकी विशिष्ट एजेंसियों का सयुक्त साहस है। इसके वास्ते धन इसमें शामिल होने वाली सरकारों द्वारा दिए गये अश्वान से आता है। कुल आई रकम को प्रशासकीय और अन्य व्ययों को निकालने के बाद विशिष्ट एजेंसियों में बांट दिया जाता है। इस सयुक्त कोष में आई० एल० ओ० का भाग लगभग १० प्रतिशत है।

उपर्युक्त प्रोग्राम के अमल में आने से पहले भारत को आई० एल० ओ० द्वारा सहायता देने का एक उदाहरण है, भारत का सामाजिक सुरक्षा कानून। दो विशेषज्ञों और एक वरिष्ठ अधिकारी ने आवश्यक

सलाह-मशविरा दिया। इसके आधार पर एम्प्लाइज स्टेट इंशुरेन्स लेजिस्लेशन (कर्मचारी राज्य बीमा कानून) का मसविदा बनाया गया और यह अन्त में १९४८ में स्वीकार किया गया।

अप्रैल १९५१ में आई० एल० ओ० और भारत सरकार ने टेक्निकल सहायता के लिए एक वृत्तियादी करार किया। इस करार के बाद से आई० एल० ओ० ने अनेक रूपों में टेक्निकल मदद दी है। इसका संक्षिप्त व्यौरा यहाँ दिया जा रहा है।

सामाजिक सुरक्षा

सितम्बर १९५२ में आई० एल० ओ० ने तीन विशेषज्ञों की सेवाएँ ६ मास के लिए दीं। इस मिशन का उद्देश्य था, कर्मचारी राज्य बीमा योजना का संघटन, इसके प्रशासन का तरीका, डाक्टरी लाभ की सूची-पद्धति का विकास और आवश्यक कर्मचारी मण्डल का प्रशिक्षण, इन बातों पर भारत सरकार को सलाह देना, जिससे कि इस योजना का विस्तार सारे देश में किया जा सके।

उपज

भारत सरकार के अनुरोध पर आई० एल० ओ० ने उपज-विशेषज्ञों की एक टीम भेजी। इसने अपना कार्य दिसम्बर १९५२ से प्रारम्भ किया। इस दल को यह काम सौंपा गया था, कि भारत के मजूद्वारों की कमाई और भारतीय उद्योगों की उपज में चुने हुए प्लाण्टों (स्थिरयंत्रों) में, काम के अध्ययन की आधुनिक पट्टा (टेक्नीक), और मशीनों की ठीक स्थापना और इसके अतिरिक्त, जहाँ ठीक हो "जैसा काम वैसा दाम" प्रणाली को लागू कर, कैसे वृद्धि की जा सकती है।

इस दल में पांच विशेषज्ञ थे। इनकी सहायता के लिए आई० एल० ओ० के कर्मचारीमण्डल के कई व्यक्ति और इनके प्रतियोगी भारतीय विशेषज्ञ थे। मिशन के प्रमुख और आई० एल० ओ० के अधिकारीगण

प्रारम्भिक कार्य समाप्त होने के बाद शोप विशेषज्ञों ने वर्म्बई, अहमदाबाद की कपडे की मिलों में और कलकत्ता के इजीनियरिंग उद्योग के घटकों में काम शुरू किया। दोनों दलो ने प्रबन्धकों और ट्रेडयूनियन के नेताओं को यह बताकर दिखा दिया कि उचित निरीक्षण होने से उसी प्लाण्ट पर और उसी साज-सामान से वर्तमान कर्मचारी मण्डल उपज-अध्ययन टेक्नीक से अपेक्षाकृत कम समय और अपूर्ण होने पर भी उपज में महत्वपूर्ण सुधार कर सकता है।

मार्च १९५३ में भारत सरकार को इस दल ने एक अन्तरिम रिपोर्ट दी। इसमें बताया गया था कि इजीनियरिंग उद्योग में १२५ प्रतिशत से ११६ प्रतिशत उपज में वृद्धि हो सकती है और वस्त्र उत्पादन में ६५ प्रतिशत से ३६ प्रतिशत उपज बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त प्रबन्धक-मजदूर सम्बन्धों और माल-सामग्री के उपयोग में लाभकारी परिणाम प्राप्त हुए।

इस दल ने पद्धतिपूर्ण अध्ययनों और मजदूरों की भौतिक अवस्थाओं को सुधारने, प्रबन्ध के सब स्तरों पर उचित चुनाव, शिक्षा और प्रबन्धकों का प्रशिक्षण, मशीन की उचितरूप से सार-सम्भाल और कपडे की मिलों में काम वाटने में श्राम लचकीलापन रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस दल ने 'नेशनल प्रोडक्टिविटी सेंटर' (राष्ट्रीय उपज केन्द्र) की स्थापना की सिफारिश की। इस केन्द्र का उद्घाटन 'सेंटरल लेबर इंस्टीट्यूट' के एक भाग के रूप में वर्म्बई में अक्टूबर १९५४ में किया गया।

पहले दल ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में बताया भारत में जनशक्ति की बहुतायत है और पूँजी दुर्लभ है; उपज बढ़ाने के लिए अतः यहाँ जो टेक्नीक बरती जाय उसका मूलमंत्र यह होना चाहिए कि बहुतायत से प्राप्त मानव-साधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो, और पूँजी की बरबादी हरेक रूप में रोकी जाय—न केवल साज सामान में, बल्कि

मानवदक्षता में भी नाश को रोका जाय, न केवल विदेशी मुद्रा में अपितु सम्पूर्ण औद्योगिक भौतिक ढांचे में बरबादी को बचाया जाय। अतः उपज-वृद्धि के ऐसे उपायो पर जोर देना चाहिए जिनमें सुधार के लिए नई पूँजी लगाने की आवश्यकता न हो, यदि हो तो बहुत कम मात्रा में हो, साथ ही छटनी न करनी पड़े या बेकारी में वृद्धि न हो; उत्पादन के सम्बन्ध में बहुत से परिवर्तन पूँजी की आवश्यकता को घटा देंगे, मीको और अवसरो को व्यापक बनाकर और विस्तार के अनुकूल अवस्थाएँ पैदा करने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूप से प्राप्त कामों की संख्या में वृद्धि होगी।

उपज मिशन के काम ने सिद्ध कर दिया कि काम के अध्ययन की टेक्नीक भारत में भी लागू हो सकती है, और इससे उत्पादन में उल्लेखयोग्य-वृद्धि हो सकती है, मजदूर-प्रबन्धक के सम्बन्धों में इससे सुधार होता है, और काम की अवस्थाओं में सुधार होने से मजदूरों को भी लाभ होता है, शारीरिक श्रम में कमी होती है, और इसके कारण वेतन भी अधिक ऊँचा मिलता है।

प्रथम 'उपज-मिशन' के वापस लौट जाने के बाद आई० एल० ओ० ने 'नेशनल प्रोडक्टिविटी सेंटर' (राष्ट्रीय उपज केन्द्र) के लिए और तीन विशेषज्ञ दिये और केन्द्र के लिए ताज-सामान की पूर्ति करने का भी अपने ऊपर भार लिया। दल के नेता ने आई० एल० ओ० की भारतीय शाखा के डाइरेक्टर और श्रम-मंत्रालय के कारखाना विभाग के चीफ एडवाइजर के साथ राज्यों की राजधानियों का दौरा किया। बम्बई, मद्रास और नागपुर में अधिकारियों, उद्योगपतियों और ट्रेड यूनियन के नेताओं के साथ संयुक्त बैठकें कीं। इस दल ने बड़ौदा में एक समुदाय-वाद-उपज परिकल्पना की स्थापना की। इसके अतिरिक्त इसके सदस्यों ने एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनीज बम्बई, बाम्बे स्टेट ट्रांसपोर्ट, और हिन्दुस्तान एग्रर-फ़ैक्ट्री, बंगलौर, को भी सहायता दी।

वागान के मजदूरों में दस्तकारी का विकास

ध्यावसायिक प्रशिक्षण पर आई० एल० ओ० ने फरवरी १९५३ में जापानी विशेषज्ञ दिया। इसका उद्देश्य था कि जब वागान के मजदूरों के पास कोई काम नहीं होता, उन खाली महीनों में उनको काम देने के लिए कोई काम खोजा जाय, और इस उद्देश्य से उपयुक्त प्रशिक्षण केन्द्रों का सघटन किया जाय। विशेषज्ञ ने आसाम के वागानों में प्राप्त साधनों का सर्वे किया और दस्तकारियों और फुटीर उद्योगों के विकास के लिए योजनाएँ तैयार कीं।

उद्योग के भीतर प्रशिक्षण (टी० डब्ल्यू० आई०)

भारत सरकार के निमंत्रण पर आई० एल० ओ० ने अगस्त १९५३ में एक विशेषज्ञ इस उद्देश्य से दिया जो काम-शिक्षण, काम के तरीकों, काम के सम्बन्धों के तरीकों का सूत्रपात करे और राष्ट्रीय टी० डब्ल्यू० आई० (नेशनल ट्रेनिंग विदिन इण्डस्ट्री) की योजना बँयार करे। विशेषज्ञ की सेवाएँ 'अहमदाबाद टेक्स्टाइल इण्डस्ट्री रिसर्च एसोसियेशन' को दी गईं। प्रारम्भ करने के ख्याल से बीस मिलों के उच्च प्रबन्धकों को अलग-अलग दो दिन शुरूके पाठ्यक्रम का शिक्षण दिया गया। प्रत्येक मिल में शिक्षार्थियों का चुनाव एक सामान्य योजना के अनुसार किया गया। ग्यारह विद्यार्थियों में से प्रत्येक को काम के तरीको और काम के सम्बन्धों का प्रशिक्षण दिया गया। दो सप्ताहों का प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम समाप्त करने के बाद ये वाईस अधिकारी अपनी-अपनी मिलों में ग्रन्थों को प्रशिक्षण देने के लिए वापस भेजे गए। टी० डब्ल्यू० आई० के प्रारम्भ करने के चार मास बाद अहमदाबाद के एक हजार से अधिक निरीक्षकों के दल ने एक या दूसरे प्रोग्राम की शिक्षा ली। तरीकों को सुधारने के सम्बन्ध में ३०० से अधिक सुझाव दिये गए, इन में से जावरों ने ही जो कि निरीक्षकों में सबसे निचले वर्ग के हैं—१५० सुझाव दिये। 'मिल ओनर्स एसोसियेशन', अहमदाबाद, 'टेक्स्टाइल लेबर

एसोसियेशन' और 'टेक्स्टाइल एसोसियेशन ऑफ टेक्नशियन,' ने टी० डब्ल्यू० आई० प्रोग्राम को पूर्णरूप से सहयोग दिया। इसके बाद काम शिक्षण का पाठ्यक्रम चालू किया गया। इसी प्रकार की परिकल्पना बडोदा में शुरू की गई।

टी० डब्ल्यू० आई० पाठ्यक्रमों की भाग अधिक होने पर भारत सरकार के अनुरोध पर आई० एल० ओ० ने एक और विशेषज्ञ की सेवाएँ दीं।

श्रम मंत्रालय ने 'सेंट्रल लेवर इंस्टीच्यूट' बम्बई के एक भाग के रूप में टी० डब्ल्यू० आई० केन्द्र प्रारम्भ किया। श्रम मंत्रालय का एक उच्च अधिकारी आई० एल० ओ० की प्रशिक्षण वृत्ति (फ़ैलोशिप) के अधीन विदेश जायगा और टी० डब्ल्यू० आई० का प्रशिक्षण प्राप्त कर विशेषज्ञों से कार्यभार संभालेगा।

ग्रहमदावाद और बडोदा में प्रोग्राम की सफलता ने कलकत्ता बंगलौर, दिल्ली और कोइम्बतूर जैसे केन्द्रों के उद्योगपतियों को भी प्रेरित किया कि वे भारत सरकार से टी० डब्ल्यू० आई० का वहाँ सूत्रपात करने का अनुरोध करें।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

फरवरी १९५५ में व्यावसायिक प्रशिक्षण का एक आई० एल० ओ० विशेषज्ञ भारत में एक साल के वास्ते आया, जिससे कोनी स्थित 'सेंट्रल इंस्टीच्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर्स' का पुनर्गठन किया जा सके और फोरमैन, चार्ज हेड्स, जैसे निरीक्षक व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जा सके और इसके बाद भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रों का पुनर्गठन किया जाय।

रोजगार सूचना और व्यावसायिक वर्गीकरण

१९५५ में आई० एल० ओ० ने भारत सरकार को रोजगार का एक विशेषज्ञ, और व्यावसायिक वर्गीकरण का एक विशेषज्ञ दिया।

ये विशेषज्ञ डाइरेक्टरेट जनरल ऑफ रिसेटनमेंट और एम्प्लायमेंट ऑफ दी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ सम्बद्ध थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में भारत द्वारा बेकारी और नियुक्ति की समस्या हल करने का बीडा उठाने पर उनके कार्य का भी प्रभाव है।

शिक्षक-प्रशिक्षण

जुलाई १९५६ में आई० एल० ओ० ने तीन विशेषज्ञ भारत सरकार को दिए। ये कोनी, विलासपुर में शिक्षक-शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देंगे और जो अन्य केन्द्र खुलेंगे वहाँ भी ये कार्य करेंगे।

स्त्रियों के काम की अवस्था

भारत समेत दक्षिण व पूर्वी एशिया के देशों में स्त्रियों के काम करने की दशाओं का सर्वे करने के लिए एक विशेषज्ञ १९५५ में आई० एल० ओ० द्वारा भेजा गया।

प्रशिक्षण शिक्षावृत्ति व इण्टर्नशिप

भारतीय राष्ट्रीयता के लोगों को विदेशों में इस प्रकार के विषयों का अध्ययन करने के लिए 'फेलोशिप' (प्रशिक्षण शिक्षावृत्ति) भी आई० एल० ओ० ने दिये हैं जैसे—औद्योगिक सम्बन्ध, श्रम कानून, खानों में खान खोदने की टेक्निक और मजदूरों की अवस्था, परिणाम के अनुसार वेतन देने का टेक्निक औद्योगिक कल्याण, व्यावसायिक पथ-प्रदर्शन, टी० डब्ल्यू० आई०, इस्पात निर्माण, फाउण्ड्री आदि। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था, जेनीवा का अध्ययन करने के लिए भी अनेक इण्टर्नशिपस (छात्रवृत्तियाँ) आई० एल० ओ० ने दीं।

सहकारिता पर विचार गोष्ठी और पाठ्यक्रम

१९५२ से १९५५ के मध्य भारतीय राष्ट्रीयता के लोगों के समेत एशियाइयों के वास्ते सहकारिता पर निम्न विचार गोष्ठिया (सेमिनार) और पाठ्यक्रम हुए।

- १ सहकारिता समस्याओं पर डेनिश विचार-गोष्ठी (सेमिनार),
३ अगस्त से २६ सितम्बर १९५२ (डेन्मार्क) ।
२. सहकारिता शिक्षा पर आई० एल० ओ० प्रादेशिक प्रशिक्षण
पाठ्यक्रम ५ से ३१ अक्टूबर, १९५३ (लाहौर) ।
- ३ सहकारिता पर आई० एल० ओ० प्रादेशिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
४ से २६ अक्टूबर, १९५४ (लाहौर) ।
- ४ सहकारिता पर आई० एल० ओ० प्रादेशिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
८ अगस्त से ३ सितम्बर १९५५ (बांडुंग) ।

भारतीय राष्ट्रीयता के कुछ लोगो ने इन पाठ्यक्रमों में व्याख्याता का भी काम किया ।

सेमिनार (विचार गोष्ठी)

प्रादेशिक आधार पर १९५१ में आई० एल० ओ० ने अम परि-
गणन पर नई दिल्ली में एशियाई देशों के लाभ के लिए सेमिनार
(विचार गोष्ठी) का संघटन किया । इस विचार गोष्ठी में अर्मा, लंका,
हांगकांग, भारत, हिन्देशिया, मलाया, फिलीपीन, सिंगापुर, वियतनाम
आदि ४६ देशों ने भाग लिया । इसमें वाद-विवाद हुए, अम-परिगणन के
अनेक टेक्निकल पहलुओं पर व्याख्यान हुए, कर्मचारीमण्डल के प्रशिक्षण
के उपायों पर भी व्याख्यान हुए । इस विचार-गोष्ठी (सेमिनार) के
लिए भारत ने भी व्याख्याता दिए ।

कारखाना-निरीक्षण पर एक और विचार-गोष्ठी फरवरी १९५२
में कलकत्ता में हुई । इसमें भाग लेने वाले लका, भारत, हिन्देशिया,
मलाया, फिलीपीन, सिंगापुर और वियतनाम द्वारा नामजद किये
व्यक्ति थे ।

रोजगार सेवा व व्यावसायिक प्रशिक्षण शार्गिर्दी शिक्षण संस्था :

एशियन मैनपावर टेक्निकल कान्फ्रेंस (एशियाई जनशक्ति टेक्निकल
कान्फ्रेंस) बैंकाक, दिसम्बर १९५१, के अनुरोध पर आई० एल० ओ०

ने टोकियो में रोजगार सेवा पर अक्तूबर-नवम्बर १९५२ में 'एशियन रीजनल इस्टीमेट' (एशियाई प्रादेशिक ज्ञानालय) का सघटन किया।

सितम्बर से दिसम्बर १९५२ तक यूरोप में एशियाई देशों के अधिकारियों के लिए एक एपरिण्टसशिप इस्टीमेट' (शागिर्दी शिक्षण-ज्ञानालय) का आयोजन किया गया।

फरवरी से यह १९५३ तक आस्ट्रेलिया, फिलीपीन और जापान में एशियाई देशों के अधिकारियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण ज्ञानालय (वोकेशनल ट्रेनिंग इस्टीमेट) का आयोजन किया गया।

इन सब सस्थाओं (इस्टीमेटो) में भारतीयों ने भाग लिया।

भारत द्वारा दी गई टेक्निकल सहायता

आई० एल० ओ० ने भारत से सहकारिता, कुटीर उद्योग, दस्तकारी और वैयक्तिक प्रशासन पर विशेषज्ञ भरती किए। ये विशेषज्ञ अफगानिस्तान, बर्मा, लका, मिश्र, साईबेरिया और फिलीपीन भेजे गए।

भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय ने भी सामाजिक सुरक्षा, सहकारिता, कुटीर उद्योग, दस्तकारी, कारखाना-निरीक्षण आदि विषयों पर आई० एल० ओ० द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण-शिक्षा-वृत्ति (फैलोशिप) लोगों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की। बर्मा, लका, मिश्र, गोल्डकोस्ट, हिन्दे-शिया, जापान, मलाया, पाकिस्तान, फिलीपीन और थाईलैंड से प्रशिक्षणार्थी (फैलो) भारत आए।

एशियाई क्षेत्रीय दफ्तर

आई० एल० ओ० का 'एशियन फोल्ड ऑफिस' (एशियाई क्षेत्रीय दफ्तर) कुछ वर्षों से बगलौर में काम कर रहा है। यह दक्षिण और पूर्वी एशिया के देशों में टेक्निकल सहायता प्रोग्राम के सम्बन्ध में योजना बनाने, उसको क्रियान्वित करने और उसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का काम करता है। यह यू० एन० टेक्निकल

असिस्टेन्ट्स बोर्ड के रेजीडेण्ट प्रतिनिधियों के साथ अपने कार्य-क्षेत्र की सीमा के देशों में सम्बन्ध रखता है और सम्बन्धित सरकारों को सामान्य और टेक्निकल ढंग की सलाह देता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि सरकारें अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर टेक्निकल सहायता पाने के लिए अनुरोध कर सकें।

अध्याय ७ नई दिल्ली कान्फ्रेंस

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था के भारतीय प्रतिनिधियों ने अन्य एशियाई प्रतिनिधियों के साथ १९२० और १९३० में इस भावना को प्रकट किया था कि 'सस्था' के क्रियाकलापो का मुख्यत सम्बन्ध यूरोप और यूरोपियन देशो से है। इस आलोचना में सचाई थी, और इसमें कुछ औचित्य भी था, जो कि १९४४ में 'फिलेडेल्फिया चार्टर' ने उचित रूप से ठीक कर दिया और इसके फलस्वरूप कम विकसित देशो में आई०एल० ओ० के काम पर जोर दिया।

आई० एल० ओ० की इस नवीन नीति का पहला परिणाम यह निकला कि २७ अक्टूबर से ८ नवम्बर १९४७ तक 'प्रिपरेटरी एशियन रीजनल कान्फ्रेंस' (एशियाई तैयारी प्रादेशिक कान्फ्रेंस) नई दिल्ली में हुई।

इस कान्फ्रेंस के सामने निम्न कार्यक्रम था

- १ सामाजिक सुरक्षा की समस्याएँ,
- २ श्रम कानूनों को लागू करने के समेत सामान्यत श्रम नीति,
- ३ कनवेंशनों और सिफारिशों में मूर्तरूप में आये सामाजिक प्रतिमानों को लागू करने की कार्रवाई का प्रोग्राम जो कि अभी तक सम्पुष्ट या स्वीकार नहीं किये गए,
४. औद्योगीकरण की समस्या के समेत सामाजिक नीति की पार्श्व भूमि।

इसके अतिरिक्त डाइरेक्टर-जनरल ने कान्फ्रेंस के सामने एक रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें अन्य बातों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के सामान्य क्रियाकलापो और प्रादेशिक क्रियाकलापो के मध्य एक-सूत्रता स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया था ।^१

इस कान्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधि-मण्डल बहुत बड़ा था । इसमें केन्द्रीय मंत्रिमंडल के दो मंत्री और प्रान्तों व रियासतों के १३ मंत्री प्रमुख उद्योगपति और मजदूर नेता सम्मिलित थे । भारत सरकार के श्रम मंत्री श्री जगजीवनराम इसके अध्यक्ष चुने गए । प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया ।

‘एशियन रिलेशन्स कान्फ्रेंस’ का जिक्र करते हुए, जिसका १९४७ में नई दिल्ली में ही अधिवेशन हुआ था, प्रधान मंत्री ने कहा, कि आई० एल० ओ० कान्फ्रेंस भी एक ऐतिहासिक महत्त्व की है । “अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था,” आगे प्रधान मंत्री ने कहा, “प्रथम महायुद्ध समाप्त होने के शीघ्र बाद जिसने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया था, सब उलट-फेरो को पार कर, यहाँ तक कि दूसरे महायुद्ध को भी पार कर, अपने को जीवित रखने में सफल हुई । मैं समझता हूँ कि यह एक बड़ी बात है, एक महान् सिद्धि है और मैं इस महान् सस्या के प्रति अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करना चाहता हूँ, जिसने दुनिया के लिए पहले ही बहुत अच्छा कार्य किया है । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था को जन्म देने वाला राष्ट्र संघ प्रतिकूल परिस्थितियों में समाप्त हो गया, पर संस्था जीवित रही और दूसरे महायुद्ध से पहले भी और महायुद्ध के दिनों में भी अपना कार्य करती रही और अब मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि यह अब और भी अधिक शक्ति और उत्साह के

१. इस कान्फ्रेंस के पूर्ण विवरण के लिए देखिए . रिकार्ड ऑफ प्रोसी-
डिंग्स, प्रिपरेटरी एशियन रीजनल कान्फ्रेंस ऑफ दी आई० एल०
ओ०, नई दिल्ली, अक्टूबर-नवम्बर, १९४७ ।

साथ कार्य कर रही हैं। दूसरा महायुद्ध समाप्त होने से पहले ही इसने अपनी प्रसिद्ध 'फिलेडेल्फिया घोषणा' १९४४ स्वीकार की। इसको मने पढा है और मेरा ख्याल है कि 'घोषणा' में निहित सिद्धांतों के अनुसार दुनिया यदि शासित हो, तो शायद ही कोई बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए मैं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था के द्वारा किए कामों की सराहना और प्रशंसा करने के भाव से इसको अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करना चाहता हूँ।"

सयुक्त राष्ट्र "एशियाई समस्याओं से अन्य" बातों में व्यस्त है, एशियाई देशों की "राजनीतिक स्वाधीनता पाने" और शेष दुनिया के अन्य बातों में उलझे होने का जिक्र कर प्रधान मंत्री ने कहा, "फिर भी विश्व-शांति का वास्तविक आधार होना चाहिए जैसा कि मेरा ख्याल है फिलेडेल्फिया घोषणा में कहा गया है, प्रत्येक देश में सबके वास्ते सामाजिक सुरक्षा, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय। मेरा विचार है कि घोषणा का एक वाक्य स्मरण करने योग्य है "स्थायी शान्ति" का, इसमें कहा गया है, "आधार केवल सामाजिक न्याय ही हो सकता है।" पुन 'किसी भी जगह की गरीबी सब जगहों की समृद्धि के लिए खतरा है।' यदि हम इन दोनों वक्तव्यों को स्मरण रखें, और उनके अनुसार काम करें, तो हम विश्व-समस्या के हल करने के राजनीतिक स्तर की अपेक्षा इस रीति से अधिक नजदीक होंगे। फिर 'घोषणा में स्वतंत्रता' प्रतिष्ठा और आर्थिक सुरक्षा समेत भौतिक मगल और आध्यात्मिक विकास करने के मानव-अधिकार की बात कही गई है।

"मुझे इसमें जरा भी शक नहीं है कि यदि यह घोषणा, पूर्णरूप से एशियाई देशों के साथ लागू की जाय, तो विश्वशान्ति अपेक्षाकृत बहुत जल्दी प्राप्त की जा सकती है।"

आगे आपने कहा "एशिया की गिरी वशा और एशिया में जीवन-प्रतिमानों के बहुत खराब और नीचा होने के कारण यह बहुत सम्भव है कि धनी और शक्तिशाली देश भी किसी किस्म की आर्थिक विश्व-भ्रंश में पड़

हो जाता है कि एशिया में जीवन-प्रतिमानों को ऊँचा किया जाय; दूसरे शब्दों में, सामान्य जनो को ऊँचे दर्जे पर होना चाहिए, और एशिया में हमें सब समस्याओं पर उस सामान्यजन की शब्दावली में विचार करना चाहिए।”

भारत की समस्याओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि “भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न आर्थिक है और यदि हम इसको हल न करेंगे या इसको अधिक श्रच्छा न करेंगे, सुधारेंगे नहीं, तो हमारी विपत्तियाँ और अधिक बढ़ जायेंगी। मुख्यरूप से यह समस्या है, बहुत बड़ी सख्या में लोग गरीब हैं, बेकार हैं और आधा पेट खाकर रहते हैं। विशाल संख्या के लोगों का जीवन के रहन-सहन का प्रतिमान नीचा है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था ने इससे पहले औद्योगिक प्रश्नों, औद्योगिक मजदूरों की रहने की दशाओं और एक सीमा तक खेती की दशाओं और खेतिहर मजदूरों के प्रश्नों पर काम किया है। फिर भी यदि मैं कहूँ कि इसने खेतिहर मजदूरों की अपेक्षा औद्योगिक मजदूरों पर अधिक ध्यान दिया है, तो इसका यह मतलब न लगाया जाय कि आप औद्योगिक मजदूरों पर कम ध्यान दें, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है और भारत में भी यह समाज में बहुत महत्वपूर्ण शक्तिशाली तत्त्व है। फिर भी भारत और एशिया के अधिकांश देश अब भी, और सम्भव है और आगे भी, कृषि प्रधान देश बने रहें। इसलिए, भारत में इन समस्याओं को नुत्पतः खेती की अवस्थाओं और उनमें सुधार करने की दृष्टि से लेना चाहिए।”

“इस देश में”, प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में आगे कहा, “अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कान्फ्रेंस के निर्णयों का हम अपनी अधिकतम शक्ति और सामर्थ्यभर पाबन करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। भूतकाल में भी हमने ऐसा करने का प्रयत्न किया है। इस समय में एकदम से यह नहीं बता सकता कि हमने किस सीमा तक पूर्णरूप से पालन किया है। हमारे मार्ग में एक कठिनाई रही है। भूतकाल में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के इन

कनवेंशनों और सिफारिशों को भारत सरकार ने शायद स्वीकार कर लिया हो, किन्तु भारत का एक भाग, जो भारतीय रियासतें कहाता था, पूर्णतः हमारे प्रभाव में नहीं था। उनके श्रम कानून, जैसे फैक्टरी एक्ट आदि, शेष भारत के श्रम कानूनों के समान नहीं थे। उन रियासतों के लोगों के लिए ही यह बात खराब नहीं थी, बल्कि यह शेष भारत के लिए भी खराब थी, क्योंकि वहाँ की प्रवस्थाओं का हमारी जनता पर भी प्रभाव पड़ता था, और वे शेष भारत में भी प्रतिमानों को नीचा रखने के कारण होते थे। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में यह सब बदल जायगा, और इन मामलों में एक सीमा तक एकरूपता रहेगी।”

भाषण को समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में औद्योगिक शान्ति की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होना आवश्यक है और आपने आशा प्रकट की कि कांग्रेस, “मजदूरों और खेती की अवस्थाओं के वास्ते प्रगतिशील सुधार की दशाएँ निर्धारित करेगा जिससे कि औद्योगिक शान्ति स्थापित हो।”

‘इण्टरनेशनल लेबर रिव्यू’ ने अपने एक लेख में इस भाषण के बारे में लिखा “इस भाषण ने कांग्रेस की सारी कार्रवाई के लिए प्रधान राग का काम किया—एशियाई देशों के सामाजिक और राजनीतिक विकास के वर्तमान रूप में सामाजिक न्याय को बढ़ाने के लिए सकल्प-पूर्ण प्रयत्नों का महत्व और इस आदर्श के अनुसरण में इन देशों को सहायता देने के कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था का भाग।”^१

डाइरेक्टर जनरल की रिपोर्ट पर हुई बहस में बहुत से वक्ताओं ने एशियाई देशों के आर्थिक तन्त्र में खेती और कुटीर उद्योग के महत्व पर जोर दिया।

१ “प्रीपरेटरी एशियन रीजनल कांग्रेस ऑफ दी इण्टरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली, २७ अक्टूबर, ८ नवम्बर १९४७।” इण्टरनेशनल लेबर रिव्यू, भाग ५७, स० ५ मई १९४८, पृष्ठ ४२५-४३७,। इस अध्याय का शेष भाग इसी लेख के आधार पर है

यह विचार भी प्रकट किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था ने खेतिहर मजदूरों को और बहुत कम ध्यान दिया है और कान्फ्रेंस में भी उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। यह भी कहा गया कि जब तक खेती करने के प्रचलित ढंग और भू-धरण प्रणाली में सुधार न होगा तब तक खेतिहर मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक सुधार में कोई उल्लेखयोग्य प्रगति न होगी।

बहुत से वक्ताओं ने कहा कि आई० एल० ओ० ने पहले बहुत कार्य किया है और वहस से भालूम हुआ कि इस बात से कि इस प्रकार की कान्फ्रेंस की गई है, व्यापक रूप और सच्चे दिल से सन्तोष माना गया है। भाषणों से इस बात में कोई शक नहीं रहा कि एशिया में सामाजिक कल्याण को बढ़ाने में 'संस्था' महत्वपूर्ण अंशदान देगी।

वहस का जवाब देते हुए नि० जेफ जेस—इस समय आई० एल० ओ० के डिप्टी डाइरेक्टर-जनरल हैं—ने कहा कि एशियाई देशों के आर्थिक तन्त्र में खेती और कृषि उद्योग के महत्व को दफ्तर स्वीकार करता है और खेती की फसलों के उत्पादको और कृषि उद्योगों में लगे मजदूरों की सामाजिक समस्याओं को हल करने के उपयुक्त उपायों को ढूँढने का काम अपने हाथ में लेगा।

सामाजिक सुरक्षा—सामाजिक सुरक्षा विषयक प्रस्ताव में इस विषय पर जोर दिया गया कि एशियाई देशों में सामाजिक सुरक्षा की योजना चालू करने की बहुत अधिक जरूरत है और सिफारिश की गई कि सामाजिक बीमा द्वारा आमदनी की सुरक्षा प्रदान की जाय। इसकी वित्तीय आवश्यकता सरकारें, कामयोजक, और मजदूर मिलकर पूरी करें, चिकित्सा की सुविधा सार्वजनिक चिकित्सा सुरक्षा सर्विस द्वारा दी जाय इसके वास्ते अंशदान की कोई शर्त न लगाई जाय न किसी प्रकार की परीक्षा ली जाय।

बच्चे और तरुण मजदूर—कान्फ्रेंस ने वाधित निःशुल्क शिक्षा का प्रसार करने की सिफारिश की और साथ ही कहा गया कि यह

कार्य शिक्षण सुविधाओं के योजनापूर्ण विकास के साथ हो, और नि-शुल्क टेक्निकल और व्यावसायिक स्कूलों का जाल विछाया जाय, शागिर्दों का नियमन हो। काम के घटो और तरुण मजदूरों के रात के काम का नियन्त्रण हो और तरुण मजदूरों के वास्ते कल्याण सेवाओं की स्थापना हो।

स्त्री मजदूर—स्त्रियों को काम पर लगाने और प्रसूति सरक्षण विषयक प्रस्ताव में कहा गया कि शिशु-गृहों और घाय घरों की स्थापना की जाय, दूध और शिशु आवश्यकताओं की मुफ्त व्यवस्था हो, हाथ-मुँह धोने का कमरा और अन्य सुविधाएँ अलग हो, घधा-प्रशिक्षण और बुनियादी शिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाय। और इस सिद्धान्त को स्वीकार किया जाय कि एक समान काम के लिए एक समान वेतन दिया जायगा और इसमें नर-नारी का भेद न किया जायगा।

देहात के मजदूर—देहात के मजदूरों के सम्बन्ध में कान्फ्रेंस ने सिफारिश की कि वेगार और बाधित कृषि सेवाओं का अन्त किया जाय, आदिवासियों और 'अस्पृश्य' जातियों की अवस्थाओं का सुधार किया जाय, भू-धरण समस्याओं का अध्ययन किया जाय, बागानों के मजदूरों की अवस्था सुधारने के लिए कानून बनाए जायें, और जहाँ-जहाँ सम्भव हो वहाँ लघु परिमाण के घरेलू और दस्तकारी उद्योगों का विकास किया जाय। कान्फ्रेंस ने इस बात की भी सिफारिश की कि खेतिहर मजदूरों और कुटीर उद्योग के मजदूरों अथवा औद्योगिक मजदूरों की हालतों को सुधारने के लिए सहकारी सस्थाओं का विकास किया जाय।

श्रम प्रतिमानों को लागू करना—कान्फ्रेंस ने इन सिद्धान्तों को लागू करने को विशेष रूप से महत्व दिया : सभा व सगम की स्वतन्त्रता मजदूरों के निरीक्षण के लिए उचित प्रणाली को कायम रखना, श्रम-नीति के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय प्रोग्राम का निर्माण, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था के कन्वेंशनों और सिफारिशों द्वारा निर्धारित

प्रतिमानों को प्रगतिशील रूप से अमल में लाने के लिए श्रम कानूनों का क्षेत्र बढ़ाया जाय ।

मजदूर-प्रबन्धक सहयोग—कान्फ्रेंस ने सरकारों से अपने-अपने देश में त्रिपक्षीय सस्था की स्थापना पर विचार करने के लिए कहा जिसके साथ कमेटियां भी हो और वह विशेष समस्याओं को हल करें, मजदूरों की अवस्था सुधारने के आवश्यक उपायों और साधनों को बढ़ावे, उद्योग में उत्पादन को बढ़ाने के उपाय करे, और श्रम व आर्थिक नीतियों पर सरकार को सलाह दे और इसके साथ ही यह अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था की अन्तर्राष्ट्रीय, और प्रादेशिक कान्फ्रेंसों और औद्योगिक कमेटियों के निर्णयों को क्रियान्वित करने के आवश्यक उपाय काम में लावें । एक प्रस्ताव में यह मत प्रकट किया गया कि इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता उत्पादन बढ़ाने और कामयोजकों और मजदूरों के बीच घनिष्ठ सहयोग स्थापित करने की है ।

अध्याय ८

आई० एल० ओ० और भारत में कामयोजकों और मजदूरों की संस्थाएँ

अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंस्था के संविधान के अनुच्छेद ३, पैरा ५ में कहा गया है—

“सदस्य वचन देते हैं कि गैर सरकारी प्रतिनिधियों और परामर्शदाताओं की नामजदगी औद्योगिक संस्थाओं की सहमति से की जायगी, यदि ऐसी कोई संस्थाएँ विद्यमान हो और जो कि कामयोजकों या मजदूरों की, जैसी भी अवस्था हो, अपने-अपने देशों में, सर्वाधिक प्रतिनिधि संस्था हों।”

आई० एल० ओ० संविधान का यह उपबन्ध आधार है, जिस पर ‘संस्था’ का त्रिपक्षीय ढाँचा ठहरा हुआ है। क्योंकि इसके अनुसार सदस्य राज्यों की सरकारें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कांग्रेस के लिए कामयोजकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों को चुनती हैं और हाल में आई० एल०ओ० की औद्योगिक समितियों के लिए भी चुनने लगी हैं।

इस अध्याय के लिखने का उद्देश्य यह है कि कामयोजकों और मजदूरों को इस उपबन्ध ने अपने-अपने क्षेत्र में अपना संगठन करने में जो मदद दी है, उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जाय। यह तीन कारणों से महत्वपूर्ण है। (१) जहाँ कामयोजकों और मजदूरों की संस्थाएँ राष्ट्रीय स्तर पर सुसंगठित हैं वहाँ उच्च स्तर पर पारस्पर-

रिक मेल होने का अवसर अधिक है और यह मेल उद्योग व व्यवसाय के स्तर पर मजदूर-प्रबन्धक सम्बन्ध में परिलक्षित हो सकता है। इस प्रकार वे औद्योगिक शान्ति स्थापित करने में सहायक हो सकती हैं और राष्ट्रीय समृद्धि के लिए यह आवश्यक है। (२) इस प्रकार की संस्थाएँ औद्योगिक लोकतंत्र का आवश्यक भाग हैं। (३) अधिक अच्छे साधनों के होने पर वे अध्वयन और खोज का कार्य अपने हाथ में ले सकती हैं। ये तीनों बातें यदि सम्मिलित व एकत्र हो जाएँ, तो ये सामाजिक न्याय को प्रभावशाली अशदान देंगी।

कामयोजको की संस्थाएँ

भारत के यूरोपियन व्यावसायिक हितों और उद्योगपतियों ने अपने हितों के संरक्षण के लिए १९१९ से पहले ही 'चेम्बर्स ऑफ कामर्स' और 'एसोसियेशनों' की स्थापना की थी। अम नीति के सम्बन्ध में भारत सरकार और स्थानीय सरकारें इन से सलाह लेती थीं। स्थानीय संस्थाओं, केन्द्रीय और प्रान्तिक धारा-सभाओं में भी उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त था। भारतीय व्यावसायिक समाज ने १८८७ में 'चेम्बर्स आफ कामर्स' का कलकत्ते में संघटन किया। बाद में बम्बई, मद्रास और अन्य स्थानों में भी 'चेम्बर्स' की स्थापना हुई। बम्बई में 'मिल ओनर्स एसोसियेशन' की १८७५ में स्थापना हुई। उद्योगपतियों के अन्य संघ-टन यूरोपियन, भारतीय या मिश्रित भी अस्तित्व में आए।^१ ये चेम्बर्स और 'एसोसियेशन' प्रादेशिक थे या किसी एक विशेष उद्योग के लोगों के थे। कामयोजकों की उच्च स्तर पर या राष्ट्रीय आधार पर संस्थाएँ १९१९ के बाद ही बनीं। 'दी एसोसियेटेड चेम्बर्स ऑफ कामर्स ऑफ इण्डिया एण्ड सीलोन' की (यह मुख्यतः यूरोपियन 'चेम्बर्स' की एक

१. इण्ट स्ट्रियन लेबर इन इण्डिया (आई० एल० ओ०) १९३८, पृ० ११७-१२०।

कमेटी थी) स्थापना १९२० में हुई। इसके बाद से १९२१ के कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन को छोड़कर १९१६ से १९२६ तक कामयोजको के प्रतिनिधि इससे लिए जाते थे। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि आई० एल० ओ० कांग्रेस में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए मुख्यतः इस सस्या का निर्माण हुआ। इस बीच स्वातन्त्र्य आन्दोलन ने राष्ट्रीय भावनाओं को उत्तेजन दिया। भारतीय कामयोजकों के प्रतिनिधियों के रूप में "गैर राष्ट्रीयों" को नियुक्त करने का "भारतीय व्यावसायिक और औद्योगिक सस्याओं ने जोरदार विरोध किया।" १९२१ के बाद पहली बार १९२७ में "प्रमुख इण्डियन चेम्बरस ऑफ कामर्स" की सिफारिश पर सरकार ने कामयोजको का एक प्रतिनिधि कांग्रेस के दशम अधिवेशन के लिए नियुक्त किया था।^१ यह उल्लेख योग्य बात है कि "फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बरस ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री" (भारतीय वाणिज्य व उद्योग मण्डल) की स्थापना १९२७ में हुई। बाद में भारत के औद्योगिक कामयोजको की अखिल भारतीय सस्या १९३३ में "फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बरस ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज" के तत्त्वावधान में स्थापित हुई। इसी वर्ष 'वाम्बे मिल प्रोनर्स एसोसियेशन' के तत्त्वावधान में "एम्प्लायर्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया" (भारतीय कामयोजक सघ) की स्थापना हुई। इन दो सस्याओं को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि ये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कांग्रेस और आई० एल० ओ० की कमेटियों की त्रिपक्षीय कमेटियों के वास्ते बारी-बारी से प्रतिवर्ष अपने प्रतिनिधि भेजती हैं। उनके उद्देश्यों में ये बातें भी सम्मिलित हैं (१) श्रम और पूँजी के नव्य समरस सम्बन्ध की स्थापना हो, (२) विभिन्न धारा-सभाओं में अपने सदस्यों के हितों का उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करना,

१ "दी डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लायर्स ऑरगनाइजेशन इन इण्डिया" लेख से उद्धरण दिए गए हैं। इसके लेखक हैं ए० एच० मार (इंटर नेशनल लेबर रिव्यू, फरवरी १९३३)

(३) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कांग्रेस में भारत के कामयोजकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधियों और परामर्शदाताओं की नियुक्ति ।

ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंस्था की स्थापना और भारत का इसका सदस्य होना, इन कारणों से भारत में कामयोजकों की संस्थाओं को परस्पर एकसूत्र में आबद्ध होने और केन्द्रीय संस्था स्थापित करने के लिए उत्तेजन मिला । “कामयोजकों की इन संस्थाओं की स्थापना,” जैसा कि आई० एल० ओ० के प्रकाशन “इण्डस्ट्रियल लेबर इन इण्डिया” में कहा गया है, “एक तो इस कारण हुई कि औद्योगिक मजदूरों को बड़ी मात्रा में काम पर लगाया गया और सारे देश के वास्ते कामयोजकों की एक श्रम-नीति की आवश्यकता अनुभव की गई, और दूसरा कारण यह हुआ कि भारतीय कामयोजकों ने यह अनुभव किया कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंस्था के विचारों में अधिक अच्छी स्थिति से भाग लेने के वास्ते एक केन्द्रीय संस्था की स्थापना आवश्यक है ।”^१

मजदूरों की संस्थाएँ

भारत में मजदूरों की संस्थाओं की स्थापना में अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंस्था का प्रभाव कामयोजकों की संस्थाओं की अपेक्षा भी, जिसका ऊपर वर्णन किया गया है, कहीं अधिक है और उल्लेखनीय है ।

१९१८ से पहले का ट्रेड यूनियन (मजदूर आन्दोलन) का इतिहास बहुत लम्बा नहीं और इस अवधि में जो महत्वपूर्ण यूनियनों कायम हुई उनकी सूची इस प्रकार है ।^२

वाम्बे मिल वर्कर्स एसोसियेशन

१८६०

अनलगामेटिड सोसायटी आफ रेलवे सर्वेण्ट्स

ऑफ इण्डिया

१८६७

१. इण्डस्ट्रियल लेबर इन इण्डिया पृ० १२०

२. इण्डस्ट्रियल लेबर इन इण्डिया पृ० १२७

प्रिण्टर्स यूनियन, कलकत्ता १९०५

पोस्टल यूनियन बम्बई १९०७

वर्कमेंन्स वेल्फेयर एसोसियेशन, बम्बई १९१०

किन्तु, जैसा कि शाही श्रम कमीशन ने लिखा था, "युद्ध से पहले सभ्या का अस्तित्व अधिक अच्छा धेतन पाने वाले रेलवे कर्मचारियों और सरकार के नौकरों के कुछ वर्गों को छोड़कर और इनकी सीमा से परे सभ्या का अस्तित्व शायद ही था।"^१

भारत में १९१८ से पहले ट्रेड यूनियन (मजदूर सघ) का आन्दोलन शुरू नहीं हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के मजदूरों में व्यापक रूप से अशांति थी। इसके कारण इस पुस्तक में अन्यत्र दिए गए हैं। इस काल में जो सबसे बड़ा और उल्लेखयोग्य प्रभाव पड़ा वह था महात्मा गांधीजी ने जो अहमदाबाद के मिल-मालिकों और मजदूरों के झगड़े का फैसला कराने में महत्वपूर्ण पार्ट अदा किया जैसा कि श्री गुलजारीलाल नन्दा ने कहा है, "गांधीजी सच्चे और वास्तविक अर्थों में भारतीय मजदूर आन्दोलन के प्रथम नेता गिने जा सकते हैं।"^२

एक और कारण भी प्रेरक सिद्ध हुआ। कामयोजकों के मध्य यूरोपियन थे, जो कि अपने में से कामयोजकों के प्रतिनिधि भेज सकते थे। लेकिन मजदूरों के लिए ऐसा करना सम्भव नहीं था। इस कारण से १९१८ के आरम्भ से ही मजदूरों की सभ्या का निर्माण करने के लिए जोर-शोर से आन्दोलन शुरू हुआ।

जैसा कि डी० पी० पी० पिल्ले ने कहा है, "भारत में आधुनिक ट्रेड-यूनियन (मजदूर सघ) के आन्दोलन का प्रारम्भिक काल १९१८-२१ के वर्षों को समझना चाहिए।" आगे आपने लिखा है, "१९१८ में इण्डियन

१ रिपोर्ट ऑफ दी रायल कमीशन ऑन लेबर इन इण्डिया, पृ० ३१७।

२ "ह्लाट गांधीजी हैज इन फॉर इण्डियन लेबर," ले० श्री गुलजारी लाल नन्दा, 'प्लेनिंग फॉर लेबर' '१९४७ के 'सिम्पोजियम' में।

सोमैन्स यूनियन कलकत्ता स्वीकार हुई और इसी साल 'मद्रास लेबर यूनियन', 'दी वलक्'स यूनियन', बम्बई स्वीकार की गई। 'दी बाम्बे प्रोजेडेंसी पोस्टमैन्स यूनियन', 'दी कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट एम्प्लाइज एसोसियेशन', और 'दी एशियाटिक सैलून क्लब यूनियन ऑफ बाम्बे' की स्थापना हुई। १९१६ की सूची कम प्रभावशाली नहीं। इसमें कलकत्ता की कर्मचारियों की तीन एसोसियेशन हैं, एन० डब्ल्यू०, जी० आई० पी० और एम० एण्ड० एस० एम० रेलवे की तीन बड़ी रेलवे यूनियनें हैं और 'पजाब प्रेस एसोसियेशन' और 'मेकेनिकल वर्कर्स यूनियन' भी शामिल हैं। १९२० में 'जमशेदपुर लेबर एसोसियेशन', 'अहमदाबाद वर्कर्स यूनियन', 'दी इण्डियन कोलरी एम्प्लाइज एसोसियेशन ऑफ भरिया', 'दी वी० एन० रेलवे इण्डियन लेबर यूनियन', 'दी आल इण्डिया पोस्टल एण्ड आर० एम० एस० यूनियन', 'दी वर्मा' लेबर एसोसियेशन, 'दी इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया इण्डियन स्टाफ एसोसियेशन', 'दी बंगाल निनिस्ट्रियल आफिसर्स एसोसियेशन', 'दी हवडा लेबर यूनियन', 'दी उडिया लेबर यूनियन', 'दी वी० एण्ड एन० डब्ल्यू० रेलवेमेन्स एसोसियेशन', 'दी वी० वी० एण्ड सी० आई० रेलवे एम्प्लाइज यूनियन', 'दी ई० वी० रेलवे इण्डियन एम्प्लाइज एसोसियेशन', 'दी बाम्बे पोर्ट ट्रस्ट एम्प्लाइज यूनियन', और 'दी अवध एण्ड व्हेलण्ड रेलवे एम्प्लाइज यूनियन', ये यूनियनें स्थापित हुईं। ये नाम उदाहरणार्थ दिए गए हैं, इस अवधि में स्थापित यूनियनों की यह पूरी सूची नहीं है। इनके अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में और बहुत सी यूनियनें स्थापित हुईं। इनमें से अधिकांश बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली यूनियनें सिद्ध हुईं।"२

१. वर्मा इन समय भारत का एक भाग था।

२. इण्डिया एण्ड दी इन्टरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन, ले० पी० पी० पिल्ले १९३१, पृ० ११८-११९।

'वी टेक्सटाइल लेबर एसोसियेशन', ग्रहमवावाद की भी स्थापना १९२० में हुई थी। यद्यपि विभिन्न स्थानों पर यूनियन और मजदूर सघ स्थापित हो गए थे, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था के लिए मजदूर प्रतिनिधि भेजने का जहाँ तक सम्बन्ध था इनका कोई उपयोग नहीं था। श्री वी० शिवराव के अनुसार यूनियनों का सघ बनना भी बहुत पहले शुरू हो गया था। १९२० में इस क्षेत्र में मद्रास ने नेतृत्व किया। मद्रास में एक 'सेण्ट्रल लेबर बोर्ड' का उद्घाटन किया गया। इसका एक निश्चित उद्देश्य था कि प्रान्त में नवीन यूनियनों की स्थापना की जाय, कामयोजकों और मजदूरों के बीच समरस सम्बन्ध स्थापित किया जाय, वेतन बढ़ावाया जाय और मजदूरों का दर्जा ऊँचा किया जाय। इसी साल के अन्तिम भाग में 'आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस' अस्तित्व में आया। इस अखिल भारतीय सस्था की शीघ्र स्थापना में मुख्य प्रेरक कारण "अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कान्फ्रेंस, जेनीवा की आवश्यकता थी कि मजदूरों का प्रतिनिधि देश की सबसे बड़ी सस्था का प्रतिनिधि हो।"^१

इण्डियन ट्रेड यूनियन एक्ट १९२६ की स्वीकृति के साथ ट्रेड यूनियन आन्दोलन एक और बड़े मील-पत्थर पर पहुँचा और जब भारत स्वतन्त्र हुआ, तब यह एक और बड़े मील-पत्थर पर पहुँचा। आन्दोलन का इतिहास विशेषतः केन्द्रीय फेडरेशनों का जीवन सर्वथा शान्ति से नहीं बीता। लेकिन एक बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए अर्थात् प्रत्येक केन्द्रीय फेडरेशन इस बात को बहुत महत्व देती थी कि सरकार उसको सर्वाधिक प्रतिनिधि सस्था स्वीकार करे ताकि वह आई० एल० ओ० की बैठकों में अपना प्रतिनिधि भेज सकें। क्योंकि इससे अलभ्य अवसर प्राप्त होते हैं, यूनियनों को इससे प्रोत्साहन और प्रेरणा प्राप्त होती है और इसके कारण ट्रेड यूनियन के क्षेत्र में सघटन का कार्य तेजी से बढ़ता है।

१ इण्डस्ट्रियल वर्कर इन इण्डिया, ले० वी० शिवराव १९३२, पृ० १४६

भारत में त्रिपक्षीय श्रम संस्था

शाही श्रम कमीशन ने सिफारिश की थी कि "कानून द्वारा एक संस्था स्थापित की जाय, जिसमें कामयोजको, मजदूरों और गवर्नमेंट के प्रतिनिधि नियमित रूप से कांग्रेस में मिलें।" कमीशन ने सिफारिश की थी कि 'इण्डस्ट्रियल कौंसिल' (औद्योगिक कौंसिल)—प्रस्तावित संस्था—विभिन्न हितों के पारस्परिक मेल और प्रत्यक्ष सम्पर्क के आधार पर सन्तोषजनक औद्योगिक सम्बन्ध कायम रखने का कारण होगी। कौंसिल के कार्यों में, जैसा कि कमीशन ने प्रस्ताव किया था, श्रम कानून को श्रमल में लाने के वास्ते आवश्यक नियमो-उपनियमों के बनाने में नीति का विचार, आर्थिक अनुसंधान का विकास और उसमें एकसूत्रता स्थापित करना भी शामिल था और इनके अतिरिक्त कानून बनाने के सम्बन्ध में नीति-निर्माण भी उसमें सम्मिलित था।

यह प्रकट है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के त्रिपक्षीय ढांचे ने कमीशन को इसकी सिफारिश करने के लिए अनुप्राणित किया था। जो कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत अधिक सफल रहा है। कमीशन का विचार केवल सुपरिक्षित मशीनरी का राष्ट्रीय क्षेत्र में निर्माण करना ही नहीं था, बल्कि आई० एल० ओ० के उद्देश्यों को और अधिक आगे

१. त्रिपक्षीय संस्था की स्थापना के विवरण के लिये देखिए : "दी इंस्टीच्युशन ऑफ ए ट्रीपार्टाइट लेबर आर्गनाइजेशन इन इण्डिया : दी फ्ल्युएस ऑफ दी आई० एल० ओ०" (इण्टरनेशनल लेबर रिव्यू भाग ४७, न १ जनवरी १९४३)।

बढाना था । इसने यह बात कही थी कि प्रस्तावित कौंसिल "स्वभावतः अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सन्धा के निकट सम्पर्क में आवेगी । यह अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सन्धा द्वारा स्वीकृत कन्वेंशनो और सिफारिशों के मसविदे पर सलाह देने के लिए पूर्णतया योग्य और समर्थ होगी । इस प्रया की स्थापना में कोई दिक्कत न होगी कि 'कान्फ्रेंस' के निर्णयो को केन्द्रीय धारासभा इस 'कौंसिल' के पास भेजे, जो कि इस पर विचार करने के बाद अपने निश्चय से केन्द्रीय धारा सभा को सूचित करे ।"

कमीशन की सिफारिश के अनुसार ७ अगस्त, १९४२ को केन्द्रीय, प्रान्तिक और देशी रियासतो की सरकारो के प्रतिनिधियो और कामयोजको और मजदूरों के प्रतिनिधियो की एक कान्फ्रेंस नई दिल्ली में हुई । इसमें यह निश्चय हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सन्धा के नमूने पर एक स्थायी त्रिपक्षीय श्रम सन्धा स्थापित की जाय, जिसके अन्तर्गत 'इण्डियन लेबर कान्फ्रेंस' (भारतीय श्रम कान्फ्रेंस) और एक 'स्टैंडिंग लेबर कमेटी' (स्थायी श्रम कमेटी) हो ।

इण्डियन लेबर कान्फ्रेंस (भारतीय श्रम कान्फ्रेंस) के १९४२ में अध्यक्ष समेत ४४ सदस्य थे । इसका अध्यक्ष भारत सरकार का श्रम सदस्य था । इनमें से २२ गवर्नमेंटो (केन्द्रीय सरकार, प्रान्तिक सरकारें अधिक महत्वपूर्ण रियासतें और नरेन्द्र मण्डल) का प्रतिनिधित्व करते थे और ११-११ कामयोजको और मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते थे । यह रचना बारहवें अधिवेशन तक कायम रही जो कि १९५२ में नैनीताल में हुआ था । इसके अपवाद ६वाँ, १०वाँ और ११वाँ अधिवेशन हैं जिनमें सरकारों के २२ प्रतिनिधियो में अध्यक्ष भी सम्मिलित था । बारहवें अधिवेशन के लिए स्थिति में कुछ परिवर्तन किया गया । सरकारों के प्रतिनिधियों की संख्या २२ निश्चित की गई, अध्यक्ष को इसमें शामिल नहीं किया गया, और कामयोजको और मजदूरों के प्रतिनिधियों की संख्या घटाकर प्रत्येक की ६-६ कर दी गई और स्वतंत्र कामयोजको और मजदूरों दोनों के २-२ प्रतिनिधि कम कर दिये गए । इस प्रकार पहली

वार सरकारी और गैर-सरकारी दलों की समानता में परिवर्तन किया गया ।

सब राज्य सरकारों को प्रतिनिधित्व देने के विचार से भारतीय श्रम सत्या (इण्डियन लेबर कान्फ्रेंस) ने, तेरहवें अधिवेशन में और अपने सघटन पर विचार किया और निश्चय किया कि रचना का अनुपात बदलकर इस प्रकार कर दिया जाय २-१-१ ।

इसी प्रकार स्थायी श्रम कमेटी (स्टैंडिंग लेबर कमेटी) अध्यक्ष को छोड़कर २० सदस्यों की थी—सरकारों के प्रतिनिधि दस और कामयोजकों और मजदूरों के प्रतिनिधि ५-५ । १९४६ में इसका ग्यारहवाँ अधिवेशन हुआ और इस समय तक इसकी रचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । बारहवाँ अधिवेशन नवम्बर १९५० में हुआ । इसमें कमेटी के सदस्यों की संख्या २० से बढ़ाकर २४ कर दी गई—सरकारी प्रतिनिधि १२, कामयोजकों के ६ और मजदूरों के ६ । तेरहवाँ अधिवेशन जुलाई १९५३ में हुआ । कामयोजकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों की संख्या घटाकर प्रत्येक की ६ से ५ कर दी गई, प्रत्येक में से “स्वतंत्र” कामयोजकों और मजदूरों का एक-एक प्रतिनिधि कम कर दिया गया । यद्यपि सरकारी प्रतिनिधियों की संख्या १२ रही । इस प्रकार पहली बार सरकारी और गैरसरकारी दलों की समानता में अन्तर आ गया ।

कान्फ्रेंस का अधिवेशन साल में एक बार होता है । इसके उद्देश्यों में ये भी हैं : (१) श्रम कानूनों में एकरूपता, (२) औद्योगिक विवादों के निर्णय के लिये प्रक्रिया का निर्धारण और (३) कामयोजकों और मजदूरों सम्बन्धी अखिल भारतीय महत्व के सब प्रश्नों और मसलों पर विचार ।

अधिकांश राज्यों में भी भारतीय श्रम कांफ्रेंस (इण्डियन लेबर कांफ्रेंस) के नमूने पर परामर्शदात्री सत्याएँ विद्यमान हैं ।

कनवेशन कमेटी

भारतीय श्रम कान्फ्रेंस के १३वें अधिवेशन की सिफारिश पर श्रम मंत्रालय के सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कनवेशनों पर एक त्रिपक्षीय कमेटी बनाई गई जिसमें कामयोजको और मजदूरों का एक-एक प्रतिनिधि था। इसकी स्थापना आई० एल० ओ० के अतम्पुष्ट कनवेशनों पर विस्तार से विचार करने और उनकी परीक्षा करने और इस बातकी सिफारिश करने कि कौन से कनवेशन सम्पुष्ट किये जा सकने हैं, के लिए हुई। कमेटी की पहली बैठक ७ अगस्त १९५४ को मद्रास में हुई। कनवेशनों की विस्तार से परीक्षा करने के बाद कमेटी ने तत्काल निम्न कनवेशनों को सम्पुष्ट करने की सिफारिश की. कनवेशन (२९) वेगार १९३०, और कनवेशन (२६), १९२८ का वेतन निश्चित करने की के सम्बन्ध में, मशीनरी विषयक। इसके बाद ये कनवेशन सम्पुष्ट कर दिए गए।

एक अन्य कनवेशन (५), न्यूनतम आयु सम्बन्धी (उद्योग) १९१९ कमेटी की स्थापना के बाद सम्पुष्ट किया गया। यद्यपि इस कमेटी की बैठकें केवल दो बार हुई हैं किन्तु इसने ठोस काम किया है। इसकी कुछ सिफारिशें उदाहरणार्थ नीचे दी जा रही हैं।^१

मजदूर मुआवजा (दुर्घटना) सम्बन्धी कनवेशन (१७) १९२५

कमेटी ने सिफारिश की कि 'वर्कमेन्स कम्पेनसेशन एक्ट' के विचाराधीन सशोधन में कनवेशन के उपबन्ध को भी स्थान दिया जाय।

इसमें यह भी कहा गया कि 'वर्कमेन्स कम्पेनसेशन एक्ट' का क्षेत्र बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए।

१ "इफ्ल्यूएस ऑफ इण्टरनेशनल लेबर कनवेशन्स ऑन इण्डियन लेबर लेजिस्लेशन"।

काम के घंटे (वाणिज्य और दफ्तर) सम्बन्धी कनवेंशन (३०) १९३०

केन्द्रीय सरकार द्वारा नमूने के बिल का एक मसविदा तैयार किया गया जिसमें इस कनवेंशन के उपबन्धों का भी ख्याल किया गया था। कमेटी ने सिफारिश की कि राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाय कि वे इस बिल के आधार पर कानून बनावें।

सचेतन वार्षिक छुट्टी सम्बन्धी कनवेंशन (५१), १९३६

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस कनवेंशन की भावना भारत में पहले से ही श्रमल में है और इसके अनुसार काम हो रहा है, कमेटी ने कहा कि इस कनवेंशन का क्षेत्र इससे भी अधिक व्यापक है। इसके अनुसार उसने सिफारिश की कि केन्द्रीय और राज्य सरकारें विद्यमान कानून का क्षेत्र धीरे-धीरे विस्तृत करने का यत्न करें, और जहाँ कहीं छुट्टियों के विद्यमान उपबन्ध कनवेंशन के उपबन्धों से कम हो, वहाँ उनको कनवेंशन के स्तर के समान कर दिया जाए।

सुरक्षा (इमारत) सम्बन्धी उपबन्ध कनवेंशन (६२), १९३७

सुरक्षा के प्रश्न को कमेटी ने बहुत महत्व दिया कि यह कनवेंशन तदुद्देशीय इमारत व निर्माण उद्योग त्रिपक्षीय कमेटी के कार्यक्रम में विचारार्थ रखा जाय और इस बात का निर्णय किया जाय कि इस बारे में क्या कार्रवाई करनी चाहिए।

वेतनों के परिगणन और काम के घण्टे सम्बन्धी कनवेंशन (६३), १९३८

कमेटी ने सिफारिश की कि भाग २ के सम्बन्ध में कनवेंशन तुरंत सम्पुष्ट किया जाय और जिन राज्य सरकारों ने "इण्डस्ट्रियल स्टेटिस्टिक्स (लेबर) क्लब" को अभी तक नहीं अपनाया, उनसे अनुरोध किया जाय कि वे श्रम मन्त्रालय द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर इसको करें।

काम के घण्टे और विश्राम की अवधि (सड़क परिवहन) संबंधी कनवेंशन (६७), १९३६

कमेटी ने ४८ घंटों का सप्ताह जारी करने और मोटर वीहीकल्स एक्ट का क्षेत्र बढ़ाने के महत्व पर जोर देते हुए सिफारिश की कि इस एक्ट के क्षेत्र का विस्तार करने और ४८ घण्टे का सप्ताह जारी करने के सम्बन्ध में विशेष रूप से सलाह ली जाय।

रोजगार सेवा सम्बन्धी कनवेंशन (८८), १९४१

भारत सरकार द्वारा रोजगार सेवा सस्था को देश में स्थायी करने की पहले की गई सिफारिश का समर्थन करते हुए कमेटी ने कहा कि जब यह किया जाय तो कनवेंशन को सम्पुष्ट किया जाय।

सरकारी ठेकों में श्रम-धाराओं सम्बन्धी कनवेंशन (९४), १९४६

सरकारी काम के ठेकों में उचित वेतन सम्बन्धी धाराओं के उप-बन्ध के बारे में केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रगति का विचार करने के बाद कमेटी ने सिफारिश की कि इमारत व निर्माण उद्योग की तदुद्देश्य कमेटी इस प्रश्न पर और अधिक विचार करे।

वेतन-सरक्षण सम्बन्धी कनवेंशन (९५) १९४६,

'वेमेन्ट ऑफ वेजिज एक्ट' का क्षेत्र बढ़ाने को कमेटी ने बहुत महत्व दिया जिससे अतिरिक्त उद्योग और कर्मचारियों के वर्ग इसके अन्दर आ जायें। राज्य सरकारों के विचार इस सम्बन्ध में मगाए गए।

फीस लेने वाली रोजगार एजेंसियों सम्बन्धी कनवेंशन (९६), १९४६

कमेटी ने सिफारिश की कि इस देश में इस प्रकार की एजेंसिया किस मात्रा और किस किस्म की हैं इसकी जांच की जाय और यह अन्तिम सिफारिश करने के ख्याल से की जाय। इस बीच इस प्रकार की

एजेंसियों की उन देशों में क्या कानूनी स्थिति है जिन्होंने इस कन्वेंशन को सम्पुष्ट किया है, इसका अध्ययन किया जाय और उसकी रिपोर्ट दी जाय ।

समान मूल्य के काम के लिए नर-नारी को समान वेतन देने सम्बन्धी कन्वेंशन (१००), १९५१

कन्वेंशन के उपबन्धों का अनेक मामलों में पालन किया जाता है । यह मानते हुए कमेटी ने कहा कि इसको सम्पुष्ट करने में मुख्य कठिनाई यह है कि काम का मूल्यांकन करने वाली ठीक मशीनरी का अभाव है । अतः इसको धीरे-धीरे अमल में लाना चाहिए और कमेटी ने सिफारिश की कि वेतन निश्चित करने वाले अधिकारियों को प्रशासकीय निर्देश दिया जाय कि वे वेतनों का निश्चय करते हुए, या वेतनो का निश्चय करने की सिफारिश करते हुए इस सिद्धान्त का ध्यान रखें और इस उद्देश्य से नियुक्त अधिकारी टेक्निकल व्यक्तियों की मदद से, जैसी भी परिस्थिति हो उसके अनुसार, काम के मूल्यांकन के आधार पर मामलों की जांच करे । इस अर्थ में समान वेतन का सिद्धान्त उद्योग की किस सीमा तक लागू है, इस विषयक ज्ञातव्य बातों का संग्रह किया जाय और उसको कमेटी के सामने पेश किया जाय ।

आई० एल० ओ० औद्योगिक कमेटियों के नमूने पर भारत में त्रिपक्षीय औद्योगिक कमेटियां विशेष समस्याओं को हल करने के लिए बनाई गई हैं । ये कमेटियां कोयला, सूती वस्त्र, जूट, वागवानी, सीमेंट, खाल और चमड़े का सामान, इमारती और निर्माण उद्योग की हैं । सूती वस्त्र, सीमेंट और चमड़े के सामान की कमेटियों की १९४८ में केवल एक बार बैठक हुई, जूट औद्योगिक कमेटी की अभी तक एक भी बैठक नहीं हुई ?

कोयला खान औद्योगिक कमेटी के अब तक चार अधिवेशन हुए । दो १९४८ में, एक १९५१ में और एक १९५२ में; वागवानी

औद्योगिक कमेटी के तीन अधिवेशन हुए, १९४७, १९४८ और १९५० में एक-एक। तीन दलों (सरकार, कामयोजक और मजदूर) को इन कमेटियों में प्रतिनिधित्व देने के विषय में किसी एक नियम का अनुसरण नहीं किया गया, किन्तु इस श्रवण के साथ कि सब कमेटियों में मजदूरों और कामयोजकों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया।^१

हाल में इमारत व निर्माण उद्योग की त्रिपक्षीय कमेटी बनाई गई है। इसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों के १६ प्रतिनिधि हैं और ठेकेदारों और मजदूरों के ८-८। सरकार ने १२ व्यक्तियों की एक स्थायी समिति भी बनाई है जो कि की गई प्रगति पर विचार करने और समय-समय पर उठने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए बराबर बैठ करेगी। स्थायी समिति में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, कामयोजकों और मजदूरों इनमें से प्रत्येक के चार-चार प्रतिनिधि होंगे।

भारत सरकार द्वारा गठित और अधिक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय संस्थाएँ हैं (१) स्टेच्युटरी मिनिमम वेजिज् सेण्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड (कानूनी न्यूनतम वेतन केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड), यह जाच करने और केन्द्रीय क्षेत्र के उपयोगों में वेतनों का न्यूनतम दर निश्चित करने के बारे में सलाह देने के लिए है, (२) एडवाइजरी कमेटी (डॉक वर्कर्स), एण्ड डाक लेबर बोर्ड्स एट दी पोर्ट्स (बन्दरगाह परामर्शदाता (डॉक मजदूर) व डॉक मजदूर बोर्ड), (३) मल्लाह व खलासी रोजगार बोर्ड, बम्बई, (४) सेण्ट्रल बोर्ड आफ दी प्रावीडेण्ट फण्ड

१, लेबर लेजिस्लेशन इन इण्डिया, १९३७-५२, पृ ७३ टिप्पणी

स्कीम; और (५) कौयला व श्रवरक खान मजदूर कल्याण बोर्ड के लिए परामर्शदत्त समिति ।^१

१ दी इण्डियन लेबर ईयर बुक १९५३-५४, पृ० १६८

श्रम मंत्रालय की वुलेटिन सीरीज में "भारतीय श्रम कान्फ्रेंसों" की कार्रवाई मुद्रित रूप में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है और मैनेजर ऑफ़ पब्लिकेशन्ज़ दिल्ली से मिल सकती है । मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वुलेटिनो की सूची इण्डियन लेबर ईयर बुक में दी गई है । इसमें प्रतिवर्ष त्रिपक्षीय श्रम सस्था की वार्षिक समीक्षा भी रहती है ।

अध्याय १०

कांग्रेस, मजदूर और आई० एल० ओ०

भारतीय प्रान्तों में सन् १९३७ में शासन-सूत्र लेने या स्वाधीनता के दाव केन्द्र और राज्यों में शासक-पार्टी के रूप में राज्य-सूत्र लेने से बहुत पहले से इण्डियन नेशनल कांग्रेस मजदूरों की यूनियनों के संघटन और मजदूरों का हित करने के कार्य कर रही है। भारत के सामने जो समस्याएँ हैं उनके प्रति इस राजनीतिक पार्टी का क्या रुबंया है, यह जानने से इस बात को जानने की कुंजी मिल जायगी कि अन्तर-राष्ट्रीय श्रम कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों को क्रियान्वित करने में कितनी सफलता मिलेगी और आई० एल० ओ० के साथ भारत का विशेषत १९४७ के बाद से और भविष्य में क्या सम्बन्ध रहा है और रहेगा।

भारत में मजदूर-आन्दोलन का इतिहास बहुत कुछ करके उस समय से आरम्भ होता है जब अन्तरराष्ट्रीय श्रम संस्था की स्थापना हुई थी। आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना १९२० में हुई और इसके प्रथम प्रेजीडेण्ट लाला लाजपतराय थे, जो कि उसी साल कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के सभापति हुए थे। इस संस्था को कांग्रेस का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। कुछ समय तक तो कांग्रेस के प्रधान और मंत्री ही इसके प्रधान और मंत्री होते थे। १९१६ में जवाहरलाल नेहरू ए० आई० टी० यू० सी० के प्रेजीडेण्ट थे और १९२० में

सुभाषचन्द्र बोस । इन दिनों यह मजदूरों की सर्वाधिक प्रतिनिधि संस्था थी और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कान्फ्रेंस के लिए प्रतिनिधियों का यही चुनाव करती थी ।

ए० आई० टी० यू० सी० के अन्दर विचारों और आदर्शों के मध्य मतभेद होने के कारण १९३१ में फूट पड़ गई । कांग्रेसजन वैयक्तिक रूप से इसमें भाग लेते रहे । मजदूर आन्दोलन के साथ उनका सम्बन्ध बना रहा । नेशनल फेडरेशन और कम उग्र वामपक्षी लोगों की यूनियनों द्वारा कांग्रेसजन मजदूर आन्दोलन को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहे । मजदूरों के कल्याण-कार्य में कांग्रेसजनों की दिलचस्पी कम नहीं हुई । इण्डियन नेशनल कांग्रेस इस समय १९३० में राजनीतिक संग्राम में व्यस्त थी । भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के लोकप्रिय आन्दोलन के मजदूर और यूनियनों सर्वाधिक समर्थक थीं ।

स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड यूनियन संगठन के इतिहास में आए बिना मैं यहाँ दो घटनाओं का ही उल्लेख करना चाहता हूँ जो कि यहाँ उल्लेखयोग्य हैं । ये घटनाएँ हैं : (१) अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसियेशन की १९१८ में स्थापना—सत्य और अहिंसा इन दो सिद्धान्तों के आधार पर हुई, और (२) हिन्दुस्तान मजदूर सेवक संघ की १९३८ में स्थापना । टेक्सटाइल लेबर एसोसियेशन इस समय सर्वाधिक शक्तिशाली और सुसंगठित संस्था देश में है । हिन्दुस्तान मजदूर सेवक संघ का मृत्युत सम्बन्ध श्रम-क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों से था, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, निवास-गृह और दारू-बन्दी के क्षेत्र में । यह सघ १९४७ में ट्रेड यूनियनवादियों की दिल्ली में हुई कान्फ्रेंस में 'इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस' में परिणत हो गया । इसके बाद से आई० एन० टी० यू० सी० बराबर अधिकाधिक शक्तिशाली होता गया और ट्रेडयूनियनों की नेशनल फेडरेशनों में इसकी सदस्य संख्या सबसे अधिक है । भारत में यह मजदूरों की सर्वाधिक प्रतिनिधि संस्था है और यह अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था और आई० एल० ओ० की त्रिपक्षीय

कमेटियों के वास्ते मजदूर प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। इसका नेतृत्व मुख्यतः कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाता है। इससे प्रकट है कि आई० एल० ओ० को इस पार्टी का पूरा समर्थन प्राप्त है।

कांग्रेस पार्टी का आई० एल० ओ० को समर्थन प्राप्त है, इसको मानने का एक और कारण है, क्योंकि गांधीजी के और आई० एल० ओ० के काम करने के ढंग में महत्वपूर्ण समानता है। महात्मा गांधीजी के नेतृत्व में अविश्वास, सघर्ष, हड़ताल या तालाबन्दी के द्वारा शक्ति-परीक्षा के तरीके की जगह कांग्रेस ने अहिंसा, प्रेरणा, वाद-विवाद सन्धि-चर्चा और करार करने के उपायो पर अधिक बल दिया। कांग्रेस इस विवेकपूर्ण प्रमेय को स्वीकार करती है कि काम की अवस्थाओं में सुधार होना सामाजिक और आर्थिक तत्वों पर उतना ही निर्भर करता है, जितना कि यह लोकतन्त्र और प्रगति के विचारों के साथ सगति रखता है। साधनों की पवित्रता एवं शुद्धता, विरोधी का उचित सम्मान और वैयक्तिक स्वामित्व की मान्यता, इन बातों पर गांधीजी का बल देना—यद्यपि गांधीजी के मतानुसार सम्पत्ति के मालिक को अपने-आपको उसका ट्रस्टी समझना चाहिए—विकासशील तरीकों पर जोर देना था, और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संस्था भी इसी मार्ग का अनुसरण करती है।

तीसरी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है इण्डियन नेशनल कांग्रेस की मजदूरों के प्रति हितचिन्ता। कराची अधिवेशन, १९३१ में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि किसी भी भावी सविधान में मजदूर के लिए निम्न बातें होनी चाहिए

(१) औद्योगिक मजदूर के लिए जीवन निर्वाह योग्य वेतन, श्रम के सीमित घण्टे, काम की स्वास्थ्यवर्द्धक अवस्थाएँ, बुढ़ापा, बीमारी और बेकारी के आर्थिक परिणामों से सरक्षण।

(२) मजदूर दासता या दासता के आसपास की हालतों से मुक्त किया जाना चाहिए।

- (३) मजदूरनियो को सरक्षण, विशेषतः प्रसूति के समय छुट्टी के वास्ते उपयुक्त उपबन्ध ।
- (४) स्कूल जाने की उमर के बच्चो को फैक्टरियों में काम पर लगाने को मनाही ।
- (५) अपने हितो की रक्षा के लिए मजदूरो को अपनी यूनियने बनाने का अधिकार और विवादो का मध्यस्थता द्वारा तस्फिया कराने के लिए उपयुक्त व्यवस्था ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-कान्फ्रेंस द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिमानो का मुख्य तत्त्व, इसमें मौजूद है । मजदूरो के प्रति कांग्रेस पार्टी का बुनियादी रचैया उपयुक्त प्रस्ताव में मूलरूप में विद्यमान है और इसके बाद से यह कई बार दुहराया गया है । इण्डिया एक्ट १९३५ के अधीन हुए पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के निर्वाचन-घोषणा-पत्र में यह दुहराया गया । इस कानून द्वारा भारत को प्रान्तिक स्वायत्त शासन दिया गया था । इन निर्वाचनो के फलस्वरूप इण्डियन नेशनल कांग्रेस सात प्रान्तो में सरकार बनाने में समर्थ हुई । कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा एक श्रम-समिति नियुक्त की गई और कांग्रेस के श्रममंत्रियो ने अक्टूबर १९३७ में एक सयुक्त कान्फ्रेंस की और श्रम-सुधार का एक विस्तृत प्रोग्राम प्रस्तावो के रूप में स्वीकार किया । इस प्रोग्राम और कांग्रेस श्रम समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्तावो का उद्देश्य सामान्यतः यह था कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कान्फ्रेंस द्वारा स्वीकृत श्रम-प्रतिमानो को धीरे-धीरे राष्ट्रीय क्षेत्र में क्रियान्वित किया जाय । दूसरे महायुद्ध के छिड जाने और कांग्रेस मन्त्रि-मण्डलो द्वारा इस्तीफा दे देने के कारण उनके द्वारा शुरू किया गया काम बीच ही में रुक गया । प्रान्तिक सरकारें जब फिर बनीं तो फिर उनको शुरू किया गया । किन्तु वास्तविक प्रारम्भ देश के स्वाधीन होने के बाद ही हुआ । इस समय कांग्रेस पार्टी ने देश का शासन करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी ।

१९४५ में कांग्रेस द्वारा प्रकाशित निर्वाचन-घोषणा-पत्र में पुनः

कामयोजको और मजदूरों के अच्छे सम्बन्धों, सब लोगों को काम देने, विवादों के निर्णय के वास्ते उपयुक्त मशीनरी, सस्था बनाने का अधिकार, कल्याण सुविधाएँ, न्यूनतम वेतन, जीवन-निर्वाह का अच्छा प्रतिमान और उचित निवास-गृह पर जोर दिया गया था।

निर्वाचन-घोषणा-पत्र के एक भाग में मजदूर समस्या पर जो कुछ कहा गया है, उसमें आई० एल० ओ० प्रतिमानों का प्रभाव है, यह कहना आवश्यक नहीं। कांग्रेस द्वारा स्वीकृत कन्वेंशन और सिफारिशों, अन्ततोगत्वा भूमण्डल के अनुभव का परिणाम है, और चूँकि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संहिता (इण्टरनेशनल लेबर कोड) सभ्य समाज के अन्दर मजदूरों के जीवन-प्रतिमान-विषयक विचारों के विकास के आधार पर आश्रित है, अतः यह उन देशों में जो इतने उन्नत नहीं हैं, इन विचारों के विकास की प्रक्रिया पर अपना प्रभाव डालता है। मुख्य बात यह है कि मजदूरों एवं श्रम विषयक आदर्शों और इनको प्राप्त करने के उपायों, इन दोनों में समानता है। भारत का नया संविधान २६ जनवरी १९५० को अमल में आया। उसने इन उद्देश्यों पर अपनी अर्द्धसत्ता की छाप लगा दी है।

इस सक्षिप्त सर्वे का उद्देश्य केवल यह दिखाना था कि स्वाधीन होने के बाद से भारत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था का एक अत्यधिक उत्साही सदस्य रहा है, क्योंकि इण्डियन नेशनल कांग्रेस की नीति प्रारम्भ से ही इस तरह की रही है।^१

१. पूर्ण और अधिकारपूर्ण विवरण के लिए देखिए "कांग्रेस एण्ड लेबर मूवमेण्ट इन इण्डिया" ले० पी० पी० लक्ष्मण, प्रकाशक ए० आई० सी० सी० इलाहाबाद, १९४७, पृ० १७४।

अध्याय ११

आई० एल० ओ० की भारतीय शाखा

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संस्था और भारत के सम्बन्धों के बीच एक कड़ी है, आई० एल० ओ० का शाखा-दफ्तर। नवम्बर १९२८ में इसका दफ्तर नई दिल्ली में स्थापित किया गया। सम्भवतः आई० एल० ओ० का इससे पहले लन्दन में दफ्तर खोला गया। इस प्रकार यह सबसे अधिक पुराने शाखा-दफ्तरों में है और इस समय से यह बराबर काम कर रहा है।

केन्द्रीय दफ्तर के समान नई दिल्ली शाखा भी 'संस्था' की क्षमता के भीतर के विषयों पर जानकारी देने का काम करती है। इसका एक मुख्य काम भारत की सामाजिक और आर्थिक दशा पर प्रधान कार्यालय को एक मासिक रिपोर्ट देना है। १९२९ से ये रिपोर्टें बराबर दी जा रही हैं और ये रिपोर्टें आज अध्ययन और खोज के वास्ते अमूल्य जानकारी का भण्डार हो गई हैं और ये सरकारी अधिकारियों, कामयोजको, मजदूरों, सार्वजनिक व्यक्तियों और शोधक विद्वानों को अध्ययन के लिए सुलभ हैं।

शाखा-दफ्तर के प्रथम डाइरेक्टर डा० पी० पी० पिल्ले थे। आपने १९५३ में सेवा से अवकाश लिया।

शाखा-दफ्तर बहुत अच्छा काम कर सकता है, यह अनुभव करके १९५३ में भारत-सरकार ने डाइरेक्टर-जनरल के अनुरोध पर श्रम-मंत्रा-

लय के सेक्रेटरी श्री० वी० के० आर० मेनन को 'इण्डियन सिविल सर्विस' से अवकाश लेने के बाद आई० एल० ओ० के शाखा-दफ्तर का डाइरेक्टर पद ग्रहण करने की अनुमति दी। श्री मेनन आई० एल० ओ० की प्रशासन समिति (गर्वनिग वॉडी) में १९५० से १९५३ तक सरकारी प्रतिनिधि थे। अन्तर्राष्ट्रीय-श्रम कान्फ्रेंस के १९५०, १९५१ और १९५२ के अधिवेशनो में आप भारत सरकार के प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य थे। प्रशासन समिति के सदस्य और भारत सरकार के प्रतिनिधि के नाते आप वागवान कार्य कमेटी (वांडुंग १९५०) कोयले खान कमेटी (जेनीवा १९५१) और लोहा व इस्पात कमेटी (जेनीवा १९५२) के अध्यक्ष थे।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम दफ्तर के प्रथम प्रमुख (चीफ) अलवर्ट टामस शाखा दफ्तरों और पत्र-व्यवहार दफ्तरों (कारिसपांडेड्स आफिसिज) को आई० एल० ओ० का दूतावास और वकील या प्रतिनिधि दफ्तर (काउन्सलर आफिसिज) मानते थे। इनसे आशा की जाती है कि सस्था के सच्चे उद्देश्यों और शुद्ध विकासों की व्याख्या करने के अतिरिक्त राष्ट्र की नाडी और घड़कन के साथ सम्पर्क रखेंगे। इन महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ण करने के अतिरिक्त आई० एल० ओ० के शाखा-दफ्तरों को और भी अन्य काम करना पड़ता है। ये देश के आर्थिक, सामाजिक जीवन में भाग लेते हैं, और जेनीवा और सदस्य देश के मध्य दो-तरफा संचार-मार्ग और देश के अन्दर सरकार-कामयोजक-मजदूर सहयोग का आधार-बिन्दु है।

१५ अगस्त, १९४७ के बाद से और विशेषतः प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुरू होने के बाद से नई दिल्ली शाखा-दफ्तर का काम और भी अधिक भारी हो गया है। अभाव और हृद दर्जों की गरीबी एवं शोचनीय स्थिति की विशाल और भारी समस्या पर काबू पाने की दिशा में जो सामाजिक और आर्थिक विकास जोर और वेग पकड़ रहे हैं उनके साथ न केवल इसको कदम-से-कदम मिलाकर चलना है, बल्कि

चारो ओर जो तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, उनके अनुसार भी अपने को बदलना और बनाना है। औद्योगीकरण के साथ-साथ मजदूरों के अन्दर अपने अधिकारों का बहुत अधिक ज्ञान हो गया है, दूसरी ओर प्रबन्धक औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों की गतिविधियों और विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। नित बढ़ रहे राष्ट्रीयकृत उद्योगों में उच्चस्थ प्रबन्धकों और निरीक्षकों का एक वर्ग उत्पन्न हो रहा है। इन सब का अर्थ है, नई आवश्यकताओं का जन्म, और इसके समानान्तर औद्योगिक सम्बन्धों, प्रशिक्षण समस्याओं, उच्चतर उपज, श्रम-कानून आदि विषयों पर जानकारी की मांग। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय शाखा-दफ्तर इन जरूरतों को पूरा करने का प्रयत्न कर रहा है। नीचे दिये इसके कुछ काम इस मतलब से केवल नहीं दिये गए कि शाखा-दफ्तर के काम को भली भाँति समझा जावे, बल्कि इस विचार से भी कि यह जो सुविधाएँ देता है, इसका अधिकाधिक मात्रा में उपयोग किया जाय।

जानकारी—ऊपर इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि शाखा-दफ्तर की मासिक रिपोर्ट में पिछली एक चौथाई सदी के भारत की आर्थिक व सामाजिक विकासों की जानकारी विद्यमान है। शाखा-दफ्तर अन्य देशों के विकासों पर विशेषतः निम्न विषयों पर जानकारी दे सकता है :

श्रम कानून, काम की अवस्थाएँ—सामान्य रूप में, वेतन, जनशक्ति का प्रश्न, औद्योगिक सम्बन्ध, स्त्रियाँ और तरुण मजदूर, सफेदपोश मजदूर, सामुद्रिक या खलासी, सुरक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा, सहकारिता और दस्तकारी, श्रम-परिगणन।

निर्देश पुस्तकालय—१९३० से संगृहीत सरकारी और गैर-सरकारी रिपोर्टों और प्रलेखों के अतिरिक्त आई० एल० ओ० का सम्पूर्ण प्रकाशन शाखा दफ्तर के निर्देश पुस्तकालय में मौजूब है। इसके साथ-साथ मजदूर-प्रबन्धक सम्बन्धों, उद्योग में मानव-सम्बन्ध, उपज, सामाजिक व आर्थिक नीति आदि विषयों पर भारतीय और विदेशी

प्रकाशनो का सग्रह बराबर बढ़ता जा रहा है ।

आई० एल० ओ० बुलेटिन—शाखा दफ्तर समय-समय पर बुलेटिन प्रकाशित करता है । जिसमें प्रकाशित और अप्रकाशित प्रलेखो का सार, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-दफ्तर द्वारा प्रकाशित रिपोर्टें और लेख होते हैं जो कि भारत के काम के होते हैं ।

भारत में नवीन विकास—१९५५ में शाखा-दफ्तर ने प्रकाशन का भी काम प्रारम्भ कर दिया है । यह पुस्तिकाओं के रूप में है । इनमें भारतीय आर्थिक तंत्र के कुछ पहलुओं में हाल में हुए विकासो पर लेखो का सग्रह होता है । इस प्रकार दो पुस्तिकाएँ अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं । इनमें निम्न विषयो पर लेख हैं - भारत में रोजगार की स्थिति और नेशनल एम्प्लायमेंट सर्विस का काम, भारत के आर्थिक विकास में कुटीर और लघु प्रमाण के उद्योग, भारत में भूमि-सुधार १९४७-५४, भारत में श्रम, भारत में खेतिहर मजदूर, भारत में सहकारी गृह सोसायटियाँ—एक सर्वे; भारत में सामूहिक परिकल्पनाएँ और राष्ट्रीय विस्तार सेवा ।

अन्य प्रकाशन—भारतीय शाखा-दफ्तर ने १९५१ में एक महत्वपूर्ण प्रकाशन “एशियन लेबर लॉज” (एशियाई श्रम कानून) नाम से किया । इसमें भारत समेत एशिया के १५ देशों के श्रम कानूनों का सग्रह है । इसके साथ एक बड़ी भूमिका है । जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय नियमों व कानूनों और राष्ट्रीय कानूनों का विस्तार के साथ विश्लेषण किया गया है । इस ग्रन्थ में १५०० से अधिक पृष्ठ हैं ।

“लेबर लेजिस्लेशन इन इण्डिया १९३७-५२”—एक दूसरा प्रकाशन १९५२ में प्रकाशित किया गया । श्रम-मन्त्रालय की कनवेंशन कमेटी के दूसरे अधिवेशन, बम्बई (मई, १९५५) में दिये गए सुझाव पर शाखा-दफ्तर ने फरवरी १९५६ में “इण्टरनेशनल स्टैंडर्डज फॉर लेबर—ए ब्रीफ रिव्यू”, इस शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की । इसमें आई० एल० ओ० द्वारा स्वीकृत कनवेंशनों और सिफारिशों का संक्षिप्त

विवरण दिया गया है। शाखा दफ्तर 'एशियन लेबर लॉज १९५१' का पूरक, और लेबर लेजिस्लेशन इन इण्डिया (भारत में श्रम कानून) का प्रारम्भ से श्रव तक का पूरा विवरण प्रकाशित करने वाला है।

आई० एल० ओ० न्यूज सर्विस—हिन्दी और अंग्रेजी में समाचारों की एक पत्रिका प्रतिमास प्रकाशित की जाती है और आवेदन करने पर मुफ्त भेजी जाती है। इससे प्रतिमास आई० एल० ओ० से सम्बन्धित महत्वपूर्ण घटनाएँ और भारत के सम्बन्ध में समाचार रहते हैं।

आई० एल० ओ० प्रकाशन—शाखा-दफ्तर आई० एल० ओ० के प्रकाशनों को बेचता भी है और इसके नियतकालिक और अनियतकालिक पत्रों का चन्दा भी वसूल करता है।

टेक्निकल सहायता—यद्यपि शाखा-दफ्तर टेक्निकल सहायता के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है, लेकिन भारत में आई० एल० ओ० का मुख्य दफ्तर होने के नाते यह महत्वपूर्ण पार्ट श्रदा करता है। सरकार के साथ बराबर सम्पर्क रखने के अतिरिक्त यह 'एशियन फील्ड आफिस' (क्षेत्र दफ्तर) को उसके काम में सहायता देता है और आई० एल० ओ० के विशेषज्ञों और फ़ैलो (प्रशिक्षण वृत्ति प्राप्त) लोगों की मदद करता है और उनका पथ-प्रदर्शन करता है।

अनौपचारिक सहायता—भारत में हो रहे परिवर्तनों की भावना का एयाल रखते हुए यह सरकार की भी जब-तब की जा सकने वाली सहायता करता है। यह अनौपचारिक सम्पर्क और काम द्वारा की जाती है। चूँकि आई० एल० ओ० जन-शक्ति की समस्या में अधिक रस लेता है, अतः शाखा-दफ्तर के डाइरेक्टर ने एक 'अध्ययन मण्डल' (स्टडी ग्रुप) का प्रमुख होने का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। जिसको कि दूसरे पचवर्षीय योजना के काल में शिक्षित बेकारों की समस्या को हल करने के लिये योजना बनाने का काम सौंपा गया था। इस मण्डल

ने १९५६ के आरम्भ में अपनी रिपोर्ट दी। शाखा-दपतर के डाइरेक्टर ने कनवेंशन कमेटी के कार्य में भी सहायता दी है और नियोजन कमीशन (प्लैनिंग कमीशन) की श्रम-सूची (पैनल) के एक सदस्य हैं।

अध्याय १२

उपसंहार

इस समय २५ लाख कल-कारखानों में, ६ लाख खानों में, १२ लाख बागानों में, १० लाख रेलवे में, १ लाख डॉको और जहाजों में मजदूर काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त म्युनिसिपैलिटियों में ५० हजार सरकारी नौकरियों में १२ लाख, असंगठित उद्योगों में ६ लाख, कुटीर और लघु परिमाण के उद्योगों में २ करोड़ लगे हुए हैं। इसके अलावा ४६ करोड़ भूमिहीन मजदूर और उनके आश्रितजन हैं।

प्रथम महायुद्ध से पहले भारत के औद्योगिक विकास का हाल इस पुस्तक के पहले अध्याय में दिया गया है। इसके बाद उद्योगों का विकास कैसे हुआ ? प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस विषय में कहा गया है : "१९२२, जब विभेदात्मक संरक्षण नीति स्वीकार की गई, और १९३६ के मध्य तक देश में सूती वस्त्र का उत्पादन २॥ गुना बढ़ा, इस्पात इलाका का ८ गुणा, कागज का २॥ गुणा उत्पादन बढ़ा। पर खाण्ड का १९३२ से ३६ तक के चार सालों में ही उत्पादन इतना बढ़ा कि देश की सम्पूर्ण आवश्यकता यह उद्योग पूरी करने में समर्थ हुआ। सीमेण्ट उद्योग का विकास, जोकि इसी काल (१९३५-३६) में हुआ, देश की ६५ प्रतिशत जरूरत पूरा करता था। दियासलाई, शीशा, वनस्पति, सायुन और इंजीनियरिंग उद्योगों की भी बड़ी बढ़ती हुई। दो महायुद्धों के बीच के काल की समाप्ति पर विजली का साज-सामान और माल

का बनाना भी प्रारम्भ हो गया ।

“दूसरे महायुद्ध ने ऐसी अवस्थाएँ उत्पन्न कर दीं, जिनसे भारतीय उद्योगों की विद्यमान क्षमता का अधिकतम उपयोग करने का अनुपम अवसर मिला । बहुत से उद्योग जैसे, लोह-मिश्रित, अलोह धातुएँ, एलूमोनियम, एण्टीमनी, डीजल एंजिन, पम्प, वाइसिकल, सीने की मशीन जैसे उद्योग, सोडाऐश, कास्टिक सोडा, क्लोरीन और सुपर फासफेट सदृश रासायनिक द्रव्य और कुछ एक प्रकार के मशीनटूल और सरल मशीनरी बनाने के उद्योग, इस अवधि में साधारण पैमाने पर प्रारम्भ किये गए । लेकिन मुख्यरूप से प्रोत्साहन और उत्तेजन मध्यम और लघु परिश्रम के उद्योगों को मिला, जैसे हल्का इजीनियरिंग, फार्मेसी, औषधियाँ व जड़ी बूटियाँ, काटा, छुरी आदि । युद्धोत्तरकाल के प्रारम्भ के वर्षों में बड़ी मात्रा में पूँजी का विनियोग हुआ, जिससे रेयन, मोटर, वॉल व रोलर बेयरिंग, कार्डिंग एनाजिन, रिंग फ्रेम, और रेलवे एंजिन जैसे उद्योगों की स्थापना हुई । बहुत से नए घटकों का प्रारम्भ हुआ और रासायनिक खाद, सीमेण्ट, शीशे की चद्दर, कास्टिक सोडा और गन्ध-काम्ल के बनाने के विद्यमान घटकों में वृद्धि हुई और इनका विस्तार हुआ ।”

१९४८ में औद्योगिक नीति का प्रस्ताव आया और अप्रैल १९५१ में प्रथम पंचवर्षीय योजना का सूत्रपात हुआ । उद्योग के क्षेत्र में राज्य ने प्रवेश किया, और राष्ट्रीय अचल अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थापित घटक हैं - जहाज बनाना, रासायनिक खाद, मशीन टूल, तार, पेनसिलीन, डी० डी० टी०, वैज्ञानिक उपकरण, लोहा व इस्पात, रेलवे एंजिन, रेलवे मुसाफिरी डब्बे, टेलीफोन, हवाई जहाज, अखबारी कागज और कागज, चीनी मिट्टी के बर्तन, बिजली का सामान, आदि । निजी अचल में भी, विद्यमान घटकों का विस्तार हुआ । इण्डियन एयर लाइन कारपोरेशन, एयर इण्डिया इन्टरनेशनल, मोटर परिवहन, इम्पीग्रियल बैंक ऑफ इण्डिया और जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण उल्लेख योग्य हैं । हाल के

वर्षों में कुटीर व लघु परिमाण के उद्योगो तथा दस्तकारियो की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मशीन बनाने के प्लाण्टो (संयंत्रो) को बनाने, इस्पात उत्पादन का बड़े पैमाने पर विस्तार, भारी उद्योग, कुटीर व लघु परिमाण के उद्योगो की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है । विद्यमान उद्योगो का विस्तार इनसे अलग है । कुल योजना ४,८०० करोड रु० की है और इसमें उद्योगो को विशेष स्थान दिया गया है । लगभग एक करोड और अधिक लोगो को काम और रोजगार देने का भी ख्याल है ।

१९१९ से अब तक जो श्रम-कानून बने है उनका इस पुस्तक में समावेश किया गया है और पाठको से विस्तृत विवरण के लिए आई०-एल० यो० पुस्तकों को देखने के लिए कहा गया है । इस क्षेत्र में जो मुख्य-मुख्य सिद्धिया प्राप्त हुई है, उनका यहाँ उल्लेख किया जा रहा है । इस समय कारखानों के मजदूरों को ८ घंटे का दिन और ४८ घंटों के सप्ताह एवं स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण का कानूनी संरक्षण प्राप्त है । स्त्री-मजदूर प्रसव से पहले और उसके बाद सवेतन छुट्टी पाने की अधिकारी है । कारखानो के समान दुकानो और दफ्तरो में सवेतन साप्ताहिक छुट्टी है । खान-मजदूरों के काम के घण्टे नियमित हैं, जमीन के नीचे स्त्रियों का काम करना निषिद्ध ठहरा दिया गया है । उनको के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, और सवेतन छुट्टी की व्यवस्था है । इनको कल्याण और प्रोविडेण्ड फण्ड की भी सुविधाएं प्राप्त हैं । वागानो में व्यस्कों के लिए ५४ घण्टों का सप्ताह और अल्प-व्यस्को के लिए ४० घण्टो का सप्ताह है, स्त्रियों और बच्चो का रात्रि-काम मना है । घर, कल्याण और दवा-दारु की सुविधाओ की व्यवस्था है । रेलवे और सड़क परिवहन में काम के घण्टे और विश्राम का समय मजदूरों का नियमित कर दिया गया है । डॉक-मजदूरों के दिहाड़ी काम की जगह नियमित काम के लिए कानून है और रोजगार की शर्तों, भरती प्रशिक्षण और

कल्याण आदि के बारे में भी कानून है। 'पेमेण्ट ऑफ वेजिज एक्ट' विश्वास दिलाता है कि वेतन की अवधि एक मास से अधिक की न होगी। और 'मिनिमम वेजिज एक्ट' (न्यूनतम वेतन एक्ट) असंगठित उद्योगों और खेती में न्यूनतम वेतन के निश्चय की व्यवस्था करता है।

उलासियों व सामुद्रिकों के काम की दशाएँ कानून द्वारा नियमबद्ध कर दी गई हैं। 'एम्पलायोज स्टेट इन्शुरेंस एक्ट', बीमारी, प्रसूति और काम करते हुए लगी चोट व हुए, जल्म के जोखिम से बचाव करता है और इन के साथ प्राविडेण्ट फण्ड की योजना और काम छोड़ने या छटनी के समय मुआवजा मिलने की व्यवस्था, ये सब मिलकर व्यापक राष्ट्रीय सामाजिक बीमा योजना का बीज हैं। ट्रेड यूनियन और विवादों के निर्णय के कानून मजदूरों को अपने अधिकारों की रक्षा के योग्य बनाते हैं। भारत का संविधान भारत के समस्त नागरिकों को अवसर की समानता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा, सगम व यूनियन बनाने का अधिकार, बेगारी की मनाही, १४ साल से कम आयु के लड़कों को काम पर लगाने की मनाही के मूल अधिकार प्रदान करता है। इसके साथ राज्य-नीति निर्देशक में कहा गया है कि राज्य जीविकाजन के उपयुक्त उपायों को प्राप्त करने में मदद दे, नर-नारी को एक समान वेतन देने की नीति बनावे और मजदूरों के स्वास्थ्य और उनकी शक्ति का संरक्षण करे।

किन्तु औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों की तुलना में वेतन कम है और श्रम और पूँजी की उपज कम है और इनमें तुलना नहीं की जा सकती। औद्योगिक इलाकों और बड़े शहरों के चारों ओर गलीज और गन्दी वस्तियाँ हैं। निरक्षर मजदूरों से भारतीय उद्योग का आरम्भ हुआ था और इसी स्थिति के बदलने में अभी पर्याप्त समय लगेगा। प्रशिक्षण की समस्या हाथ में ली गई है लेकिन इस दिशा में अभी बहुत कुछ करने को शेष है। कारखानों, मशीन की सार-सम्भाल, घर रक्षा, सघ-

टन और पारस्परिक सम्बन्धों में अभी बहुत कुछ करना अपेक्षित एवं वाञ्छनीय है।

औद्योगिक अंचल की तुलना में खेती में आय और भी कम है। प्रति व्यक्ति जमीन का हिस्सा आबादी के बढ़ने के साथ घट रहा है। देहात के लोग साल के अन्दर ५० से १२३ दिन तिठले रहते हैं, इनके पास करने को कोई काम नहीं होता।

इस चित्र में जो नीरस पैवन्द और चिप्पियां हैं, इनको उत्तरोत्तर को पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा बदलने का यत्न किया जा रहा है। राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि होने से ही सर्वतोमुखी उन्नति होनी सम्भव है और भारत गणराज्य की सरकार जब से स्थापित हुई है, उसी दिन से उसने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया है। खेती अंचलमें, सामुदायिक परिकल्पनाओं और राष्ट्र-विस्तार योजनाओं के अधीन, सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं और दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ये योजनाएँ भारत के समस्त गांवों को व्यस्त कर लेंगी। खेती में न्यूनतम वेतन निश्चित करने का कार्य बराबर आगे बढ़ रहा है।

श्रम-मन्त्रालय की दूसरी पंचवर्षीय योजना की मुरत वातें नीचे दी जा रही हैं, जिनको देखने से मालूम होगा कि आज से पांच साल बाद का चित्र क्या होगा :

- (१) ट्रेड यूनियन कानून में संशोधन, जिससे बाहरी आदमियों के आने पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके, पदाधिकारियों का सत्ताएँ जाने व दण्डित किए जाने से बचाव, ट्रेडयूनियनों की स्वीकृति और उनकी वित्तीय अवस्था का सुधार।
- (२) स्थायी औद्योगिक ट्रीव्युनल (स्टैंडिंग इण्डस्ट्रियल ट्रीव्युनल) की स्थापना द्वारा औद्योगिक निर्णयों का अधिक अच्छी तरह पालन कराना, जिन तक सम्यन्धित पक्षों की सीधी पहुँच हो।

- (३) उद्योग के स्तर पर परामर्श व सलाह देने की मशीनरी में सुधार ।
- (४) प्रबन्धक-कॉसिलो का निर्माण, जिसमें प्रबन्धक और मजदूरों के उद्योग के स्तर पर समान सख्या में प्रतिनिधि होंगे ।
- (५) सरकारी और निजी उद्योगों में श्रम-प्रतिमानों में एकदृष्टता लाना ।
- (६) निम्न वेतन-नीति के उद्देश्य से त्रिपक्षीय वेतन बोर्डों का निर्माण जो कि मजदूरों को उपज बढ़ने के साथ वास्तविक वेतन का विश्वास दिलायगा ।
- (७) सामाजिक सुरक्षा के उपायो और कल्याण सुविधाओं का विस्तार ।
- (८) सेण्ट्रल लेबर इस्टीमेट, बम्बई के क्रियाकलापों का विस्तार और कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में औद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण अद्भुतालय (म्युजियम) की स्थापना ।
- (९) राष्ट्रीय रोजगार सेवा का विस्तार और
- (१०) दस्तकारों, शागिदों और मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए और अधिक मात्रा में सुविधाओं की व्यवस्था ।

यह प्रोग्राम विकास पर होने वाले वित्तीय खर्च का एक अंश है । फिर भी भारतीय गणराज्य के लक्ष्य के सिलसिले में इसका महत्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता । निस्सन्देह इसका अर्थ है कि सामाजिक लक्ष्यो को प्राप्त करने की दिशा में ठीक-ठीक प्रयत्न, क्योंकि विकासशील आर्थिक तन्त्र में आगे बढ़ने के साथ नई समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं और उनको हर कदम पर हल करना होता है । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत विदेशी राज्यों के साथ सम्बन्ध पाच सिद्धान्तों (पञ्चशील) के आधार पर स्थापित कर रहा है, इसका राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में प्रतियोगी सामाजिक न्याय ही हो सकता है । उद्देश्य की ओर आगे बढ़ता हुआ भारत राष्ट्रीय क्षेत्र में उसको मूर्तरूप दे रहा होगा, उसको क्रियान्वित कर रहा होगा, जो कि आई० एल० ओ० के संस्थापकों के सामने अन्तर्राष्ट्रीय रूप से लक्ष्य था और जब हम इसका स्मरण करते हैं कि आई० एल० ओ० की अपनी कोई अधिसत्ता नहीं है और यह

केवल सदस्य राज्यों द्वारा ही काम कर सकता है, तब इसका महत्व दुगुना ही जाता है। भारत की सफलता न केवल आई० एल० ओ० को इसके सुपुर्द काम को पूरा करने में सहायता देगी, बल्कि कम विकसित देशों के लिए यह एक उदाहरण का काम करेगी।

एक प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या आई० एल० ओ० का कार्य भविष्य में भी, आज के समान दो भागों में सामान्य और क्रियात्मक क्षेत्र में, कायम रहेगा और यह सारी दुनिया में सामाजिक न्याय प्राप्त करने और भारत और अन्य कम विकसित देशों की समस्या को हल करने में सहायक होगा, जो कि सामान्य जनता के जीवन-निर्वाह के प्रतिमानों को ऊँचा करने के महान् काम में लगे हुए हैं ? फिलेडेल्फिया कान्फ्रेंस में आई० एल० ओ० ने साहसपूर्ण कदम उठाया और यू० एन० के "एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस" (विस्तारित टेक्निकल सहायता प्रोग्राम) में सांभोदारी इसको क्रियात्मक क्षेत्र में ले आई। १९४७ से भारत राजनीतिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय रूप से बहुत-सी दिशाओं में उपक्रमण व पहल कर रहा है, सम्भव है यह आई० एल० ओ० में भी करे। सदस्य राज्यों और कामयोजकों और मजदूरों की समस्याओं के नेताओं को यह देखना है क्या आई० एल० ओ० के काम करने के ढंग में और अधिक परिवर्तनों की आवश्यकता है जिससे यह विश्व की और अधिक मात्रा में सेवा कर सके। चूँकि आई० एल० ओ० अपने सतत अस्तित्व के लिए जनता के समर्थन पर निर्भर करता है, अतः यह जनता का कर्तव्य है कि वह बदलती अवस्थाओं के अनुसार इसमें परिवर्तन कर इससे सर्वोत्तम लाभ उठावे।

APPENDIX I
BIBLIOGRAPHY

(1) I L O PUBLICATIONS ON INDIA

Publications of I L O Headquarters

- 1 Industrial Labour in India, 1938
- 2 Problems of Industry in the East, 1938
- 3 The Worker's Standard of Living, 1938
- 4 Wartime Labour Conditions and Reconstruction Planning in India, 1946
- 5 The Development of the Co-operative Movement Asia, 1949

Preparatory Asian Regional Conference, New Delhi, 1948

- 6 Report of the Director-General
- 7 Report I Problems of Social Security
- 8 Report II Labour Policy in General including the Enforcement of Labour Measures
- 9 Report III Programme of action for the Enforcement of Social Standards Embodied in Conventions and Recommendations Not Yet Ratified or Accepted
- 10 Report IV The Economic Background of Social Policy including Problems of Industrialisation
- 11 Record of Proceedings

Asian Regional Conference, Nuwara Eliya (Ceylon), 1950

- 12 Report of the Director-General
- 13 Report I Labour Inspection
- 14 Report II Provision of Facilities for the Promotion of Workers' Welfare

- 15 Report III Agricultural Wages and Incomes of Primary Producers
- 16 Report IV . Organisation of Manpower
- 17 Record of Proceedings

Asian Regional Conference, Tokyo, 1953

- 18 Report of the Director-General
- 19 Report I: Problems of Wage Policy in Asian Countries
- 20 Report II Workers' Housing Problems in Asian Countries
- 21 Report III Measures for the Protection of Young Workers in Asian Countries
- 22 Record of Proceedings

Publications of I L O India Branch

- 23 Asian Labour Laws, 1951
- 24 Labour Legislation in India 1937-1952
- 25 Recent Developments in Certain Aspects of Indian Economy, 1955 Volumes I and II
- 26 International Standards for Labour A Brief Review 1956

(ii) ARTICLES ON INDIA IN THE INTERNATIONAL LABOUR REVIEW

- 1 India and the Washington Conference, by Sir Ernest Low. K C I E (January 1922)
- 2 The Co-operative Movement and Labour in India, Henry W Wolff (February 1922)
- 3 The Condition of India in 1921 (December 1922)
- 4 Working-Class Expenditure in Bombay (August 1926)
- 5 Middle Class Unemployment in Bengal (May 1926)
- 6 The Punjab Peasant and the Moneylender (September 1926)

- 7 Middle Class Unemployment in Bombay (December 1926)
- 8 Unemployment in India (December 1928)
- 9 An Enquiry into Conditions of Agriculture and Rural Economy in India (March 1930)
- 10 Labour Legislation in India, by Rajani Kanta Das (November 1930)
- 11 Indian Labour in Ceylon, by Dr Lanka Sundaram (March 1931)
- 12 An Experiment in the Management of Indian Labour, by Albert Howard (May 1931)
- 13 Woman Labour in India, by Rajani Kahta Das (October and November 1931)
- 14 The Report of the Royal Commission on Labour in India (February 1932)
- 15 Labour in Indian Factories and Mines in 1930 (July 1932)
- 16 The Development of Employers' Organisations in India, by A H Maru (February 1933)
- 17 Indian Labour in Ceylon The Effects of the Economic Crisis (July 1933)
- 18 Impressions of Visit to India, Iraq, Persia and Turkey, by C W H Weaver (October 1933)
- 19 Child Labour in India by Rajani Kanta Das (December 1933 and January 1934)
- 20 Indian Labour in Ceylon and Malaya in 1932 (April 1934)
- 21 Conditions of Work on Indian Railways (November 1934)
- 22 Agricultural Indebtedness in India The Bhavnagar Scheme (April 1935)
- 23 Handicrafts in India, by S K Raja (April 1937)
- 24 Labour Legislation in Indian States by Rajani Kanta Das (December 1938)
- 25 Labour in Ceylon, Fiji and British Malaya (July 1940)

- 26 Indian Labour in the West Indies (February 1941)
- 27 The Institution of a Tripartite Labour Organisation in India The Influence of the I L O (January 1943)
- 28 Wartime Inflation in India and Its Social Repercussions (September 1944)
- 29 The Agrarian Situation in India, by Parekunnel J. Thomas (October 1944)
- 30 Problems of Social Security for Industrial Workers in India, by A N Agarwala M A (January 1955)
- 31 Health Insurance for Industrial Workers in India The Adarkar Report (April 1945)
- 32 Wartime Developments in the Indian Textile Industry (August 1945)
- 33 Machinery for the Administration of Labour Legislation in India (December 1945)
- 34 Wartime Developments in Trade Union Organisation in India (May-June 1946)
- 35 Social Security Plan for Indian Seafarers (October 1947)
- 36 Rehabilitation of Displaced Persons in India (August 1948)
- 37 A Decade of Labour Legislation in India (April and May 1949)
- 38 The Development of Cottage and Small-Scale Industries in Bombay (August 1949)
- 39 Social and Economic Progress in Mysore, by Andree Leon (October 1949)
40. Rehabilitation and Resettlement of Displaced Persons in the Indian Union (April 1950)
41. Land Reforms in India, by M L Dantwala (November-December 1952)
- 42 Development Planning in India (August 1953)
- 43 An Indian Experiment in Rural Development - The Etawah Pilot Project, by SK Jain (October-November 1953)

- 44 Rural Development in India, S S Dhami (May 1954)
- 45 Women's Employment in India, by NK Adyanthaya (July 1954)
- 46 The Work of the Ford Foundation in India, by U L Goswami (September-October 1954)
- 47 The Employment and Vocational Training Services in India (April 1955)
- 48 The Integration of the Aboriginal Population of India, by L M Shrikant (March (1956)
- 49 Influence of International Conventions on Indian Labour Legislation, by V K R Menon (June 1956)

(iii) PUBLICATIONS ON THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION

- International Labour Office Geneva *Constitution and Rules of the International Labour Organisation*
- International Labour Office, Geneva *Lasting Peace the I L O Way* 124 pages
- American Academy of Political and Social Science *The International Labour Organisation* ed by Alice S Cheyney Philadelphia, 1943, 214 pages (Its Annals, v 166, March 1933)
- Crofts, C *The I L O, International Labour Organisation* a peep into the past and a glimpse of the future Melbourne, Australasian Council of Trade Unions, 1944, 36 pages
- Dillion, Conley Hall, *International Labour Conventions, their interpretation and revision* Chapel Hill, NC University of North Carolina Press, 1942, 283 pages
- Gibberd, Kathleen *I L O, the unregarded revolution* London, Dent, 1937, 159 pages
- Hewett Nora *Towards better things, the story of the I L O* with a preface by John Hilton London, Longmans, 1936, 128 pages

- Ibanez, Bernardo *What the workers expect of the International Labour Organisation* New York, American Labour Conference on International Affairs, 1944 18 pages
- International Labour Office *The International Labour Organisation, the first decade* Preface by Albert Thomas London, Allen and Unwin, 1931, 382 pages
- Johnston, George Alexander *International Social Progress the work of the International Labour Organisation of League of Nations* London, Allen and Unwin, 1924, 263 pages
- Lawford, Stephen *Sowing Justice, or The Romance of the International Labour Office* London, Nicholson and Watson, 1939, 150 pages
- Le Roy, Albert *Catholics and the International Labour Organisation* New York, Social Action Department, National Catholic Welfare Conference, 1939, 51 pages
- Lowe, Boutelle Ellsworth *The International Protection of Labour The International Labour Organisation, History and Law* New York, Macmillan, 1935, 666 pages
- Miller, Spencer, ed *What the International Labour Organisation means to America*, with a foreword by John G Winant New York, Columbia University Press, 1936, 123 pages
- Mortished, R J P, *The World Parhament of Labour, a study of the International Labour Organisation, its past achievements and potentialities for the future, and proposals for its reorganisation* London, 1946, 41 pages, (Fabian Society Research Series, No. 113)
- Phelan, Edward Joseph. *Yes and Albert Thomas* London, Crescent Press, 1936, 286 pages

- Phelan, Edward Joseph *The contribution of the International Labour Organisation to peace* Geneva, International Labour Office, 1949 26 pages
- Rounds, Joseph B *Research facilities of the International Labour Office available to American libraries* Chicago American Library Association, 1939, 70 pages
- Shotwell, James T, ed *The Origins of the International Labour Organisation* New York, Columbia University Press 1934 2 Volumes
- Taylor William Lonsdale *Federal States and labor treaties Relations of Federal States to the International Labour Organisation*, with a foreword by Samuel McCune Lindsay New York, 1935, 178 pages
- Thomas, Albert *International Social Policy* Geneva International Labour Office, 1948, 162 pages
- Weinfeld, Abraham C *Labor treaties and labor compacts* Bloomington, Ind Principia Press, 1937, 142 pages

(iv) INDIA AND THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION

- India and International Labour Office*, Capital (Calcutta), vol 82, January 17, 1929, pp 100-101
- Pillai, P P *India's Interest in the International Labour Office*, Asiatic Review (London), Vol 44, July 1929, pp 397-404
- India and the International Labour Organisation*, Patna 1931, 198 p
- Karve, D G *Geneva and Indian Labour*, Indian Journal of Economics (Allahabad) Vol 11, January 1931 pp 332-345

- Coyajee, Sir J C *India and the League of Nations*
Waltair, 1932, VIII, 239 p (Andhra University
series, No 5)
- Sundaram, L *India and the International Labour
Organisation* Asiatic Review (London), Vol 47,
April 1932, pp 268 - 270
- Butler, H *India and the International Labour Organi-
sation*, Asiatic Review Vol 30, October 1934, pp
593-611.
- Desai, D. *International Labour Organisation*, Fore-
word by N S Subha Rao. n.p., 1936 78 p In
Kanarese.
- India and the I L O* Indian Information (New Delhi).
Vol 16, June 15, 1945 pp 805-806
- Pillai, P P *India and the I L O*. (In Agarwala, A.N.,
Indian Labour Problems Allahabad, 1947, pp 99-
126)
- Appadorai, A *India's participation in International
Organisations—Administrative Aspects* India
Quarterly (New Delhi), Vol VI, July/September
1950, No 3, pp, 247-261
- The I L O and Asia—India's Memorable association
with the Organisation*, Commerce (Bombay),
Annual Review Number, Vol 81, December 1951,
p 1211
-

परिशिष्ट २

आई० एल० ओ० की प्रशासन समिति के गैरसरकारी भारतीय सदस्यों की सूची

१९३३-३६ कामयोजक दल श्री डी० एस० एरूलकर
(सदस्य—६१, ६२ व ६३ अधि-
वेशन १९३३
एवजी—६४, ६५ अधिवेशन १९-
३३-३४
डिप्टी सदस्य—६६, ६७ अधिवेशन
१९३४
सदस्य—६८ से ७७ अधिवेशन
१९३४-१९३६)

मजदूर दल

श्री एन० एम० जोशी
(डिप्टी सदस्य—६१, ६२, ६३, ६४
व ६५ अधिवेशन १९३३-३४
सदस्य—६८वा अधिवेशन १९३४
सदस्य—७० से ७७ अधिवेशन
१९३५-३६)

प्रशासन समिति के गैरसरकारी भारतीय सदस्यों की सूची १७७

१९३७-३९ : कामयोजक दल . श्री डी० एस० एरुलकर
(सदस्य—७८ अधिवेशन १९३७
डि० सदस्य—७९ अधिवेशन
सदस्य—८० से ८८ अधिवेशन
१९३७-३९)

मजदूर दल . श्री एन० एम० जोशी
(सदस्य—७८ से ८८ अधिवेशन
१९३७-३९)

१९४०-४२ . कामयोजक दल . श्री डी० एस० एरुलकर
(सदस्य—८९, ९० अधिवेशन
१९४०-४१)

मजदूर दल : श्री एन० एम० जोशी
(सदस्य—८९, ९० अधिवेशन
१९४०-४१)

१९४३-४५ : कामयोजक दल : श्री डी० एस० एरुलकर
(सदस्य—९१ से ९७ अधिवेशन
१९४३-४५)

मजदूर दल : श्री एन० एम० जोशी
(सदस्य—९१ व ९२ अधिवेशन
१९४३-४४
डि० सदस्य—९७वा अधिवेशन
१९४५)

श्री जे० मेहता
(डि० सदस्य—९२वा अधिवेशन
१९४४)

- १९४६-४८ कामयोजक दल श्री डी० एस० एरूलकर
(सदस्य—६८ से १०५ अधिवेशन
१९४६-४८)
- श्री वी० सी० मेहता
(सदस्य—१०६ व १०७ अधिवेशन
१९४८)
- मजदूर दल . श्री एन० एम० जोशी
(सदस्य—६८ से १०५ अधिवेशन
१९४६-४८)
- १९४९-५१ कामयोजक दल श्री वी० सी० मेहता
(सदस्य—१०८ से ११५ अधि-
वेशन १९४९-५१)
- श्री एन० एच० ताता
(सदस्य—११६ व ११७ अधि-
वेशन १९५१)
- एवजी सदस्य—१०८ से ११०
अधिवेशन १९४९-५०)
- श्री एम० ए० मास्टर
(एवजी सदस्य—१११ से ११५
अधिवेशन १९५०-५१)
- मजदूर दल . श्री एच० एन० शास्त्री
(सदस्य—११६ व ११७ अधि-
वेशन, १९५१)

प्रशासन समिति के गैरसरकारी भारतीय सदस्यों की सूची १७६

१६५२-५४ : कामयोजक दल : श्री एन० एच० ताता

(सदस्य—११८ से १२७ अवि-
वेशन १६५२-५४)

मजदूर दल :

श्री एच० एन० शास्त्री

(सदस्य—११८ से १२३ अवि-
वेशन १६५२-५४)

श्री के० पी० त्रिपाठी

(सदस्य—१२६ व १२७ अवि-
वेशन १६५४)

परिशिष्ट ३

आई० एल० ओ० की कमेटियों और कमीशनों
के ३१ दिसम्बर, १९५५ को भारतीय सदस्य

कन्वेंशन व सिफारिश के प्रयोग पर विशेषज्ञ कमेटी	श्री आर० एन० बनर्जी
सभा व सगम स्वतन्त्रता पर तथ्य अन्वेषक व समझौता कमीशन	श्री जे० एन० मजूमदार
एशियाई परामर्श दातृ कमेटी—कामयोजको का एवजी	श्री एन० एच० ताता
मजदूर सदस्य	श्री के० पी० त्रिपाठी
सयुक्त समुद्री कमीशन—जहाज मालिक डिप्टी सदस्य—मल्लाह व सामुद्रिक	श्री एम० ए० मास्टर
स्थायी कृषि कमेटी—सरकारी विशेषज्ञ	श्री डी० देसाई
श्रीद्योगिक सुरक्षा व स्वास्थ्य पर पत्र-व्यव- हार कमेटी—सदस्य	श्री ए० एन० भा
	श्री एच० पी० दस्तूर
	श्री एस० एस० श्रेवाल
	डा० एम० एन० गुप्ता
	श्री एन० एस० मनकीकर
मनोरजन पर पत्र-व्यवहार कमेटी—सदस्य	श्री पी० जी० नायक
स्त्री काम पर पत्र-व्यवहार कमेटी—सदस्य	श्रीमती मैत्रई बोस

कमेटियों और कमीशनों के दिनांक १५ को भारतीय सदस्य १८१

श्रीमती अनसूया बाई
काले

राजकुमारी श्रमृत कौर
श्रीमती एस० सी० मजू-
मदार

श्रीमती कृष्णाबाई वाघ
श्री वी० पी० वाडे

डा० वी० एस० हैकरवाल

श्री वी० राममूर्ति
श्री एल० एम० श्रीकान्त

डा० एम० एन० राव

सहकारिता पर पत्र-व्यवहार कमेटी
वालको व तरणों के रोजगार पर पत्र-व्यव-
हार कमेटी—सदस्य
परिगणन विशेषज्ञ—पत्र-व्यवहार कमेटी—
सदस्य

आदिवासी श्रम पर विशेषज्ञ कमेटी—सदस्य
श्रीद्योगिक स्वास्थ्य (विश्व स्वास्थ्य सघ
द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ)